Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

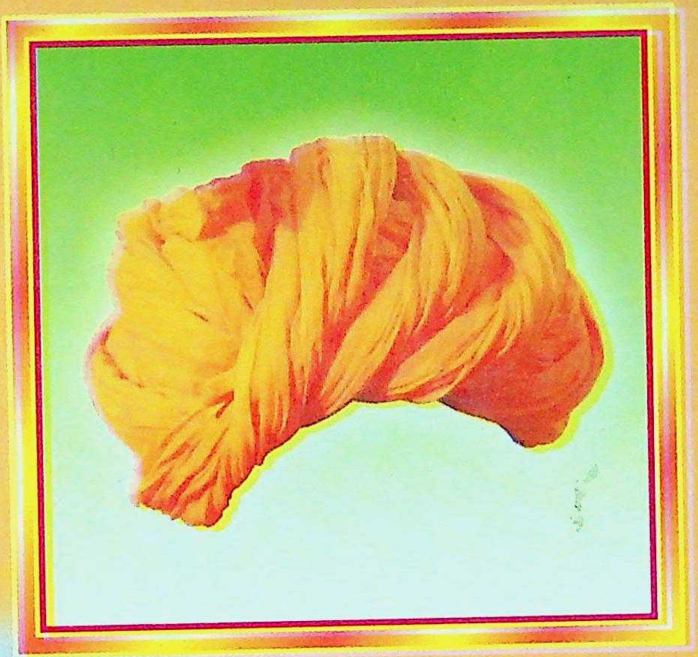

राजस्थान में पंचायत व्यवस्था

डॉ.शिव कुमार भनोत

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पंचायत-व्यवस्था विश्व को भारत की एक अनुपम देन है। इतिहास जगत के अतिरिक्त समाज वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य को स्वीकारोक्ति प्रदान की है कि प्राचीन काल से पंचायत-संस्थाएँ भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जनजीवन को नियमित एवं नियन्त्रित करने वाली महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा प्रशासनिक इकाई रही हैं। निर्विवाद रूप से इस संस्था द्वारा संस्थापित स्वशासी, स्वावलम्बी, स्वाश्रयी ग्राम-व्यवस्था मृत्युञ्जयी समाज-व्यवस्था थी जिसमें सभी के लिए शांति और सुख के बीज विद्यमान थे। अठारहवीं शताब्दी कालीन पश्चिमी राजस्थान (बीकानेर, जोधपुर) में इस संस्था का प्रभावशाली रूप में अस्तित्वमान होना प्रमाणित होता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार तथा अन्यत्र संगृहीत, प्रचुर मात्रा में प्राप्य तद्विषयक मूल स्रोत-सामग्री इस संस्था के विषय में बहुआयामी और समृद्ध जानकारी प्रदान करती है।

उल्लेखनीय है कि इस कालावधि के दौरान प्रशासन में केन्द्रीकरण की प्रवृति के बावजूद इस सम्भाग में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की स्वीकारोक्ति पंचायत संस्था को राज्य द्वारा प्रदत्त स्वायतता एवं संरक्षण के रूप में दृष्टिगत होती है। इससे इस क्षेत्र में पंचायत संस्था का जो पृथक् स्वरूप मुखरित होकर सामने आया है तद्विषयक विविध आयामों का शोधपरक अध्ययन इस शोध-कृति का प्रमुख अभिप्रेत है।

मूल स्रोत-सामग्री के आधार पर किया गया तत्संबंधी विश्लेषण एवं विवेचन इस क्षेत्र में पंचायत संस्था के अस्तित्व, स्वरूप, संरचना, गठन, विविध रूप (जाति, गांव तथा व्यावसायिक पंचायतें), कार्यक्षेत्र एव विषय, कार्यविधि, विविध निर्णय, दंड प्रकार, निर्णयों की अनुपालना की परिसीमाएं, पंचायत-राज्य सम्बन्ध आदि, विविध आयामों पर एक गवेषणाप्रधान, बहुआयामी अध्ययन प्रस्तुत करता है जो इतिहास ही नहीं वरन् समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, लोक-प्रशासन, विधि एवं न्याय-प्रशासन आदि के अध्येताओं और शोधार्थियों के लिए भी एक उपयोगी संदर्भ-कृति बन पड़ी है। हिन्दी भाषा में रचित इस कृति की विषय-वस्तु, मूल स्रोत एवं संदर्भ, तद्विषयक विश्लेषण-आश्लेषण तथा सारगर्भित टीका टिप्पणी और मीमांसा इस कृति के ऐसे वैशिष्ट्य हैं जो समाज विज्ञान के तत्संबंधी शोध कार्यों को नवीन आयाम एवं दिशा प्रदान करने में सहायक होंगें।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

मूल्य 290/–

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

राजस्थान में पंचायत-व्यवस्था

C-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Gra

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
Reference Book

राजस्थान में पंचायत-व्यवस्था

Gandhi Memorial College
SRINAGAR
Acc. No: 4077 22(III)
Dated:

डॉ. शिव कुमार भनोत
प्रवक्ता (सलैक्शन स्केल)
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
राजकीय डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर
(राजस्थान)

G.M.C.E.J
4077

यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्रा. लि.
79, एस. एम. एस. हाईवे,
जयपुर - 302 003

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रकाशक :
मैसर्स यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्रा. लि.
79, चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302 003
दूरभाष : 313382, 311466

© लेखक

प्रथम संस्करण 2000
आई एस बी एन 81-87339-27-6

The publication was financially supported by the ICSSR and the responsibility for the facts stated, opinions expressed, or conclusions reached, is entirely that of the author and that the ICSSR accepts no responsibility for them. The ICSSR expert is Professor S. P. Verma.

शब्द संयोजक :
आइडियल कम्प्यूटर्स, जवाहर नगर, जयपुर

मुद्रक :
मेहरा आफसैट प्रेस,
दरियांगज, नई दिल्ली

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्राकल्प

मध्यकाल में अनेक शासकीय वर्ग भारत में आये तथा उन्होंने अपनी सत्ता को सशक्त करने और आय के स्रोतों पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने हेतु नाना संस्थाओं को जन्म दिया। इनसे जन्मी प्रशासनिक गतिविधियों से भारतीय जन जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। चूंकि शासकीय वर्गों की जनसंख्या इस अनुपात में नहीं थी कि वे अपनी क्षमता के बल पर ये सारे कार्य निष्पादित कर पाते अतः उन्होंने अपनी उपलब्धियों को स्थैर्य प्रदान करने के लिए कई स्थानीय शक्तियों को अपने साथ भागीदार बनाया। आश्चर्य की बात यह भी है कि उन्होंने जिन स्थानीय शक्तियों को सहयोग के लिये चुना उनके आधार भी अपने क्षेत्र में सशक्त नहीं थे। मात्र सैनिक सर्वोच्चता, जो कि उनकी सामाजिक एकता पर अवलम्बित थी, ही उन्हें उस विशेष समयकाल में राजनीतिक स्तर पर एक विशिष्ट श्रेणी का सम्मान दिये हुए थी। फलस्वरूप उन्होंने भी उस भागीदारी का लाभ अपनी-अपनी स्थिति को दृढ़ करने में लगाया। राजस्थान के क्षेत्र में यह प्रक्रिया स्पष्ट दिखायी पड़ती है जब विभिन्न राजपूत शक्तियों ने विशेषकर मुगल काल में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को एक दृढ़ राजनीतिक संस्था में बदलने का यत्न किया। यह अलग बात है कि एक ही समय में अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों द्वारा अपनी स्थिति के दृढ़ीकरण के प्रयासों से अनेक राजनीतिक संकटों का जन्म हुआ और साम्राज्यों के उत्थान व पतन हुए।

राजस्थान में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विभिन्न राजपूत शक्तियों द्वारा अपनी सामाजिक एकता को एक सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति में बदल देने के प्रयासों ने कई प्राचीन संस्थाओं के चरित्र एवं क्रियाकलापों को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त मुगल सेवा में एक मनसबदार व जागीरदार के दायित्वों को

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

निभाने के लिए उन्होंने स्थानीय स्रोतों का पूर्ण दोहन प्रारम्भ किया। इससे भी स्थानीय स्तर पर चल रही सामूहिक कार्यवाहियों को धक्का लगा। राजपूत शक्तियाँ भी अपने स्तर पर सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम नही थीं। इस कारण उन्होंने सामाजिक स्तर पर अनेक 'मध्यस्थों' को विशेषाधिकार दिए ताकि वे उसके बल पर राज्य के हितों को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकें। फलस्वरूप राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से 'ठाकुर,' 'चौधरी,' 'मुसाहिब,' 'कामदार,' 'मुखिया,' एवं 'मेहतर' जैसे वर्गों का जन्म हुआ, जिन्होंने परम्परागत स्तर पर विशेष सुविधा भोगी अनेक वर्गों के अधिकारों को चुनौतियाँ दी। इसके अतिरिक्त नये प्रशासन में जब 'सामूहिक अधिकारों' के स्थान पर 'व्यक्तिगत अधिकारों' को मान्यता दी गयी तो अनेक पुरानी कार्यशैलियाँ चरमरा गयीं।

प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर इन परिवर्तनों को सहजता से भारत एवं राजस्थान में परम्परा से चली आ रही पंचायत संस्था की कार्यशैली के माध्यम से समझा जा सकता है। यह एक सुखद विषय भी है कि इस गहन अध्ययन के लिये सामग्री भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। हम ज्ञान पाते है कि प्राचीन काल की यह महान संस्था जिसके पास अपने वित्तीय अधिकार भी थे, मध्यकाल में आकर विभिन्न खण्डों में बंटकर राजा तथा मध्यस्थों के हितों को पूरा करने वाली एक "संघर्षशील संस्था" बन गयी थी। 18वीं शताब्दी में जब ठाकुर एवं नौकरशाही का दबदबा बढ़ने लगा तब 'राजाओं' ने अवश्य इसे सामाजिक क्षेत्र में एक 'शक्ति संतुलक' की संज्ञा प्रदान करते हुए उसके सम्मान को पुनर्जीवित करने का यत्न किया किन्तु तब तक देर हो चुकी थी। फिर स्वयं 'राजा' की स्थिति भी डाँवाडोल होनी प्रारंभ हो चुकी थी। राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबावों ने स्थिति यहाँ तक बना दी कि राज्य से कर्जा वसूल करने वालों ने भी पंचायत संस्था के अधिकारों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया।

इस प्रकार पंचायत संस्था के माध्यम से हम समाज के हर क्षेत्र में आये तनाव एवं परिवर्तनों को समझ सकते हैं एवं पंचायत जैसी ऐतिहासिक संस्था की विकास यात्रा के आन्तरिक पहलुओं को लक्षीभूत कर सकते हैं। तद्विषयक अध्ययन से हम, मध्ययुगीन समाज व राजनीति को किस नाम से वास्तव में पुकारा जाये, उसकी पहचान भी कर सकते हैं।

"राजस्थान में पंचायत-व्यवस्था" नामित इस शोध-कृति में डॉ शिवकुमार भनोत ने पंचायत संस्था की बारीकियों को मूल स्रोत-सामग्री के आधार पर न

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

केवल रेखांकित किया है अपितु उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक आयामों का सूक्ष्म और गहन आश्लेषण-विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। इसके अस्पर्शित पहलु को उद्घाटित करने का डॉ. भनोत का प्रयास निःसन्देह श्लाघनीय है। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य उनकी इतिहास-दृष्टि है जो शोध सृष्टि को निपट निजूणी और अलग पहचान देगी। यह मेरा विश्वास है। एतदर्थ उन्हें बधाई।

प्रो. जी. एस. एल. देवड़ा
कुलपति
कोटा खुला विश्वविद्यालय,
कोटा (राज.)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ अठारहवीं शताब्दी कालीन राजपूताना के थार मरूस्थलीय भू-भाग युक्त पश्चिमी क्षेत्र (जोधपुर एवं बीकानेर राज्य) में स्थानीय स्तर के प्रशासन एवं न्यायिक अभिकरण की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्था पंचायत विषयक विविध पक्षों का समसामयिक मूल स्रोत-सामग्री आधारित गवेषणा प्रधान अध्ययन है। उल्लेखनीय है कि इस कालावधि के दौरान प्रशासन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की विद्यमानता के बावजूद इस संभाग में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की महत्ता की स्वीकारोक्ति पंचायत संस्था को राज्य द्वारा प्रदत्त स्वयात्तता एवं संरक्षण के रूप में दृष्टिगत होती है। जहां एक ओर इस क्षेत्र के राठौड़ राज्य जोधपुर एवं बीकानेर के नरेशों द्वारा इस शताब्दी में सत्ता व प्रशासन के केन्द्रीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की प्रयासों में स्थानीय स्तर पर कबीलाई व कुलीय राजनीतिक व्यवस्था की स्वतंत्रता व स्वायत्तता को अंकुशित और नियंत्रित कर उन पर सशक्त नृपतंत्र की पकड़ को सुदृढ़ बनाया गया वहीं स्थानीय स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जनजीवन को प्रचलित परम्पराओं एवं मान्यताओं के परिवेश में जीवित रखने हेतु पंचायत जैसी स्वायत्तशासी संस्था को समुचित स्वायत्तता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया गया। अतएव इस संभाग में 'पंचायत' संस्था का महत्त्व व प्रभाव और अधिक मुखरित होकर सामने आता दिखाई देता है।

इस अध्ययन की परिधि में स्थानीय स्तर की लघुत्तम किन्तु प्रभावशाली संस्था पंचायत के अस्तित्व, स्वरूप, संरचना, गठन, विविध रूप, कार्य क्षेत्र एवं विषय, कार्य-विधि, विविध-निर्णय, दण्ड-प्रकार, निर्णयों की अनुपालना की परिसीमाएं आदि विविध विषय समाविष्ट किये गये हैं। सौभाग्य से राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में संग्रहित विपुल स्रोत-सामग्री विषय से संबंधित विशद् सूचनाएं प्रदान करने में सहायक रही अतएव इसी स्रोत-सामग्री को अपना मूल आधार बना कर प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के माध्यम से पंचायतों के संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक पक्षों को समुचित रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।

इस शोध कार्य के द्वारा कतिपय अभी तक अनुत्तरित रहे प्रश्नों का तथ्यपरक उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है जैसे- इस कालावधि में हमारे

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अध्ययन क्षेत्र में पंचायतों का स्वरूप क्या था? जाति एवं गांव-पंचायत के अतिरिक्त क्या कोई अन्य प्रकार की पंचायत भी हुआ करती थी? यदि हां, तो उसके गठन एवं कार्य पद्धत्ति विषयक किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं व उनसे किस प्रकार की भिन्न पंचायत का स्वरुप मुखरित होता है? इनकी संरचना व गठन कैसा था? पंच कौन व्यक्ति हुआ करते थे, इनके संगठन की मूल पृष्ठभूमि या प्रेरक कारण क्या थे? सुपरिचित कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त इनके कार्य पालिका, न्यायपालिका संबंधी क्या कार्य थे? क्या पंचायतें प्रचलित परम्पराओं की संरक्षा का कार्य ही करती थीं? इनकी स्वायत्तता की परिसीमाएं क्या थीं? राज्य द्वारा इनके क्रिया-कलापों व क्षेत्राधिकार में क्या कोई हस्तक्षेप किया जाता था? यदि हां तो वह हस्तक्षेप किस प्रकार का होता था? पंचायत व राज्य की पारस्परिक निर्भरता किस प्रकार की थी? राज्य का हस्तक्षेप किस सीमा तक प्रभावी था एवं उस हस्तक्षेप के उपरांत पंचायतों का स्वायत्तशासी स्वरूप अपनी मूल प्रकृति बनाये रखने में किस सीमा तक सफल रहा? सामान्य व्यक्ति को इन संस्थाओं से कितना न्याय मिल सका एवं समाज के मूल स्वरूप को विकृत होने से बचाने की दृष्टि से एवम् यथास्थिति बनाये रखने की दृष्टि से पंचायतों का क्या योगदान रहा? आदि आदि।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त मूल स्रोत-सामग्री चूंकि समग्र रूप से मारवाड़ी भाषा एवं कामदारी लिपि में उपलब्ध है अत: यथासंभव हिन्दी रूपान्तरण के उपरांत भी कतिपय स्थानों पर शोध-ग्रन्थ के मूल पाठ में लौकिक शब्दों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में उस लौकिक शब्द का अर्थ वहीं अन्यथा शोध -ग्रन्थ के अंत में परिशिष्ट 'शब्द-संग्रहिका' में समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। विशेष ध्यानाकर्षण हेतु इन लौकिक शब्दों एवं मूल स्रोत सामग्री को मोटी टाईप में अंकित कर दिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र को जिस कालावधि में परिसीमित किया गया है उस काल की स्थितियों व समस्याओं को समझने में बीकानेर स्थित भैया संग्रह, मोहता संग्रह, नाहटा संग्रह, हकीकत लोकमणी व्यास पेपर्स संग्रह, बीकानेर बहियात संग्रह-लालगढ़ पैलेस, बीकानेर एवं नगरश्री चूरू स्थित पोतेदार संग्रह की बहियां व कागद-पत्र भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं एवं उन्हें आवश्यकता अनुसार इस शोध-ग्रन्थ के प्रणयन निमित्त सधन्यवाद प्रयुक्त किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में अनेक शोध संस्थाओं, विशेषज्ञों, अधिकारियों, शोध कर्ताओं एवं सहयोगियों ने मेरे प्रयास में महत्त्वपूर्ण सहायक भूमिका का निर्वाह किया

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

है। उन शुभ चिन्तकों एवं सदाशयी महानुभावों के प्रति मैं अपने कृतज्ञता अभिव्यक्ति उद्‌गार व्यक्त करना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ।

विषय की महत्ता, गाम्भीर्य आयामों एवं परिप्रेक्ष्य की अभिव्यक्त सार्थकता तथा ऐतिहासिक संदर्भ को विश्वसनीय स्पष्टता देने का श्रेय मेरे श्रद्धेय गुरू एवं शोध निर्देशक प्रो. (डॉ.) जी. एस. एल. देवड़ा को है, जिनके विद्वत्तापूर्ण निर्देशन में प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ तैयार हुआ है। उनके सद्-निर्देशन, शुभाशीर्वाद, सहयोग एवं स्नेह को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं उनका विशेष आभारी हूँ चूंकि शोध-ग्रंथ के प्रस्तुत स्वरूप तक पहुंचने के दिनों में उन्होंने नेहरू फैलो स्वरूप तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली के अपने व्यस्ततम् प्रवास काल में भी आवश्यक दिशा निर्देशन हेतु मुझे पर्याप्त समय प्रदान करने का विशेष अनुग्रह किया।

प्रो. सतीश चन्द्र (दिल्ली), प्रो. एम. एस. जैन (जयपुर), प्रो. दिलबागसिंह (जे. एन. यू., नई दिल्ली), प्रो. एस. पी. गुप्ता (ए. एम. यू., अलीगढ़) तथा प्रो. वी. के. वशिष्ठ (एम. डी. एस. यू. अजमेर) का मैं विशेष रूप से आभारी हूं जिनसे मुझे सदैव प्रेरणावर्द्धक शुभाशीवार्द एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

स्वर्गीय डा. जी. आर. परिहार, भूतपूर्व अध्यक्ष इतिहास विभाग, डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर की अन्त: प्रेरणा से यह कार्य सम्पन्न हुआ है। मैं उनके प्रति श्रद्धावनत हूं।

सदैव मेरी जिज्ञासा व प्रयास को दिशा, सार्थकता एवं सांदर्भिक औचित्य की मर्यादा से व्यवस्थित करने को अपना प्रथम दायित्व मानने वाले श्रद्धेय प्रो. शिव रतन भूतड़ा (जोधपुर), डॉ. देवीप्रसाद गुप्त (बीकानेर) एवं मेरी स्नेहमयी दीदी डॉ. शशि, प्रवक्ता (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, कोटा का भी मैं अत्यन्त आभारी हूं जिनकी शुभ कामनाओं के फलस्वरूप ही प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ अपना वर्तमान स्वरूप पा सका।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा जिनके सहयोग के बिना यह कार्य पूर्ण होना संभव नहीं था।

मैं अपने सहयोगी डॉ. कृष्णमुरारी भारतीय, डॉ. उमाकांत गुप्त (राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर) का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरे अस्फुट प्रयास को व्यवस्था एवं गति प्रदान करने में मुझे हरसंभव सहयोग प्रदान किया।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

परिवार के सदस्यों में मैं अपनी ममतामयी मां, श्रद्धेय पिताश्री एवं अपने भाई श्री बी. एम. भनोत के प्रति भी नतमस्तक हूं जिनके शुभाशीर्वाद एवं मंगल कामनाओं ने मुझे सदैव तत्परता की दीक्षा दी। मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती (डॉ.) बेला, प्रवक्ता-राजनीति विज्ञान, राजकीय डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर को विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने मुझे इस कार्य को पूर्णता प्रदान करने में पग-पग पर सहायता दी तथा जिनकी प्रेरणा मेरा सम्बल रही है।

अंत में, इस शोध-ग्रंथ के सुरूचिपूर्ण प्रकाशन के लिए मैसर्स यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., जयपुर को तथा ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के लिए भा. समाजविज्ञान अनु. परिषद, नई दिल्ली को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डॉ. शिव कुमार भनोत

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

संकेताक्षर

अ. स. पु. बी.	–	अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर
इ. हि. को. प्रो.	–	इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स
एनल्स	–	टाड कृत एनल्स एण्ड एण्टीक्विटिज ऑफ राजस्थान
एन. एम. एम. एल.	–	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाईब्रेरी, तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली
ऐ. इ.	–	ऐपिग्राफिया इण्डिका
चौ. शो. प्र. जो.	–	चौपासनी शोध प्रतिष्ठान, जोधपुर
ज. ए. सो. ब.	–	जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
जो. रा. ई.	–	जोधपुर राज्य का इतिहास
डी. डी. एच.	–	दफ्तर दीवान हजूरी
पूर्व.	–	पूर्व उल्लिखित
प्र.	–	प्रकाशित
प्रा. वि. प्र. जो.	–	प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
मा. प. वि.	–	मारवाड़ रा परगना री विगत (नैणसी कृत)
मू. नै. ख्या.	–	मूता नैणसी री ख्यात
रा. रा. अ. बी.	–	राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
रा. हि. का. प्रो.	–	राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स
राज. प्रशासनिक	–	राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था (बीकानेर संभाग के संदर्भ में)
सोशियो इकोनोमिक	–	सम आस्पैक्ट्स ऑफ सोशियो इक़ोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान (सं. जी. एस. एल. देवड़ा)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विषय-सूची

संकेताक्षर-सूची

1. विषय-प्रवेश एवम् स्रोत-सामग्री

2. पश्चिमी राजस्थान में विधि एवम् न्यायिक व्यवस्था 20

3. पंचायतों का स्वरूप एवम् गठन 48

4. जाति-पंचायत 74

5. गांव-पंचायत 106

6. व्यावसायिक-पंचायत 140

7. राज्य एवम् पंचायत 160

8. उपसंहार 171

परिशिष्ट : शब्द संग्रहिका 182

संदर्भ ग्रंथ-सूची 191

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

1

विषय-प्रवेश एवम् स्रोत-सामग्री

I
विषय-प्रवेश

निर्विवाद रूप से समाज व अर्थशास्त्रियों ने ऐतिहासिक दृष्टि से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि पंचायत-संस्थाएं प्राचीनकाल से भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का एक अभिन्न अंग रही हैं।[1] भारतीय भूखण्ड के अरावली चोटियों से आच्छादित एवं थार मरूस्थल की विशाल रेतीली भूमि संयुक्त राजस्थान[2]

---

1. ऋग्वेद, 10, 62, 11; 10, 75;
अर्थवेद, 7, 12, 1; वही, 12, 1, 56;
कोटिल्य अर्थशास्त्र-3, अध्याय 10, 12;
ई. वाशर्बन हापकिन्श- एनशिएण्ट एण्ड मोडर्न हिन्दू गिल्ड्स इन इंडिया, पृ. 200-205, 1901 ई., न्यूयार्क;
प्रो. अनंत सदाशिव अल्टेकर- प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ. 195-212, 1959, प्रयाग;
नरेन्द्र जी- भारत में पंचायती राज (प्राचीन व नवीन युग), पृ. 9-123, 242-52, 1961, अजमेर;
डा. रमेशचन्द्र मजूमदार - प्राचीन भारत में संघटिन जीवन (अनु. कृष्णदत्त वाजपेयी), अध्याय 1, 3, 4, 5, 1966, सागर;
दशरथ शर्मा- राजस्थान थ्रू दी एजेज, भाग-1, पृ. 349-52, 1966, बीकानेर;
डी. सी. सरकार- स्टडीज इन दी पालिटिकल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन एन्शियन्ट् एण्ड मेडीवल इंडिया, पृ. 15, 76, 1974 ई., पटना;
पी. सी. जैन - सोशियो इकोनोमिक एक्सप्लोरेशन आफ मेडिवल इंडिया, पृ 318-20, 1976 ई. दिल्ली
2. स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व इस प्रदेश को 'राजपूताना' नाम से जाना जाता था। इस प्रदेश

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

 Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के इस भू-भाग में प्राचीनकाल से पंचायत संस्थाओं के प्रभावशाली स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में अस्तित्वमान होने के उल्लेख मिलते हैं।[3] प्रतीत

के लिए 'राजस्थान' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वि. सं. 1765-1708 ई. सन् के एक शिलालेख में हुआ है, (देश धर्म क्षेत्र सागर सपवित्र क्षेत्र तन्मध्येमेरू शिखर सराज विजय राजस्थान सन्नृपन्विासः - सरदार म्यूजियम अभिलेख, जोधपुर, वि.सं. 1765) तदुपरान्त, जार्ज टॉमस ने सन् 1802 ई. में इस प्रदेश हेतु 'राजस्थान' शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टाड ने ई. सन् 1829 में इसे 'राजस्थान' नाम से अभिहित किया था। 9 सितम्बर, सन् 1946 ई. को विविध राजपूत रियासतों ने एक इकाई 'राजस्थान' के नाम से भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की। सन् 1947 ई. में देश के स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त राजस्थान का एकीकरण क्रम प्रारम्भ हुआ व सन् 1950 ई. तक अजमेर व सिरोही को छोड़कर समस्त राजस्थान एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हो चुका था। 1 नवम्बर, 1956 को अजमेर व सिरोही भी वृहद् राजस्थान में शामिल कर लिए गये। तभी से इस प्रदेश का नामकरण 'राजस्थान' वैधानिक स्वरूप पा गया। द्रष्टव्य -

विलियम फ्रेंकलिन-मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जार्ज टामस, पृ. 347, 1805 ई., लन्दन;
जेम्स टाड- एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, भाग-1, भूमिका, 1829 ई., पटना;
वी. पी. मैनन- दी स्टोरी ऑफ दी इण्टीग्रेशन ऑफ इण्डियन स्टेट्स, पृ. 66, 497-98;
दशरथ शर्मा- राजस्थान थ्रू दी एजेज, वोल्यूम-1, पूर्व., पृ. 1;
जी. एन. शर्मा- राजस्थान का इतिहास, पृ. 1-3, 1973 ई., आगरा;
जगदीशसिंह गहलोत- राजस्थान का इतिहास, पृ. 1, 1974 ई., जोधपुर;

3. ओसियां अभिलेख, वि. सं. 1245; वृहद् गुर्वावलि, पृ. 55-57; नाडलाई इन्स., वि. सं. 1686; जैन इन्स., भाग-1, नं. 807, पृ. 198; भण्डारकर रिपोर्ट, 1904-05, 06 नं. 49; पार्श्वनाथ इन्स., जैसलमेर, वि. सं. 1415; नाकोड़ा इन्स., वि. सं. 1678; जैन इन्स., भाग-1, नं. 726, पृ. 173; वही नं. 856, पृ. 217;
अल्टेकर- विलेज कम्युनिटीज इन वेस्टर्न इंडिया, पृ. 42-51, 1927 ई., मुम्बई;
विश्वम्भरा- वर्ष-1, अंक-1, 1961 ई., पृ. 6-9 (डा. दशरथ शर्मा का शोध लेख);
दशरथ शर्मा- राजस्थान थ्रू दी एजेज, भाग-1, पृ. 349-52, 1966 ई., बीकानेर;
जेम्स टाड- (पूर्व.), भाग-1, पृ. 171, 215, 1901, पटना एवं भाग-2, पृ. 1114, 1971 ई., दिल्ली;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

होता है कि राजस्थान भूमंडल का पश्चिमी संभाग[4] (जो कि हमारे अध्ययन का क्षेत्र है तथा जिसे **जांगलदेश[5] एवं मरू[6] प्रदेश** के नाम से जाना गया अथवा जो स्थानीय

जी. एन. शर्मा- राजस्थान का इतिहास (पूर्व.), पृ. 641, 42;

जी. एस. एल. देवड़ा- रिकाईस आन दी पंचायत सिस्टम इन दी राजस्थान आरकाईज (1700-1800 ई.), शोध लेख, प्र., पृ. 46, 'दि सोर्सेज आफ सोशल एण्ड इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,' सेंटर फार राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विश्वविद्यालय, 1977 ई., जयपुर;

जी. सी. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स, पृ. 4, 91, 92, 1979 ई., नई दिल्ली;

4. इसमें भूतपूर्व जोधपुर व बीकानेर राज्य को ही लिया गया है।

5. भूतपूर्व बीकानेर राज्य राठौड़ सरदारों के आक्रमण से पूर्व 'जांगल देश' के नाम से जाना जाता था। महाभारत में इस क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार मिलता है- तत्र ते कुरू पांचाला शाल्वा माद्रेय जाङ्गला। इसका तात्पर्य यह है कि कुरू देश से मिला हुआ पांचाल देश, शाल्व और मद्र देश से मिला हुआ जांगल देश आदि। द्रष्टव्य-महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय 9, श्लोक 39; जांगल देश के लक्षणों के संबंध में उल्लेख मिलता है- स्वल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरा तपः। संज्ञेयो जांगलो देशां बहुघान्यादि संयुतः।। अर्थात् जिस देश में जल व घास की कमी होती हो, वायु व धूप की प्रबलता हो तथा अन्न आदि बहुत होता हो, उसको जांगल देश जानना चाहिए। देखें- शब्द कल्पद्रुम, काण्ड-2, पृ. 525;

गौरीशंकर हीराचंद ओझा- बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 1, 2, 1939, अजमेर;

सन् 1949 ई. में राजपूताना की रियासतों के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण से पूर्व बीकानेर राज्य भारतीय मरू प्रदेश में अक्षांश 27.12° से 30.12° उत्तर तथा देशान्तर 62.12° से 75.41° पूर्व के बीच विस्तृत था। इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 23,317 वर्गमील था। राजपूताना के राज्यों में क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान था। विलीनीकरण से पूर्व राज्य की सीमाएं उत्तर में पंजाब के फिरोजपुर जिले, उत्तरपूर्व में हिसार जिले तथा उत्तर-पश्चिम में भावलपुर राज्य की सीमाओं से मिलती थी। राज्य के दक्षिण में जोधपुर, दक्षिण-पूर्व में जयपुर और दक्षिण-पश्चिम में जैसलमेर की रियासतें थीं। देखें-

दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग 8, पृ. 202;

अर्सकीन- गजेटियर ऑफ बीकानेर, पृ. 309;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कर्णीसिंह- दी रिलेशन्स ऑफ दी हाउस ऑफ बीकानेर विद दी सेंट्रल पावर्स (1465-1949 ई.), पृ. 344, 1974 ई., नई दिल्ली;
जी. एस. एल. देवड़ा- राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था (1574-1818 ई.), पृ. 1, 2, 1981, बीकानेर

6. जोधपुर का राठौड़ राज्य, जो कभी 'राज मारवाड़' भी कहलाया, का प्राचीन नाम 'मरू प्रदेश' था। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र के लिए 'मरू' शब्द का उल्लेख है। वेदों में 'मरूतों' की एक आख्यायिका आई हुई है। इसके अनुसार मरूतों को अपना मूल निवास त्याग कर दक्षिण की ओर स्थानान्तरित होना पड़ा था। अपने मूल स्थान सरस्वती प्रदेश को छोड़कर जब वे नवीन स्थान राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में आकर बस गये, तब इन मरूतों के कारण ही यह प्रदेश मरूत प्रदेश के नाम से विख्यात हुआ। कालान्तर में 'त्' का लोप हो जाने से यह प्रदेश 'मरू प्रदेश' कहलाने लगा। महाकाव्यों में इसे ही 'मरूकान्तर' प्रदेश कहा गया है। देखें-

ऋग्वेद- 1, 35, 6; राजस्थान थ्रू द एजेज, वोल्यूम-1 (पूर्व.), पृ. 11;
लक्ष्मीनारायण शास्त्री- राजस्थान प्रबोध पत्रिका, पृ. 10;
वाल्मीकी रामायण, युद्ध काण्ड, एकविंश सर्ग 1-35;
मांगीलाल व्यास- जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ. 1, 2, 1975 ई., जयपुर
अमरकोश में 'समानो मरू धन्वानो' कहकर मरू प्रदेश का उल्लेख किया गया है। इसकी व्याख्या में कहा गया है- 'मरू का अर्थ मरना और रेगिस्तान है' अर्थात् जहां यात्री जल के बिना मर जाते हैं, उसे मरू देश कहते हैं। हुमायूं के मारवाड़ आगमन एवं प्रत्यागमन के संबंध में फारसी तवारीखों में इस प्रदेश का जो वर्णन मिलता है,' उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है। द्रष्टव्य-
अमरकोश, काण्ड-2, भूमि वर्ग, श्लोक 5;
ओझा- जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 1;
गुलबदन बेगम- हुमायूंनामा (अनु. डा. रिजवी), भाग-1, पृ. 541-42;
बदायूंनी- मुंतखाब-उत्त-तवारीख (अनु. डा. रिजवी), हुमायूंनामा, भाग-2, पृ. 154;
जौहर- तजकिरात-उल-वाकियात (अनु. डा. रिजवी), हुमायूंनामा, भाग-1, पृ. 635;
मुल्ला अहमद-तवारीख-ए-अलफी (अनु. डा. रिजवी), हुमायूंनामा, भाग-2, पृ. 63;
मांगीलाल व्यास- जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ. 4;

सन् 1949 ई. में राजपूताना की रियासतों के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण से पूर्व जोधपुर राज्य भारतीय मरू प्रदेश में अक्षांश 24°37' से उत्तर तथा देशान्तर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बोली में 'मेर' व 'नेर' प्रदेशों के नाम से[7] विख्यात हुआ) में पंचायती संस्थाओं के माध्यम से ही यहां के स्थानीय कबीलों व जातियों का जीवन अनुशासित और नियन्त्रित होता रहा।[8] पूर्व मध्यकाल तक की उपलब्ध पुसतत्व सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस पश्चिमी भूभाग में राठौड़ों के आधिपत्य से पूर्वस्थापित कबीलों व जातियों में **'पंचकुल'** या **'पंचायत'** सम्पूर्ण प्रशासन की एक आधारभूत इकाई रही है।[9] उदाहरणार्थ: 1488 ई. में **'राव बीका'** (1465-1504 ई)[10] के

70°5' से 75°22' पूर्व के बीच विस्तृत था। इसका कुल क्षेत्रफल 35,066 वर्गमील था। विलीनीकरण से पूर्व राज्य की सीमाएं उत्तर में बीकानेर; उत्तर-पश्चिम में जैसलमेर; पश्चिम में सिंध; दक्षिण-पश्चिम में कच्छ के रन; दक्षिण में पालनपुर व सिरोही; दक्षिण-पूर्व में उदयपुर; पूर्व में अजमेर-मेरवाड़ा व किशनगढ़ तथा उत्तर-पूर्व में जयपुर की रियासतों की सीमाओं से मिलती थीं। राजपूताना के राज्यों में क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान था। देखें-

के. डी. अर्सकीन- वेस्टर्न राजपूताना स्टेट गजेटियर, वोल्यूम थर्ड-ए, अध्याय-1; मारवाड़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट (1922-23), अध्याय-1, पृ. 1;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 1, पाद टिप्पणी नं. 2;
पी. आर. शाह- राज मारवाड़ डयूरिंग ब्रिटिश पैरामाउण्टेन्सी, पृ. 1, 1982 ई., जोधपुर;

7. लोक प्रचलन में आये नाम।

8. रामपुरिया रेकार्डस, बीकानेर की **'कागदों की बही'** नं. 1 से 20 (1754 से 1818 ई. सन् तक की); **'फरोही की बहियां'**; **'बही पेशकसी रे लेख्वे री'** (1833 सूं)' जोधपुर की **'सनद परवाना बहियां'** नं. 16 से 47, 1776 से 1795 ई. तक (समस्त राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में संग्रहीत) आदि स्रोत तद्विषयक जानकारी प्रदान करते हैं।

9. दशरथ शर्मा- अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृ. 204, पाद टिप्पणी, क्र. 82, 1950 ई., दिल्ली एवं राजस्थान थ्रू दी एजेज (पूर्व.), पृ. 350-51;
गोपीनाथ शर्मा- ऐतिहासिक निबंध राजस्थान, पृ. 112-17, 1970 ई., जोधपुर;

10. जोधपुर के राठौड़ शासक जोधा का सांखली राणी नौरंगदे से उत्पन्न पुत्र जिसने ई. सन् 1488 में बीकानेर नगर की नींव रखी तथा बीकानेर राज्य की स्थापना की। द्रष्टव्य-

जयसोम: कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्, श्लोक सं. 109, नं. 1206, अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर; दयालदास की ख्यात, जिल्द 2, पत्र 1, 2, अ. स. पु. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आक्रमण से पूर्व **'जांगल देश'** में पंचायती-व्यवस्था कार्य करती दृष्टिगत होती है।[11] 14वीं व 15वीं शताब्दी में इस निर्जन प्रदेश में जो धार्मिक, सामाजिक आन्दोलन हुए उनकी वाणी एवं संदेशों से भी पंचायती-व्यवस्था की महत्ता प्रकाश में आती है। अपितु 15वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में हुए आन्दोलनों से तो यह बात और अधिक मुखरित होती है कि पंचायत-व्यवस्था को किस तरह दृढ़तर एवं प्रभावशाली बनाया जाये।[12]

राजस्थान में राठौड़ राज्य के संस्थापक **'राव सीहा'**[13] से लेकर जोधपुर संस्थापक **राव जोधा** (सं. 1496 से 1545)[14] तक व तदुपरान्त बीकानेर में **राव**

---

11. जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 3

12. उल्लेखनीय है कि वाणियों की दृष्टि से मारवाड़ के स्थानीय देवताओं में पांच प्रमुख थे- पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगादे व मेहा तथा बीकानेर संभाग में विष्णोई जाम्भाजी द्रष्टव्य-

    मा. प. वि., भाग-1, पृ. 26-27;
    हीरालाल माहेश्वरी- जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य, पहला भाग, पृ. 441;
    श्री जम्भा गीता, पृ. 241;
    परशुराम चतुर्वेदी- उत्तरी भारत की संत परन्परा, पृ. 56

13. राजस्थान में राठौड़ों का प्रारंभिक राज्य मारवाड़ था एवं मारवाड़ के राठौड़ राज्य का संस्थापक राव सीहा था। द्रष्टव्य-

    बीकानेर के महाराजा रायसिंह की प्रशस्ति संवत् 1650 (ज. ए. सो. बं., सन् 1920, भाग 16, पृ. 2, 76);
    मू. नै. ख्यात, भाग-2, पृ. 49 तथा 50, जोधपुर;
    मा. प. वि. भाग-1, पृ. 5, 1968 ई. जोधपुर;
    वही, भाग-3, पृ. 2, 1974 ई., जोधपुर

14. सीहा द्वारा संस्थापित मारवाड़ का राठौड़ राज्य सुसंगठित व स्थायी नहीं हो सका था एवं यहां के राठौड़ों ने अलग-अलग राज्यों की स्थापना कर इसे विखंडित व अशक्त बना दिया। जोधा ने वि. सं. 1510 में मारवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वि. सं. 1515 में नवीन नगर (जोधपुर) एवं दुर्ग का निर्माण कराया। इसके उपरान्त चूंकि मारवाड़ पर राठौड़ों का ही अधिकार बना रहा अतएव जोधपुर राज्य (मारवाड़) का वास्तविक संस्थापक जोधा को माना जाता है। द्रष्टव्य-

    मा. प. वि., भाग-1, (पूर्व.) पृ. 24, 25, 38, 495;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बीका (1465-1504 ई.)[15] से लेकर महाराजा सूरतसिंह (1787-1828 ई.)[16] तक के शासनकाल में हुए अनेक राजनीतिक व आर्थिक समझौतों से विदित होता है कि वे विभिन्न जातियों व कबीलों के 'पंचायत मुखियाओं' से ही किये गये थे।[17] अपितु सत्य तो यह है कि थार मरूस्थलीय इस संभाग की सम्पूर्ण व्यवस्था सैन्य दृष्टि से एक सर्वोच्च जाति (राठौड़) द्वारा उनके अधीनस्थ जातियों के साथ हुए समझौतों पर ही टिकी हुई थी।[18] वस्तुतः पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः दो व्यवसायों में बंटी हुई थी-कृषि एवं पशुपालन। जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों ने पशुपालन व्यवसाय में जुटे हुए कबीलों व जातियों से जो समझौते किये, उनमें पंचायतों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।[19] जब राठौड़ों ने मरु प्रदेश या जांगल देश

वही, भाग-2, पृ. 216-17, 1669 ई., जोधपुर;
मू. नै. ख्यात, भाग-1, पृ. 87-93, जोधपुर एवं भाग-2, पृ. 93, जोधपुर;
ओझा- जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 239;
रेऊ- मारवाड़ का इतिहास, भाग-1, पृ. 87, 1938 ई., जोधपुर

15. द्रष्टव्य- इसी अध्याय की पाद टिप्पणी नं. 10

16. बीकानेर के 17वें नरेश, देखें; दीनानाथ खत्री- बीकानेर राज्य का इतिहास, पृ. 70-76, 1978 ई., बीकानेर

17. इस संदर्भ में जोधपुर राज्य में सींथल, सांखला, कोटेचा, आसायच्, ईंदा, चौहान, गोहिल, कोठेचा आदि जातियां एवं बीकानेर राज्य में सांखला, भाटी, जाट, जोहिया, मोहिल्ल आदि जातियां उल्लेखनीय हैं। द्रष्टव्य-
मा. प. वि. भाग-1, 28 (सम्पादकीय), पृ. 23, 41;
दयालदास री ख्यात, (प्र.), भाग-2, पृ. 7-10, 19 (संपादक दशरथ शर्मा), 1948 ई., बीकानेर;
टाड- (पूर्व.), भाग-1, पृ. 1130-31, 1165-66;
जयसोम- कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनकम् काव्यम्, पृ. 28-29;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, (पूर्व.) पृ. 6, 7

18. जेम्स टाड- एनल्स. (केशव ठाकुर कृत हिन्दी अनुवाद), पृ. 514, 1965 ई., इलाहाबाद

19. मा. प. वि., भाग-1 (पूर्व.), पृ. 28; (संपादकीय), पृ. 23-41;
दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 4, 5, 12, 13;
जी. एस. एल. देवड़ा- सम आस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पृ. 90, 1980 ई., जोधपुर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

की जातियों को पराजित कर दिया तब उन्होंने उनके क्षेत्र में भू-राजस्व की वसूली के लिए गांव के स्तर पर जो समझौते किये, उनमें भी स्थानीय पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।[20] इस प्रकार के समझौते बीकानेर में राव बीका (1465-1504 ई.) से राव कल्याणमल (1542-74 ई.) के शासनकाल तक काफी संख्या में सम्पन्न किये गये।[21] कालान्तर में इन समझौतों का एक राजनीतिक परिणाम यह निकला कि राठौड़ों के हाथों पराजित होने वाली विभिन्न जातियों के मुखियों का प्रभाव क्रमशः समाप्त होने लगा और उनके स्थान पर अलग-अलग गांवों में बसने वाली विभिन्न जातियों की भूमिका पूर्वापेक्षा अधिक प्रभावी हो गई क्योंकि विजेता राठौड़ एक जाति की सैनिक बिरादरी की भावना तोड़ने के लिए प्रत्येक गांव की अलग-अलग पंचायत से समझौता करके ग्रामीण समाज में अपनी निर्णायक स्थिति थोपना चाहते थे।[22]

राजस्थान के पश्चिमी संभाग में जोधपुर व बीकानेर के रूप में पहली बार जब सशक्त राज्यों की स्थापना हुई तब ये परिवर्तन और भी गहन हुए।[23] पश्चिमी संभाग में यद्यपि जैसलमेर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इस काल से पूर्व इतिहास में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका था,[24] किन्तु थार मरूस्थलीय द्वीप में इसका प्रभाव सीमित सा ही रहा बल्कि उसकी तुलना में पहले जोधपुर एवं तत्पश्चात् बीकानेर एक अधिक सशक्त राज्य के रूप में उभरे। इन राज्यों में अपनी

---

20. मा. प. वि., भाग-1, (पूर्व.), पृ. 28; (संपादकीय), पृ. 23-41; दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 4, 5, 12, 13

21. जयसोम- कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनकम् काव्यम्, पृ. 28-29; दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, (पूर्व.), पृ. 4, 5, 12, 13

22. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज इन दी नार्थ वैस्ट राजपूताना (1650-1800 ए. डी.), शोध लेख (प्र.), सोशियो इकोनोमिक (पूर्व.), पृ. 90 से 99

23. जी. डी. शर्मा- राजपूत पोलिटी, चेप्टर-फर्स्ट, पृ. 1-24, 1977 ई., न्यू दिल्ली; जी. एस. एल. देवड़ा- सोशियो इकोनोमिक (पूर्व.), पृ. 90-99

24. जैसलमेर री ख्यात, संपादक- नारायणसिंह भाटी, परम्परा, भाग-57-58, पृ. 8, 1981 ई., जोधपुर;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

स्थापना के उपरान्त ही प्रशासन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियां भी बलवती होने लगीं। इस दिशा में जोधपुर के '**राव मालदेव**'(1531-1572 ई.) का नाम उल्लेखनीय है।[25] बीकानेर में भी इसके संस्थापक नरेश राव बीका की मृत्यु के बाद उसके वंशजों में '**राव लूणकरन**' (1505-26 ई.) व '**जैतसी**' (1526-42 ई.) ने इस दिशा में प्रयास किये किन्तु वे असफल ही रहे।[26] प्रशासन में केन्द्रीकरण की ये प्रवृत्तियां उस समय सशक्त होने का अवसर ढूंढ सकी जब पहले बीकानेर ने एवं तत्पश्चात् जोधपुर ने मुगलों के साथ क्रमशः 1570 एवं 1582 ई. सन् में संधियां कर लीं।[27] इन राजपूत राज्यों द्वारा मुगल सार्वभौमिकता स्वीकार करने के परिणामस्वरूप अब उन्हें किसी विदेशी आक्रमण की चिन्ता नहीं रही तथा उन्हें इस बात का भी भय नहीं रहा कि किसी गंभीर आन्तरिक विद्रोह के कारण उनकी गद्दी को खतरा पहुंच सकता है। किसी भी विपत्ति के विरूद्ध मुगल शक्ति एक सुरक्षा स्तम्भ थी।[28] आश्वासन के इस वातावरण में राजपूत राजाओं ने प्रशासन को गठित करने में अपना ध्यान बंटाया जिसका प्रभाव पंचायती संस्थाओं पर भी पड़ा। अब राजपूत राज्यों के प्रशासन का आधार विस्तृत हो गया व राज्य की अपेक्षाएं भी

---

25. जोधपुर राज्य की ख्यात, (एम. एस. नं. 199), भाग-1, पृ. 68, अ. स. पु. बी.;
मा. प. वि., भाग-2, (पूर्व.), पृ. 51;
आर. पी. व्यास- रोल ऑफ नोबिलिटी इन मारवाड़, दशरथ शर्मा लिखित फारवर्ड, पृ. 1, 1969 न्यू दिल्ली;
जी. डी. शर्मा- उपर्युक्त, पृ. 51

26. दयालदास ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 27, 28, 38, 39;
छंद राव जैतसी रो (तेसीत्तोरी), छंद नं. 375-85;
बिबलोथिका इण्डिका, ए. एस. बी. सीरीज, नं. 1430, कलकत्ता;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 9-10

27. करणीसिंह- बीकानेर के राजघराने के केन्द्रीय सत्ता से संबंध (1465-1949 ई.), पृ. 52, 1968, बीकानेर;
जी. डी. शर्मा-उपर्युक्त, पृ. 25

28. दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 91, 128-30;
डा. करणीसिंह- दि रिलेशन ऑफ दी हाउस ऑफ बीकानेर विद दी सेंट्रल पावर्स, पृ. 115, 1974 ई. दिल्ली;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 14

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अधिक बढ़ गई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मुख्य रूप से तीन बातों ने पंचायत संस्थाओं की कार्य क्षमताओं को प्रभावित किया। प्रथम, राज्य द्वारा घुमक्कड़ कबीलों को स्थानीय रूप से बसाने के प्रयास एवं उन्हें कृषि व्यवसाय अपनाने को प्रोत्साहित करना; द्वितीय राज्य द्वारा बिचौलियों के अधिकार सीमित कर कृषक से कर वसूली हेतु प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की नीति अपनाना; एव तृतीय राजा व उसके प्रतिनिधियों का राज्य में दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठापित होना। उपर्युक्त तीनों कारणों[29] ने सामुदायिक भावनाओं व नियमों के स्थान पर राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को प्रश्रय एवं समय के साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। चूंकि प्रशासनिक परिवर्तनों से 'सामुदायिक नियमों' (कम्यूनिटी लॉज) के स्थान पर राज्य नियम निर्णायक स्थिति में आ पाए अतएव पंचायतों की कार्य शैली को कई नई चुनौतियां मिली; जिसके फलस्वरूप उसे अनेक रूपों में बंट कर नये सिरे से गठित होना पड़ा। मुख्यत: उपनिवेशन एवं आर्थिक क्षेत्र में हुए राज्य के नियंत्रणों ने पंचायतों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दिया- **'जाति-पंचायत'**, **'ग्राम-पंचायत'** एवं **'व्यावसायिक- पंचायत'**।[30] इनमें से 'जाति-पंचायत' जो साधारणत: जाति विशेष के सामाजिक नियमों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं मर्यादाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा जाति विशेष के विविध प्रकार के सामाजिक विवादों को निपटाने की दृष्टि से कार्यरत थी; एक ऐसी सामाजिक व न्यायिक संस्था बनी जो मुख्यत: सामाजिक विषयों जैसे- सगाई, विवाह, पुनर्विवाह, गोद, पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे, परित्यक्ता स्त्री के निर्वाह की

---

29. मनु स्मृति, अध्याय सप्तम, श्लोक-14, पृ. 275 (स्वामी दर्शनानंद कृत टीका), सं. 2009 मथुरा;

    जी. एन. शर्मा- कार्पोरेट लाईफ एण्ड ओर्गेनाइजेशन ऑफ दी विलेज इन मेडीवल राजस्थान, शोध लेख (प्र.), राजस्थान स्टडीज, पृ. 173-77, 1970 ई., आगरा;

    जी. सी. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स, पृ. 90, 1970, न्यू दिल्ली

    जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ दी इंटरमीजियरीज इन दी नोर्थ-वैस्ट राजपूताना (1650-1800 ए. डी.), शोध लेख, प्रकाशित (पूर्व.), पृ. 90-99

30. यह नामकरण सर्वप्रथम डा. जी. एस. एल. देवड़ा द्वारा किया गया। द्रष्टव्य-

    जी. एस. एल. देवड़ा- रिकार्ड्स आन दी पंचायत सिस्टम इन दी राजस्थान आरकाईज (1700-1800 ई.), शोध लेख, (प्र.), पृ. 46, (पूर्व.)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

व्यवस्था से लेकर अवैध रूप से बाह्य स्त्री को घर में डाल लेने जैसे विविध विवादों का निपटारा करने का कार्य निष्पादित करती थी।[31] '**ग्राम-पंचायत**' कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जाति-पंचायत की तुलना में कहीं बड़ी स्वायत्तशासी प्रशासनिक-न्यायिक इकाई थी जो ग्राम या ग्राम समूह विशेष के स्थानीय प्रशासन संचालन में सहयोग से लेकर स्थानीय समस्याओं के निराकरण, ग्राम स्तर के विविध विवादों के निपटारे, ग्राम की सार्वजनिक सम्पत्ति, भूमि, कुंओं, गोचर भूमि की देखभाल व तद्विषयक विविध व्यवस्थाओं, स्थानीय मेलों, त्यौहारों व धार्मिक उत्सवों पर यथावश्यक व्यवस्था करने इत्यादि विभिन्न ग्राम के सामुदायिक स्तर के कार्यों को निष्पादित किया करती थी।[32] '**व्यावसायिक-पंचायतें**' व्यावसायिक आधार पर ही संगठित होती थीं जो विविध व्यवसाय विशेष में कार्यरत व्यक्तियों के निहित व्यावसायिक हितों की सुरक्षा, व्यावसायिक समस्याओं का संयुक्त स्तर पर यथासंभव सर्वसम्मत तरीके से सर्वहितकारी समाधान करने का कार्य करती थीं। इनके द्वारा विविध व्यापार, वाणिज्य, उद्योग-व्यवसायरत व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न विविध आर्थिक, व्यावसायिक विवादों का निपटारा भी किया जाता था जो सामान्यतः उत्पादन, विक्रय, वितरण, साझे, किराये, खातों की अनियमितता तथा हिसाब मे गड़बड़ी आदि से संबंध रखते थे।[33]

II
स्रोत-सामग्री

प्रस्तुत शोध-प्रबंध में प्रयुक्त प्राथमिक या मूल स्रोत तीन वर्गों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं - प्रथम, अभिलेखीय सामग्री; द्वितीय, शिलालेख एवं तृतीय, ऐतिहासिक साहित्य। इन तीनों प्रकार के स्रोतों को हम अग्रांकित बिन्दुओं में विभक्त कर देख सकते हैं-

---

31. रा. रा. अ. बी. में संग्रहित विविध बहियों में तद्विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। उल्लेखनीय हैं-

    कागदों की बहियां (बीकानेर) नं. 1 से 20 तक (1754 से 1818 ई. सन् तक);
    सनद परवाना बही (मारवाड़), नं. 16 से 47 तक (1776 से 1795 ई. सन् तक);
    जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 153-55

32. जी. सी. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स, पृ. 4, 90-93, 125; जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 155

33. वही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अ - अभिलेखीय सामग्री

इसके अन्तर्गत वे स्रोत आते हैं जो कि विविध बहियों, कागदों, पत्रों के रूप में हैं एवं जिनकी भाषा स्थानीय मारवाड़ी एवं लिपि महाजनी (कामदारी) है। यह समसामयिक अभिलेखीय सामग्री भी दो भागों में विभक्त कर देखी जा सकती है -

1- राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर की अभिलेख सामग्री

यह स्रोत-सामग्री इस शोध कार्य का मुख्य आधार है एवं पंचायत विषयक जितनी व्यापक एवं विपुल सूचनाएं इस अभिलेखीय सामग्री से मिलती हैं उतनी अन्य स्रोतों से नहीं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में पुरानी व समसामयिक बहियों के रूप में सुरक्षित व संग्रहित यह अभिलेखीय सामग्री तीन खंडों में विभक्त है -

(क) रामपुरिया रिकॉर्ड्स बीकानेर

बीकानेर राज्य में पंचायतों की स्थिति, स्वरूप, गठन, कार्य क्षेत्र, कार्य पद्धत्ति, प्रक्रिया, निर्णय व महत्त्व एवं राज्य-पंचायत के सम्बन्ध के विषय में अत्यन्त मूल्यवान व महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से रामपुरिया रिकार्ड्स बीकानेर की बहियां विशिष्ट महत्त्व रखती हैं। 'रामपुरिया' बीकानेर राज्य में पैतृक परम्परानुसार समस्त सरकारी पत्रों की नकल उतारने के कार्य में संलग्न रही एक कामदार जाति थी। इनके द्वारा तैयार की गई कागदों की नकलें बहियों के रूप में संग्रहित हैं। इस रिकार्ड का मुख्य व इस शोध कार्य की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग कागदों की बहियों का है। इनकी कुल संख्या 80 हैं किन्तु हमारे अध्ययन काल के संदर्भ में प्रथम 12 बहियां विशेष रूप से उपयोगी हैं जो कि वि. सं. 1811 से वि. सं. 1859 तक के काल से संबंधित है। इन बहियों में सनद के कागद (विविध आदेश पत्र), लिखत के कागद (सूचनाएं) एवं रीठ के कागद (सामाजिक स्वरूप का कर) पंचायतों विषयक अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी हैं व तद्विषयक विपुल सूचनाएं प्रदान करते हैं। लिखत के कागद भूमि, भूस्वत्व, ऋण, सीमा विवाद, विविध कृषि संबंधी मामलों, अपराधिक मामलों, व्यावसायिक विवादों आदि से संबंधित हैं। रीठ के कागद विविध प्रकार के सामाजिक विवादों व उनके निष्पादन में रही पंचायतों की भूमिका से संबंधित हैं। इन कागदों की बहियों से जाति, गांव एवं व्यावसायिक तीन प्रकार की पंचायतों के अस्तित्व, संरचना व गठन, क्षेत्राधिकार, विवादों के विविध प्रकार, निर्णय व दंड के अतिरिक्त पंचायत संस्था से संबंधित हर आवश्यक बिन्दु से संबंधित विपुल सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Sandan Memorial College Of Education Bantalab Jammu

रामपुरिया रिकार्ड्स के दूसरे भाग में अन्य विविध बहियाँ आती हैं जिनमें सावा बही अनूपगढ़ नं. 1, वि. सं. 1753; सावा बही रीणी नं. 1, वि. सं. 1814; सावा बही नौहर नं. 1, वि. सं. 1822; सावा बही राजगढ़ नं. 1, वि. सं. 1828; सावा बही चुरू रे थोणे री नं. 1, वि. सं. 1829; सावा बही रीणी नं. 6, वि. सं. 1854–55; सावा बही रीणी नं. 8, वि. सं. 1869–75; बही तलब तैयारी नं. 31, वि. सं. 1866; बही खालसा रे गांवां री वि. सं. 1625; पट्टा बही नं. 1, वि. सं. 1862; नं. 2, वि. सं. 1692; नं. 3, वि. सं. 1704–05; नं. 5, वि. सं. 1725; नं. 7, वि. सं. 1753; बही पेशकसी रे लेखे री नं. 38, वि. सं. 1833 सूं; बही पानावाली ठिकाणा री, वि. सं. 1800; परवाना बही नं. 1, वि. सं. 1740; नं. 2, वि. सं. 1800 आदि बहियां, समसामयिक न्याय विधि व्यवस्था, स्थानीय–प्रशासन और पंचायत विषयक विविध संदर्भों के लिए प्रयुक्त की गई हैं। इन बहियों से तीनों ही प्रकार की पंचायतों के विवेचन हेतु विविध संदर्भ लिए गये है। बही पेशकसी रे लेखे री नं. 38 से जाति पंचायतों के समक्ष उपस्थित होने वाले सगाई, विवाह, पुनर्विवाह, गोद, विधवा स्थिति आदि से संबंधित विविध सामाजिक विवादों एवं उनके निबटारे में रही पंचायतों की भूमिका के बारे में विपुल सूचनाएं मिलती है।

(ख) बीकानेर बहियात

इस वर्ग की समस्त बहियां समसामयिक बीकानेर संभाग के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जनजीवन विषयक प्रचुर सामग्री प्रदान करने के अतिरिक्त तत्कालीन प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था, न्याय–विधि व्यवस्था, प्रशासनिक परिवर्तनों, स्थानीय स्तर का प्रशासन एवं पंचायतों की इनमें रही भागीदारी आदि के संबंध में काफी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। चूंकि तत्कालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक परिवेश ने पंचायतों को सदैव किसी न किसी रूप में प्रभावित किया अतएव इस प्रकार के विवरण से संबंधित इन बहियों का पंचायतों के लिए भी कतिपय संदर्भों में प्रयोग किया गया है। इन बहियों में रीणीये रे चीरे री बही नं. 48, वि. सं. 1783; परगना रे जमा जोड़ री बही नं. 74, वि. सं. 1701; श्री मंडी रे जमा खर्च री बही नं. 58, वि. सं. 1773; लेखा बही नं. 222, वि. सं. 1786; गांवां रे हलगत री बही नं. 133, वि. सं. 1739; जसरासर रे हासल भाछ री बही नं. 26, वि. सं. 1750; समसत गांवां री बही नं. 71, वि. सं. 1727–45; कामदारों व वकीलों रे रोजगार री बही नं. 206, वि. सं. 1753; बही 1820 साल री खत किया तथा उधारा लिया वि. सं. 1820; खारी पट्टी मगरे री जमा, वि. सं. 1842; जैतपुर थोणे री बही, जगात बस्ता, वि. सं. 1848 एवं बही खाता खजाना सदर वि. सं. 1852 आदि

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बहियों की कतिपय सूचनाएं पंचायत विषयक विविध संदर्भों में प्रयुक्त की गई हैं।

(ग) जोधपुर बहियात

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर के जोधपुर खंड में प्राप्य बहियों में सनद परवाना बहियां (मारवाड़) हमारे इस अध्ययन में जोधपुर राज्य से संबंधित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इस शीर्षक की कुल 157 बहियां हैं जिनमें से हमारे अध्ययन काल (18 वीं शताब्दी) की बहियों की संख्या कुल 54 हैं जो वि. सं. 1811 से प्रारंभ होकर वि. सं. 1857 तक के कालानुक्रम से संबंधित है। इन बहियों में परवानों व दरबारी पत्रों की नकलें हैं। इन बहियों में पंचायतों के स्वरूप, प्रकार, गठन, पंचों की नियुक्ति, पंचायत की बैठक बुलाये जाने की स्थितियों, पंचायतों के कार्य क्षेत्र एवं विषय, कार्य पद्धत्ति, विविध प्रकार के विवाद, जाति, गांव व व्यावसायिक-पंचायतों के क्रियाकलापों, इनके निर्णयों एवं पंचायत-राज्य संबंधों पर विपुल जानकारी संग्रहित हैं; जिसका इस शोध कार्य में प्रभूततः प्रयोग किया गया है। जोधपुर बहियात में ही जोधपुर हथ बही, वि. सं. 1830 को भी विविध प्रकार के सामाजिक विवादों को निबटाने में जाति-पंचायतों की रही भूमिका, न्यायिक प्रक्रिया आदि से संबंधित विवेचन हेतु प्रयुक्त किया गया है।

2. निजी संग्रहों की अभिलेखीय सामग्री

इसके अन्तर्गत विविध निजी संग्रहों में संरक्षित ऐतिहासिक महत्त्व के कागज-पत्रों, बहियों आदि को समाविष्ट किया गया है। प्रमुख निजी संग्रह व उनमें संरक्षित एवं इस शोध कार्य में प्रयोग की गई **स्त्रोत** सामग्री का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

(i) भैया संग्रह (बीकानेर)

यह मूलतः एक निजी संग्रह है किन्तु अब राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में संग्रहित व सुरक्षित है। यह एक प्रकार से अर्द्धसरकारी रिकार्ड है एवं बीकानेर राज्य के भैया मुत्सद्दी परिवार के राज्य से घनिष्ठ संबंधों से जुड़े पत्र-व्यवहार के रूप में है। इस रिकार्ड में भैया परिवार व बीकानेर राजघराने से संबंधित निजी खास रूक्के, परवाने, पट्टे, सनदें, गांव व शासन की ग्रान्ट्स विषयक अनेक पत्र व बहियां हैं, जिनसे बीकानेर संभाग में पंचायतों की स्थिति, स्वरूप आदि के विषय में कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। इस संग्रह की स्त्रोत सामग्री में से जिन स्त्रोतों का प्रयोग इस शोध कार्य निमित्त किया गया है उनमें मुख्य है- माघ सुदि 5, वि. सं. 1840 का पत्र; महाराजा गजसिंह के आदेश की प्रति,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

वि. सं. 1842; भैया आलमचंद का पत्र, वि. सं. 1812; नोहर कस्बे से भैया नथमल के पत्र, वि. सं. 1872-73; भैया देवीदान का भैया नथमल को पत्र, वि. सं. 1872-77; जमा खर्च री बही, वि. सं. 1854; बही साहूकारों रे जगात रे लेखे री नं. 23, वि. सं. 1874 आदि। इन स्रोतों से तत्कालीन विधि एवं न्यायिक व्यवस्था, राज्य के अर्थतंत्र व प्रशासन के अतिरिक्त उन परिस्थितियों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है, जिनके फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पंचायतों की स्थिति एवं अधिकारों में चिन्ताजनक गिरावट आनी आरम्भ हुई।

(ii) मोहता रिकार्ड्स, बीकानेर

इस निजी संग्रह के स्वामी मोहता करणीदानसिंह, बीकानेर हैं किन्तु इस संग्रह के रिकार्ड व बहियों की माइक्रो फिल्म प्रतिलिपि रा. रा. अ. बी. में भी संग्रहित व दृष्टव्य है। मोहता परिवार बीकानेर का दीवान परिवार रहा है और दीवान विधि व न्यायिक अभिकरण का एक महत्त्वपूर्ण अंग। अतएव मोहता परिवार का रिकार्ड बीकानेर संभाग विषयक इतिहास नियामक एक महत्त्वपूर्ण संग्रह है। इस रिकार्ड के जिन पत्रों को पंचायत विषयक इस शोध कार्य निमित्त उपयोगी पाकर प्रयुक्त किया गया है उनमें विविध परवाने; बख्तावरसिंह के समय के पूर्व के दीवानी पत्र एवं मोहता बख्तावरसिंह एवं अभयसिंह के पत्र (वि. सं. 1738-1821) आदि मुख्य है। तत्कालीन विधि एवं न्यायिक व्यवस्था, दीवान की स्थिति, चौधरी पंचों की स्थिति, चोरी के दीवानी व फौजदारी मामलों में गुनेहगारी की आय, जाति एवं व्यावसायिक-पंचायतों के गठन आदि को समझने में ये अभिलेख काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

(iii) पोतेदार संग्रह, नगर श्री, चूरू

यह नगर श्री, चूरू स्थित एक निजी संग्रह है, जिसमें संग्रहित विविध कागजों, बहियों, चौपानियों आदि से इस संभाग के आर्थिक इतिहास एवं विशेषकर व्यावसायिक पंचायतों के गठन, स्वरूप, कार्य पद्धति व उसमें रही सेठ साहूकारों की भूमिका के बारे में काफी मूल्यवान सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस दृष्टि से इस संग्रह की पोतेदार बही, वि. सं. 1884 का इस शोध कार्य में विविध संदर्भो में उपयोग किया गया है।

(iv) हकीकत लोकमणी व्यास पेपर्स, बीकानेर

भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर स्थित यह निजी संग्रह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल के पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक इतिहास विषयक

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अध्ययन हेतु उपयोगी सूचनाएं प्रदानकर्ता अभिलेखों से युक्त हैं। विशेषत: वि. सं. 1827 के हकीकत लोकमणी व्यास पेपर्स इस संभाग में व्यावसायिक-पंचायतों के स्वरूप, गठन, कार्य क्षेत्र विषयक उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं।

(v) नाहटा संग्रह, बीकानेर

इस निजी संग्रह में संग्रहस्थ विविध प्रकार की बहियों में से हमारे उपयोग की बही '13-14 गुवाड़ों की विगत की बही' है जिससे बीकानेर संभाग की वैश्य व व्यावसायिक जातियों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग इस अध्ययन में विधि व न्यायिक व्यवस्था एवं पंचायतों में उनके सहयोग के विवेचन के संदर्भ में किया गया है।

(vi) बहियात शाखा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर

इस संग्रह में बीकानेर इतिहास विषयक दस्तावेज एवं बहियां संग्रहित हैं जिनमें से वैशाख सुदि 13, वि. सं. 1798 की 'बीकानेर के व्यापारियों की महाराजा जोरावरसिंह को अपील' का उपयोग इस संभाग में व्यावसायिक-पंचायतों के कार्य क्षेत्र एवं क्रियाकलापों के अनुशीलन में सहायक रहा है।

आ-शिलालेख

ओसियां स्थित ओसियां अभिलेख, वि. सं. 1245; हटुण्डी स्थित हटुण्डी का शिलालेख, वि. सं. 1335; सांचोर स्थित इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1345; सांभर स्थित सांभर का लेख, वि. सं. 1345; जैसलमेर स्थित पार्श्वनाथ इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1415; आबू पर्वत स्थित दिलवाड़ा इन्स., वि. सं. 1491; नाकोड़ा स्थित नाकोड़ा शिलालेख, वि. सं. 1678 एवं नाडुलाई स्थित इन्स., वि. सं. 1686 आदि शिलालेख राजस्थान के विविध स्थानों पर स्थित हैं एवं इस शोध कार्य में इन शिलालेखों का उपयोग पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन राजस्थान में पंचायत व पंचायत सदृश्य स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा- पंचकुल, संघ गोष्ठी, महाजन आदि के प्रभावशाली रूप में अस्तित्वमान होने को प्रमाणित करने हेतु किया गया है। इन समस्त शिलालेखों में इस संस्था व उसके स्वरूप संबंधी उल्लेख आये हैं। जूनागढ़ बीकानेर स्थित, सूरजपोल प्रशस्ति, वि. सं. 1650 से हमें राजस्थान में राठौड़ राज्य संस्थापक राव सीहा विषयक जानकारी मिलती है। जोधपुर स्थित सरदार म्यूजियम अभिलेख जोधपुर, वि. सं. 1765 का उपयोग राजस्थान शब्द की व्याख्या के संदर्भ में किया गया है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इ– राजस्थानी ऐतिहासिक साहित्य

राजस्थानी ऐतिहासिक साहित्य से अभिप्राय: उस ख्यात व वात साहित्य से है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध काल में प्रणीत हुआ एवं जिसमें इतिहास के मूल तत्व छिपे हैं। इसे हम ख्यात व वात–साहित्य दो वर्गो में वर्गीकृत कर सकते हैं–

(i) ख्यात साहित्य

इसके अन्तर्गत हम उन ख्यातों को लेते हैं जो जोधपुर एवं बीकानेर के शासकों के संरक्षण में अथवा स्वतंत्र रूप से संबंधित संभाग के इतिहास के रूप में लिखी गईं तथा जिनमें वंशावलियों तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं को समाविष्ट किया गया है। जोधपुर एवं बीकानेर के संबंध में इस ख्यात साहित्य को पुन: दो भागों में विभक्त कर देखा जा सकता है– जोधपुर विषयक ख्यात साहित्य व बीकानेर विषयक ख्यात साहित्य।

(क) जोधपुर विषयक ख्यात साहित्य

प्रस्तुत शोध–प्रबंध में जोधपुर संबंधी जिन ख्यातों को प्रयुक्त किया गया है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है–

1. मूता (मुहणौत) नैणसी री ख्यात

मारवाड़ राज्य के देश दीवान पद पर एक लम्बे समय तक नियुक्त रहे मुहणौत नैणसी ने 1643 ई. से 1666 ई. तक संकलित सामग्री के आधार पर इस ख्यात की रचना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में की। इसमें मारवाड़ के राठौड़ राजघराने का क्रमबद्ध प्रमाणिक इतिहास संग्रहित है। इसका हिन्दी अनुवाद रामनारायण दुग्गड़ ने किया जिसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सन् 1942–43 ई. में दो भागों में प्रकाशित किया। इसी का दूसरा अनुवाद श्री बद्रीप्रसाद साकरिया द्वारा किया गया एवं तीन खण्डों में प्राच्य विधा प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित हुआ।

2. मारवाड़ रा परगना री विगत

मुहणौत नैणसी कृत यह दूसरी कृति विगत जोधपुर राज्य के तब अधीन मारवाड़ के सात परगनों का एक अनूठा सर्वसंग्रह (गजेटियर) है। नैणसी ने इस कृति में शाही जागीर के समस्त सुलभ हिसाबों, राजकीय कागज–पत्रों, पट्टे–परवानों, शिलालेखों व दस्तूरल अमलों आदि के आधार पर जोधपुर परगने के संदर्भ में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मारवाड़ के राठौड़ राजघराने का क्रमबद्ध प्रमाणिक इतिहास दिया है। इस विगत के हिन्दी अनुवाद का संपादन डा. नारायणसिंह भाटी ने कर इसे तीन खण्डों में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित कराया है।

3. जोधपुर राज्य की ख्यात

इस ख्यात का लेखक व रचना काल अज्ञात है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में संग्रहित व द्रष्टव्य मारवाड़ी भाषा व कामदारी लिपि में लिखित यह हस्तलिखित ख्यात जोधपुर राज्य के इतिहास विषयक कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों को उद्‌घाटित करने में सहायक है एवं कतिपय मूल्यवान सूचनाएं प्रदान करती है।

(ख) बीकानेर विषयक ख्यात साहित्य

प्रस्तुत शोध-प्रबंध में बीकानेर विषयक जिन ख्यातों का उपयोग किया गया है, तत्संबंधी संक्षिप्त परिचय देना समीचीन होगा-

1. बीकानेर रे राठौड़ां री ख्यात सीहे जी सूं

इसका लेखक ज्ञात नहीं है। मारवाड़ी भाषा व कामदारी लिपि में लिखित एवं अ. स. पु., लालगढ़, बीकानेर में संग्रहित यह ख्यात बीकानेर के छठे नरेश महाराजा रायसिंह (1574-1612 ई.) के काल में लिखी गई। बीकानेर के प्रारंभिक इतिहास विषयक विविध महत्त्वपूर्ण घटनाएं इस ख्यात में समाविष्ट हैं।

2. दयालदास की ख्यात

दयालदास सिंढायल कृत मारवाड़ी भाषा एवं कामदारी लिपि में लिखित इस ख्यात का मूल नाम '**बीकानेर रे राठौड़ां री ख्यात**' है। यह ख्यात बीकानेर महाराजा सरदारसिंह (1851-72 ई.) के आदेश पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में लिखी गई। विविध पट्टों, परवानों, फरमानों, वंशावलियों, प्राचीन ख्यातों व वातों को आधार बना कर लिखी गई 394 पृष्ठों की वृहत् आकार युक्त यह ख्यात बीकानेर राज्य का प्रारंभ से लेकर महाराजा रतनसिंह (1851 ई.) तक के समय का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करती है। इस ख्यात के भाग-2 का डा. दशरथ शर्मा ने अनुवाद तैयार कर उसे संपादित कर सादुल प्राच्य ग्रन्थमाला, बीकानेर से प्रकाशित कराया।

3. देश दर्पण

मारवाड़ी भाषा एवं कामदारी लिपि में लिखित यह ख्यात बीकानेर नरेश महाराजा सरदारसिंह के काल में 1871 ई. में वैद मेहता राव जसवंतसिंह के आदेश

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पर दयालदास सिंढायच द्वारा तैयार की गई। इस ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों के उद्भव से प्रारंभ होकर महाराजा रतनसिंह के काल में 1485 ई. तक की सामग्री उपलब्ध होती है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में संग्रहित इस ख्यात में बीकानेर इतिहास विषयक कई महत्त्वपूर्ण सूचनाएं संकलित हैं।

4. आर्याख्यान कल्पद्रुम

सिंढायच दयालदास कृत यह ख्यात बीकानेर नरेश महाराजा डूंगरसिंह के शासनकाल में संवत् 1934 में तैयार हुई। इस ख्यात में राठौड़ों के इतिहास के प्रारंभ से लेकर महाराजा सरदारसिंह (1851-72 ई.) तक के काल का इतिहास व विविध महत्त्वपूर्ण घटनाएं वर्णित हैं।

5. दलपत विलास

इसका लेखक व रचनाकाल अज्ञात है। बीकानेर राज्य के इतिहास विषयक घटनाओं को सही रूप में प्रस्तुत करने वाला यह एक प्रमाणिक राजस्थानी ग्रंथ है जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में संग्रहित है। श्री रावत सारस्वत ने इसका संपादन कर श्री सादुल राज. रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर से इसे 1961 ई. में प्रकाशित कराया।

उपर्युक्त ख्यात साहित्य यद्यपि जोधपुर एवं बीकानेर संभाग के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों से संबंधित सामग्रा एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है तथापि इस संभाग में पंचायतों की स्थिति, स्वरूप, गठन, उसकी स्थिति में आये परिवर्तनों आदि को समझने के लिए एवं बीकानेर, जोधपुर इतिहास संबंधी विविध तथ्यों के लिए इस शोध-प्रबंध में अनेक संदर्भों में इस ख्यात साहित्य का यथाआवश्यक उपयोग किया गया है।

(ii) वात साहित्य

ख्यातों के साथ-साथ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में बीकानेर राज्य एवं जोधपुर राज्य में वात-साहित्य की भी रचना हुई। बीकानेर राज्य में महाराजा अनूपसिंह के काल से प्रारंभ होकर महाराजा गजसिंह के काल तक की अनेक वातों की रचना की गई। मारवाड़ी भाषा व कामदारी लिपि में लिखित, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में संग्रहित जिन वातों का प्रस्तुत शोध-प्रबंध में कतिपय संदर्भों में प्रयोग किया गया है उनमें मुख्य हैं- राठौड़ां री वंशावली ने पीढियां ने फुटकर वातां, नापा सांखला री वात एवं उदयपुर री ख्यात व फुटकर वातां आदि।

■ ■ ■

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2

पश्चिमी राजस्थान में विधि एवम् न्यायिक व्यवस्था

14वीं एवम् 15वीं शताब्दी में राजस्थान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तनों का सूत्रपात हुआ।[1] इसका मुख्य कारण था कि इन दो शताब्दियों में राजस्थान के विभिन्न भागों पर अनेक राजपूत कुलों के राज्यों की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप बहुत सी अन्य जातियां जो पहले जातीय व कबीलाई आधार पर गठित होकर अपने क्षेत्र में स्वयं प्रशासन का दायित्व संभाल रही थीं, अब प्रशासन में प्रत्यक्ष नियंत्रण का अधिकार खो बैठीं।[2] यद्यपि यह परिवर्तन राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण के साथ एकदम नहीं हुआ बल्कि एक क्रमिक विकास की स्थिति के रूप में सामने आया और उसके लिए समय-समय पर अनेक नई आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियां भी उत्तरदायी बनीं। यदि हम सम्पूर्ण राजस्थान के भूभाग को इस संक्रमण काल में समझने का यत्न करें तो उचित सामग्री के अभाव में कठिनाईयां आ सकती हैं लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान के इस काल के इतिहास को जानने के लिए फिर भी पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है, विशेषकर जोधपुर तथा बीकानेर राज्यों की स्थापना से संबंधित घटनाओं के अर्थ में।[3] बीकानेर के इतिहास में तो यह बात और भी मुखरित होती है जब हम यह पाते

---

1. जी. एन. शर्मा- दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन मेडीवल राजस्थान, शोध लेख, प्रकाशित, राजस्थान स्टडीज (पूर्व.), पृ. 178-193;
   जी. एस. एल देवड़ा - राज. प्रशासनिक (पूर्व.) आमुख;
   जी. सी. शर्मा- (पूर्व), चैप्टर-1, इन्टरोडक्शन, पृ. 1-10

2. **मा. प. वि.**, भाग-1, पृ. 28 (सम्पादकीय) एवं पृ. 23, 41;
   दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 7-10, 19 (पूर्व.);
   टाड- (पूर्व), भाग-2, पृ. 1130-31 एवं 1165-66

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हैं कि किस प्रकार राव बीका द्वारा 1488 ई. में जांगल देश के क्षेत्र में बीकानेर राज्य की स्थापना के बाद प्रशासनिक परिवर्तनों का युग आरंभ हो गया था।[4] चूंकि इस क्षेत्र के निवासियों के भूस्वत्व के अधिकारों पर विशेष प्रभाव पड़ा था इस कारण बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई जिनके फलस्वरूप न्यायिक व्यवस्था भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही।[5] अपितु उसके स्वरूप व प्रक्रिया दोनों में फेर-बदल हुई।

पश्चिमी राजस्थान में राठौड़ राज्यों की स्थापना से पूर्व के काल में अस्पष्ट एवं बिखरी हुई शोध-सामग्री के आधार पर निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था यहां अस्तित्व में थी? 17वीं व 18वीं शताब्दी में जो '**वात**' एवं '**ख्यात**' रचनाएं हुई[6] उनके आधार पर भी निश्चित मत बनाना कठिन है। लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जा सकता है कि जातीय एवं **कबीलाई** परम्पराएं सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थीं।[7] इस स्थिति को इस दृष्टि से भी समझा जा सकता है कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई एक कबीले या जाति की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में थी एवं भूमि पर भी किसी व्यक्ति का अधिकार न होकर एक कबीले या जाति का

---

3. **नैणसी री ख्यात**, भाग-3, पृ. 159-62;
   मा. प. वि., भाग-1, पृ. 28 (सं.) 23, 41;
   दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 3-4;
   जेम्स टाड- एनल्स, अनुवादक केशव कुमार ठाकुर, पृ. 353
4. छन्द राव जैतसी रो (तेसित्तोरी), भूमिका, पृ. 3, बिबलोथिका इण्डिका, ए. एस. बी. सीरीज नं. 1430, कलकत्ता;
   दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 3-7;
   जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 7, 29
5. आर. पी. व्यास - रोल ऑफ नोबिलटी इन मारवाड़, पृ. 7-13;
   जी. एस. एल. देवड़ा - राज. प्रशासनिक, पृ. 130-133
6. अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, दृष्टव्य- राजस्थानी भाषा के ग्रंथों की सूची;
   जी. एस. एल. देवड़ा- अनूप संस्कृत पुस्तकालय का परिचय 'राजस्थान के ग्रंथागार' (सं. नारायणसिंह भाटी), पृ. 98-115, 1986, जोधपुर
7. **राठौड़ा री वंशावली ने पीढ़ीयां ने फुटकर बातां**, नं. 233/6, अ. स. पु. बी.;
   बीकानेर रे राठौड़ां री ख्यात सीहे जी सूं 192/14;
   दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 3-8

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सामूहिक अधिकार था। जोधपुर एवं बीकानेर राज्य की स्थापना से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कबीला और जाति के सामूहिक अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उत्पन्न हुआ है।[8] हम यह पाते हैं कि जांगल देश में बीकानेर राज्य की स्थापना की प्रारंभिक अवधि में संस्थापक राजा राव बीका ने जिन जातियों व कबीलों को परास्त किया था उन्हें राज्य में एक इकाई के रूप में स्वीकार करते हुए यह वचन दिया गया कि उनके क्षेत्रों के प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। यहां तक कि उन क्षेत्रों से जो वार्षिक कर वसूल करना था उसे भी राजा के अधिकारी स्वयं वसूल करने नहीं आऐंगे।[9] इस प्रकार नव स्थापित राठौड़ शक्ति अपनी सत्ता को प्रारंभिक अवस्था में अधीनस्थ कबीलों व जातियों के अधिकारों का हनन किए बिना अपनी सर्वोच्च सैनिक सत्ता की स्थापना करते हुए राजस्व में मात्र अतिरिक्त उत्पादन में एक हिस्सा प्राप्त कर ही संतुष्ट थी। जिसका तात्पर्य यह है कि न्यायिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन राठौड़ों के आने के पश्चात् एकाएक तो नहीं हुआ था। लेकिन राठौड़ शक्ति की विद्यमानता ही कभी न कभी परिवर्तन का कारण बन सकती थी, और ऐसा हुआ भी। राव बीका के उत्तराधिकारी यहां तक कि उन कुलमुखियों के अधिकारी भी जिन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था, अपने सीमित अधिकारों से संतुष्ट रहने वाले नहीं थे। राव लूणकर्ण एवं राव जैतसी ने तो न केवल कबीलों वरन् राठौड़ कुलमुखियों के अधिकारों में भी हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी जिसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतने पड़े थे।[10] क्योंकि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कम से कम बीकानेर में तो राठौड़ सत्ता इतनी दृढ़ नहीं थी कि

---

8. **बीकानेर रे राठौड़ां री ख्यात सीहेजी सूं**, 192/14 (पूर्व.);
   मा. प. वि., भाग-2, (पूर्व.), परिशिष्ट 6, पृ. 482-85;
   जी. एस. एल. देवड़ा- राजस्थान प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 3-7

9. जयसोम- **कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनकम् काव्यम्**, पृ. 3-7;
   फेगन- सेटलमैन्ट रिपोर्ट, पृ. 12-15, बीकानेर;
   जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इन्टरमीजियरीज (पूर्व.), शोध लेख, सोशियो इकोनोमिक, पृ. 90

10. **उदयपुर री ख्यात व फुटकर कविता**, पृ. 36-39, नं. 122/24, अ. स. पु. बी.;
    जी. एच. ओझा- बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ. 122, 134-35, 1939, अजमेर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन कर उससे होने वाली प्रतिक्रिया से अपने को संरक्षित रख सके।[11]

पश्चिमी राजस्थान के राठौड़ों की आपसी फूट ने भी आंतरिक क्षेत्र में उनकी स्वतंत्र कार्यवाहियों पर नियंत्रण बनाये रखा जिनका लाभ अधीनस्थ कबीलों ने भी उठाया। चूंकि ये अधीनस्थ कबीले व जातियां सैनिक शक्ति की उच्चता के फलस्वरूप राठौड़ों की राजनीतिक सत्ता को सम्मान देने को तैयार थीं किन्तु अपने क्षेत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार करने को तत्पर नहीं थीं।[12] यद्यपि यहां पर यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या विभिन्न कुल मुखिया या सामंत जो एक या अधिक गावों के स्वामी थे, ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों जैसे कांघलोत व बीदावत आदि में रहने वाली जातियों के अधिकारों का हनन नहीं किया होगा? लगता है कि यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी चूंकि बाद की सामग्री से यह विदित होता है कि राजा सामंतों के विरूद्ध क्षेत्र के प्राचीन निवासियों के इस प्रकार के अधिकारों को बचाने का यत्न कर रहा था। लेकिन राव कल्याणमल के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि अर्द्ध स्वतंत्र कबीले अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में सफल रहे थे।[13] बीकानेर संभाग में जब इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी उस समय जोधपुर में कुछ और ही विपरीत स्थिति चल रही थी वहां राव मालदेव के समय में कुलमुखियों की स्थिति का दमन कर प्रशासनिक सुधारों द्वारा राजा की स्थिति को सर्वोच्च बना दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम फौजदारी मामलों में राजा की निर्णायक शक्तियां जोधपुर संभाग में स्थापित हो चुकी थी।[14]

---

11. जी. एस. एल. देवड़ा- राजस्थान प्रशासनिक, (पूर्व.) पृ. 97-98

12. **बीकानेर रे राठौड़ां री ख्यात सीहे जी सूं**, 192/14 (पूर्व.);
राठौड़ां री वंशावली ने पीढ़ीयां ने फुटकर बातां, 233/6 (पूर्व.);
दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 3-8

13. **दयालदास री ख्यात** (प्र.), भाग-2, पृ. 64-78

14. **मा. प. वि.**, भाग-2, पृ. 51;
जोधपुर ख्यात, भाग-1, पृ. 68, नं. 17/200, अ. स. पु. बी.;
राठौड़ां री वंशावली, पृ. 143 (पूर्व.);
जी. डी. शर्मा, - राजपूत पोलिटी (पूर्व.), पृ. 8-13

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बीकानेर एवं जोधपुर दोनों द्वारा क्रमशः मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तनों का क्रम प्रारंभ किया गया। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा व किसी भी आन्तरिक विद्रोह की स्थिति में सहायता के आश्वासन ने इन राठौड़ शक्तियों को यह वांछनीय अवसर दे दिया कि वे अपनी सत्ता को आध ारभूत स्तर पर दृढ़ कर सकें जिसके अन्तर्गत न्यायिक क्षेत्र में राजा की स्थिति को सर्वोच्च बनाना भी एक निहित उद्देश्य था। 16वीं. शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल से न्यायिक प्रक्रिया व व्यवस्था दोनों नये सिरे से गठित हुई एवं इस क्षेत्र में राजा की शक्तियां अपने अधीनस्थ सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत हुई तथा वह किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुयोग्य न्यायिक अधिकारी बन गया।[15] 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की अभिलेखीय सामग्री से विदित होता है कि दीवानी एवं फौजदारी मामलों में राजा की न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च अपील अधिकारी एवं अंतिम निर्णय देने वाले अधिकारी की थी।[16] अर्थात् राजा की वह शक्तियां जो पहले **'खालसा'** क्षेत्र तक ही सीमित थीं अब सम्पूर्ण राज्य में स्थापित हो गई। इससे पूर्व राजा खालसा में भी केवल फौजदारी शक्तियों का प्रतीक था। दीवानी मामले तो सामाजिक

---

15. **दयालदास री ख्यात** (प्र.), भाग-2, पृ. 3-95, 166-67;

जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था (शोध-प्रबंध, राजस्थान विश्वविद्यालय, 1976, अध्याय-न्यायिक प्रशासन);
आर. पी. व्यास- रोल ऑफ नोबिलिटि इन मारवाड़, पृ. 171-74;
जी. डी. शर्मा- राजपूत पोलिटी, पृ. 9-12

16. 17वीं एवं 18वीं शताब्दीकालीन रा. रा. अ. बी. में संगृहीत तद्विषयक स्रोत सामग्री में से इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं- **कागदों की बही (बीकानेर)** नं. 1 (वि. सं. 1811), नं. 2 (वि. सं. 1820), नं. 3 (वि. सं. 1827), नं. 4 (वि. सं. 1831), नं. 5 (वि. सं. 1838), नं. 6 (वि. सं. 1839), नं. 7 (वि. सं. 1840), नं. 8 (वि. सं. 1846), नं. 9 (वि. सं. 1851) नं. 10 (वि. सं. 1854), नं. 11 (वि. सं. 1857), नं. 12 (वि. सं. 1859), नं. 13 (वि. सं. 1863) एवं **सनद परवाना बही** (मारवाड़) नं. 1 (वि. सं. 1821), नं. 2 (वि. सं. 1822), नं. 3 (वि. सं. 1822), नं. 4 (वि. सं. 1823), नं. 5 (वि. सं. 1823), नं. 6 (वि. सं. 1824), नं. 7 (वि. सं. 1824), नं. 8 (वि. सं. 1825), नं. 9 (वि. सं.1826), नं. 10 (वि. सं. 1827) तथा बही नं. 11 से 54 तक (वि. सं. 1828 से 1857 तक की)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

परम्पराओं में ही अंतिम निर्णय पाते थे। 'खालसा' के अतिरिक्त **सामन्ती** या **कुलमुखिया** क्षेत्रों में फौजदारी मामले कुलमुखिया ही सुलझाते थे और वहां भी दीवानी मामले जातीय एवं कबीला व्यवस्था द्वारा ही निर्धारित होते थे लेकिन वे अधिकारी एवं कर्मचारी जो राजा की निजी सेवा में थे, उनके फौजदारी मामले राजा के पास ही सुलझाये जाते थे।[17]

17वीं शताब्दी के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि **कुलमुखियाओं** की 'फौजदारी' शक्तियां समाप्त हो गईं। वे इस न्यायिक अधिकार का उपयोग तभी कर सकते थे जबकि राजा उन्हें इस प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान करता था। दीवानी मामलों में भी कई खण्ड बन गये और वे सब मामले जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े होते थे अथवा राज्य के प्रत्यक्ष हितों से जुड़े होते थे, उनका निर्णय स्थानीय प्रशासनिक इकाईयों जिन्हें **'चीरा,' 'परगना'** कहा जाता था, में नियुक्त अधिकारी जो **'हाकिम'**, **'चिरायत'**, **'हुवलदार'**, **'दरोगा'** के नाम से जाने जाते थे, करते थे।[18] किसी विवाद की अवस्था में इस तरह के मामलों की सुनवाई राजधानी में प्रधानमंत्री या 'दीवान' किया करता था[19] लेकिन सामाजिक क्षेत्र के विवाद और साथ ही किसी सीमा तक आर्थिक विवाद अब भी जातीय व कबीलों की स्वायत् संस्थाओं के पास ही बने रहे थे।[20] वाणिज्य व व्यापार को भी एक विशिष्ट विषय मानकर उसे उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की स्वायत्त संस्था को ही सौंप दिया

---

17. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 5, भादुवा सुदी 5;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 152

18. **सावा बही अनूपगढ़** नं. 1, वि. सं. 1753; **खालसा गांवों के हुवाला सौंपा कागद- कागदों की बहियां**। विशेषकर **कागदों की बही**, वि. सं. 1820, नं. 2 उल्लेखनीय; **सावा बही नोहर**, नं. 1, वि. सं. 1822;
सावा बही चूरू रे थोणे री, नं. 1, वि. सं. 1829;
सनद परवाना बही (मारवाड़), नं. 11, वि. सं. 1857

19. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 9;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 278

20. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 257; वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 136;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, पृ. 58, 70

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गया था।[21] लेकिन ये संस्थाएं जो 'पंचायत' के नाम से जानी जाती थीं किसी प्रकार के विवाद में निर्णय देने में अंतिम सत्ता की भूमिका का निर्वाह नहीं करती थीं। उनके निर्णयों के विरूद्ध उच्च सत्ता को अपील की जा सकती थी जिसकी सुनवाई 'दीवान' या 'राजा' किया करता था।[22] चूंकि मुगलकाल में 'राजा' को एक मुगल 'मनसबदार' के रूप में मुगल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर सेवा करनी पड़ती थी; इस कारण उसकी अनुपस्थिति में 'दीवान' के दायित्व बढ़ जाते थे। इस तरह के दायित्वों के संबंध में विस्तृत विवरण हमें उस परवाने से प्राप्त होता है जो दक्षिण से बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने अपने 'दीवान' नाजर आनन्दराम को भेजा था।[23] महाराजा सूरतसिंह के शासनकाल में राजधानी में पहली बार स्वतंत्र रूप से एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया था जो 'दरोगा-ए-अदालत' के नाम से जाना जाता था। यह न्यायिक अधिकारी अपने मुख्यालय में दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मामले निपटाया करता था।[24]

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समय कहे जाने वाले जांगल देश में राठौड़ राज्य की स्थापना के पश्चात् न्याय क्षेत्र प्रवृत्तिगत दृष्टि से विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीकरण की ओर उन्मुख हुआ। जातीय व कबीलों के गठन के ऊपर क्रमश: राठौड़ सत्ता के दृढ़िकरण से विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीकरण की प्रक्रिया पनपी व पल्लवित हुई। इसके अतिरिक्त मुगलकाल में राजपूतों के कुलीय ढांचे में राजा

---

21. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90; वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 261;
हकीकत, लोकमणी व्यास पेपर्स, वि. सं. 1827, भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रति., बीकानेर;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37; वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

22. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236, वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 136;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, पृ. 60

23. **महाराजा अनूपसिंह रो आनन्दराम नाजर रे नाम परवानो**, 1749, नं. 14/197, आ. स. पु. बी.

24. **बही खाता खजाना सदर (बीकानेर)**, वि. सं. 1852, बस्ता खाता खजाना सदर, रा. रा. अ. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

की शक्तियां दृढ़ होने के साथ-साथ भी न्यायिक गठन में केन्द्रीय सत्ता की स्थिति सर्वोच्च एवं निर्णायक बनी।[25] मध्ययुग में राजपूत राज्यों के अन्तर्गत यह जो परिवर्तन दृष्टिगत होता है, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और यह निश्चित रूप से देश में उस काल में विकसित हो रही साम्राज्यवादी सत्ता के अन्तर्गत न्यायिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से कुछ भिन्न है। यह भिन्नता विभिन्न क्षेत्रीय दबावों का परिणाम मानी जा सकती है। दिल्ली सल्तनत व मुगलों की न्यायिक व्यवस्था में यद्यपि स्थानीय-प्रशासन में न्याय व कानून व्यवस्था को लागू करने हेतु ग्राम पंचायतों व वंशानुगत स्थानीय अधिकारों जैसे चौधरी, मुकद्दम, पटवारी व कानूनगो इत्यादि की उपस्थिति को मान दिया गया।[26] लेकिन न्यायिक ढांचे का गठन ऊर्ध्वाधार अनुलम्ब (वर्टिकल) शक्ल में हुआ है जहां सत्ता का वर्गीकरण ऊपर से नीचे की ओर हुआ। सत्ता का उद्गम सुलतान या शासक के रूप में उस ऊर्ध्वाधार ढांचे में शीर्षस्थ बिन्दु है। तदुपरान्त उसका हस्तान्तरण अनेक शाखाओं में होकर प्रादेशिक व फिर स्थानीय स्तर पर आया है।[27] लेकिन हमारे अध्ययन के क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया का उद्गम अलग-अलग विषयों में बंटकर दोनों प्रकार से

---

25. **मा. प. वि.**, भाग प्रथम, (पूर्व.), पृ. 106-114;
दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. (पूर्व.) 95, 166-67;
जी. डी. शर्मा- राजपूत पॉलिटी, (पूर्व.), पृ. 84-86;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 20-21

26. दृष्टव्य-
पी. शरन- दि प्राविंशियल गवर्नमेंट ऑफ दी मुगल्स, पृ. 246-47, 1941 ई., इलाहाबाद;
अहमद मुहम्मद बशीर- दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मेडीवल इंडिया, पृ. 169, 1941 ई., अलीगढ़;
हरिशंकर श्रीवास्तव- मुगल शासन प्रणाली, पृ. 224-25, 1978 ई., नई दिल्ली

27. द्रष्टव्य-
विजयनारायण चौबे- जदुनाथ सरकार कृत मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, का हिन्दी अनुवाद, अध्याय- 1, 2, 3, 4, 6, 1964 ई., आगरा;
वाहिद हुसैन- एडमिनिस्ट्रिेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग दि मुस्लिम रूल इन इण्डिया, विषय प्रवेश, 1934 ई., कलकत्ता;
श्रीराम शर्मा - एडमिनिस्ट्रशन ऑफ जस्टिस इन ओरंगजेब्स टाईम्स, शोध लेख, (प्र.) इंडियन हिस्टोरीकल्स क्वाटरली, भाग- 21, पृ. 101-04, 1945 ई.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हुआ अर्थात् शीर्षस्थ एवं निम्नतम् बिन्दु दोनों से हुआ है। फौजदारी मामलों में न्यायिक प्रशासन का गठन ऊपर से नीचे की विभिन्न न्यायिक सतहों में बंट कर हुआ है जबकि दीवानी मामलों में नीचे के स्तर से धीरे-धीरे उठकर अनेक नियंत्रण के साथ अनेक शाखाओं में बंट कर शीर्षस्थ बिन्दु पर पहुंचा है। इस प्रक्रिया में एक न्यायिक शक्ति का विभाजन अनेक खंडों में बंटकर नहीं हुआ है बल्कि पहले से व्याप्त न्यायिक सत्ता को अलग-अलग विषयों में बांटकर विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों के साथ उसे केन्द्रीय सत्ता के पक्ष में स्थापित किया गया है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि राजपूत राज्यों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के बावजूद विकेन्द्रीकरण की शक्तियां भी अपने विषयों में सम्माननीय एवं प्रभावशाली रही हैं। उदाहरणार्थ, गांव-पंचायतें सामाजिक नियमों एवं परम्पराओं-मान्यताओं में निर्णय लेने को स्वतंत्र थी और उन्हें किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप का भय नहीं था। अगर राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में हस्तक्षेप करता भी था तो वह सामान्यतः सामाजिक मापदंडों के विरूद्ध नहीं जाता था और यदि किसी कारणवश जाता भी था तो पंचों का विश्वास लेकर अथवा संबंधित पक्ष को आर्थिक रूप से दंड देकर वह दंड की राशि मुद्रा या वस्तु में संबंधित समाज के लोगों के मध्य किसी कार्यवाही के द्वारा बंटवा देता था।[28] इसके विपरीत हम देखते हैं कि मुगल काल में औरंगजेब ने अहमदाबाद शहर में इस बात की स्वतंत्रता दे दी थी कि कोई भी जाति कोई सा भी व्यवसाय चुन सकती है, लेकिन राजपूत राज्यों में इस प्रकार की घोषणा करना सहज नहीं था। सामान्यतः किसी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का व्यवसाय अपनाने पर राजाज्ञा द्वारा उसे उस परिवर्तन के प्रति उदासीन बना दिया जाता था और यदि आर्थिक या व्यक्तिगत दबावों के कारण ऐसा मानना भी पड़ता था तो पहले संबंधित पक्षों को विश्वास में लिया जाता और एक आर्थिक दंड भी लागू किया जाता था।[29] यहां यह स्मरणीय है कि समाज के प्रभुत्व सम्पन्न वर्ग उस तरह के नियंत्रणों से मुक्त थे और वे कोई भी व्यवसाय अपना सकते थे तथापि वे भी कोई नया व्यवसाय अपनाते समय अपने प्रचलित सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का

---

28. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 9, पृ. 9, 166;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, सावण सुदी 6;
जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, शोध-प्रबंध (पूर्व.), पृ. 261-68

29. **हकीकतः लोकमणी व्यास पेपर्स** (पूर्व.), वि. सं. 1827;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 6

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सम्मान करते थे। जैसे वैश्य वर्ग का व्यक्ति व्यापार के साथ-साथ प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकता था व सैन्य व्यवसाय भी अपना सकता था[30] किन्तु वह निम्न स्तर का समझा जाने वाला कार्य नहीं करता था। यहां यह लिखना रूचिकर होगा कि हिन्दू बनिया व्यापार करते समय चमड़े या जानवरों के विक्रय (मरे/वध पात्र) के व्यापार में हाथ नहीं डालते थे।[31] समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को व्यावसायिक परिवर्तन पर इसलिए भी कठिनाई नहीं आती थी कि सामान्यतः उनकी सामाजिक पंचायतें भी इसका विरोध नहीं करती थी अथवा वे विरोध करने में सक्षम नहीं होती थीं।[32]

इसके विपरीत राज्य के फौजदारी व कुछ आर्थिक मामलों में पंचायतें सहायक भूमिका तो निभा सकती थीं परन्तु निर्णायक नहीं।[33] इसको राज्य के न्यायिक अधिकारी अलग-अलग स्तरों पर सुलझाया करते थे। फौजदारी के मामलो

---

30. बीकानेर राज्य में रायसिंह (1574-1612 ई.) के समय कर्मचन्द बच्छावत राज्य का प्रधानमंत्री एवं महाराजा सूरतसिंह (1787-1828 ई.) के काल में सुराणा अमरचन्द मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था। इसी प्रकार जोधपुर राज्य में भंडारी खींवसी का नाम उल्लेखनीय है जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ मुख्य योद्धा भी था। द्रष्टव्य-

    दयालदास री ख्यात, जि. 2, पत्र-103, अ. स. पु. बी.;
    ओझा- बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग-2, पृ. 393-94;
    श्री अगरचन्द नाहटा- बीकानेर, संग्रहस्थ, 13-14 गुवाड़ों की बही, अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर;
    जी. एन. शर्मा- राजस्थान का इतिहास, पृ. 481, 1973 ई., आगरा;
    जी. एस. एल. देवड़ा- ए री थिन्किंग आन दी पोलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी इन प्री कोलोनियल इंडिया, शोध लेख, ऑकेजनल पेपर, एन. एम. एम. एल. नई दिल्ली, 1987

31. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 36, 38, 42; जी. एस. एल. देवड़ा- पश्चिमी राजस्थान में भेड़ व ऊन का व्यापार, 1700-1800 ई., रा. हि. को. प्रो., सिरोही, 1982

32. इस संबंध में समकालीन सामग्री में किसी भी प्रकार का विवरण नहीं आया है।

33. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 164, 236;
    बही पेशकसी रे लेखे री, सं. 1833, सू, पृ. 36;
    कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 21

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में भी एवं राज्य के विरूद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भी स्वायत्त कही जाने वाली संस्थाएं साधारणतया कोई भूमिका नहीं निभाती थी।[34] इस प्रकार हम देखते है कि राजपूत राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया का गठन ऊर्ध्वाधार (वर्टीकल) और अनुप्रस्थाकार (हारिजेंटल) दोनों प्रकार से हुआ है। एक ओर तो न्यायिक अधिकारियों की सूची ऊपर से नीचे को अनुशासनबद्ध बंटी दिखती है जिसमें सर्वोच्च व निम्न अधिकारियों की श्रेणियां होती हैं तो दूसरी ओर विषयों मे बांटकर लगभग एक समानान्तर व्यवस्था भी स्थापित की गई है। इस अनुप्रस्थाकार (हारिजेंटल) व्यवस्था में राजा व उसका दीवान अपवाद के रूप में माने जा सकते हैं लेकिन ये अपवाद भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है चूंकि 'राजा' व 'दीवान' दोनों ही कुछ निर्धारित विषयों में स्वायत्त संस्थाओं के निर्णयों को ही सम्मान देते थे। उदाहरणार्थ, सामाजिक मामलों में राजा व दीवान की उपस्थिति नगण्य तो नहीं किन्तु महत्त्वपूर्ण भी नहीं मानी जा सकती।[35]

विधि-स्रोत

प्रथागत विधि (कस्टमरी ला)

मध्ययुगीन राजस्थान में न्याय व्यवस्था का स्वरूप प्राचीन था जिसे मुगलों के सम्पर्क से परिमार्जित कर लिया गया था।[36] पश्चिमी राजस्थान में भी प्राचीन भारत की प्रचलित धार्मिक व सामाजिक परंपराएं सम्मान के साथ स्थापित थीं लेकिन उनका अधिक संशोधित रूप भी था। यह भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी कि धर्मशास्त्रों के विरूद्ध कार्य किसी को भी अधर्म का अपयश दिला सकता है।[37] राजा

---

34. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 164, 236;
बही पेशकसी रे लेखे री, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 3, 29, 36;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 21

35. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261; वही, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 6;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

36. डा. जी. एन. शर्मा- राजस्थान (पूर्व.), पृ. 636;
जी. सी. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स (पूर्व.), पृ. 89

37. **सूरजपोल प्रशास्ति**, जूनागढ़ बीकानेर, वि. सं. 1650, पंक्ति नं. 60-61;
होसिंग कृष्ण- **कर्णावतंस**, पृ 1, 7, 15, 16, 26. नं. 2981, अ. स. पु. बी.;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

एवं प्रजा से यह निष्ठा अपेक्षित थी कि धर्म का पालन करते हुए सामाजिक न्याय को दृढ़ बनायेंगे। शासक स्वयं को 'गो ब्राह्मण' प्रतिपालक मानते थे।[38] इसका यह तात्पर्य भी नहीं निकालना चाहिए कि प्राचीन काल में न्याय के क्षेत्र में ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार थे वे इन मध्ययुगीन राजपूत राज्यों में उन्हें उपलब्ध थे। यद्यपि समाज में ब्राह्मण व चारण दोनों का उल्लेखनीय सम्मान था।[39] अधिकाशतः ब्राह्मण व चारण राज्य के कर के दबाव से मुक्त थे व **'सांसण' 'पुनरथ'** व **'डोहली'** की भूमि पर अपनी जीविका का याधन कर रहे थे।[40] ब्राह्मण व चारण न्याय व्यवस्था में गवाह के रूप में एक पवित्र व सम्मानित स्थिति प्राप्त थे लेकिन फिर भी फौजदारी मामलों में वे अन्य जातियों के समानान्तर ही थे।[41] अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में उपलब्ध धर्मशास्त्र जिनकी रचनाएं इस काल में की गई थीं, से विदित होता है कि परम्परागत धार्मिक रीति-रिवाजों का समाज व प्रशासन दोनों में सम्मान था। जिनका उल्लघंन होने पर राज्य द्वारा निर्णय लेना भी आवश्यक था। जब महाराजा गजसिंह (1745-87 ई.) का चुनाव बीकानेर की गद्दी के लिए किया गया था तब उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे सम्मानित धर्मशास्त्रों के अनुसार ही

. .... श्री रायसिंघ स्तमुनो अस्थ राजा विराजते धर्मपदस्थ गोप्ता। (महादेव- रायसिंह सुधा सिन्धु, नं. 4283, अ. स. पु. बी.)

38. **मा. प. वि.**, भाग-1 (पूर्व.), पृ. 26;
होशिंग कृष्ण- कर्णावतंस, पृ. 7, 15, नं. 2981, अ. स. पु. बी.

39. **कागदों की बही, बीकानेर**, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 86;
मुंशी सोहनलाल- तवारीख राजश्री, बीकानेर, पृ. 53, 1947 ई., बीकानेर

40. सांसण, पुनरथ व डोहली के शब्दार्थ हेतु परिशिष्ट- शब्दसंग्राहिका में दी गई शब्दावली देखें।
परवाना बही, वि. सं. 1743, नं. 22/3, देखिये सांसण एवं पुनर्थ पट्टे, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

41. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119, 135;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 152;
मा. प. वि., भाग-1 (पूर्व.) पृ. 24, 25, 26

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

समाज व प्रजाजनों को न्याय देंगे।[42]

विधि के स्रोतों में सामाजिक व्यवस्था विशेषत: वर्ण व्यवस्था की परम्पराएं व प्रचलित नियम विधि के प्रमुख स्तम्भ थे। न्यायिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को शक्ति ही प्रदान करती थी। अभिलेखीय सामग्री से विदित होता है कि पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग जातिगत कुओं द्वारा पानी का प्रयोग करने संबंधी नियम की सुरक्षा न्याय व्यवस्था के संरक्षण में थी।[43] यहां तक कि इस बात की व्यवस्था भी जुटाई गई थी कि नीच जाति का पुरूष उच्च जाति की लड़की को खरीद भी नहीं सकता था।[44] एक अन्य रोचक प्रसंग से यह भी विदित होता है कि अलग-अलग जाति के लोग अपने सामाजिक उत्सवों में निर्धारित प्रकार का भोजन ही बनाते थे। उदाहरणार्थ यदि चीनी का हलवा राजपूतों के लिए स्वीकृत है तो उसे चमार अपने सामाजिक अवसर पर नहीं बना सकते थे। इन नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति दंड का भागी था।[45]

प्रत्येक वर्ण व उसकी जाति में प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज भी न्याय के प्रमुख अंग थे। सगाई, शादी, गोद लेना, सम्पत्ति वितरण, स्त्री की दशा, मृत्युभोज इत्यादि के संबंध में प्रत्येक जाति के अपने अलग-अलग नियम व कानून थे जो न्याय व्यवस्था के पूरक अंग थे व जिनका उल्लंघन होने पर न केवल पंचायत बल्कि राज्य द्वारा भी दंडित किया जाता था।[46] इसी प्रकार राठौड़ों के

---

42. **अनन्त राजधर्म कौतुम**, नं. 252-54, अ. स. पु. बी.;
गीत गोविन्द टीका, नं. 26-26, अ. स. पु. बी.;
होशिंग कृष्ण- कर्णावतंस, नं. 2981, अ. स. पु. बी.;

43. **होशिंग कृष्ण- कर्णावतंस**,(पूर्व.) पृ. 16, 17, 26;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 44;
मांगीलाल व्यास- जोधपुर राज्य का इतिहास (पूर्व.) पृ. 216

44. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 61; वही, वि. सं. 1853, पृ. 83

45. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1867, नं. 16, पृ. 247

46. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 257;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, नं. 38, पृ. 58, 70;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 27

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आक्रमण से पूर्व के कबीलों व जातियों के नियमों, प्रचलित मान्यताओं ने भी न्याय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। यदि राज्य को किसी रीति रिवाज, मान्यता में विवाद होने पर अपनी सूचनाओं पर संशय हो जाता था तो राज्य संबंधित वर्ण या जाति की पंचायत से उसके संबंध में परामर्श करता था।[47] चूंकि अनेक प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज थे और सभी को कानूनी मान्यता थी इसलिए सहजता से कहा जा सकता है कि उस काल में एक सामान्य सामाजिक विधि का अभाव था। विभिन्न समाजों के अपने पृथक्-पृथक् मापदंड होते थे और उन्हीं को अपनाकर वे न्याय की संतुष्टी कर पाते थे। जैसे जाट जाति में **'नाता'** मृतक के भाई के साथ होता था लेकिन दूसरी खेतीहर जातियों में नाता जाति के किसी भी सदस्य से हो सकता था। नाता करने पर वर पक्ष से जो रकम वसूल की जाती थी, कुंभकारों (कुम्हारों) में वधु के पहले ससुराल वाले उसे प्राप्त करते थे जबकि नाई जाति में वधु के मातृपक्ष वाले उस रकम को प्राप्त करते थे।[48] इस प्रकार प्रचलित विभिन्न रीतियों ने राज्य के हस्तक्षेप को सीमित भी बना दिया एवं पंचायत जैसी संस्थाओं के महत्त्व को विपरीत परिस्थितियों में भी बनाये रखा।

अपराध कानून

राजपूत राज्यों में विधि के इस अंग पर मूल भावनाओं में धार्मिक कानून ही प्रभावशाली थे किन्तु उनमें बहुत संशोधन हो चुका था चूंकि बहुत से अपराध नागरिक कानूनों से ही संबंधित थे अतएव उनके निर्णय विभिन्न समाजों में प्रचलित रीति-रिवाजों के आधार पर ही लिए जाते थे। उसमें विविधता भी बनी रहती थी। जैसे मुगल साम्राज्य में सती प्रथा को अपराध माना जाता था परन्तु

---

47. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261; वही, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 6;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, नं. 38, पृ. 16

48. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 52;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, सूं, नं. 38, पृ. 10;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, एवं वि. सं. 1840, नं. 7, **के रीट के कागद।**

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

राजपूत राज्यों में इसे सम्मान के साथ देखा जाता था।[49] इसी प्रकार समाज के उच्च वर्ग में विधवा विवाह या स्त्री का पुनर्विवाह अपराध था लेकिन मध्यम व निम्न वर्ग में इस तरह के कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे।[50] राज्य के हितों के विरूद्ध आचरण करने वाला निश्चित रूप से राजद्रोही था व वह केवल आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भागी बनता था। राज्य के हित क्या हैं यह, सापेक्ष बिन्दु (रिलेटिव टर्म) था। क्या राज्य केवल राजा के हितों का ही प्रतिनिधित्व करता था? राजपूतों की कुलीय व्यवस्था के संबंध में यह बिन्दु बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है चूंकि कुलमुखिया राज्य को कुल की सामूहिक सम्पत्ति समझते थे, वहां राजा राज्य पर केवल निज का अधिकार समझता था। जिसके फलस्वरूप बहुत से ठाकुरों का आचरण विद्रोही घोषित किया जाता था और वे राज्य आरोप से जीवन भर बरी नहीं हो पाते थे और यहां तक कि कुछ को मृत्युदंड भी भोगना पड़ता था। अत: स्वयं को वंशानुगत अधिकारों से मुक्त रखना पड़ता था। साधारणतया किसी की हत्या करने पर मृत्युदंड का ही प्रावधान था इसमें कोई जातिगत भेद नहीं होता था। हम पाते हैं कि **भैया बीझराज (माथुर)** की जब राठौड़ पदमसी नारणोत ने हत्या की तो उसे राजाज्ञा द्वारा हाथी के पांवों तले कुचलवा कर मार दिया गया था।[51] साधरणतया किसी पर चोट वार करने पर भी 'गुनेहगारी' के रूप में भारी आर्थिक दंड चुकाना पड़ता था। यहां तक कि पारस्परिक झगड़े में भी गुनेहगारी लगती थी।[52] यदि यह भी सिद्ध हो जाता था कि परिवार या समाज के किसी प्राणी ने किसी अन्य

---

49. **अथ ख्यात जोधपुर रा राज रा दसतूर री बही**, पृ. 21 अ 1, चो. शो. प्र. जो.;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 174;
टाड– एनल्स (पूर्व.), पृ. 503;
आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव– मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ. 21, 1967 ई. आगरा;
जी. एन. शर्मा– सोशल लाईफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ. 127, 1968 ई. आगरा

50. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1820, नं. 2, रीठ के कागद;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 151

51. महाराजा गजसिंह के आदेश की प्रति, 5 बदि मार्गशीर्ष, वि. सं. 1842, भैया संग्रह, रा. रा. अ. बी.

52. **बही पेशकसी री लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, पृ. 3;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 29

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

से दु:खित हो आत्महत्या की है तो तत्संबंधित व्यक्ति को अपराधी माना जाता था।[53] यौन अपराधी भी अपराध सिद्ध होने पर दंडित किये जाते थे।[54] यहां तक जानवरों को भी चोट मारने/पहुंचाने को एक अपराध माना जाता था।[55] चोरी व डाके आदि के प्रकरणों को भी अपराध माना जाता था।[56]

प्रशासनिक नियम

राज्य, कानून व व्यवस्था लागू करने तथा अपनी आय के साधनों को जुटाने व विस्तरित करने हेतु भी समय-समय पर कानून बनाता था जो कि शनै:-शनै: न्याय व्यवस्था के एक अभिन्न अंग बन जाते थे। कानून व व्यवस्था को लागू करने में अधिकतर तो परम्परागत नियमों का ही पालन किया जाता था फिर भी विशेष अवसरों पर अनेक प्रकार से अन्य नियम भी लागू किये जाते थे। ज्ञातव्य है कि पट्टा क्षेत्र को खालसा में बदलने पर भी विशेष नियमों का पालन किया जाता था। ऐसे समय में गांव को छोड़ना, अपराधियों को शरण देना, घोषित अपराधियों को आर्थिक सहायता देना व फसल को नहीं बोना भी अपराध की श्रेणी में आता था।[57] पशुओं की चराई के संबंध में भी इस प्रकार के नियम लागू होते थे। निर्धारित स्थलों पर चराई नहीं कराना, पानी की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना तथा राज्य द्वारा लगाये गये विविध प्रतिबंधों का प्रतिरोध करना आदि अपराध इसी

---

53. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 4, पृ. 164; वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 111;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, नं. 38

54. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 7, पृ. 154;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 65

55. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 204

56. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 108; वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 138; वही, पृ. 206

57. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839,
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1839, नं. 27, भादुवा सुदि 15; वही, वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 182;
जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, शोध-प्रबंध, पूर्व., पृ. 270-75

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

श्रेणी में आते थे। इसी क्रम में वृक्षों को नहीं काटने एवं उनके संरक्षण संबंधी प्रशासनिक नियम शनैः-शनैः कानून बनते गये।[58] महाराजा गजसिंह (1745-87 ई.) व सूरत सिंह (1787-1828 ई.) के काल में अनेक प्रकार के प्रशासनिक निगमों का प्रचलन हुआ था जिसमें आबादी को बढ़ाने, आवास को विकसित करने, कृषि में विस्तार करने एवं पशुओं पर नियंत्रण रखने से संबंधित अनेक नियम थे।[59] राज्य हितों में भी कई नियम अलग से बनाये जाते थे जिनमें राज्य के पशुओं क़ो सुविधा, राज्य कर्मचारियों को रसद जुटाना एवं साधु संतों की अगवानी तक इसके अन्तर्गत आते थे।[60] लगान वसूली के संबंध में तो नियम समय-समय पर अस्तित्व में आते ही रहते थे। खेती योग्य भूमि को जोतना, नियमों के अन्तर्गत **'मुकाती'** को अधिकार देना, निर्धारित लगान चुकाना, अनुदान की भूमि में नियमितता लाना, चौधरी व अन्य मध्यस्थों का भाग निर्धारित करना, अलग-अलग प्रकार की लगान की पद्वत्तियों को लागू करना, अकाल व सूखे के समय में राहत के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाना, अनाज, धान को संग्रहित करना अथवा वितरित करना एवं वाणिज्य व व्यापार को नियमित तथा प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम आवश्यकतानुसार बनाना आदि ये सब महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक नियम थे जो न्याय विधि के विभिन्न स्रोत बनते थे।[61]

---

58. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1851, नं. 9, पृ. 22; वही, वि. सं. 1854, नं. 10, कार्तिक बदी 3; वही, वि. सं. 1863, नं. 14 पृ. 7, 274, 294

59. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, 1831, 1840, 1854 व 1859, नं. 1, 4, 7, 10 व 12 के **हुवाला सौंपा कागद**;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, 1857, एवं 1859, नं. 10, 11, 12 **के छूट के कागद**;
जी. एस. एल. देवड़ा- पैटर्न ऑफ रिलीफ एण्ड रेमिशन इन बीकानेर स्टेट, शोध लेख (प्र.), रा. हि. का. प्रो., 1972 ई., पाली;
वही- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ दी इन्टरमीजियटीज इन दी नार्थ वैस्ट राजपूताना (1650-1800 ए. डी.), शोध लेख, (प्र.), सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, (पूर्व.), पृ. 90-100

60. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821
मू. नै. ख्यात, भाग-1, पृ. 397-399

61. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, पृ. 13;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सम्पत्ति संबंधी कानून

साधारणतया किसी मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी के न होने पर, जिसे स्थानीय भाषा में '**गईवाल**' होना कहते हैं, उस मृतक की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था।[62] इसके अतिरिक्त राज्य अपराधी या विद्रोही होने की अवस्था में भी संबंधित मृतक की सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी।[63] इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सम्पत्ति पर राजा व राज्य का अधिकार होता था जैसा कि मुगल साम्राज्य के संदर्भ में विदेशी यात्रियों ने यह प्रभाव स्थापित किया है और आगे चलकर ब्रिटिश नागरिक अधिकारियों ने भी एक लेखक के रूप में यह धारणा विकसित की है। राज्य का हस्तक्षेप निश्चित नियमों का पालन नहीं होने पर अथवा सम्पत्ति का स्वामी नहीं होने पर ही हुआ करता था।[64] कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकार के अभाव में उत्तराधिकारी न होने पर गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था। '**गोद लेना**' एक मान्यता प्राप्त प्रथा थी।[65] गोद लेने की परम्परा में व्यक्ति की अपनी सामाजिक परम्पराओं का निर्वाह होना आवश्यक था। कई बार गोद के प्रश्न पर विवाद होने पर राज्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श भी किया करता था। यहां पर विचारणीय प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की निःसंतान मृत्यु होने पर उसकी विधवा को भी गोद लेने का अधिकार था। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों

सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 355, 456, 460;
बही तलब तयारी (बीकानेर), वि. सं. 1866;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 223-29

62. सोहनलाल- तवारीख राजश्री बीकानेर, बीकानेर, 1890, पृ. 231-33;
जी. सी. शर्मा- (पूर्व.), पृ. 117;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 175

63. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 543-44;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 33-34

64. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 33, 34;
जे. एन. सरकार- मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 164, संस्करण 1924 ई., कलकत्ता

65. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर की **कागदों की बहियां** (वि. सं. 1811 से वि. सं. 1857 तक की, नं. 1 से 11 तक की बहियां), खोला बहियां, सावा बहियां एवं जोधपुर की सनद परवाना बहियों में तद्विषयक प्रचुर उल्लेख मिलते है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में पंचायतें निर्णायक भूमिका अदा करती थी।[66] इस बात के विवरण आये हैं कि राजा ने ठाकुरों की सम्पत्ति को भी ज़ब्त कर लिया था लेकिन ये सब विशेष परिस्थितियों में ही हुआ था और तब राजा की शक्तियों को उनसे अपने अस्तित्व तक की चुनौती मिली थी। महाराजा सूरतसिंह के काल में चूरू व भादरा का उद्धरण इस संबंध में उल्लेखनीय है।[67]

साक्ष्य कानून

तत्कालीन स्रोत-सामग्री से विदित होता है कि न केवल हिन्दू व मुस्लिम न्याय प्रक्रिया में बल्कि कबीलावादी परम्पराओं में भी निर्णय लेने से पूर्व साक्ष्यता पर अत्यधिक बल दिया गया है। साक्ष्यता कई प्रकार की होती थी जैसे-साक्षी द्वारा दिया गया वक्तव्य, ली गई शपथ, दिया गया दस्तावेज व पत्र इत्यादि।[68] प्रत्येक साक्षी अपने धर्म के नाम पर शपथ लेता था और उसकी मान्यता भी होती थी। साक्षी भी दो प्रकार के होते थे एक तो वह जो किसी घटना विशेष के घटित होने पर उपस्थित होते थे और दूसरे वे जो किसी घटना के सम्पूर्ण काल चक्र में संबंधित व्यक्ति, विशेषज्ञ अथवा संबंधी के नाते जुड़े रहते थे। साक्ष्यता अपने आप में निर्णय व सत्य नहीं थी बल्कि उसके माध्यम से सत्य को ढूंढा जाता था। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं होने दिया जावे। किसी भी मामले को परिपक्वता देने के लिए एक से अधिक साक्षी होने की आवश्यकता होती थी। अगर कोई वादी अपना साक्षी प्रस्तुत करने में असफल रहता था तो उसका प्रतिवेदन (अपील) रद्द हो जाती थी। साक्षी किसी भी धर्म या जाति का हो सकता था तथा जाति व धर्म के आधार पर उसे

---

66. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सू, पृ. 18;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 20;
बही तलब तयारी (बीकानेर), वि. सं. 1866

67. **दयालदास ख्यात** (अ प्र.), भाग- 2, पृ. 317-22, अ. स. पु. बी.;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 85

68. **जोधपुर, हथ बही**, वि. सं. 1830, पृ. 116;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19, 36, 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 209

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अयोग्य घोषित नहीं किया जाता था।[69] जैसा कि औरंगजेब के समय में मुगल न्यायिक प्रक्रिया में यह परिवर्तन आ गया था जब इस्लाम के अनुयाइयों के मामले में गैर इस्लामियों की गवाही को अस्वीकार्य कर दिया गया था।[70]

न्यायिक प्रशासन की संरचना

राजा में सर्वोच्च शक्तियां केन्द्रित थीं। दूसरे शब्दों में वह न्यायिक अभिकरण का सर्वोच्च बिन्दु था। उसकी अदालत राज्य की सर्वोच्च अदालत थी व अंतिम अपील भी वहीं होती थी।[71] सम्राट के पश्चात् प्रधानमंत्री, दीवान आदि मुख्य न्यायिक अधिकारी होते थे।[72] मुगल साम्राज्य में प्रधान काजी दूसरा मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था।[73] लेकिन हमारे पास इस प्रकार के विवरण उपलब्ध नहीं है कि राजपूत दरबारों में काजी या पंडित जैसे अधिकारी न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त होता था। दरबार में राजपुरोहित नामक अधिकारी अवश्य होता था लेकिन उसके कार्य दूसरे प्रकार के होते थे। उसका पद 'रतिक' होता था।[74]

---

69. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, चैत्र बदि 6;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 4, पृ. 260;
वही, वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 31

70. थेविनो– दि इण्डियन ट्रेवल्स ऑफ थेविनो एण्ड कारेरी, पृ. 27, सं. एस. एन. सेन, 1940 ई., नई दिल्ली;
एस. पी. सेंगर– क्राइम एण्ड पनिशमेंट इन मुगल इंडिया, पृ. 24, 1967 ई., दिल्ली

71. **कर्णावतंस**, पृ. 9–22;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 44;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 278

72. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 152;
बीकानेर के शासकों द्वारा मोहतों को भेजे गये परवाने– मोहता रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

73. इब्न हसन– दि सेन्ट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दि मुगल एम्पायर, पृ. 315, ई., आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन;
आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव– अकबर दि ग्रेट, भाग–2, पृ. 276, आगरा

74. **कर्णावतंस**, पृ. 15;
मोहता ख्यात, पृ. 28–31; रील नं. 8, रा. रा. अ. बी.;
ओहदा बही (मारवाड़), नं. 1, फोलियो 29, रा. रा. अ. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

'**कर्णावतंश**' में यह उल्लेख अवश्य आया है कि बीकानेर के राजा कर्णसिंह के समय पंडित लोग दरबार में बुलाए जाते थे और वे इस बात की योजना बनाते रहते थे कि किस प्रकार उन्हें दरबार में बार-बार बुलाया जाये। इस विवरण से ज्ञात होता है कि किसी विशेष मामले में सलाह लेने के लिए पंडितों को आमन्त्रित किया जाता था।[75] '**काजी**' की भांति किसी 'पंडित' की स्थायी नियुक्ति नहीं होती थी क्योंकि पंडित लोग बराबर बुलाए जाने की योजनाएं बनाया करते थे। नागरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी पंडित या काजी का नहीं होना इस बात से भी प्रमाणित होता है कि अधिकतर इस प्रकार के मामले राजा व दीवान दोनों, पंचायतों को ही वापस लौटा दिया करते थे।[76] महाराजा सूरतसिंह के समय में जो '**दरोगा-ए-अदालत**' अधिकारी नियुक्त किया गया वह भी कोई पंडित या काजी नहीं था।[77]

'**कर्मचंदवंशोत्कीर्तनकम् काव्यम्**' के विवरण से ज्ञात होता है कि '**मंत्री**' जो आगे चल कर '**दीवान**' कहलाया 16वीं शताब्दी में नागरिक व फौजदारी दोनों प्रकार के मामले निपटाने वाला राजा के बाद एक मुख्य अधिकारी होता था।[78] '**बच्छावत परिवार**' के बाद तो बीकानेर राज्य में '**दीवान**' का पद वंशानुगत नहीं रहा। इस कारण यह आशा की जा सकती है कि जब कभी भी कोई नया दीवान नियुक्त किया गया तो उससे यह अपेक्षा रखी गई कि वह न्यायिक विषयों में पारंगत होगा। '**मोहता परिवार**' के रिकार्ड्स देखने से भी यह प्रमाणित होता है कि 18वीं शताब्दी में किस प्रकार दीवान, दीवानी व फौजदारी दौनों प्रकार के मामले निपटाया करता था।[79] यहां पर एक रोचक बात उल्लेखनीय है कि दीवान जिन-जिन परिवारों से जाते थे वे सभी परिवार अपने-अपने समाज में '**पंच**' की स्थिति में हुआ करते

---

75. **कर्णावतंस**, पृ. 9-22

76. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 30, 90;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, भादुवा सुद-1;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 278

77. **बही खाता खजाना सदर**, वि. सं. 1852 (पूर्व.)

78. जयसोम- कर्मचन्द (पूर्व.), पृ. 36

79. **परवाना**, पौह सुद 2, 5, वि. सं. 1812, वेरियस परवानाज ऑफ दी बीकानेर रूलर्स एड्रेस्ड टू दी मोहता फेमिली ऑफ बीकानेर, फ्लेश नं. 2, माइक्रो फिल्म रील नं. 8, रा. रा. अ. बी.;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

थे जिससे यह अर्थ भी निकलता है कि दीवान बनने के लिए अथवा दीवान बनने के बाद दोनों ही कारणों से अपने समाज में एक परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती थी।

ये दीवान राजधानी में हुए दीवानी व फौजदारी मामलों को भी निपटाया करते थे; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि राजधानी के क्षेत्र में साधारण प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए **कोतवाल** भी उसके सहायक के रूप में कार्य करता था। लेकिन कोतवाल का यह पद राजधानी या एक दो कस्बों में ही दृष्टिगत होता है।[80] बाकी कस्बों में तो **चिरायत, हाकिम, हुवलदार** या **दरोगा** ही फौजदारी मामलों को निपटाते थे।[81] क्षेत्रीय स्तर पर यही प्रमुख न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे अथवा ग्राम पंचायते ही निर्णयों को निपटाने में अहम् भूमिका अदा करती थीं। **हुवलदार** व **हाकिमों** की संख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक प्रशासन ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के द्वारा ही मुखरित होता था। ज्यादातर हाकिम व हुवलदारों के पास मामले फौजदारी के ही आया करते थे जिनमें अधिकांश तो वे दीवान के पास भेज दिया करते थे।[82] कुछ '**सिरायत**' या महत्त्वपूर्ण '**पट्टायतों**' को छोड़कर सामान्यत: पट्टायतों के पास न्यायिक अधिकार नहीं थे तथा जिनके पास थे वे भी मूलत: फौजदारी प्रकार के ही थे। इस प्रकार के मामलों को पट्टायत अथवा ठाकुर अपने मुख्य सलाहकार '**प्रधान**' की सहायता से सुलझाया करता था।[83]

दलपत विलास, पृ. 27, सम्पादक- रावत सारस्वत, सार्दुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीटूयट, 1960 ई., बीकानेर;
जी. एस. एल. देवड़ा- राजस्थान प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 109-11

80. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 51;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 141, 278;
कागदों की बही, (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 101

81. खालसा गांवों के **हुवाला सौंपा कागद- कागदों की बहियां (बीकानेर);**
विशेषकर- **कागदों की बही**, वि. सं. 1820, नं. 2 उल्लेखनीय है

82. वेरियस परवानाज् ऑफ दी बीकानेर रूलर्स एड्रेस्ड टू दी मोहता फेमिली ऑफ बीकानेर, रील नं. 8 (पूर्व.);
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, (पूर्व.), पृ. 128-31

83. **बही पानावली ठिकाणा री**, सं. 1800, नं. 40/5, अन्य **बहियां**, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

18वीं शताब्दी में एक रोचक स्थिति यह दृष्टिगत होती है कि जब चीरों व **मंडियों** (कस्बों) का प्रशासन मुकाते पर चढ़ा दिया गया तब मुकातियों ने फौजदारी मामले भी निपटाने प्रारंभ कर दिये। फौजदारी मामलों को निपटाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि उससे 'गुनेहगारी' के रूप में होने वाली आय भी मुकातियों को ही प्राप्त होती थी। यहां तक कि दीवानी मामलों में भी जो दंड लगाया जाता था उसकी आय भी मुकाती लेता था।[84] राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बहियों से एवं चूरू के '**पौद्दार संग्रह**'से यह विदित होता है कि जब कभी राजा किसी व्यापारी से ऋण लेता था तथा उस ऋण को चुकाने के लिए नगद राशि के स्थान पर अगर वह कुछ चीरों या गांवों की आय उस '**साहूकार**' को '**खत किया**' व्यवस्था के अन्तर्गत कर देता था तब उस गांव या चीरे की दीवानी व फौजदारी के मामलों में लगाई गई '**गुनेहगारी**' की आय भी उस साहूकार को ही मिलती थी।[85] अधिकतर यह कार्य साहूकार के कामदार ही किया करते थे। इन सभी परिस्थितियों में निर्णय लेने की शक्ति अधिकतर पंचायतों के पास ही हुआ करती थी। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पंचायत किसी मामले में निर्णय तो ले सकती थी किन्तु 'गुनेहगारी' से होने वाली आय प्राप्त नहीं कर सकती थी।

न्यायिक प्रक्रिया

18वीं शताब्दी कालीन पश्चिमी राजस्थान में न्यायिक प्रक्रिया सुविधाजनक

---

84. **बही 1820 साल री खत किया तथा उधारा लिया**, सं. 1820, नं. 12, बीकानेर रिकार्ड्स;
सावा बही रीणी, सं. 1854-55, नं. 6, रामपुरिया रिकार्ड्स;
खत कागद ठोड रा कागद, कागदों की बही, सं. 1872, नं. 21, पृ. 204, 06, 08, 10, रा. रा. अ. बी.

85. **पोतेदार बही**, वि. सं. 1884, **पोतेदार संग्रह**, नगरश्री चूरू, बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह (1787-1828 ई.) ने चूरू के साहूकार सेठ मिर्जामल पोतेदार (पोद्दार) से सं. 1884 भादो बदि 2 को 400001) रू. उधार लिये थे और इन रूपयों के पेटे हुण्डी (ऋण-पत्र) लिख कर राज्य की आय के अनेक प्रमुख स्रोत मिर्जामल के लिए आरक्षित कर दिये थे।
गोविन्द अग्रवाल- चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ. 486-489, परिशिष्ट,-1 (चार लाख की हुण्डी), 1974 ई., अजमेर; मरूश्री, वर्ष-6, अंक-4; वर्ष 7-, अंक-1, दिसम्बर 1977, नगरश्री, चूरू

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

थी या नहीं? इस बात का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब यह स्पष्ट हो जाये कि पंचायत व्यवस्था अपने आप में कितनी प्रभावशाली थी? हम पाते हैं कि पंचायतें न केवल सुविधाजनक तरीके एवं नियमित रूप से ही न्याय प्रदान करती थीं बल्कि इनके द्वारा प्रदत्त न्याय सस्ता अर्थात् कम खर्चीला भी होता था। वैसे इस काल की न्याय प्रणाली में वे सभी विशेषताएं उपस्थित थीं जो उसके पूर्ण स्वरूप को निर्धारित कर सकें। बहुत से शब्द जैसे- **दावा, गवाह, ओकड़ी, मुद्दई, लिखत, जमानत** एवं **अदालत** इत्यादि प्रक्रिया के प्रभावशाली शब्द थे।[86] राज्य जब पंचायतों को निर्णय के लिए कहता था तो पंचों से यह आशा रखता था कि वे निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे।[87] विश्वास जगाने के लिए पंचों को कई प्रकार की शपथें भी दिलाई जाती थी।[88] निष्पक्ष न्याय के लिए क्षेत्र से बाहर के पंच भी बुलाये जाते थे।[89] इस पर भी वादी-प्रतिवादी दोनों को यह अधिकार था कि वे पंचायत के निर्णय के विरूद्ध शासक को कह सकें।[90] शासक अगर चाहे तो मामले को पुन: विचार हेतु वापस संबंधित पंचायत को भेज सकता था।[91]

वादी एवं प्रतिवादी दोनों शपथ लेकर अपना बयान देते थे एवं साक्षी के चरित्र की भी खोजबीन की जाती थी। यह इस बात से विदित होता है कि कई अभिलेखीय पत्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अमुक गवाह झूठा निकला

---

86. **कागदों की बहियां (बीकानेर)**, वि. सं. 1811 से 1863, नं. 1 से 11 के **सनद लिखत व रीठ के कागद तथा सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821 से 1857, नं. 1 से 54 तक की बहियां के विविध कागदों में तत्संबंधी प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। राजस्थानी शब्दों के लिए शब्द संग्रहिका देखें।

87. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 30;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36, 37

88. **जोधपुर हथ बही**, वि. सं. 1830, पृ. 117;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 209

89. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 9, 166;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, सावण सुदि 6

90. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, माघ सुदि 9;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 31

91. वही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

है।[92] हुवलदार, हाकिम व चिरायत भी निर्णय लेने से पूर्व स्थानीय पंचो, अधिकारियों (चौधरी, मुकद्दम, पटवारी) एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से विचार-विमर्श किया करते थे।[93] कई बार मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए **पुराने अभिलेखों** व संबंधित दस्तावेजों को भी देखा जाता था।[94] भूमि के मामले में पटवारी व कानूनगो का रिकार्ड हमेशा देखा जाता था। गांव का '**सहाणा**' भी प्रमुख सलाहकार था।[95]

जमानत देने की प्रथा भी प्रचलित थी। अगर कोई व्यक्ति अपराधी या दोषी साबित हो जाने पर उस पर लगाये गये जुर्माने या गुनेहगारी की राशि नहीं चुका पाता था तो वह अपना जमानती प्रस्तुत कर सकता था। अपराधी द्वारा जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में फिर राज्य जमानती से वह राशि वसूल कर लेता था।[96] छोटे-छोटे अपराधों की रोकथाम में भी अपराधियों को भविष्य में सद्व्यवहार के लिए जमानती की गारन्टी को महत्त्व दिया जाता था। अगर अपराधी फिर भी गलती करता था तो जमानती भी दंड का भागी बनता था।[97] कई बार अपराधी को न्यायालय या पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व भी जमानती संभालते थे। इसमें असफल होने की दशा में वे 'गुनेहगारी' से दंडित होते थे।[98]

---

92. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 4, पृ. 260;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19, 36;
सनद परवाना वही (मारवाड़), वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 31

93. **खालसा गांवों के हुवाला सौंपा कागद**, **कागदों की बही**, वि. सं. 1820 एवं 1839, नं. 2 व 6 के विविध कागदों में ऐसे उल्लेख द्रष्टव्य हैं।

94. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 74;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18

95. सहाणा गांव का वह स्थानीय अधिकारी था जो उपज का मूल्यांकन करके राज्य का भाग निर्धारित करता था।
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 149

96. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 162;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1859, नं. 12, माघ बद 9

97. **भैया संग्रह (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, पत्र माघ सुदि 5;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 162

98. **भैया संग्रह पत्र (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, माघ सुदि 5.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अपराध एवं दंड

दंड निर्धारित करते समय अपराध की प्रकृति एवं अपराधी के व्यवहार दोनों पर विचार किया जाता था। दंड मूलतः सुधारवादी दृष्टिकोण से अभिप्रेरित होते थे। प्रारंभ में अपराधी को चेतावनी, धमकी, जुर्माना, तथा बाद में अंग-भंग की सजा, देश निकाला व मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था।[99] अपराध मुख्य रूप से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रकृति के होते थे। शासक धार्मिक प्रकृति के अपराधों की रोकथाम के लिए प्रजा को चेतावनी देता था। उल्लेखनीय है कि बीकानेर राज्य के गांव वीगे में शादी के उपरांत मंदिर में लगाये जाने वाले फेरों को बंद करने पर गांववासियों को इसे पुनः शुरू करने की आज्ञा दी गई थी।[100] गंभीर प्रकार के धार्मिक अपराधों के लिए साधारणतया धर्म पुरोहितों व विद्वान् ब्राह्मणों से परामर्श कर दंडित किया जाता था। वह दंड देश निकाला से लेकर कभी-कभी मृत्युदंड तक में परिवर्तित हो सकता था।[101]

साधारणतया ब्राह्मण वर्ग भारी दंड से मुक्त था व उनके द्वारा अपराध करने पर उन्हें हल्के जुर्माने की सजा ही दी जाती थी। देशद्रोही को शरण देने, राजाज्ञा की अवहेलना करने अथवा राज्य विरोधी षड़यंत्र में शामिल होने पर उन्हें सम्पत्ति जब्त (सम्पत्ति अधिग्रहण) से लेकर किसी भी भारी दंड की सजा भुगतनी पड़ती थी।[102]

उल्लेखनीय है कि राजनीतिक अपराध करने की अवस्था में कोई भी जाति दंड से मुक्त नहीं थी। ऐसे अपराधी को हर स्थिति में सम्पत्ति जब्त, देश निकाला,

---

99. **कर्णावतंस**, पृ. 10-15;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1827, नं. 10, पृ. 201;
वही, वि. सं. 1840, नं. 29 पृ. 319; वही, वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 162

100. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1, जेठ बद 2

101. **कर्णावतंस**, पृ. 15-16

102. **दयालदास ख्यात** (प्र.), भाग-2, पृ. 153;
कागदों की बही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 91;
वही, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 255;
जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था (शोध-प्रबंध), (पूर्व.), पृ. 27-73

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bahtalab Jammu

मृत्यु दंड, अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगतनी ही पड़ती थी।[103] राज्य में विभिन्न स्थानों पर बने दुर्गों में ये बंदी गृह होते थे एवं इनकी स्थिति नरक से भी बदतर होती थी।[104]

साधारणतया हत्या के अपराध में अपराधी से उसकी समस्त सम्पत्ति छीनकर प्रभावित परिवार के सुपुर्द कर दी जाती थी। यदि हत्यारा मानता नहीं था तो उसे भारी रकम 'गुनेहगारी' के रूप में चुकानी पड़ती थी।[105] साधारण अपराधों जैसे मारपीट, चोरी तथा **चामचोरी** (व्यभिचार), आदि अपराधों में चेतावनी के साथ जुर्माना भी लगा दिया जाता था। बार-बार चोरी करने पर चोर के अंग काट लिये जाते थे।[106] चोरी होने पर व चोर के नहीं मिलने पर जिस गांव का चोर होता था अथवा जहां उसके छिपने का संदेह होता था, उस गांव के सभी व्यक्तियों से चोरी के माल पर हर्जाना वसूल किये जाने के उल्लेख भी मिलते हैं।[107]

सामाजिक अपराधों के मामले में साधारणतया तो 'गुनेहगारी' रूपी आर्थिक दंड लागू किया जाता था। जाति बहिष्कृत किया जाना भंयकर दंड माना जाता था जो प्राय: जाति या न्याति के नियमों, परम्पराओं को तोड़ने या उनके गम्भीर उल्लंघन के दोष के लिए जाति-पंचायत द्वारा लगाया जाता था।[108] सामाजिक

---

103. **दयालदास ख्यात** (प्र.), भाग-2, पृ. 151-53;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 148

104. **बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात** (पूर्व.), 188/10, पृ. 44, 56, 112;
जी. एन. शर्मा- राज. इतिहास, (पूर्व.), पृ. 635

105. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 215

106. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 37, 38;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 39, 41;
वही, वि. सं. 1840, नं. 07, पृ. 81 तथा वि. सं. 1857, नं. 12, पृ. 62-63

107. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1831, नं. 4, पृ. 18;
वही, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 41;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 148

108. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 1, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 61;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अपराधों में मुख्य सगाई में धोखाधड़ी, अवैध विवाह, पुनर्विवाह, नाता, पले लगाई, वैर, चामचोरी, स्त्री भगाना, पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के झगड़े आदि से संबंधित मामले आते थे।[109]

आर्थिक प्रकृति के विवाद प्रमुख रूप से खेती की जमीन, हद, घर, दुकान, सम्पत्ति के बंटवारे, व्यापारियों के पारस्परिक लेखे जोखे, लेन-देन, मुकाता, व्यावसायिक हितों को लेकर उत्पन्न हुए झगड़ों से संबंधित होते थे।[110]

इसके अतिरिक्त गांवों के बीच सीमा संबंधी विवाद, व्यक्तिगत द्वेष से उत्पन्न विवाद, व्यापारियों के विवाद आदि में प्रशासन किसी को मध्यस्थ बनाकर या संबंधित पंचायत के माध्यम से विवाद/झगड़ा सुलझा देता था।[111]

■ ■ ■

---

109. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 3, 152;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 21, 39;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 136;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 41;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, पृ. 60

110. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 90;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 51;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 261 तथा वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 40;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 41;
वही, वि. स. 1839, नं. 6, पृ. 6

111. **रा. रा. अ. बी. में संग्रहीत कागदों की बहियों (बीकानेर) एवं सनद परवाना बही (मारवाड़) के सनदी व लिखत पत्रों में इस प्रकार के अनेक वृत्तान्त उल्लिखित हैं।**

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3

पंचायतों का स्वरूप एवम् गठन

समीक्ष्य अध्ययन काल के अनुसंधान से विदित होता है कि राजस्थान के इतिहास में पंचायतों की महत्ता को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है।[1] वैसे पंचायतों की जड़ें ऐतिहासिक शोध की प्रक्रिया में बहुत गहरी हैं एवं प्रत्येक युग में थोड़े बहुत अंतर के साथ स्थानीय-प्रशासनिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आई हैं।[2] पंचायतों का प्रचलन नगर एवं गांव दोनों में समान रूप से मिलता है। यह अन्य बात है कि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न हैं।[3] प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल में राजस्थान के क्षेत्र में पंचायत अथवा 'पंचकुल' नाम की स्वायत्त संस्थाएं सामान्य प्रशासन तथा धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सदैव

---

1. टाड- एनल्स (पूर्व.), भाग-2, पृ. 114;
   जी. एन. शर्मा- राज. इतिहास (पूर्व.), वोल्यूम-1, पृ. 634-38;
   जगदीश नारायण सरकार- ए स्टडी ऑफ ऐटीन्थ सेंन्चुरी इंडिया, वोल्यूम-1, पृ. 163-164, 1976 ई., कलकत्ता;
   जी. एस. एल. देवड़ा- रिकार्ड्स आन दी पंचायत सिस्टम इन दी राजस्थान आरकाइज, शोध लेख, प्र., (पूर्व.)

2. दशरथ शर्मा- राजस्थान थ्रू दी ऐजेज (पूर्व.), भाग-1, पृ. 349-52;
   जी. एन. शर्मा- कोर्पोरेट लाईफ एण्ड ओर्गेनाइजेशन ऑफ दि विलेज इन मेडीवल राजस्थान, शोध लेख (प्र.), राजस्थान स्टडीज, पृ. 173-177, 1970 ई. आगरा

3. **वृहस्पति, नारद, कात्यायन** तीनों ने विभिन्न प्रकार की ऐसी संस्थाओं का उल्लेख

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

ही अस्तित्वमान रही हैं।[4] इस बिन्दु पर अवश्य विवाद हो सकता है कि ये पंचकुल[5] प्रतिहार युग से पूर्व अधिक प्रभावशाली थे या नहीं?[6] समकालीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ये पंचकुल अपने काल की प्रशासनिक व्यवस्था के अभिन्न अंग थे एवं सामाजिक स्तर पर भी ये अत्यन्त प्रभावशाली थे[7] बल्कि इन पंचकुलों का निर्माण ही सामाजिक एवं आर्थिक इकाईयों के रूप में हुआ। जहां तक पंचकुल जैसी संस्थाओं के राजनीतिक स्वरूप का प्रश्न है उस पर विवाद अवश्य उत्पन्न हो सकता है। पर्याप्त समसामयिक सामग्री के अभाव में यह निर्णय करना कठिन

किया है। मौर्य युग में पाटलीपुत्र के स्थानीय प्रशासन के संबंध में भी ऐसी 'समितियों' का विवरण आया है जिनका प्रारूप पंचायतों में ढूंढा जा सकता है। देखें-
इ. वाशबर्न हापकिन्स- एनशियण्ट एण्ड मोर्डन हिन्दू गिल्डस इन इंडिया, पृ. 14, 16, 201-203;
दशरथ शर्मा- राजस्थान थ्रू दी एजेज (पूर्व.), 350-51;
पी. सी. जैन- सोशियो इकोनोमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्डन इंडिया (पूर्व.), पृ. 305-06;

4. **पद्मनाभ- कान्हड़दे प्रबंध** (संपादन-के. बी. व्यास), खंड-पांच, पद्य 40, 41, 1953 ई., जयपुर;
दिलवाड़ा इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1491, जैन इन्सक्रिप्शन्स, भाग-2, पृ. 255-56, नं. 2006;
जी. एन. शर्मा- राज. स्टडीज (पूर्व.), पृ. 176-77;
रामवल्लभ सोमानी- प्राचीन राजस्थान में पंचकुलों की व्यवस्था, शोध लेख (प्र.), शोध पत्रिका, वर्ष 18, अंक-31 पृ. 59-65, 1967 ई., उदयपुर

5. इन पंचकुलों को अर्द्ध राजनीतिक एवं अर्द्ध सामाजिक संस्था भी कहा गया है (डॉ. जी. एन. शर्मा- राज. इतिहास (पूर्व.), पृ. 642 जो कि सही नहीं है।)

6. दशरथ शर्मा- पंचकुलों को प्रतिहार युग में अधिक प्रभावशाली स्थिति में मानते हैं। द्रष्टव्य-
दशरथ शर्मा- प्रतिहार साम्राज्य में पंचायती राज्य, शोध लेख, प्रकाशित, विश्वम्भरा, वर्ष-1, अंक-1, अक्टूबर, 1961 ई., पृ. 6-9, बीकानेर

7. **हटुण्डी का शिलालेख**, वि. सं. 1335, जैन इन्सक्रिप्शन्स, भाग-1, नं. 894;
सांभर का लेख, वि. सं. 1345, जैन इन्स., भाग-1, नं. 897;
दिलवाड़ा इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1491, जैन इन्स., भाग-2, नं. 2006;
जी. एन. शर्मा- राज. इतिहास (पूर्व.), पृ. 642

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

है कि पंचकुल जैसी सामाजिक प्रशासनिक इकाईयां राजनीतिक क्षेत्र में कहां तक प्रभावशाली थीं? जहां तक पंचकुल संस्थाओं के आर्थिक कार्यों का संबंध है हमें इस संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ये संस्थाएं न केवल भूमि संबंधी विवादों को ही सुलझाती थीं बल्कि स्थानीय स्तर पर हो रहे व्यापार के क्षेत्र में लेन-देन, असुविधाओं एवं अनियमितताओं को भी निपटाती थीं।[8] पूर्व मध्यकालीन प्रशस्तियों एवं शिलालेखों से विदित होता है कि पंचकुल अपने अधिकारों में और भी अधिक विस्तृत अधिकार व क्षेत्र दोनों रखते थे। इस प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं कि पंचकुल की अपनी एक स्वतंत्र वित्तीय स्थिति भी थी जिसके निर्वाह हेतु वह विविध कर भी लगाया करते थे।[9] वृहत्कथाकोष से पता चलता है कि अनेक पंचकुल सीमा शुल्क भी वसूल करते थे।[10] देलवाड़ा लेख व 'कान्हड़ दे प्रबंध' से ज्ञात होता है कि पंचकुल आयात-निर्यात कर भी लगाते थे।[11] पंचकुल द्वारा इन स्रोतों से हुई आय की व्यवस्था एवं उस संग्रहित राशि का व्यय, किस प्रकार होता था इसके विस्तृत विवरण नहीं मिलते हैं, किन्तु इस प्रकार के संदर्भ अवश्य मिलते हैं कि इस अर्जित आय का कुछ अंश लोकोपकारी कार्यों में खर्च किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचकुल के पास जो विस्तृत कार्य क्षेत्र था उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निश्चित खर्च-राशि की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी।[12]

कहीं-कहीं पंचकुल को '**महाजन**' भी कहते हैं। महाजन संस्था एक विशेष स्थान के वयोवृद्ध व्यक्तियों से निर्मित होती थी। नगरों एवं कस्बों में महाजन नामक संस्थाएं काफी प्रभावशाली ढंग से कार्य करती दृष्टिगत होती हैं।[13] जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि कस्बों में '**संघ**' नामक एक संस्था भी होती थी जिसके सदस्य

---

8. दशरथ शर्मा- राज. थ्रू दी एजेज, (पूर्व.) पृ. 350-52;
   जी. एन. शर्मा- राजस्थान स्टडीज, (पूर्व.), पृ. 176-77

9. **हटुण्डी का शिलालेख**, वि. सं. 1335 (पूर्व.) नं. 894;
   सांभर का लेख, वि. सं. 1345 (पूर्व.), नं. 897;
   दिलवाड़ा इन्स., वि. सं. 1491, (पूर्व.)

10. **हरिषेण- वृहत्कथाकोश**, कथा नं. 121, सिंघी जैन ग्रंथमाला, मुम्बई

11. **दिलवाड़ा इन्सक्रिप्शन**, वि. सं. 1491, (पूर्व.), नं. 2006;
    पद्मनाभ- कान्हड़ दे प्रबंध (पूर्व.), पद्य 40

12. वही

13. **हरिषेण- वृहत्कथाकोश** (पूर्व.), कथा नं. 30;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

वहां के वरिष्ठ नागरिक होते थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संघ समितियों का कार्य अधिकतर धार्मिक क्षेत्र में ही रहता था।[14]

संघ जैसी ही एक अन्य संस्था **'गोष्ठी'** मिलती है जो मन्दिरों एवं धर्म स्थलों की व्यवस्था हेतु निर्मित थी।[15] पचकुल की कार्य प्रणाली के संबंध में जो विवरण आते हैं उनसे एक पक्ष यह भी उभरता है कि पंचकुल राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां थी, उन्हें लागू करने में सक्रिय योगदान देते थे। इससे यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि क्या पंचकुल जैसी संस्थाएं राज्य की केन्द्रीय व्यवस्था का एक विस्तृत एवं अग्रिम अंग थीं अथवा स्थानीय भावनाओं व मान्यताओं को जीवित रखने का एक संगठित प्रयास थी? राज्य के साथ उसके संबंध बिगड़ने पर उसकी स्थिति क्या बनती थी? इन प्रश्नों के समुचित उत्तर समकालीन सामग्री में नहीं हैं किन्तु प्राप्त विवरण से यह बात स्पष्ट होती है कि पंचकुल संस्थाओं में राज्य का हस्तक्षेप काफी प्रभावी था।[16] **'महाजन'** में तो अधिकतर सदस्य कस्बे या शहर के प्रभावशाली एवं धनाड्य व्यक्ति थे और जो इस बात को इंगित करते हैं कि व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता एवं प्रशासन में उनके पद की गरिमा ने उन्हें पंचकुलों में स्थान दिलाया था तथा ये प्रभुत्व सम्पन्न लोग स्वाभाविक ही है कि पंचकुलों के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाते थे।

दशरथ शर्मा- राजस्थान थ्रू दि ऐजेज (पूर्व.), पृ. 352

14. **ओसियां अभिलेख**, वि. सं. 1245; वृहद् गुर्वावलि, पृ. 55-57 आदि;
जैन इन्स., भाग-1, नं. 807, पृ. 198;
पार्श्वनाथ इन्स., जैसलमेर, वि. सं. 1415;
नाकोड़ा इन्स, वि. सं. 1678;
नाडुलाई इन्स., वि. सं. 1686 आदि;
जी. एन. शर्मा- ऐतिहासिक निबंध राजस्थान, पृ. 113, 1970 ई., जयपुर

15. भण्डाकर रिपोर्ट 1904-1905, 1906, नं. 49;
जैन. इन्स., भाग-1, नं. 726, पृ. 173; वही, नं. 856, पृ. 217;
जी. एन. शर्मा- राज. इतिहास (पूर्व.), पृ. 642

16. **हटुण्डी शिलालेख**, वि. सं. 1335 (पूर्व.);
सांमर का लेख, वि. सं. 1345 (पूर्व.);
दिलवाड़ा इन्स., वि. सं. 1491 (पूर्व.), आदि

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

13वीं तथा 14वीं शताब्दी के शिलालेखों से यह बात स्पष्टत: उभर कर सामने आती है कि राजस्थान में विभिन्न राज्यों ने 'पंचकुलाधिपतियों' के पद की नियुक्ति करनी प्रारंभ कर दी थी जो कि अपनी विशिष्ट स्थिति के फलस्वरूप पंचकुलों के निर्णयों को विशिष्टत: प्रभावित करते थे।[17] इन परिस्थितियों में अब 'पंचकुलाधिपति' एक प्रशासनिक अधिकारी हो गया व राजा के प्रतिनिधि के रूप में उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यह परिवर्तन इस बात की और इंगित करता है कि न केवल पंचकुल संस्था में राजा व उसके प्रशासनिक तंत्र का हस्तक्षेप एक सीमा से आगे बढ़ गया था बल्कि पंचकुल संस्थाएं सामान्य प्रशासन की एक अभिन्न इकाई के रूप में अपना अस्तित्व ढूंढ़ने लगी थीं।

17वीं तथा 18वीं शताब्दी में राजस्थान में पंचायत–व्यवस्था का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से अपनी कार्य शैली व प्रभाव में पंचकुल से भिन्न है। लेकिन यह भिन्नता भी मुगलकाल में अथवा राजपूती कुलीय सामंती काल में एकदम उभरकर सामने नहीं आई है बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में अपनी संरचना को लेकर आई हैं। पूर्व मध्य काल में पंचकुल जैसी संस्थाएं निश्चित रूप से अपने अहम् तथा अधिकार एक सीमा तक खो चुकी थीं। यही कारण है कि 17वीं, 18वीं शताब्दी की पंचायतें अपना प्रभावशाली अस्तित्व प्रमाणित करते हुए भी प्रारंभिक काल के पंचकुलों की समता नहीं कर पाती हैं। यद्यपि इस काल में दक्षिण भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं मिलती हैं जो पंचकुल संस्था का कार्य करती हैं, विशेषत: करों को लागू करने व उगाहने के संबंध में,[18] परन्तु राजस्थान में पंचायतों के पास यह अधिकार उल्लिखित नहीं मिलते हैं। संभवत: समय–समय पर स्थानीय राजनीतिक इकाईयों पर जो सैनिक व प्रशासनिक व्यय के दबाव पड़े हैं उन्होंने उन्हें अपनी मांग के फलस्वरूप स्वायत्त इकाईयों के वित्तीय संसाधनों को शोषित करने के लिए प्रेरित किया हो। ऐसी ही स्थिति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समीक्ष्य अध्ययन क्षेत्र में आई थी। इस काल में वित्तीय दबावों ने अनेक संस्थाओं

---

17. **सांचौर इन्सक्रिप्शन**, वि. सं. 1345;
हटुंडी के महावीर के मंदिर का लेख, वि. सं. 1355;
नाहर, जैन शिलालेख संग्रह, भाग–1, संख्या 894, पृ. 232;
गोपीनाथ शर्मा– राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पृ. 108, 1973 ई., जयपुर

18. के. पी. वेलयुघन – ट्रेड गिल्डस एण्ड दी करेक्टर ऑफ स्टेट इन अरली मेडिवल साउथ इंडिया, इ. हि. को. प्रो., 1978, पृ. 208–17

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के साधनों को अपने शोषण का बिन्दु बना लिया था।[19] प्रतीत होता है कि इस प्रकार

---

19. उदाहरण स्वरूप बीकानेर राज्य के सन् 1699 ई. से 1809 ई. तक के सैन्य व्यय के दबाव में उत्तरोत्तर वृद्धि के आंकड़े द्रष्टव्य हैं–

वर्ष	खर्च रकम (रूपयों में)	प्रतिशत खर्च का (100 के आधार पर)	प्रतिशत (कुल खर्च)
1699	1,15,354	100.00	53.64
1757	74,416	64.51	61.97
1795	1,13,043	98.00	60.59
1809	6,78,620	528.22	56.55

उक्त सारणी के आंकड़ों पर गौर करने से विदित होता है कि 18वीं शताब्दी के अंत व 19वीं शताबदी के प्रारंभ (1809ई.) में राज्य का सैन्य खर्च 1699 ई. की तुलना में पांच गुना अधिक बढ़ गया।

इसी प्रकार बीकानेर राज्य के ही सन् 1699 ई. से 1809 ई. तक के आय-व्यय राशि में अन्तर विषयक आंकड़े भी द्रष्टव्य हैं–

वर्ष	आय	व्यय	अन्तर
1699 ई.	100.00	100.00	0.00
1757 ई.	59.69	55.83	+3.86
1795 ई.	71.44	86.74	-15.33
1809 ई.	507.102	557.94	-50.48

इस सारणी के तुलनात्मक अध्ययन से भी राज्य की आय पर व्यय का दबाव बराबर बढ़ता जाना प्रमाणित होता है। उक्त आंकड़ों एवं तद्विषयक तुलनात्मक विस्तृत विश्लेषण हेतु द्रष्टव्य–

जी. एस. एल. देवड़ा– राज. प्रशासनिक, (पूर्व.) पृ. 187-210

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

नये आय के साधनों की खोज ने एवं सत्ता केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों ने समाज की अपने क्षेत्र में बची सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता को लील लिया हो।

उपर्युक्त आर्थिक कारण के अतिरिक्त राजनीतिक व प्रशासनिक परिवर्तनों ने भी स्थानीय सामाजिक व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किये जिनके फलस्वरूप पंचायत जैसी स्वायत्त संस्था के गठन व स्वरूप पर भी उसी अनुपात में प्रभाव पड़ा। जब राव बीका ने अपने कुटुम्बियों व सहयोगियों के साथ जांगल देश पर आक्रमण कर 15वीं शताब्दी के अंत में बीकानेर राज्य के नाम से राठौड़ सत्ता को स्थापित किया तब इस शुष्क जमीन में परिवर्तनों की एक प्रक्रिया तेजी से चल पड़ी।[20] जांगल देश के संभाग को राव बीका के झण्डे तले जोधपुर से आए राठौड़ों व उनके सहयोगियों ने तीन प्रकार से विजित किया। प्रथम, राव बीका व उनके नातेदारों ने अपने संयुक्त प्रयासों से एक विशाल क्षेत्र पर क्रमशः अधिकार किया और फिर उसे परस्पर बांट लिया।[21] द्वितीय, राव बीका ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर कुछ नये क्षेत्रों को जीतकर अपने अथवा राजा के अधीनस्थ क्षेत्र को विकसित किया।[22] तृतीय, राव बीका के नातेदारों व कुटुम्बियों ने अपने साहसिक प्रयासों के फलस्वरूप या तो अपने अधीनस्थ क्षेत्र को विकसित किया अथवा नये क्षेत्रों को जीत कर अपनी सत्ता वहां पर स्थापित की।[23] इस प्रकार नवगठित **'बीकाणा'** राज्य

---

20. **दयालदास री ख्यात** (प्र.), भाग-2, पृ. 4-5, 7-10, 11-16;
राठौड़ां री वंशावली ने पीढ़ियां ने फुटकर बातां, नं. 233/6, अ. स. पु. बी;
नैणसी री ख्यात (प्र.), पृ. 7-10

21. ख्यातों एवं तत्कालीन विवरणों के अनुसार राव बीका ने इस क्षेत्र में लगभग 3,000 गांवों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देखिये-
दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 11-12;
जेम्स टाड- एनल्स (पूर्व.), भाग-2, पृ. 1146;
पाऊलेट गजेटियर ऑफ बीकानेर, पृ. 4, 1935 ई., बीकानेर;
डा. जी. एस. एल. देवड़ा ने पट्टा बही वि. सं. 1725/1668 ई., **बही खालसा रे गांवां री**, वि. सं. 1725/1668 ई. के आधार पर ख्यातों के आंकड़ों को अतिश्योक्तिपूर्ण बताते हुए यह संख्या न्यूनतम 1200 व अधिकतम 1500 बताई है। द्रष्टव्य-
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, (पूर्व.), पृ. 9

22. **दयालदास री ख्यात** (प्र.), भाग-2, पृ. 4-5, 7-10, 11-16;
नेणसी री ख्यात, भाग-3, पृ. 166

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अनेक स्वतंत्र इकाईयों[24] का एक संघ मात्र बन गया जो कि राजपूतों की कुलीय व्यवस्था के अनुरूप ही था।[25] वास्तव में राठौड़ों की सामाजिक व्यवस्था ही राजनीतिक ढांचे के रूप में उभरकर सामने आई। जहां राजा केवल '**मुखिया**' अथवा '**पाटवी**' था। उसकी वास्तविक प्रशासनिक सत्ता उसके अपने अधीनस्थ क्षेत्र में ही प्रभावशाली थी। यह वही क्षेत्र है जो आगे चल कर '**खालसा**' के नाम से विख्यात हुआ।[26] अन्य इकाईयों में अपने 'पाटवी' की भांति ही पाटवी के नातेदारों ने अपनी लगभग स्वतंत्र सी सत्ता स्थापित की जहां वे अपनी इच्छानुसार प्रशासन को चलाते थे। राज्य के 'पाटवी' अथवा 'राजा' के साथ उनके संबंध सामाजिक तो थे ही परन्तु साथ ही साथ वह उनकी एकता का प्रतीक भी था। वह आक्रमण व प्रतिरक्षात्मक योजनाओं में पाटवी के झण्डे के तले संयुक्त रूप से कार्यवाही करते थे अन्यथा अपनी-अपनी इकाईयों में प्रशासन के मामले में वे पाटवी अथवा राजा के हस्तक्षेप से मुक्त थे। इसके अतिरिक्त वे अपने निजी

---

23. राव बीका के चाचा रावत कांधल ने तत्पश्चात् उन्हीं के वंशजों में ठाकुरसी एवं मालदेव ने अपने-अपने क्षेत्र विजित करके 'ठीकाणा' बांधे थे। ठाकुरसी ने भटनेर एवं मालदेव ने चूरू में अपना 'ठिकाणा' स्थापित किया था-
दयालदास ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 15-17, 86-88;
गोविन्द अग्रवाल- चूरू मंडल का इतिहास, पृ. 170-74, चूरू, 1974

24. '**ठिकाणा**' शब्द का तात्पर्य यहां कुल मुखियों की वंशानुगत '**पट्टा**' या '**जागीर**' के क्षेत्र के मुख्य गांव या कस्बा से है, जहां कुल मुखिया या 'ठाकुर' स्वयं गढ़ी बनाकर रहता था तथा अपने क्षेत्र के प्रशासन का संचालन करता था। इस 'ठीकाणा' शब्द का प्रयोग हमें अकबरकालीन रचना में मिलता है तथा 17वीं एवं 18वीं शताब्दी की पट्टा बहियों एवं परवाना बहियों में तो इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है।
दलपत विलास- पृ. 31, (सं. रावत सारस्वत) सार्दुल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर, 1960; **पट्टा बही** नं. 2, 3, **परवाना बही** नं. 1, रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर, रा. रा. अ. बी.;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 49-51

25. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इन्टरमीजियरीज, शोध लेख, (पूर्व.), पृ. 90;
वही, राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 14-15

26. वही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

साहस के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों को भी विजित कर सकते थे।[27] बीकानेर राज्य की स्थापना के साथ जांगल देश पर राठौड़ जाति के नियंत्रण व तत्पश्चात् उनके अनेक इकाईयों में विभाजन ने पहले से चली आ रही अनेक संस्थाओं को नया रूप व कार्य शैली दी। चूंकि जांगल देश के राठौड़ बहुत अधिक संख्या में नहीं आये थे ओर केवल शक्ति के बल पर ही नियंत्रण कर पा रहे थे अत: उन्होंने अपने प्रशासन को प्रभावशाली व स्थायी बनाने के लिए स्थानीय व अधीनस्थ जातियों से अनेक प्रकार के समझौते किये।[28] वे समझौते भी अपने वृहद् स्वरूप में एक समान दिखने वाले होकर भी आंतरिक बनावट व प्रभाव में भिन्न-भिन्न थे। यह भिन्नता प्रत्येक जाति या कबीले के राठौड़ों के साथ संघर्ष के स्वरूप से उत्पन्न हुई थी। इसमें कोई जातीय अनुराग नहीं था। उदाहरणार्थ ऐसा मान लिया जाये कि राठौड़ों ने अन्य राजपूतों के साथ उदार व्यवहार रखा अथवा उन्हें अधिक अधिकार दिये तथा गैर राजपूत जातियों के साथ अधिक सख्ती व नियंत्रण का पालन किया, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि राव बीका व उनके बाद आने वाले तीन चार उत्तराधिकारियों ने भाटी राजपूतों के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया।[29] परन्तु इसके विपरीत हम पाते हैं कि उन्होंने सांखला व मोहिल राजपूतों के क्षेत्र में एक कठोर नियंत्रण की नीति लागू की और उनके सब राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार छीन लिये।[30] वास्तव में भाटियों ने अपने संघर्ष से राठौड़ों की सफलता को सदैव ही संदिग्ध अवस्थाओं में रखा था।[31]

---

27. जी. एस. एल. देवड़ा, राज. प्रशासनिक (पूर्व.), अध्याय- प्रथम एवं चतुर्थ

28. जयसोम- कर्मचन्द्र (पूर्व.), पृ. 28-29;
दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 4, 5, 12 13;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 6, 7

29. जयसोम- कर्मचन्द्र (पूर्व.), 28-29;
दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 4-5

30. यह धारणा इस आधार पर बनायी गयी है कि विजेता राठौड़ों ने सांखला व मोहिल राजपूतों के क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रशासन में रख दिये थे एवं उनकी 'ठकुराई' भी समाप्त कर दी थी।
दयालदास ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 5, 16-17

31. **नेणसी की ख्यात**, भाग-3 पृ. 33-37;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

राठौड़ों द्वारा विभिन्न अधीनस्थ जातियों के साथ जिनमें भाटी, जाट (अनेक जातियां व उप जातियां), भट्टी, जोहिया, चौहान आदि मुख्य हैं, से जो समझौते किये थे उनके फलस्वरूप स्थानीय संस्थाओं में हुए परिवर्तनों का प्रवाह निर्धारित हुआ था। उदाहरणार्थ जिन जातियों के साथ एक मात्र यह समझौता हुआ था कि वे जातियां राठौड़ों को एक निश्चित कर चुका दिया करेंगी, इसके अतिरिक्त वहां राठौड़ों का कोई और हस्तक्षेप नहीं होगा वहां राठौड़ों के आने से पूर्व चली आ रही परम्पराएं व संस्थाएं क्षेत्रीय व जातिगत आधार पर चलती रहीं। उन क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विवाद एवं यहां तक कि प्रशासनिक विवाद भी सुलझाने का अधिकार उन अधीनस्थ जातियों के पास ही रहा। उनकी केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता ही अतीत का विषय बनी।[32] लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पाटवी के नातेदारों ने छोटी-छोटी इकाइयों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया वहां उनकी व उनके कर्मचारियों की उपस्थिति ने सभी प्रकार के विवादों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। उन इकाईयों के प्रतिनिधि जो आगे चलकर **'ठाकुर'** या **'पट्टायत'** के नाम से जाने गये की उपस्थिति मात्र ही हस्तक्षेप का एक महत्त्वपूर्ण कारण थी।[33] समय के साथ क्षेत्रीय स्तर पर ज्यों-ज्यों इन ठाकुरों के स्वार्थ गहरे होते चले गये उस क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था; क्योंकि ठाकुर व उसके परिवारजन भी क्षेत्रीय व्यवस्था के अंग बन गये थे व इस प्रकार के अंग बने थे जो हर विभाग में अपनी उच्चता का दावा प्रस्तुत करते थे। यहीं से ही प्राचीन स्थानीय संस्थाओं के स्वरूप व अधिकारों पर कुलीय व सामन्ती नियंत्रण कसने लगा था।

जैसा कि पूर्व अध्याय में लिखा जा चुका है कि 1570 ई. में जब राजपूत राज्यों की मुगलों के साथ संधि हो गई तब उस मुगल प्रभुसत्ता के अन्तर्गत फिर से प्रशासनिक परिवर्तनों का दौर प्रारंभ हुआ था। बाह्य आक्रमणों के भय से मुक्त

दयालदास री ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 5-7

32. **जयसोम - कर्मचन्द्र** (पूर्व.), पृ. 28-29;
दयालदास री ख्यात, (प्र.), भाग-2, पृ. 4, 5, 12, 13;
जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ दि इंटरमीजियरीज, शोध लेख, (पूर्व.), पृ. 90

33. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 187, 248;
वही, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 244; वही, वि. सं. 1873, नं. 22, पृ. 74

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

होकर अधिकांश राजपूत राजाओं ने अपने आंतरिक प्रशासन के गठन की ओर ध्यान दिया।[34] इसके साथ ही अपने साधन बढ़ाने के लिए उन्होंने आय का सही-सही ब्यौरा तथा उसका अधिकांश भाग अपने पास रखने का एक ढांचा तैयार किया।[35] मुगल जागीरों में भू-राजस्व में जो सुधार हुए एवं बिचौलियों तथा मध्यस्थों की शक्ति को जिस प्रकार निश्चित, नियंत्रित व निर्धारित किया गया उसी प्रकार हमारे अध्ययन क्षेत्र के राजपूत राजाओं ने अपनी वतन जागीरों के क्षेत्र में अनेक प्रशासनिक सुधारों व नई प्रणालियों को लागू किया।[36] इन परिवर्तनों के अन्तर्गत जहां एक ओर अपने राज्य में ढीली-ढाली संघीय व्यवस्था के स्थान पर सशक्त नृपतंत्र के अन्तर्गत एक दृढ़ केन्द्रीय सत्ता की नींव डाली वहीं उन्होंने दूसरी ओर भूमि का मापन कराने की प्रणाली लागू की एवं करों को राज्य के पक्ष में निर्धारित

---

34. करणीसिंह- (पूर्व.), पृ. 52;
जी. डी. शर्मा- (पूर्व.), पृ. 25;
जी. एस. एल. देवड़ा - राज. प्रशासनिक (पूर्व.), अध्याय-1

35. इस संदर्भ में विशद् जानकारी प्रदान करने वाली स्रोत सामग्री में से उल्लेखनीय हैं-
परगना रे जमा जोड़ री बही, वि. सं. 1701, नं. 74 (बीकानेर), रा. रा. अ. बी.;
बही समसत गांवा री, वि. सं. 1727-45, नं. 71 (बीकानेर), रा. रा. अ. बी.;
मा. प. वि., भाग-1, 2, 3, (पूर्व.);
मू. ने. ख्यात, भाग-1, 2, 3 (पूर्व);
लेखा री बही, वि. सं. 1773, 1786, नं. 105 व 222 (बीकानेर), रा. रा. अ. बी.;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1821, 27, 40 एवं 50, नं. 1, 10, 29, 45;
बही खाता खजाना सदर, वि. सं. 1852 (बीकानेर), रा. रा. अ. बी.;
जमा खरच री बही, वि. सं. 1854, भैया संग्रह, बीकानेर, रा. रा. अ. बी.

36. मुगल जागीरों में हुए भू-राजस्व सुधारों व मध्यस्थों को कम करने हेतु किये गये प्रयासों हेतु देखिए-
इरफान हबीब- दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, अध्याय-7, 1963 ई., एशिया पब्लिशिंग हाउस;
नोमान अहमद सिद्दकी- लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अण्डर दि मुगल्स, पृ. 108-23, 1970 ई., मुम्बई;
सैयद नुरूल हसन-थाट्स आन ऐग्ररियन रिलेशन्स इन मुगल इंडिया, पृ. 27, 1973 ई., नई दिल्ली;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

किया।[37] ग्रामीण समाज में सामूहिक भावनाओं को उस समय चोट पहुंची जब कर वसूली सामूहिकता के आधार पर न की जाकर एक व्यक्ति के आधार पर की जाने लगी तथा गांव का '**मुखिया**' व '**चौधरी**' कर वसूल करने वाला मुख्य अधिकारी न होकर केवल कर वसूल करने के लिए आने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों का सहयोगी बन कर रह गया।[38] इस प्रकार जहां सामान्य प्रशासन में परिवर्तन आया वहां भू अधि कारी की व्याख्या, करों की वसूली की प्रक्रिया एवं काश्तकार को एक व्यक्ति के रूप में राजस्व की इकाई मानकर जो ढांचा तैयार किया गया उसने स्थानीय संस्थाओं के स्वरूप को ही अंततः बदल दिया।[39] राजा के नातेदारों के क्षेत्र अथवा '**ठकुराई**' क्षेत्र में परिवर्तन और अधिक उभर कर सामने आये।[40] पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत

पश्चिमी राजस्थान हेतु द्रष्टव्य है–

जी. एस. एल. देवड़ा– पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, शोध लेख (पूर्व.);

वही, बीकानेर राज्य की मुकाता प्रणाली, शोध लेख, प्रकाशित, रा. हि. का. प्रो., ब्यावर सेशन (1967 ई.), पृ. 237–45, 1968 ई., जयपुर;

जी. डी. शर्मा– राजपूत पोलिटी, अध्याय–4, पृ. 83–117, 1977 ई., न्यू दिल्ली

37. **परवाना बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1800, पृ. 232, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1831, नं. 4, पृ. 19;
फेगन– सेटलमेन्ट रिपोर्ट, बीकानेर, पृ. 14–15;
जी. एस. एल. देवड़ा– राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 228–35;
आर. पी. व्यास– राजस्थान का वृहत् इतिहास, खंड–1, पृ. 396–406, 1986 ई., जोधपुर

38. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 22;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 48;
जी. एस. एल. देवड़ा– राज. प्रशासनिक, (पूर्व.), पृ. 151

39. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 10;
कागदों की बही, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 44, 45, 47;
बही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 216

40. **मा. प. वि.**, भाग–1, पृ. 38–40, 54;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 187, 248;
वही, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 244

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अब ठाकुर राज्य के साझेदार नहीं रहे बल्कि अपने वंशानुगत अधिकारों को भोगने के लिए राज्य द्वारा उनके निमित्त बनाये गये निश्चित दायित्वों में बंध कर वे राज्य के चाकर बन गये। ये पट्टायत चाकर अपनी पुरानी गौरवमय स्वतंत्रता तथा अहम् खो बैठे।[41] ये 'ठाकुर' भी अपने अधिकारों को विस्तृत करने के लिए तथा आय के साधनों को विकसित करने की खोज में अपने पट्टा क्षेत्र पर निजी नियंत्रण की ओर बढ़ने लगे। इस प्रवाह में उन्होंने पहले के भोमियों और चौधरियों की शक्तियों को कम कर दिया एवं प्रत्यक्ष प्रशासन की नींव डाली जिसका परिणाम यह निकला कि प्राचीन काल से चली आ रही अनेक संस्थाओं के प्रारूप को एक भारी धक्का लगा तथा स्थानीय संस्थाओं में सामन्तों का प्रभाव बढ़ गया।[42] इन सब परिवर्तनों का परिणाम यह निकला कि 17वीं व 18वीं शताब्दी की पंचायतें विगत पंचकुलों वाले व्यापारिक अधिकारों को लेकर नहीं रही बल्कि अपने अलग-अलग दायित्वों से बंध कर एक विशेष निर्धारित विषय अथवा सीमा तक ही प्रभावशाली रहीं।

उपर्युक्त परिवर्तनों का यह तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि मुगलों के काल में पंचायतों अथवा स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां बिल्कुल ही समाप्त हो गई; क्योंकि केन्द्रीय सत्ता भी नहीं चाहती थी कि इन स्थानीय संस्थाओं का महत्त्व बिल्कुल ही क्षीण हो जाये। इसके पीछे उनके राजनीतिक व प्रशासनिक स्वार्थ निहित थे। ये संस्थाएं जहां स्थानीय स्तर पर सामाजिक व आर्थिक विवादों को हल करने में सक्षम थीं वहीं ये संस्थाएं ठाकुरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में भी एक सफल साधन थीं।[43] केन्द्रीय सत्ता यह नहीं चाहती थी कि ठाकुरों का स्थानीय स्तर पर प्रभाव व्यापक हो जाये। यही कारण है कि राज्य ने बहुत सी पुरानी परम्पराओं को मान्यता दी एवं उन मान्यताओं को बचाने तथा प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर उचित प्रयास भी किये।[44] उन्होंने सामाजिक विवादों में

41. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इन्टरमीजियरीज, शोध लेख, (पूर्व.), पृ. 91-92;
जी. डी. शर्मा- (पूर्व.), अध्याय-5 (पट्टेदारी सिस्टम एण्ड दि मारवाड़ नोबिलिटी)

42. वही

43. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, माघ सुदी 9;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 31

44. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पंचायतों की निर्णायक भूमिका को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया। यद्यपि राज्य ने पंचायत के सम्मुख आये मामलों में अपने आर्थिक हितों की अवश्य पूर्ति की अर्थात्, पंचायत के निर्णयों की अवहेलना करने पर अथवा पंचायत की मान्यताओं के विरूद्ध जाने पर संबंधित व्यक्तियों से दंड के रूप में एक राशि सदैव वसूल की गयी जिसे स्थानीय भाषा में '**गुनेहगारी**' कहा जाता था।[45]

उन गांवो में जहां एक ही जाति प्रमुखता से निवास करती थी तथा जाति पंचायत ही गांव-पंचायत का कार्य करती थी वहां उन्होंने गांव-पंचायत के कुछ निश्चित अधिकारों को मान्यता भी दी।[46] वास्तव में राज्य अधीनस्थ जातियों को उनके आर्थिक एवं विशेषकर सामाजिक मामलों में एक सीमा तक तो संतुष्ट रखना भी चाहता था।[47] उन जातियों के राजनीतिक अधिकार तो छिन ही गये थे; स्थिति यह थी कि राठौड़ एक प्रशासकीय जाति के रूप में अधीनस्थ जातियों को जो राजनीतिक हानि हो चुकी थी उसकी पूर्ति अन्य क्षेत्रों में उनके अधिकारों को विस्तृत करके भी करना नहीं चाहते थे। फिर ग्रामीण क्षेत्र में राठौड़ों में एक प्रशासकीय जाति के रूप में निवास करने तथा आर्थिक व क्षेत्रीय मामलों में उनके द्वारा उच्च व विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से अधीनस्थ जातियों के आर्थिक व सामाजिक विषयों में उनके हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई थी। परिणामत: राठौड़ों को एक स्थानीय असंतोष का सामना कई बार करना पड़ता था।[48] राज्य इस

वही, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 6;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, पृ. 16, 58

45. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18

46. जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 155;
एस. के. भनोत- आर्गेनाइजेशन एण्ड रोल ऑफ कास्ट पंचायत्स इन वैस्टर्न राजपूताना (1700-1800 ई.), शोध लेख, प्र., सोशियो इकोनोमिक राजस्थान (पूर्व.), पृ.226-246

47. सनद, रीठ एवं लिखत कागद, **कागदों की बही**, नं. 5, 10, 16

48. **सनद परवाना बही** एवं **कागदों की बहियों** में '**छूट के कागद**' इस बात के साक्षी हैं कि प्रशासन ने जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के लिए कितने प्रयास किये।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

असंतोष को एक सीमा से अधिक गठित व प्रभावशाली नहीं बनने देना चाहता था चूंकि इस निर्जन क्षेत्र में जनसंख्या की कमी हमेशा एक समस्या रही थी।[49] निरन्तर पड़ने वाले अकाल व सूखे के फलस्वरूप उसमें उत्साहवर्द्धक वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती थी किन्तु कम से कम वे उपाय तो जुटाये जा सकते थे जिनके फलस्वरूप राज्य के विभिन्न जातियों के एक स्थायी निष्क्रमण को तो रोका जा सकता था।[50] इसी दृष्टि से राज्य द्वारा 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में कृषि विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया था यद्यपि इस संभाग में कृषि के स्थान पर पशुपालन व्यवसाय की प्रमुखता थी।[51] इसी उद्देश्य से रेगिस्तान के बहुत से घुमक्कड़ कबीलों

देखिये –
जी. एस. एल. देवड़ा – बीकानेर राज्य की अर्थ व्यवस्था में सहायता एवं निस्तार का स्वरूप, रा. हि. का. प्रो. पाली, 1975; वही – राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 185 – 88; 1881 ई. में भी बीकानेर राज्य के 23,317 वर्गमील के क्षेत्र में जनसंख्या मात्र 5,09,077 थी एवं जोधपुर राज्य के 35,016 वर्ग मील के क्षेत्र में 2 528, 178 जनसंख्या है –
सेंसस् ऑफ इंडिया, बीकानेर स्टेट, भाग – 1, लखनऊ, 1934;
सेंसस् मारवाड़ स्टेट 1931, जोधपुर, 1934

49. करणीसिंह – बीकानेर घराने के केन्द्रीय शक्तियों के साथ संबंध, पृ. 4 – 6;
सोहनलाल – तवारिख राजश्री बीकानेर, पृ. 12;
घनश्याम देवड़ा – बीकानेर की मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में सहायता व निस्तार का प्रतिरूप, शोध लेख, (प्र.), रा. हि. कां. प्रो. (पाली सेशन, 1975 ई)

50. उल्लेखनीय है कि बीकानेर एवं जोधपुर राज्य, दोनों में ही अकाल के समय प्रजा के निष्क्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये गये। बीज खरीदने, कुंए खोदने हेतु तकाबी ऋण के अतिरिक्त मालगुजारी में रियायत व मुआफी दिये जाने के उल्लेख भी मिलते हैं। इसके बावजूद भी घर छोड़ चले जाने वालों के भूस्वत्व अधिकार समाप्त नहीं किये जाते थे एवं 5 – 10 वर्ष व यहां तक कि 40 वर्ष पश्चात् लौटने पर भी राज्य ने उनके पुराने अधिकारों को दिलाने में सहायता पहुंचाई थी। द्रष्टव्य –
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 75;
वही, वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 355, 460;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 144, 201, 210;
वही, वि. सं. 1874, नं. 23, पृ. 81

51. पाऊलेट – गजेटियर ऑफ दी बीकानेर स्टेट (पूर्व.), पृ. 95;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

को स्थायी जीवन बिताने के लिए कभी विवश तो कभी प्रोत्साहित किया गया था[52]; चूंकि ये घुमक्कड़ कबीले केन्द्रीय सत्ता एवं स्थानीय ग्रामीण सत्ता के लिए सदैव ही भय का कारण बने रहते थे अतएव आर्थिक विकास के लिए भी एक सीमा तक स्थानीय मान्यताओं को आदर देना आवश्यक था।

तद्नुसार राज्य द्वारा उन गांवों में जहां कुछ जातियों का भूमि पर सामूहिक सम्पत्ति के रूप में अधिकार था उन जातियों को एक विशेष स्थिति व स्थान पर मान्यता दी गयी।[53] यद्यपि राज्य में कर वसूली के लिए एवं कृषक के भूमि पर अधिकारों को मान्यता देने के प्रश्न पर निज भूस्वंत्व अधिकारों को स्वीकार किया गया और '**सामूहिकता**' अथवा '**बिरादरी**' अथवा '**कबीलावादी**' मान्यताओं को पुनः ठीक न होने वाली हानि राज्य द्वारा पहुंचाई गयी।[54] फिर भी गांवों की '**पड़त**' की भूमि पर सामूहिकता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था अर्थात् उस जमीन

फेगन- सेटलमेंट रिपोर्ट (पूर्व.), पृ. 6-7

52. जी. एस. एल. देवड़ा- एफर्ट्स टू चैक दी प्रोब्लम ऑफ डेजरटीफिकेशन इन दी नोर्थ-वैस्ट रीजन ऑफ राजस्थान (1700-1800 ई.), रा. हि. को. प्रो. 1977;
यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति साधु बन जाता था तो उसे प्रशासन पुनः गृहस्थ जीवन बिताने के लिए कभी विवश तो कभी प्रोत्साहित करता था ताकि राज्य के लिए कर प्रदान करने वालों की संख्या बनी रहे।
कागदों की बही, सं. 1854, नं. 10, पृ. 67

53. ये गांव '**भोमीचारा**' या '**भाईचारा**' आधार पर गठित थे। कहीं-कहीं इन्हें 'बिरादरी गांव' कहकर भी संबोधित किया गया है। द्रष्टव्य-
नापा सांखला री बात (पूर्व.), पृ. 101-112, नं. 206, अ. स. पु. बी.;
दयालदास की ख्यात (प्र.), भाग-2, (पूर्व.), पृ. 12-14;
जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इन्टरमीजियरीज, शोध लेख, (पूर्व.), पाद टिप्पणी-2

54. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 10;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 44, 45, 47,
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 216;
घनश्याम देवड़ा- रेगिस्तानी क्षेत्र (बीकानेर राज्य) में कृषि योग्य भूमि व उसका वर्गीकरण, शोध लेख (प्र.), रा. हि. कां. प्रो. (कोटा सेशन, 1976 ई.), पृ. 34-41, 1976 ई., जोधपुर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पर गांववासियों का समान रूप से अधिकार स्वीकार किया गया जहां गांववासी अपने मवेशियों को समान अधिकार के रूप में चराने के निमित्त उस भूमि का प्रयोग करने के अधिकारी थे।[55] साथ ही यदि उस '**पड़त**' की भूमि को कृषि योग्य बनाना होता था तब भी राज्य या ठाकुर से स्वीकृति नहीं लेनी होती थी अपितु गांव के पंच अथवा मुखियों से अनुमति लेनी होती थी जो उस गांव की सामूहिक बन्धुता के प्रतीक होते थे।[56] अगर उस प्रकार का गांव खालसा में न रहकर पट्टे में दे दिया जाता था तो उस '**ठाकुर**' या '**पट्टायत**' को यह निर्देश दिया जाता था कि इस प्रकार के मामलों में वह गांव की '**बिरादरी**' के अधिकारों को चुनौती नहीं देगा।[57] ऐसा भी देखने में आता है कि 'गांव के मुखिया' धार्मिक कार्यों के लिए अथवा गांववासियों की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए उस 'पड़त' की भूमि में से कुछ भाग अनुदान में भी दे दिया करते थे। उस अनुदान की भूमि पर भी 'ठाकुर' या 'पट्टायत' हस्तक्षेप नहीं करते थे। हस्तक्षेप करने की दशा में उन्हें दरबार का असंतोष झेलना पड़ता था। 'कागदों की बही' (बीकानेर) में ऐसे कई विवरण आये हैं जिनसे विदित होता है कि 'पड़त' की भूमि पर गांव वासियों के अधिकार सुरक्षित रखे गये थे।[58] यहां यह उल्लेखनीय है कि पड़त की भूमि पर गांववासियों के अधिकार उन्हीं गांवों के मान्य हुए थे जहां पर राठौड़ों के आक्रमण से पूर्व उन्हीं

---

55. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, आसाढ़ बदी 2 एवं काति बदी 3 के कागद;
वही बही, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 244;
मांगीलाल व्यास- जोधपुर इतिहास (पूर्व.), पृ. 237

56. कालूराम शर्मा- उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, पृ. 151, 1974 ई., जयपुर;
जी. एन. शर्मा- सोशल लाईफ (पूर्व.), पृ. 290;
जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, (पूर्व.), पृ. 90-91

57. **कागदों की बही**, वि. सं. 1831, नं. 4, पृ. 43;
वही, वि. सं. 1874, नं. 23, पृ. 159

58. **कागदों की बही**, वि. सं. 1811, 1820, 1827, 1831, 1840, 1851 व 1854 (नं. 1, 2, 3, 4, 7, 9 एवं 10) में तद्विषयक उल्लेख प्रचुर मात्रा में द्रष्टव्य हैं। विशेष रूप से देखिये-
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1831, नं. 4, पृ. 23, 31

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गावों के निवासी स्वतंत्र रूप से शासन किया करते थे। तत्पश्चात् जो गांव नये बसाये गये थे उनमें बिरादरी के अधिकारों को पड़त की भूमि पर स्वीकार नहीं किया गया था।[59] 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ 'जमींदारी' गांवों का प्रचलन हुआ था जहां गांव बसाने वाले को 'जमींदार' माना गया था तथा उसी गांव की पड़त की भूमि पर उसके कुछ निश्चित अधिकार भी तय कर दिये गये थे, जिनके आधार पर अपने ग्रामीण समाज में वह अपनी सामाजिक एवं आर्थिक उच्चता का दावा स्थापित कर सकता था।[60] किन्तु इस प्रकार के गावों में बिरादरी के स्थान पर विशिष्ट परिवार का ही नियंत्रण स्थापित होता था। राज्य के ग्रामीण जीवन में इस प्रकार के मध्यस्थों, जिनमें चौधरी, पटवारी, जमींदार इत्यादि सम्मिलित थे पर राज्य द्वारा स्थापित सभी नियंत्रणों के बावजूद भी यह संशय तो उत्पन्न होता ही है कि क्या राज्य इनके तथा पट्टायतों के बढ़ते हुए प्रभाव के आगे बिरादरी के अधिकारों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम रहा? विशेषत: उस अवस्था में जबकि वह स्वयं भी समय-समय पर बिरादरी के अधिकारों को कम करने के आदेश निकालता रहा हो एवं प्रभावशाली ठाकुरों के समक्ष अपनी स्थिति इन्हें बचाने में दृढ़ पाता हो? उन क्षेत्रों में जहां पट्टायत असामीदार थे एवं जो राज्य के प्रभावशाली ठाकुर तथा राज्य की कुलीय व्यवस्था के दृढ़ स्तम्भ थे वहाँ क्या राज्य उनके क्षेत्रों में बिरादरी के अधिकारों को पूर्णतया सुरक्षित रख पाता होगा? साथ ही उन गावों में जहां 'बिरादरी' प्रभावशाली भी रही हो वहां बिरादरी स्वयं भी क्या अपने समस्त सदस्यों के अधिकारों को समान रूप से सुरक्षित रखने में सक्षम रही होगी? क्योंकि ग्रामीण समाज सामाजिक व आर्थिक अधिकारों के आधार पर वर्गीकृत था तथा 'चौधरी' व उसका परिवार प्रतिनिधि एवं स्थानीय अधिकारों की भूमिका में असीमित अधिकारों का प्रयोग करता था और अपने हितों में बिरादरी के अधिकारों को ही चोट पहुंचाता रहता था।[61]

इस प्रकार पंचकुल से पंचायत की यात्रा विभिन्न परिस्थितियों से गुजर कर

---

59. जी. एस. एल. देवड़ा- सोशियो इकोनोमिक राजस्थान (पूर्व.), पृ. 94-95;
वही- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 151

60. **कागदों की बही**, वि. सं. 1820, नं. 2, पृ. 3-7;
फेगन- सेटलमेन्ट रिपोर्ट, पृ. 10-17;
जी. एस. एल. देवड़ा- सोशियो इकोनोमिक राजस्थान (पूर्व.) पृ. 97-98

61. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 4, पृ. 33;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अनेक आवरणों से सुसज्जित हो अपनी नयी सीमाओं के अन्तर्गत विविध दायित्वों का निर्वाह करती दिखाई पड़ती है। स्वयं पंचायतें भी अपने नये दायित्वों को निभाने के लिए तीन वर्गों में विभक्त हो गईं। कभी-कभी एक ही पंचायत दो तरह के कार्य करती हुई दृष्टिगोचर होती है तथापि अपनी कार्यशैली में वह मुख्यत: तीन भागों में विभक्त हो गई। एक ही पंचायत दो तरह के कार्य उसी विशेष अवस्था में ही करती है जब एक गांव में एक ही जाति का बाहुल्य से आवास हो! उस अवस्था में गांव-पंचायत व जाति-पंचायत दोनों एक ही होती थी। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पंचायतों को पूर्व अध्याय में तीन रूपों में विभक्त कर उल्लिखित किया गया था, जाति-पंचायत, गांव-पंचायत एवं व्यावसायिक-पंचायत; किन्तु यह वर्गीकरण पंचायत के सदस्यों पर कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जाति-पंचायत का सदस्य हो सकता था वही व्यक्ति गांव-पंचायत या व्यावसायिक-पंचायत का सदस्य भी हो सकता था अर्थात् एक ही पंच एक से अधिक पंचायतों का सदस्य हो सकता था।[62] एक पंच का कार्य क्षेत्र अपने गांव या कस्बे के क्षेत्र से भी अधिक व्यापक हो सकता था अर्थात् एक गांव में रहता हुआ एक जाति अथवा 'ग्राम-पंच' जातीय अथवा व्यावसायिक मामलों में दूसरे गांवों में व कभी-कभी तो दूसरे राज्यों में भी जाकर पंचायत के दायित्वों का निर्वाह कर सकता था।[63] सामान्यत: कोई भी ऐसा पंच ऐसा कार्य तभी करता था जब उसे बाह्य गांव या राज्य से पंचायत का दायित्व निभाने हेतु निमंत्रण दिया

कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 27, 34, 49;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1840, नं. 29, पृ. 127;
दीवानी पत्र, मोहता संग्रह (बख्तावरसिंह के समय के पूर्व);
जी. एस. एल. देवड़ा - राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 150-51;
पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति के लिए देखिये -
सतीशचन्द्र - मेडिवल इंडिया, पृ. 21-28, 1982, नई दिल्ली

62. **कागदों की बही**, वि. सं. 1939, नं. 6, पृ. 33, 47 एवं **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1850, नं. 45 में इस प्रकार के उल्लेख आये हैं।

63. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236, 257;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाता था।[64] साधारणत: इस प्रकार के निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया जाता था क्योंकि सामाजिक व क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार का निर्वाह किसी पंच के लिए एक सम्मानजनक कार्य समझा जाता था।[65]

पंचों की संख्या

'पंच' शब्द का मूल शब्दार्थ पांच संख्या से है किन्तु व्यवहार में पंचायतों के गठन व संरचना विषयक, अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि शब्दार्थ जनित इस संख्या वाचकता का पंचों की वास्तविक संख्या से कोई संबंध नहीं था अर्थात् 'पंच' के अपने नाम के शब्दार्थ के अनुरूप संख्या में पांच ही होना अनिवार्य नहीं था। उपलब्ध पुरालेखवीय स्रोत-सामग्री में ऐसे पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि पंचों की संख्या पांच से कम अर्थात् दो व तीन से लेकर पांच से अधिक भी अर्थात् सात व आठ तक होती थी किन्तु उपलब्ध बहुसंख्यक अभिलेखों में सामान्यत: 4 से 7 पंचों के होने के उल्लेख अंकित हैं।[66]

पंचों की नियुक्ति व चयन

'जाति', 'गांव', या 'व्यावसायिक पंचायत' के पंचों की नियुक्ति के प्रश्न को हम मुख्यत: तीन दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। प्रथम, क्या ये पंच वंशानुगत या पैतृक आधार पर नियुक्त किये जाते थे? द्वितीय, क्या इनकी नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया द्वारा होती थी? तथा तृतीय क्या इनकी नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती थी? इनमें से प्रथम दो दृष्टिकोण ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक दिखाई पड़ते

---

64. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18

65. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

66. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 30;
वही, वि. सं. 1822, नं. 12, पृ. 29;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 113, 161;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 311;
जी. एन. शर्मा- राज. इतिहास, भाग-1 (पूर्व.), पृ. 643-44 में पंचायत विषयक अपने अध्ययन में पंचों की संख्या पर कोई प्रकाश नहीं डालने।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हैं परन्तु उपलब्ध मौलिक पुरालेखीय स्रोत-सामग्री पंचों की इस प्रकार की नियुक्ति पर बहुत स्पष्ट प्रकाश नहीं डालती। हां, तीसरे दृष्टिकोण को प्रमाणित व पुष्ट करने वाले कई प्रमाण मूल स्रोत-सामग्री के अध्ययन से प्रकाशमान होते हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा पंचों की नियुक्ति के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं।[67] इन प्रमाणों के विशेषणात्मक अध्ययन से हम पंचों की नियुक्ति के विषय में कुछ कह पाने की स्थिति में आ जाते है। ये प्रमाण पंचायत के निर्णय के विरूद्ध 'दरबार' में अपील होने पर 'दरबार'' द्वारा उस मामले की पुनः खोजबीन हेतु पंच नियुक्त किये जाने अथवा किसी पंचायती अधिकार क्षेत्रीय मामले के सीधे दरबार में प्रस्तुत किये जाने पर दरबार द्वारा उस मामले की खोजबीन व निपटारे हेतु पंचों की नियुक्ति को प्रमाणित करते हैं।[68] प्रदेश के शासक द्वारा पंचों की नियुक्ति से यह तात्पर्य नहीं है कि नियुक्त पंचों को कार्य के बदले में किसी प्रकार का वेतन, पारिश्रमिक या अनुदान दिया जाता था।[69] इस संदर्भ में यही उचित लगता है कि शासक पहले से चले आ रहे पंचों में से कुछ को विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए चुनता था।[70] वह मामले भी सामान्यतः फौजदारी न होकर दीवानी ही हुआ करते थे।[71] उस चुनाव को करते समय शासक मामले के क्षेत्रीय आधार को भी देखता था। अगर मामला एक गांव का हो तो उसी गांव के पंचों को ही मामला सुपुर्द किया जाता

---

67. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 142;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं., नं. 38, पृ. 29;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 9, पृ. 55

68. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 3;
जोधपुर हथ बही, वि. सं. 1830, पृ. 25;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, नं. 38 पृ. 3;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 153

69. प्रयुक्त स्रोत-सामग्री का सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है जिससे पंचों को वेतन, पारिश्रमिक या अनुदान दिये जाने का संकेत या जिक्र हो।

70. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1827, नं. 10, पृ. 261;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 271, 303

71. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822. नं. 3, पृ. 287, 315;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 38, 50

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

था।[72] अगर किसी वादी या प्रतिवादी को पहले से ही उस गांव के पंचों के निर्णय के प्रति असंतोष हो तो किसी दूसरे गांव व कभी-कभी तो किसी दूरस्थ गांव के पंचों को भी इस कार्य हेतु चुना जाता था।[73] कई बार ऐसा भी होता था कि अलग-अलग गांवों से पंचों को बुलाकर पंचायत का गठन किया जाता था।[74] अगर मामला सामाजिक स्तर पर बहुत गम्भीर होता था तथा किसी जाति या सामाजिक परम्परा की मूल भावना को ठेस पहुंचने की आशंका रहती थी तो उस अवस्था में दूसरे राज्यों से भी उस जाति से संबंधित गणमान्य पंचों को निर्णय हेतु सादर आमंत्रित किया जाता था।[75] अगर दो गांवों के बीच किसी प्रकार का कोई आर्थिक विवाद होता था तो तीसरे गांव के पंचों को निर्णय हेतु आमंत्रित किया जाता था।[76] राजकीय पत्रों में बारम्बार बाहर के गांवों के पंचों के चयन की सूचनाओं से यह प्रतीत होता है कि राज्य निर्णय लेने में अपने संभाग के अनुभवी पंचों की सेवाओं का उपयोग करता था। इसका एक कारण यह भी था कि राज्य के सम्मुख साधारणतया कोई भी मामला पहली बार प्रस्तुत नहीं होता था बल्कि दूसरी या तीसरी अवस्था में ही किसी वादी या प्रतिवादी की शिकायत होने पर ही प्रस्तुत होता था अर्थात् सामान्यत: वही मामला पहले गांव की पंचायत में तय कर लिया जाता था और उसके निर्णय के प्रति असंतोष होने पर ही राज्य की स्थिति एक उच्च न्यायालय की होने के कारण उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक ही था कि राज्य उन पहले वाले पंचों को सामान्यत: दायित्व नहीं सौंप कर क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को मामला सुपुर्द करता था। यद्यपि इस बात के

---

72. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 32, 243;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1851, नं. 9, पृ. 55

73. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 12, पृ. 29;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

74. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 39;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 311

75. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1829, नं. 6, पृ. 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

76. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1, कागद जेठ बदी 10;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 127

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भी विवरण प्राप्त होते हैं कि कई बार राज्य मामले पर पुनर्विचार के लिए 'मामला' पहले वाले पंचों को ही भेज देता था।[77] दूसरे गांव से नियुक्त या बाह्य पंचों को यह आश्वासन दिया जाता था कि संबंधित मामले के निपटारे में उनका निर्णय ही मान्य होगा और उनके निर्णय की अवमानना करने वाला दोषी व्यक्ति 'गुनेहगारी' के दंड से दंडित किया जायेगा।[78]

ये पंच अथवा विशेषज्ञ कौन होते थे? इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यहां तक कि आमेर व जयपुर का रिकार्ड भी इस संबंध में मौन है।[79] यह विश्वास किया जाता है कि एक जाति या क्षेत्र के बुजुर्ग या पुराने अनुभवी लोग ही पंच बनने की स्थिति में होते थे।[80] सामान्यतः ये पंच गांव वालों की इच्छा के प्रतीक होते थे। अलग-अलग समय की प्राप्त अभिलेखीय सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि यह आवश्यक नहीं कि इनकी नियुक्ति वंशानुगत आधार पर ही होती थी। परन्तु, इस बात की संभावना अधिक है कि गांव का चौधरी पंचायत का मुख्य सदस्य हुआ करता था। एक जाति का मुखिया होने के साथ-साथ वह रियायती कृषक होने के नाते आर्थिक सुविधाओं से भी सम्पन्न होता था। चूंकि बीकानेर एवं जोधपुर दोनों में गांव के चौधरी का पद वंशानुगत मान लिया गया था इसलिए इस बात की निश्चितता बन ही गई कि पंचायत के कुछ सदस्य तो वंशानुगत आधार पर ही चयनित होते थे।[81]

77. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90;
वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 261;
वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 40

78. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196,

79. दिलबागसिंह- लोकल एण्ड लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जयपुर स्टेट (1750-1800 ए. डी.), चैप्टर-विलेज पंचायत, अप्रकाशित शोध ग्रंथ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

80. पंचायत विषयक अभिलेखों में पंचों की नियुक्ति करते समय '**जाणीवाण**' शब्द का बारम्बार प्रयोग मिलता है जिसका अभिप्राय 'जानकार' या 'अनुभवी' व्यक्ति से होता है। द्रष्टव्य-
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119, 127, 142;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 116, 140

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

यही अवस्था गांव में रहने वाले राज्य के उन स्थानीय अधिकारियों की भी थी जो **'पटवारी'** **'सहणा'**[82] या **'कानूनगो'** के नाम से जाने जाते थे। वे भी संभवत: वंशानुगत आधार पर ही पंचायत के सदस्य होते थे परन्तु इनके अतिरिक्त अनुभवी एवं बुजुर्ग लोग ही पंच होने का गौरव प्राप्त करते थे।[83] चौधरी व स्थानीय अधिकारी गांव-पंचायत में अधिक हस्तक्षेप रखते थे।[84] अगर एक जाति ही एक गांव में मुख्य स्थिति में होती थी तब चौधरी तो अवश्य ही जाति एवं गांव-पंचायत का मुखिया होता था[85] परन्तु अन्य स्थानों पर अधिकारी संभवत: पंचायत में स्थान नहीं पाते थे चूंकि अधिकांशत: वे दूसरी जातियों से होते थे। उस अवस्था में जब एक गांव में अनेक जाति-पंचायते होती थीं तब उस गांव की पंचायत में अवश्य स्थानीय अधिकारियों की सदस्यता होती थी।[86]

जाति व गांव-पंचायत की सदस्यता में एक तथ्य और भी उभर कर सामने आता है। जो जाति गांव में सबसे पहले आकर बसती थी उस जाति के अधिकतर सदस्य पंचायत में होते थे।[87] इसके अतिरिक्त एक जाति का जो परिवार सबसे

---

81. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 22;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 151;
जी. सी. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स (पूर्व.), पृ. 35, 91

82. **सहणा**- भूमि के मापन, कर निर्धारण व कर वसूली के कार्य में सहयोग करने वाला स्थानीय अधिकारी, द्रष्टव्य-
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), 95, 224-25

83. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119, 127;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 116, 140

84. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 22;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 140

85. ऐसा स्वाभाविक भी था एवं तत्संबंधी संदर्भ **कागदों की बही** नं. 1, 9 (वि. सं. 1811 एवं 1851) तथा **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, नं. 34, 47 (वि. सं. 1843 एवं 1852) में आये हैं।

86. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 27;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 74

87. ऐसे गांवों पर राज्य के नियंत्रण व अंकुश के बढ़ने के बावजूद उस गांव को मूल

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पहले आकर उस क्षेत्र में निवास करता था उस परिवार का सदस्य भी सामान्यत: जाति-पंचायत का सदस्य तो होता ही था।[88] इस प्रकार पहले आने वाले परिवार व जातियों को एक विशेष सम्मान दिया जाता था। गांव-पंचायत में उस गांव के बनिया व अन्य रियायती वर्ग के लोग भी अवश्य सदस्य हुआ करते थे।[89] यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पंचायत के अधिकतर सदस्य 'रियायती वर्ग' (कन्सेशनल लैण्ड होलडिंग) के लोग ही हुआ करते थे। इस बात के प्रमाण नहीं है कि गांव-पंचायत में खेतीहर मजदूरों अथवा कमीन जातियों को कोई स्थान मिलता हो परन्तु उनकी अपनी जाति-पंचायतें अवश्य हुआ करती थीं।[90]

18वीं शताब्दी में एक और नया विकास दृष्टिगोचर होता है कि जब हम यह पाते हैं कि राज्य ने स्वयं कृषक व श्रमिक जातियों के कुछ नये पदों की सृष्टि कर दी थी। उन पदों को भोगने वालों को '**जमादार**' कहा जाता था। ये जमादार अपनी जाति के नेता हो जाते थे व कुछ विशेष सम्मान की सुविधाओं का उपभोग करते थे। ये जाति व राज्य के मध्य प्रतिनिधि का कार्य भी करते थे। अत: स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार के जमादार भी पंचायत के मामलों में निर्णायक भूमिका अदा करते थे।[91] इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को राज्य से विशेष अनुदान या पुरस्कार प्राप्त हो जाते थे वे भी अपने क्षेत्र की पंचायतों में सदस्यता प्राप्तार्थ योग्य बन जाते थे।[92]

रूप से बसाने वाली जाति के '**ग्रासियों**' को शासक द्वारा **मुखिया** व **चौधरी** माना जाना इस बात को पुष्ट करना है कि पंचायत में उस जाति की प्रधान्यता रहती थी। द्रष्टव्य-
जी. एस. एल. देवड़ा- सोशियो इकोनोमिक राजस्थान (पूर्व.), पृ. 90

88. जी. एस. एल. देवडा- सोशियो इकोनोमिक राजस्थान (पूर्व.), पृ. 89-90
89. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 130;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 113
90. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 83;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1828, नं. 5, पृ. 4;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज प्रशासनिक (पूर्व.) पृ. 155;
दिलबागसिंह- शोध प्रबंध (पूर्व.), पंचायत अध्याय
91. **सावा बही रीणी**, पृ. 33-34, सं. 1834-35, नं. 5, रामपुरिया रिकाईस, बीकानेर
92. **कागदों की बही**, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 45, 46, छूट रा कागद

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाति व क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवसाय पंचायतों की एक विशिष्ट श्रेणी के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते थे। उस अवस्था में अलग-अलग व्यवसाय के लोगों की अलग-अलग पंचायतें होती थी।[93] यह व्यवस्था व्यापारिक वर्ग के लोगों पर अधिक लागू होती थी चूंकि कारीगर जातियों में जाति एव व्यवसाय एक ही होता था[94] परन्तु व्यापार वाणिज्य की व्यापकता इतनी अधिक थी कि वह अनेक खंडों व शाखाओं में विभक्त होकर अनेक वर्गों का निर्माण भी करती थी। उन वर्गों की अपनी पंचायतें होती थीं। उन पंचायतों के सदस्यों के लिए यह कोई निश्चित नहीं था कि वे किसी एक ही जाति अथवा धर्म से संबंधित हों बल्कि वे अनेक जातियों व सम्प्रदायों से संबंधित हो सकते थे। जैसे बीकानेर राज्य में मिश्री के व्यवसाय में लगे अनेक जाति के लोगों की एक पंचायत हुआ करती थी। ये जातियां अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल के साथ-साथ कारीगर जातियां भी हो सकती थीं,[95] किन्तु इस प्रकार की पंचायतें केवल व्यवसाय विशेष से संबंधित विवादों को ही हल किया करती थीं तथा इसमें भी दूसरे क्षेत्र के उसी व्यवसाय से संबंधित पंचों को भी निर्णय के लिए बुलाया जा सकता था।[96]

■ ■ ■

93. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 90;
वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 261;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18;
शिवकुमार भनोत- पश्चिमी राजपूताना में व्यावसायिक पंचायतें, शोध लेख, प्र., रा. हि. का., प्रो. (सिरोही सेशन- 1982 ई.), 1984 ई. जोधपुर

94. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 26;
हकीकत लोकमणी व्यास पेपर्स, वि. सं. 1827, (पूर्व.);
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 17

95. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

96. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 90;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

4

जाति-पंचायत

जाति-पंचायत सामाजिक स्तर पर एक न्यायिक संस्था रही है। अपनी गहन सामाजिक संपृक्ति के कारण यह पूर्व उल्लिखित पंचायतों में विशिष्ट स्थान एवं महत्ता की अधिकारिणी है। हमारे अध्ययन काल एवं क्षेत्र में यह संस्था स्थानीय स्तर पर न्यायिक प्रशासन की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में विद्यमान थी जो विशुद्ध रूप से जातीय एवं सामाजिक आधार पर संरचित व गठित थी।[1] ये जाति-पंचायतें न केवल गावों वरन् कस्बों व शहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय थीं।[2] अपेक्षया गावों में यह संस्था अधिक संगठित व प्रभावशाली स्थिति में दिखाई पड़ती है।[3] प्रत्येक गांव में विविध जातियों की पृथक-पृथक जाति पंचायतों के होने के प्रमाण मिलते हैं।[4] किन्तु ऐसे गांव भी थे जो एक ही जाति के लोगों से आबाद थे अतएव

---

1. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236, 257;
   वही , वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 13, 40, 136;
   बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, नं. 1, पृ. 58;
   कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19, 36, 37
2. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 22, 90, 99;
   कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 300;
   जी. एन. शर्मा- राजस्थान का इतिहास, भाग-1, (पूर्व.), पृ. 643;
   जी. एम. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 154
3. **जोधपुर हथ बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1830, पृ. 116;
   सनद परवाना बही (मारवाड), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196, 300
4. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 32, 94;
   वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 74, 136;
   कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

उन गांवों में वहां की जाति-पंचायत ही गांव-पंचायत का कार्य भी करती हुई दिखाई पड़ती है।[5] जाति-पंचायतों को स्थानीय स्तर पर जाति विशेष के सामाजिक नियमों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं-मर्यादाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा संबंधित क्षेत्र के जाति विशेष के सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के सामाजिक विवादों को निपटाने की दृष्टि से गठित एक महत्त्वपूर्ण स्वायत्तशासी सामाजिक-न्यायिक संस्था के रूप में भी देखा जा सकता है।[6]

स्वरूप

इस संभाग के गांवों, कस्बों व शहरी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न जातियों की पृथक्-पृथक् जाति पंचायतों के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले पुरालेखों से ऐसी विविध जाति-पंचायतों की जानकारी मिलती है जो उनके विशुद्ध जातीय स्वरूप को ही प्रमाणित करती हैं। उदाहरणार्थ- **'मोचियों-री-पंचायत'**, **'दर्जियों-री-पंचायत'**, **'बामणां-री-पंचायत'**, **'तेलियां-री-पंचायत'**, **'चूनगिरों-री-पंचायत'**, **'अगरवालों-री-पंचायत'**, **'महाजनों-री-पंचायत'** आदि सम्बोधन इनके विशुद्ध जातीय स्वरूप को ही प्रमाणित करते हैं।[7] ऐसे उल्लेख भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जबकि इन जाति-पंचायतों को **'न्याति-पंचायत'** के नाम

वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 140, 155

5. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 54;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 7;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 27;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

6. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 28;
वही, वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 20, 43

7. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 32, 94;
वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 74, 136;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1828, नं. 10,-पृ. 261;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 140, 155

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

से भी संबोधित किया गया है।[8] प्रत्येक जाति पंचायत के सदस्य '**पंच**' कहलाते थे जो उसी जाति विशेष के नाम से ही जाने व संबोधित किय जाते थे जैसे- '**मोचियां-रा-पंच**', '**बामणां-रा-पंच**', '**तेलियां-रा-पंच**', '**चूनगिरों-रा-पंच**', '**अगरवालों-रा-पंच**', '**महाजनों-रा-पंच**' इत्यादि।[9] ये जाति-पंच स्वजातीय होने के कारण स्वाभाविक रूप से अपनी जाति के नियमों-परंपराओं, रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं-आदर्शों से भली-भांति परिचित होते थे। अतः उसी परिवेश में जातीय सदस्यों के विवादों का निपटारा करने में अधिक सक्षम थे।

जाति पंचों की नियुक्ति व चुनाव

जाति-पंच कौन होते थे एवं उनके चयन या नियुक्ति का आधार क्या था? इस बिन्दु पर उपलब्ध स्रोत-सामग्री खुलकर प्रकाश नहीं डालती है। जो संदर्भ या उल्लेख मिलते हैं उनके आधार पर जाति पंचों के रूप में चयनित या नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को मुख्य रूप से पांच श्रेणियों में वर्गीकृत कर देखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में, उस स्थानीय जाति विशेष के उन सदस्यों को जाति-पंच के रूप में नियुक्त पाते हैं जो गांव में '**चौधरी**', '**जमींदार**' या '**सहाणा**' आदि के रूप में एक स्थानीय अधिकारी भी हुआ करते थे।[10] स्थानीय अधिकारी होने के नाते जहां एक ओर अपने ग्रामीण समाज में उनकी स्थिति विशिष्ट महत्त्व की थी वहीं अपने जातीय सदस्यों के मध्य भी उन्हें विशेष सम्मान का स्थान प्राप्त था। ऐसी स्थिति में उनका अपनी जाति-पंचायत का सदस्य होना भी स्वाभाविक ही था और ऐसा

---

8. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 26;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 37;
जोधपुर हथ बही, वि. सं. 1830, पृ. 116;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18, 27

9. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 32, 94;
वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 74, 136;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 140, 155

10. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 22;
दीवानी पत्र- मोहता संग्रह (बख्तावरसिंह के समय के पूर्व के);
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व), पृ. 95, 224-25

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

होता भी था।[11] यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि चूंकि इस संभाग में चौधरी का पद वंशानुगत माना जा चुका है अतएव ऐसे जाति पंच जो गांव के चौधरी भी हुआ करते थे निःसन्देह वंशानुगत आधार पर जाति-पंच के रूप में स्वतः ही नियुक्ति पा जाते थे।[12]

द्वितीय श्रेणी में, हम उस स्थानीय जाति-विशेष के उस प्रभावशाली **'आसामी'** को जाति-पंचायत का सदस्य बनता देखते हैं जिसके नियंत्रण में वंशानुगत आधार पर अपेक्षाकृत अधिक भूमि हुआ करती थी एवं बड़ा आसामी होने के नाते उस व्यक्ति को अपने स्वजातीय सदस्यों के मध्य अधिक मान-सम्मान युक्त स्थान प्राप्त होता था।[13] अपनी इस विशिष्ट आर्थिक स्थिति के कारण सामाजिक स्तर पर भी वह आसामी अपने जातीय सदस्यों के मध्य एक अलग स्थिति पा जाता था। अस्तु, उसका जाति-पंचायत का सदस्य बनने का अधिकारी हो जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। तृतीय स्थिति में, उस जाति विशेष के उन पुराने परिवारों के माननीय सदस्यों को जाति-पंच के रूप में नियुक्त देखते हैं जो परिवार उस गांव या गांव क्षेत्र विशेष में बसे अपने स्वजातीय परिवारों में सबसे पूर्व आकर बसा हुआ हो अर्थात् उस स्थान पर पुरानी वासी हो।[14] ऐसे परिवार से सम्बद्ध होने के कारण भी उस व्यक्ति को अपने स्वजातिय सदस्यों में माननीय स्थान प्राप्त होता था एवं अपनी जाति-पंचायत में उसका सदस्य होना भी उचित प्रतीत होता है। चतुर्थ स्थिति में, हम संबंधित स्थानीय जाति के ऐसे व्यक्ति को अपनी जाति-पंचायत का

---

11. दीवानी पत्र-मोहता संग्रह (बख्तावरसिंह के समय के पूर्व के), रा. रा. अ. बी.
12. जी. सी. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स (पूर्व.), पृ. 35;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 151
13. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 44, 45, 47;
'आसामी' के भू-अधिकारों के स्पष्टीकरण के लिए देखिए-
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व), पृ. 214;
'आसामी' की तुलना भारत के शेष भागों के 'घर-हल' कहलाने वालों से की जा सकती है।
सतीशचन्द्र- मेडीवल इंडिया (पूर्व.), पृ. 96-98
14. **बही पानावली ठिकाणा री**, वि. सं. 1800, नं. 40/5, रामपुरिया रिकाईस, बीकानेर, रा. रा. अ. बी.; बीकानेर राज्य में उन गांववासियों को पंच बनाया गया था जो राठौड़ों के आक्रमण से पूर्व अपने क्षेत्र में आबाद थे।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सदस्य बनता देखते हैं जो अपनी विशिष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि या प्रतिष्ठा के कारण अपने स्वजातीय परिवारों के मध्य आदर का पात्र हो।[15] पांचवी स्थिति में, स्थानीय स्तर पर अपनी जाति में सम्मान जनक **'जमादार'** पद पर नियुक्त व्यक्ति को भी जाति पंचायत के सदस्य के रूप में देखते हैं। राज्य द्वारा नियुक्त ये जमादार चूंकि राज्य एवं अपने जातीय सदस्यों के मध्य एक महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाता था अतएव सामाजिक स्तर पर भी वह व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुआ करता था एवं ऐसी स्थिति में उसका जाति-पंच बनना भी स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।[16]

बैठक एवं कार्य पद्धति

विदित होता है कि मुख्य रूप से चार परिस्थितियों में जाति-पंचायत की बैठक बुलाई जाती थी या संबंधित निपटारे हेतु जाति-पंच नियुक्त होते थे। प्रथम, जब किसी जातीय सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने किसी सामाजिक विवाद के निपटारे या सामाजिक समस्या के समाधान हेतु अपनी जाति-पंचायत से तद्विषयक प्रार्थना की जाती थी तब आवश्यक समाधान हेतु जाति पंचों ने उक्त प्रार्थना पर बैठक बुलायी[17]; द्वितीय, किसी सामाजिक रीति-रिवाज, परम्परा या जातीय मर्यादा का जाति के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा, अवमानना या उल्लघंन करने की स्थिति में जाति पंचों द्वारा स्वतः ही सक्रिय होकर पंचायत की बैठक बुलायी जाती थी[18]; तृतीय, जाति-पंचायत के किसी निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में राज्य के समक्ष जाति-पंचायत के निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में राज्य द्वारा

---

15. यहां विशिष्ट प्रतिष्ठा से तात्पर्य उन लोगों के परिवार से है जिनके सदस्यों ने कभी गांव अथवा क्षेत्र की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए विशेष त्याग किये थे। जिसके फलस्वरूप अपनी जाति एवं ग्रामीण समाज में उनकी एक विशिष्ट सम्मानजनक स्थिति बन गई थी।
    गांवां रे हलनत री बही, वि. सं. 1739, नं. 133, **बीकानेर बहियात**, रा. रा. अ. बी.
16. **खाता बही रीणी**, वि. सं. 1834-35, नं. 5, पृ. 33-34, रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर
17. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90;
    वही, वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261;
    कागदों का बही (बीकानेर), वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 140, 155;
    वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 119
18. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाति – पंचों की नियुक्ति की जाती थी[19] एवं चतुर्थ, किसी सामाजिक विवाद के निपटारे हेतु राज्य के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की दशा में राज्य द्वारा संबंधित जाति पंचों को नियुक्त किया जाता था अथवा संबंधित जाति – पंचायत को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाना कि जाति पंच मामले से संबंधित सही – सही ब्यौरा जांच पड़ताल कर राज्य को प्रदान करें।[20] जाति – पंचायत की बैठक बुलाये जाने की उक्त चारों परिस्थितियों के अध्ययन से एक महत्त्वपूर्ण सूचना यह प्राप्त होती है कि राज्य को भी जाति पंचों को नियुक्त करने विषयक अधिकार प्राप्त था एवं आवश्यकता पड़ने पर राज्य ऐसा करता भी था।[21]

जाति – पंचायत की बैठक बुलाते समय विवाद का स्वरूप एवं प्रभावित पक्षों से संबंधित स्थान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसे, सामान्यत: एक ही गांव में निवास करने वाली समान जाति के सदस्यों के पारस्परिक सामाजिक विवादों का निपटारा करने हेतु उसी गांव की संबंधित जाति – पंचायत ही बैठती थी।[22] यद्यपि विशिष्ट परिस्थितियों में दूसरे गांव के उसी जाति के पंच भी नियुक्त किये जा सकते

कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 22

19. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 30, 90;
वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 261;
वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 40;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19, 35

20. **सनद परवाना वही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 94;
वही, वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 10;
वही, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 6;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 110;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 284

21. सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं., 1822, नं. 3, पृ. 93-94;
कागदों की बही (बीकानरे), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 284

22. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 52;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 27;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

थे।[23] इसी प्रकार दो भिन्न गांवों के समान जाति के व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक विवादों का निपटारा करने हेतु तीसरे गांव के समान जाति के पंच नियुक्त किये जाने संबंधी प्रमाण भी मिलते हैं।[24] उल्लेखनीय है कि जब किसी गांव में किसी जाति विशेष के परिवारों की संख्या इस दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती थी या कम होती थी कि वे अपनी पृथक् जाति-पंचायत गठित कर सकें तब उस गांव के वे थोड़े से परिवार अपने सामाजिक विवादों के निपटारे हेतु अपने निकटस्थ गांव की समान जाति-पंचायत से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं।[25]

जाति-पंचायत की बैठक सामान्यत: किसी जातीय सदस्य के मकान, जाति के मंदिर, मस्जिद, खुले स्थान, **चौपाल**, चबूतरे, **जाति के नोहरे**, कुंए की मेड़ या किसी पेड़ के नीचे इत्यादि स्थानों पर ही आयोजित की जाती थी।[26] किसी निश्चित स्थान विशेष पर ही बैठक आयोजित किये जाने संबंधी कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं थी। पंच अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर अर्द्ध चन्द्रकार रूप में बैठते थे। पंचायत की बैठक के समय वादी तथा प्रतिवादी के अतिरिक्त उस जाति के अन्य सदस्य भी वहां उपस्थित रहते थे।[27] प्रारंभ में पंच वादी द्वारा प्रतिवादी पर लगाये गये आरोप

---

23. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 25;
    कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37;
    वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18;
    वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

24. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 24;
    इस लेख का मूल पाठ द्रष्टव्य है-
    1 मी. जेठ सूद 13
    1 तथा गांव जूंझणदा नै जनांणा रा जाटां रे सगाई रो असरचो है सुं पारवती रा गांवा रा जाट पंचा ऊपर थाप ने हुवा जबी समझाय देजो श्री हजूर रो हुकम है
    दुहोड़ीदार भवानीदास

25. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833, नं. 38, पृ. 1;
    सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 56

26. बीकानेर के **कागदों की बहियों** एवं जोधपुर की **सनद परवाना बहियों** में तद्विषयक उल्लेख आये हैं।

27. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 74;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

का मामला भी संबंधित जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[43]

(ब) द्वितीय वर्ग में विविध कारणों से सगाई टूटने या छोड़ने से संबंधित विवादों को लिया जा सकता है। सगाई सामान्य या असामान्य दोनों कारणों से टूट सकती थी एवं उससे अनेक प्रकार के जातीय विवाद उत्पन्न हो जाते थे, जो जाति पंचायत के कार्यक्षेत्र के विषय बनते दिखाई देते हैं। सुविधा की दृष्टि से इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

(1) सगाई के उपरांत लड़के या लड़की में से किसी एक की मृत्यु हो जाने[44] अथवा किसी एक में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में सगाई तोड़ने या छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने आदि मामले संबंधित जाति पंचायत के समक्ष ही प्रस्तुत किये जाते थे।[45] जाति-पंचायत ही तद्विषयक

---

43. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36
मूल पुरालेख इस प्रकार है-
1 दरजी कोने री बेटी री सगाई दरजी दुरगे रे बेटे सुं कीवी थी सुं दरजी दुरगो कहै छै मने सगाई 2 कोने देणो कियो थो तो में सगाई दीवी थी सुं कोनो कहै छै मे तो दुरगे रे भाई ने सगाई 1 देणी कीवी थी सुं दुरगे रो भाई परणीज गयो तारे दुजे ने परणाय दी सुं ईतरा पंचा दरजीयों उपर घाती छै सुं सवाल पुछ नीवेड़ देजो! हरकुरक हीरी मती राखजो-
1 दरजी लछु सेऊ रो 1 दरजी पीरो जादे रो
1 दरजी जैसो मुगर 1 दरजी तनग
पस पद घाती छै सुं वरा परमेसरी नीवड़ दे थांरो कहां उथपसी वा कुड़ो हुसी सुं रू 25) गुनेगारी रा देसी माघ सुद 13 ओकड़ी दरजी कोने री दुरगे रे हाथ री छै।

44. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, पृ. 58-59;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 47, 191;
शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति (पूर्व.), पृ. 28, 31

45. शारीरिक दोष जैसे **खोड़ा** (पैर से लंगड़ा) हो जाना, अंधा हो जाना, पीठ में कूबड़ निकल आना आदि।
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, नं. 38, पृ. 36, 60;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7 रीठ के कागद;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

स्वीकृति प्रदान करती थी। उदाहरणार्थ- वि. स. 1833 में बीकानेर राज्य के मोची नाथिए की सगाई मोची लालिये की पुत्री से की गई परन्तु मोची नाथिये के अंधे हो जाने पर कन्या पक्ष द्वारा सगाई छुड़ाने के लिए अपनी जाति-पंचायत से तद्विषयक प्रार्थना की गई।[46]

(2) सगाई के उपरांत लड़के के चोर पाये जाने[47] अकाल व सूखे की मार से लड़के के अन्यत्र चले जाने,[48] निर्धारित 'रीत' के रूपये नहीं चुकाने[49] आदि कारणों से कन्या पक्ष द्वारा सगाई तोड़ने व अन्यत्र करने की अनुमति लेने के मामले जाति-पंचायत के समक्ष ही ले जाये जाते थे।

(3) कुछ परिवारों में सगाई हो जाने के उपरांत कतिपय कारणों से परस्पर झगड़ा हो जाने की स्थिति में वे सगाई जारी नहीं रख कर उसे तोड़ने के इच्छुक हो जाते थे। इस प्रकार के मामलों का निपटारा भी जाति-पंचायत ही किया करती थी।[50]

---

46. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 58

47. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 195

48. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 3;
वही, वि. सं. 1825, नं. 8, पृ. 152

49. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 11, रीठ के कागद;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 66;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद
'रीत' (रीति-रिवाज के निमित तय किये गये रूपये) के रूपये कौन सा पक्ष किसको देता था, यह प्रत्येक जाति में अलग-अलग प्रकार से तय होता था।

50. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 94;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, पृ. 60, 70
झगड़ा होने पर कई बार मामले का निपटारा होते होते वर्ष लग जाते थे तब तक **'सगाई के रूपये'** पंचों के पास ही पड़े रहते थे। उदाहरणार्थ- 18) गो. भाणुदे रे भवरीये घीघे री सगाई गांव मेलुसर रे गोले हररोम री भतीजी सूं कीवी थी सु आपस में असरचो पड़ गयो तेरा रूपीया पंचां में वरस 2 रहा सूं हणे पंचा ने कागद कर देने जीया।
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, पृ. 70

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(स) तृतीय वर्ग में सगाई संबंध-विच्छेद हो जाने पर पूर्व में दी गई धनराशि की मांग को लेकर उत्पन्न विवादों को समाहित किया जा सकता है।[51] ऐसे विवाद जाति-पंचायत की मध्यस्थता द्वारा ही सुलझाये जाते थे। जैसे, वि. सं. 1822 में जोधपुर राज्य के बालोतरा के कसारों की बेटी की सगाई उसी राज्य के नाडुलाई में हुई थी। वर की मृत्यु हो जाने पर सगाई की रकम का विवाद जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचा।[52] इसी प्रकार वि. सं. 1840 में बीकानेर राज्य के गांव उदेरामसर के राठी अजे की बेटी की सगाई उसी गांव के लढ़े केवल से हुई परन्तु सगाई के उपरांत अजे की बेटी के मर जाने पर केवल ने सगाई की रीत स्वरूप **'मांगणे'** पर दी हुई रकम की वापसी की मांग की। यह मामला भी जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचा।[53]

(द) चतुर्थ श्रेणी में **'वेर की रकम'** या **'वेर के कागद'** को लेकर उत्पन्न विवादों को लिया जा सकता है। सगाई संबंधों में विधिवत् संबंध-विच्छेद को लौकिक भाषा के शब्द **'वेर'** में समाहित किया जा सकता है। **'वेर की रकम'** या **'वेर के कागद'**[54] को लेकर भी जातीय सदस्यों में जबरदस्त विवाद उत्पन्न हो जाते थे, जो जाति-पंचायत द्वारा ही सुलझाये जाते थे। वेर एक प्रकार का आर्थिक दंड था, जिसमें दोषी पक्ष दूसरे पक्ष को एक रकम चुकाता था। दंड की राशि दोषी पक्ष की आर्थिक स्थिति तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए तय की जाती थी। ब्राह्मण व महाजन जाति में 'वेर' (संबंध-विच्छेद) की रकम क्रमशः 101 रू. व 100 रू. तक लिए जाने के दृष्टांत प्राप्त होते हैं जबकि सुनार व मोची जाति में क्रमशः 50 रू. व 60 रू. तक ही लिये जाने के विवरण प्राप्त होते है।[55] इस रकम के अलावा सगाई के समय **रीत-रस्म** में दिये गये गहने, कपड़े व नकद राशि भी

---

51. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 28;
    कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18;
    वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 222
52. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 90
53. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7
54. वेर की रकम (आर्थिक दंड) चुका देने के उपरांत दिया जाने वाला 'अनापत्ति-कागद'
55. शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति (पूर्व.), पृ. 32

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

वापस लौटानी पड़ती थी।[56] सगाई संबंध-विच्छेद के विवादों में इस बात की पूरी संभावना बनी रहती थी कि वेर से बचने के लिए कोई भी पक्ष अपने आपको दोषी प्रमाणित नहीं होने दे। ऐसी स्थिति में दोषी एवं उसके दोष का निर्धारण करना जाति-पंचायतों का ही कार्य था।[57] जैसे, वि. सं. 1840 में बीकानेर राज्य के गांव भाणदे के भंवरीये थोने के पुत्र की सगाई उसी राज्य के गांव मेलुसर के पेमे की पुत्री से की गयी थी, किन्तु थोने के पुत्र की मृत्यु हो जाने पर बिना 'वेर' को चुकाये ही पेमे ने अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र कर दिया। यह मामला एक सामाजिक विवाद का स्वरूप धारण कर दोषी का निर्धारण करने हेतु जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचा।[58] इसी प्रकार वि. सं. 1825 में जोधपुर राज्य के गांव ननेऊ के चंदन पालीवाल (ब्राह्मण) के पुत्र की सगाई उसी राज्य के गांव उदहरा के ब्राह्मण डूंगर की पुत्री से हुई किन्तु बाद में डूंगर ने अपनी पुत्री की सगाई बिना 'वेर की रकम' चुकाये व 'वेर के कागद' कराये ही कहीं अन्यत्र कर दी। यह मामला भी एक विवाद बनकर दोषी के निर्धारण हेतु संबंधित जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[59]

2. विवाह संबंधी विवाद

सगाई हो जाने के उपरांत उसके टूटने पर विवाद होना सामाजिक दृष्टि से एक अनिवार्यता थी परन्तु कभी-कभी विवाह की स्थिति पर पहुंचने में कई व्यवधान या प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो जाती थी अथवा विवाह के समय किसी पक्ष द्वारा कुछ गलती कर दी जाती थी जो अनेक प्रकार के विवादों को जन्म देती थी। ये समस्त विवाद निबटारे हेतु संबंधित जाति-पंचायत के विचार के विषय बनते दिखाई देते हैं। जाति-पंचायतों के समक्ष पहुंचने वाले इस प्रकार के विवादों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

(अ) प्रथम वर्ग में कन्या पक्ष के बारम्बार आग्रह करने के बावजूद वर पक्ष द्वारा

---

56. शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति (पूर्व.), पृ. 33

57. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1825, नं. 8, पृ. 149;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, सनद के कागद;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18

58. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, सनद के कागद

59. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1825, नं. 8, पृ. 149

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

 Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

को सुनते थे। वादी, प्रतिवादी एवं साक्षियों से सत्य वृत्तान्त कराने के लिए उन्हें शपथ व कसम भी दिलाई जाती थी।[28] आवश्यकता पड़ने पर पंच लिखित प्रमाणों की जांच भी करते थे।[29] पंचों के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की दशा में वादी उस निर्णय के विरूद्ध राज्य से अपील कर सकता था।[30] एतद्विषयक एक रोचक तथ्य मिलता है कि राज्य यथासंभव किसी जाति के सामाजिक मामलों में दखल नहीं करता था। अस्तु, राज्य अधिकांशत: ऐसे मामलों को पुन: संबंधित जाति-पंचायत को या समान जाति के अन्य पंचों को सौंपता हुआ दिखाई पड़ता है।[31] राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक विवाद संबंधित जाति-पंचायत को सौंपते समय या अन्य समान जाति-पंच नियुक्त करते समय पंचों को ईश्वर को साक्षी मान कर निर्णय देने का स्पष्ट निर्देश दिया जाता था तथा वे निष्पक्ष होकर न्याय करें इस हेतु उन्हें दूध, पूत, खेती आदि की विभिन्न प्रकार की कसमें भी दिलाई जाती थी।[32] राज्य द्वारा बिठाई गई जाति-पंचायतों के लिपिबद्ध निर्णय प्रचुर मात्रा में राजकीय बहियों में प्रमाण

कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37

28. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 22;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1859, नं. 6, पृ. 36, 37;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 27

29. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 74;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37

30. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 30, 5;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 1, 9, 35

31. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 30, 90;
वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 261;
वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 40;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19, 35

32. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 22;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1859, पृ. 12, 36, 37;
उदाहरणार्थ- गो. बुधणाऊ रा चौधरी कुसला राम जोग्य तीघा भींवसर रे चौ. हरदामीये रे भाई री सगाई गो. जाजुसर रे वीको रे सगे गुड़े री बेटी ने ले जाय दुजे

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

स्वरूप मिलते है।[33] पंचायतों द्वारा दिये गये निर्णयों पर वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर कराये जाते थे और लिखित निर्णयों के प्रति उन्हें भी दी जाती थी।[34] जो मामले सीधे पंचायत के सम्मुख आते थे, उनसे संबंधित इस प्रकार की लिखावट का विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है।

जाति-पंचायत का कार्यक्षेत्र एवं विषय

जैसा इसके नाम से विदित होता है, जाति-पंचायत जातीय समस्याओं एवं विवादों के निबटाने हेतु गठित एक सामाजिक-न्यायिक संस्था थी, जो किसी स्थान के जाति विशेष के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विविध प्रकार के सामाजिक विवादों को सुलझाने एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने का कार्य करती थी।[35] जाति-पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले विवाद प्रमुख रूप से सगाई,

---

ने प्राणय दीवी सुं थे प्रंच जाणेऊ छो सुं वरा **प्रमेसरी नीवेड़** देजो हरकुर कही री मत राखजो **शोने थोरे दूध पूत री सीस छै थोरो कहो** उथपसी तेतु रू 11) गुनेगारी रा लागसी आसाढ़ सुद 1 थोरे कने दुने आसी सुं नीवेड़ देजो।

कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 202

33. जोधपुर की **सनद परवाना बहियां (मारवाड़)**, वि. सं. 1811 से 1857 तक (नं. 1 से 54 तक की 54 बहियां); **जोधपुर हथ बही**, वि. सं. 1830 एवं बीकानेर रामपुरिया रिकार्ड्स की **कागदों की बहियां**, वि. सं. 1811 से 1859 (नं. 1 से नं. 12 तक की 12 बहियां) एवं **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, ऐसे प्रचुर उल्लेखों से युक्त हैं।

34. **जोधपुर हथ बही**, वि. सं. 1830, पृ. 116;

कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19, 36, 37 प्राप्त निर्णयों में **'ओकड़ी'** संबंधित पक्षों को देने के उल्लेख मिलते हैं। यह स्थानीय भाषा का शब्द है जिसका यहां अभिप्राय निर्णय की प्रतिलिपि से है।

35. जी. एस. शर्मा- एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स (पूर्व.), पृ. 92;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 155;
आर. पी. व्यास- राजस्थान का वृहत् इतिहास, भाग-1, (पूर्व.), पृ. 395;
शशि अरोड़ा- पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी राजस्थान की पंचायतों के सम्मुख नारी की स्थिति, शोध लेख, प्र., रा. हि. का. प्रो. (वोल्यूम-टेन्थ, उदयपुर सेशन, 1977 ई.), 1978 ई., जोधपुर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

 Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विवाह, विवाहित जीवन, पति की मृत्यु के उपरान्त विधवा स्त्री की दशा, पुनर्विवाह (**नाता, पले लगाई, घर में घालना** आदि), खोला, नारी का क्रय-विक्रय, पैतृक संपत्ति के बंटवारे आदि से संबंधित थे,[36] जिन्हें जाति-पंचायतों को सुलझाना व उनका न्यायसंगत समाधान निकालना होता था। जाति-पंचायतों के कार्यक्षेत्र में जातीय व सामाजिक नियम और परम्पराओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सम्मिलित था।[37] जाति-पंचायत के उपर्युक्त कार्यक्षेत्र व विषयों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विभक्त किया जा सकता है-

1. सगाई संबंधी विवाद

राजस्थान के इस पश्चिमी संभाग में विवाह से पूर्व सगाई एक अनिवार्य प्रथा थी।[38] सगाई होने पर जहां दो परिवारों में निकट संबंध स्थापित हो जाता था, वहीं सगाई तय हो जाने पर नारी को एक सम्मानजनक स्थिति भी प्राप्त होती थी किन्तु सगाई की रस्म विवाह जैसे अंतिम निर्णायक चरण की पूर्णता के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में थी। इन दोनों स्थितियों के बीच कभी-कभी कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते थे, जो जातीय सदस्यों में परस्पर झगड़े व टकराव का कारण बनते दिखाई पड़ते थे। ऐसे विवाद जाति-पंचायत के समक्ष तद्विषयक निपटारे के लिए पहुंचते थे एवं उसके कार्य क्षेत्र का विषय बन जाते थे। सगाई संबंधी इन विवादों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-

(अ) प्रथम वर्ग में सगाई की बात तय कर मुकर जाने, परस्पर विरोधी दोषारोपण करने कि सगाई दूसरे पक्ष ने देनी की थी एवं अब मुकर रहा है तथा सगाई तयशुदा स्थान पर न करके अन्यत्र कर देने जैसे विवाद लिये जा सकते हैं, जिनके पंचायत

---

36. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236, 257;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 3, 152;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, नं. 38, पृ. 58, 60;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36, 37

37. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 26, 252, 257;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 105

38. जी. एन. शर्मा- सोशल लाईफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ. 113, 1968 ई. आगरा;
शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति, पृ. 24, 1981 ई., बीकानेर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के समक्ष पहुंचने के अनेकानेक उल्लेख मिलते है।[39] उदाहरणार्थ, वि. सं. 1859 में जैसलमेर के जेराम भण्ड ने अपनी सगाई जोधपुर राज्य के गांव मेहोकोहर के राठी नथु की बेटी से करनी तय की एवं सगाई के 38 रू. उसे दिये, परन्तु सगाई के उपरान्त कन्या का पिता नथु मुकर गया व कहने लगा कि मैंने न तो कोई सगाई ली और न ही सगाई के रूपये लिए हैं। इस विवाद ने सामाजिक विवाद का रूप धारण कर लिया एवं यह विवाद संबंधित जाति-पंचों को सुपुर्द कर दिया गया।[40] इसी प्रकार वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव वीगे के बीरामण लिखमे जगते की सगाई इसी राज्य के गांव नाहरसर के व्यास अखे की बेटी से तय होने के बावजूद अखे द्वारा बाद में सगाई देनी करके मुकर जाने का मामला बीरामणों की जाति-पंचायत के समक्ष निपटारे हेतु पहुंचा।[41]

सगाई करके मुकरने संबंधी ऐसे कतिपय विवादों की जानकारी भी मिलती है, जिनमें की हुई सगाई की बात से मुकरने के अतिरिक्त दोष दूसरे पक्ष के मत्थे मढ़ने के लिए परस्पर विरोधी आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते थे। ऐसे मामलों में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर यह आरोप लगाते नजर आते हैं कि मैंने तो सगाई देनी की थी, लेनी नहीं।[42] इस प्रकार के विवाद तब उत्पन्न होते थे जब दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को सगाई लेने व देने की बात पक्की की जाती थी, किन्तु बाद में कतिपय कारणों से उसकी पालना के इच्छुक नहीं रहने की दशा में या परिवर्तित परिस्थितियों में वे एक-दूसरे पर दोषारोपण कर देते थे। दोषी व उसके दंड के निर्धारण के इस प्रकार के मामलों को संबंधित जाति-पंचायत द्वारा ही सुलझाया जाता था। उदाहरण के लिए वि. सं. 1839 में बीकानेर राज्य के कोने दर्जी की बेटी की सगाई इसी राज्य के दुर्गा दर्जी के बेटे से होने के संबंध में उक्त प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाने

---

39. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36, 37;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18, 27;
पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सू., पृ. 58, 70;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1828, नं. 10, पृ. 261
40. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 155
41. कागदों की वही (बीकानेर), वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 140
42. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36, 37;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 22

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

ने संबंधित जाति-पंचायत को ही इस विवाद को सुलझाने का कार्य सौंपा।[76]

5. पुनर्विवाह (नाता, पले लगाई, घर में घालना आदि) से संबंधित विवाद

इस संभाग मे पति की मृत्यु के उपरांत विधवा स्त्री के पुनर्विवाह संबंधी उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। पुनर्विवाह के विभिन्न प्रकारों जैसे **'नाता'**, **'पले लगाई'** मामलों को सामाजिक वैधता प्रदान करना, इस अवसर पर निश्चित कर लेना, 'वेर का कागद' करवाकर विधवा के पितृपक्ष को विधवा का नाता कहीं अन्यत्र कर सकने की अनुमति दिलाना, 'वेर की रकम' को लेकर हुए एवं नाता, पले लगाई तथा **'घर में घालना'** (अर्थात् घर में डालना) से संबंधित विविध प्रकार के सामाजिक विवादों का न्याय संगत समाधान निकालना, संबंधित जाति-पंचायत के कार्य क्षेत्र के ही विषय थे।[77] हमारे अध्ययन काल में पश्चिमी राजस्थान में साधारणतया कृषक, श्रमिक एवं निम्न जातियों में पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा का विवाह मृत पति के माता-पिता, भाई अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य संबंधी द्वारा किया जाना प्रचलित मिलता है।[78] इस पुनर्विवाह को यहां की स्थानीय भाषा में 'पले लगाई' या 'नाता' करना कहा जाता था। यह पुनर्विवाह का एक सम्मानजनक प्रकार था क्योंकि जाति-पंचायत व राज्य से इसे मान्यता प्राप्त थी एवं उनकी दृष्टि से ये निन्दनीय नहीं थे। स्थानीय भाषा में 'पले लगाई' व 'नाता' - दोनों प्रकार के पुनर्विवाहों में कोई स्पष्ट अंतर ज्ञात नहीं होता है। प्राप्त पुरालेखीय स्रोत-सामग्री में उल्लेखित जानकारी के आधार पर यह कहा जा

---

76. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 56

77. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 20;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 52, 176, 236;
वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 40, 136;
वही, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 7;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 60;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 105;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 284

78. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 52;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सकता है कि संभवतः विधवा को ही पले लगाया जाता था[79] जबकि पति की उपस्थिति में भी स्त्री द्वारा नाता किया जा सकता था, जो समाज में निन्दनीय माना जाने के कारण कभी-कभी एक विवाद का रूप धारण कर लेता था और जाति-पंचायत के विचार का विषय बन जाता था।[80]

इन विवाहों में मृत पति की पत्नी का, उसके ससुराल पक्ष द्वारा, किसी अन्य परिवार के सदस्य के साथ विवाह (पले लगाई) किया जाता था, जिसमें प्रथम विवाह के अवसर के विधि-विधान का संभवतः अभाव ही रहता था। स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता परन्तु दूसरे व्यक्ति द्वारा हाथों में '**चूड़ी पहनाना**' या उस व्यक्ति द्वारा दिया गया वस्त्र, चुनरी आदि को '**ओढ़ना**' जैसी प्रतीकात्मक रस्म ही अदा की जाती थी। विधवा के माता-पिता की इच्छा व स्वयं विधवा तक की इच्छा का भी ध्यान रखा जाता था। इसका निष्पादन पूर्णतः मृत पति के परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर करता था। इस प्रकार के पुनर्विवाह के समय मृत पति के परिवार वालों द्वारा होने वाले पति के परिवार के सदस्यों से एक निश्चित की गई रकम ली जाती थी, जो संभवतया उनके लिए आर्थिक क्षति पूर्ति का कार्य करती थी। प्राप्त रकम का बंटवारा मृत पति के परिवार व ससुराल वालों के बीच होता था। अधिकतर इस रकम को पाने व रखने का अधिकार मृत पति के परिवार वालों का ही होता था।[81] इन विवाहों में जाति-पंचायतों की बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। इन विवाहों में राज्य द्वारा भी कर के रूप में एक रकम ली जाती थी। बीकानेर राज्य की राजकीय बहियां में प्राप्त '**रीठ**' का कर इसी प्रकार का

---

79. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 6;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5 एवं वि. सं. 1840 नं. 7 के रीठ के कागद;
शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति (पूर्व.), पृ. 47

80. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 54;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 7;
शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति (पूर्व.), पृ. 47

81. विशेष जानकारी हेतु देखिये-
शशि अरोड़ा- राजस्थान में नारी की स्थिति (पूर्व.), पृ. 48

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

था।[82] इस कर की दर प्रत्येक जाति में विवादों के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग थी।

पुनर्विवाह के लिए निश्चित की गई रकम ले लेने के पश्चात् मृत पति के परिवार वालों द्वारा संबंध-विच्छेद के प्रतीक रूप में **'वेर का कागद'** दिया जाता था, जिसके साथ ही विधवा का दायित्व एक परिवार से हट कर दूसरे परिवार पर आ जाता था।[83] इस **'वेर'** का आर्थिक व सामाजिक महत्त्व भी था। मृत पति के माता, पिता या भाई से पूछे बिना विधवा के पीहर वाले अपनी इच्छानुसार कहीं अन्यत्र विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा करने पर उत्पन्न सामाजिक विवाद तथा 'वेर' की रकम को लेकर हुए विवाद जाति-पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते थे और इस तरह की विवादास्पद स्थिति में मृत पति के परिवार वालों द्वारा जाति-पंचायत से ही अपना अधिकार सुरक्षित करवाया जाता था।[84] वि. सं. 1840 में बीकानेर राज्य के गांव जोढ़ालसर के सुनार दुर्गा से बिना पूछे ही उसके भाई की विधवा का उसके पीहर वालों द्वारा विवाह कर देने पर वेर की रकम व अपनी भावज पर अपना अधिकार मांगने के लिए सुनार दुर्गा यह मामला अपनी जाति-पंचायत के समक्ष ले गया और यह विवाद जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[85] कभी-कभी अकाल या सूखे की स्थिति में किसी पुरूष के एक लम्बी अवधि के लिए बाहर रह जाने पर अनिश्चितता की स्थिति में बिना 'वेर का कागद' लेकर उसकी स्त्री का पुनर्विवाह कर दिया जाता था। बाद में उसके पति के पुनः लौट आने की स्थिति में अपनी अन्यत्र नाते गई पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे भी जाति-पंचायत की शरण में ही जाना पड़ता था।[86]

जाटों में पले लगाई से संबंधित यह नियम प्रचलित था कि विधवा से 'पले लगाई' का प्रथम अधिकार दिवंगत पति के परिवार से संबंधित व्यक्ति को ही था।

---

82. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, 1839, 1846, 1859 नं. 1, 6, 8, 12, रा. रा. अ. बी. के रीठ के कागद।
83. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद
84. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद
85. कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद
86. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 54; वही, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 151

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जहां कहीं इस नियम का उल्लंघन होता था, यह समस्या एक सामाजिक विवाद का रूप धारण कर जाति-पंचायत के समक्ष जाती दिखाई देती थी।[87]

समसामयिक सामाजिक जीवन में पुनर्विवाह का एक और स्वरूप देखने में आता है जो समाज और राज्य दोनों के द्वारा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, इसे 'घर में डालना' कहा जाता था। स्थानीय भाषा में इसे **'घर में घालना'** कहा जाता था। इसमें पुरूष बिना विधिवत् विवाह किये या कोई भी रस्म आदि किये ही स्त्री को अपने घर में विवाहिता की भांति ही रख लिया करता था। इस तरह की घर में डाली गई स्त्रियों का सामाजिक स्तर निम्न माना जाता था क्योंकि समाज विधिपूर्वक लाई गई स्त्री को ही सम्मान की दृष्टि से देखता था, इसलिए घर में डाली हुई स्त्रियों के अधिकारों की अवहेलना की जाती थी। यह पूर्णतया संभव था कि किसी स्त्री को उसके पति की उपस्थिति में भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने घर में रख लिया जाये।[88] इसके ठीक विपरीत ऐसे प्रमाण भी मिलते है जब पूर्व पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री को पुरूष द्वारा घर में डाल लिया गया। दोनों ही प्रकार के मामले सामाजिक विवाद का रूप धारण कर तद्विषयक निपटारे के लिए जाति-पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत होते थे।[89] उल्लेखनीय है कि जाति-पंचायतों द्वारा इन मामलों में हर संभव प्रयास यही किया जाता था कि सामाजिक निरन्तरता और स्थिरता बनाये रखने के लिए इस प्रकार अनाधिकृत रूप से घर में रखी गई स्त्री को उसके मूल पति के घर वापस पहुंचा दिया जाये।[90]

6. 'खोला' अर्थात् गोद लेने-देने संबंधी विवाद

इस संभाग के सामाजिक जीवन में **'गोद प्रथा'** जिसे स्थानीय भाषा में

87. **बही पेशकसी रे लेख री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 60
88. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 201;
बही पेशकसी रे लेखी री, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38 पृ. 125;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 11
89. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 87;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5 एवं वि. सं. 1839, नं. 6 के सनद के कागद
90. **सनद परवाना (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 6, पृ. 21-22;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, वि. सं. 1853, नं. 10 के रीठ के व सनद के कागद

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विवाह करने में जान बूझकर अनावश्यक विलम्ब करने से उत्पन्न विवादों को लिया जा सकता है। सगाई सुदा लड़की के व्यस्क हो जाने के उपरांत उसके पिता द्वारा **'म्हारी बेटी मोटी हुवी, घर में खटावे नहीं'** (अर्थात् मेरी पुत्री विवाह योग्य आयु से अधिक की हो चुकी है एवं अब उसे और घर में रखना संभव नहीं) की बार-बार दुहाई देने व वर पक्ष द्वारा अनसुनी करने पर मामला जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचने के अनेकानेक उल्लेख मिलते है।[60] उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों में सीधे राज्य को भी प्रार्थना किये जाने के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें राज्य निबटारे के लिए वह मामला पुन: संबंधित जाति-पंचायत को सौंपता या आवश्यक निर्देश देता हुआ दिखाई देता है।[61] वि. सं. 1839 में बीकानेर राज्य के गांव राहासर के सोनी बखते की बेटी की सगाई उसी राज्य के गांव कातर के सोनार सींवत के बेटे से की गयी थी। बखते के बारम्बार आग्रह करने एवं बेटी के घर में नहीं समाने की दुहाई देने के बावजूद सींवत ने विवाह नहीं किया। अत: सोनी बखते के द्वारा यह मामला राज्य के समक्ष ले जाया गया व राज्य ने इसका निपटारा करने का दायित्व पुन: संबंधित जाति-पंचायत को सौंप दिया।[62] इसी प्रकार वि. सं. 1824 में जोधपुर राज्य के कस्बे बालोतरा के महाजन देले की बेटी की सगाई उसी राज्य के गांव इदराणा के साहूकार जगनाथ से हुए नौ बरस का समय गुजर जाने पर भी विवाह न करने का मामला भी संबंधित जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[63]

(ब) द्वितीय वर्ग में तयशुदा स्थान पर विवाह नहीं कर विवाह अन्यत्र कर देने संबंधी विवाद आते हैं, जो जाति-पंचायत द्वारा ही निपटाये जाते थे।[64] जैसे वि. सं.

---

60. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 3, 152;
    कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19;
    वही, वि. सं. 1853, नं. 10, रीठ के कागद
61. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 1, पृ. 28;
    कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 18
62. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19
63. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 152
64. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 14, 252;
    कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 105;
    वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 202

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

1845 में बीकानेर राज्य के सुनार गोगे की सगाई सुनार गुमाने की बेटी से हुई, किन्तु गुमाने ने उस लड़की का विवाह तयशुदा स्थान पर न करके दूसरे स्थान पर कर दिया। अतः विवाद उत्पन्न हो गया व मामला जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[65] इसी प्रकार वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव खालासजी के जाट अजे की सगाई गांव खोखरीये के धने के यहां की गई परन्तु खोखरीये के धने ने अपनी लड़की का विवाह तयशुदा स्थान पर न कर गांव वीनावास के जाट लखे के बेटे से सम्पन्न कर दिया। परिणामतः मामला एक विवाद का रूप धारण कर संबंधित जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचा।[66]

(स) तृतीय वर्ग में विवाह करने में 'न्यात' अर्थात् जाति के नियम व परम्पराओं का उल्लंघन करने या गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं करने व नीची जाति की महिला को विवाहिता के रूप में घर में रख लेने आदि से संबंधी मामले हैं, जो जाति पंचायत के विचार के विषय बनते थे।[67] उदाहरणार्थ वि. सं 1811 में बीकानेर राज्य के गांव किलाणसर के चौधरी हरदास भोजोणी की पुत्री का विवाह उसी राज्य के गांव लोहरे के चौधरी सुरजे के पुत्र के साथ होना निश्चित हुआ था परन्तु विवाह के समय चौधरी सुरजे के पुत्र के स्थान पर दूसरे चौधरी के विवाह करने पहुंचने का मामला जातीय गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य के रूप में देखा गया एवं संबंधित जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[68] एक अन्य विवाद के अन्तर्गत वि. सं 1822 में जोधपुर राज्य के गांव ताऊसर के एक माली द्वारा ढेढ़ जाति (नीची जाति) की स्त्री को अपनी विवाहिता बना घर में रख लेने का मसला जातीय सदस्यों के लिए अपमान का विषय समझा गया एवं संबंधित जाति-पंचायत के विचार का विषय बना।[69] एक अन्य उदाहरण में बीकानेर राज्य में, जहां मुस्लिम व्यावसायिक जातियों में विवाह अपनी ही जाति में किया जाना एक अनिवार्य

---

65. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 105
66. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 14
67. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1, सनद के कागद;
    सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 257;
    वही, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 36
68. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1, सनद के कागद
69. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 32

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सामाजिक परम्परा थी, वहां वि. सं. 1840 में एक रंगारे मुसलमान द्वारा जब चूड़ीगर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर जातीय परम्परा का उल्लंघन किया गया, तब यह मामला संबंधित जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचता दिखाई देता है।[70]

3. विवाह के बाद (विवाहित जीवन) के विवाद

विवाहित जीवन के दौरान भी कभी-कभी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती थी, जो गंभीर सामाजिक विवाद का रूप लेकर निबटारे हेतु जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचती दिखाई देती है। ये विवाद मुख्य रूप से पति द्वारा विवाहिता स्त्री को भली-भांति नहीं रखने व उसके साथ उचित व्यवहार न करने, एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी को घर में लाने या दूसरा विवाह कर लेने पर प्रथम पत्नी को उसके हक व अधिकारी से वंचित करने, विवाहित स्त्री के दुराचारिणी होने या विवाहिता स्त्री से संतान नहीं होने पर पुरूष द्वारा अन्यत्र विवाह कर लेने, इत्यादि से उत्पन्न झगड़ों से संबंधित होते थे, जो संबंधित जाति-पंचायत के विचार के विषय बनते थे।[71] जैसे, वि. सं 1828 में जोधपुर राज्य के गांव हरियाड़ाणा के जाट कुसला के द्वारा अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से नाता कर घर में ले आने और पहली पत्नी को रोटी, कपड़ा तथा घर में हक देना मना कर देने की स्थिति में प्रथम पत्नी द्वारा राज्य से न्याय मांगने पर राज्य द्वारा यह मामला निपटारे हेतु संबंधित जाति-पंचायत को सौंप दिया गया एवं यह उसके कार्यक्षेत्र का विषय बनता दिखाई दिया।[72] वि. सं. 1857 में बीकानेर राज्य के गांव नोखा के कुम्हार अखीये के बेटे नरसींघीए ने उसी राज्य के गांव मढ़ के कुम्हार चोले की बेटी से विवाह किया था, परन्तु उसके संतान न होने पर जाति-पंचों द्वारा उचित समय तक प्रतीक्षा करने की बात कही थी जिसकी अवमानना कर कुम्हार अखीये ने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया व प्रथम पत्नी को पागल बता दिया। ऐसी स्थिति में

---

70. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद

71. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 106;
वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 10;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 44;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 226;
वही, दि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 301

72. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 10

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मामला झगड़े का रूप धारण कर विचार हेतु संबंधित जाति-पंचायत के समक्ष पहुंचा।[73]

4. पति के मरणोपरांत विधवा के जीवनयापन की समस्या संबंधी विवाद

वैधव्य एक बहुत ही भीषण दुखद स्थिति है। हमारे अध्ययन क्षेत्र में पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा की दशा बहुत चिन्ताजनक प्रतीत होती है। कभी-कभी विधवा के दिवंगत पति के परिवारजनों द्वारा विधवा को उसके पति के हिस्से की संपत्ति में हक देने में परेशान किया जाता था या उसे उससे वंचित करने का प्रयास किया जाता था। उसके जीवन यापन के प्रति भी परिवारजन उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते दिखाई देते थे। ऐसे समस्त मामलों में विधवा अपना अधिकार व जीवन यापन व्यय प्राप्त करने हेतु संबधित जाति-पंचाबत की श्ररण में आती थी। तद्विषयक समाधान ढूंढना संबधित जाति-पंचायत के कार्यक्षेत्र का विषय बनता दिखाई देता है।[74] जैसे, वि. सं. 1824 में जब जोधपुर राज्य के गांव सीगड़री की बीरामणी (ब्राह्मण) मली द्वारा नागौर कचेहरी (अदालत) में इस आशय की शिकायत करने पर कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके धन-माल पर उसके देवर ने अधिकार कर लिया है एवं भूखों मरने की स्थिति में अपना हक मांगने पर हक देने से मना कर दिया है; मामला नागौर कचहरी द्वारा निपटारे हेतु संबंधित जाति-पंचायत को ही सौंप दिया गया।[75] इसी प्रकार वि. सं. 1822 में दाणी हरदेव के बेटे की विधवा का मामला भी निपटारे हेतु संबंधित जाति-पंचायत को सौंप दिया गया। इस मामले में विधवा को उसके देवर, जेठ ने यह **'लिखत'** (गारण्टी) कर दी थी कि उनके पिता (विधवा के श्वसुर) जीवित हैं, घर के हिस्से न करो, तब तक हम तुम्हें जीवन यापन हेतु डेढ़ पैसा प्रतिदिन दिया करेंगे एवं उनकी मृत्यु के उपरांत घर के हिस्से कर विधवा का हिस्सा उसे दे दिया जायेगा। लिखत करने के बावजूद विधवा को डेढ़ पैसा रोज नहीं दिया गया, इसलिए उसके जीवनयापन की समस्या उत्पन्न हो गई। विधवा द्वारा राज्य से तद्विषयक प्रार्थना करने पर राज्य

---

73. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 301

74. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 56;
वही, वि. सं. 1824, नं.6, पृ. 37;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 54

75. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 37

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

'**खोले लेना**' कहा जाता था व जिसे गोद लिया जाता था उसे '**खोलायत**' कहा जाता था; जैसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक परम्परा के निष्पादन तथा तत्संबंधी विवादों के निपटारे में संबंधित जाति-पंचायत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समकालीन पुरालेखीय स्रोत-सामग्री में ऐसे प्रचुर उल्लेख आये हैं जो गोद लिए जाने को सामाजिक मान्यता दिये जाने, तत्संबंधी विवादों का निपटारा करने, खोले गई संतान के संपत्ति उत्तराधिकार को निर्धारित करने, खोले जाने के उपरांत खोले लेने वाले दम्पति के स्वयं के संतान हो जाने के उपरांत 'खोलायत' संतान की स्थिति स्पष्ट करने तथा पारिवारिक एवं संपत्ति अधिकार के संबंध में उत्पन्न विवादों का निपटारा करने आदि मामलों में जाति-पंचायत की भूमिका से संबंधित हैं।[91]

खोला लेने व देने में दोनों परिवारों की सहमति तो आवश्यक थी ही परन्तु उसे सामाजिक मान्यता दिलाना भी एक अपरिहार्यता थी; और मान्यता देने का अधिकार जाति-पंचायत के पास ही सुरक्षित था। बिरादरी, न्यात या जाति-पंचायत से मान्यता लेने हेतु खोला लेने वाले पक्ष को जाति के सदस्यों को 'खोला भोज' देना पड़ता था। यदि संबंधित पक्ष ने बिरादरी को भोज नहीं खिलाया है व जाति की 'रीत' अनुसार कार्य संपादित न करके परिवार की बहिन एवं बेटी को उपहार स्वरूप कपड़े तथा वस्तुएं जिन्हें '**ओढ़ावणी**' कहा जाता था, नहीं दी हैं तो खोलायत को अपने पिता के '**औसर**' (मृत्यु भोज) से पहले यह 'खोला भोज' तथा इससे संबंधित समस्त रीति-रिवाज पूरे करने होते थे। यह समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं या नहीं तथा सामाजिक परम्पराओं का कहीं उल्लंघन या अवमानना तो नहीं हो रही; ये समस्त विषय संबंधित जाति-पंचायत के कार्य क्षेत्र में आते थे।[92]

'खोले' को मान्यता मिलने का कार्य मात्र जाति-पंचायत से मान्यता मिलते

---

91. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 61;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 167;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 19;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 20;
वही, वि. सं. 1851, नं. 9, पृ. 55;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 120

92. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 20;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1852, नं. 47, पृ. 33

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

ही पूर्ण नहीं हो जाता था; वरन् ग्राम-पंचायत, व राज्य द्वारा भी उसे मान्यता मिलनी जरूरी थी परन्तु यहां यह कहना उल्लेखनीय है कि संबंधित जाति-पंचायत को गवाही पर ही राज्य द्वारा शेष कार्यवाही सम्पन्न की जाती थी।[93] खोला लेने के उपरांत झगड़ा-फसाद हो जाने, शर्तों के मुताबिक खोलायत नहीं चलने, खोलायत के कहना नहीं मानने पर राज्य संबंधित पक्ष को '**खोलानामा**' बदलने का अधिकार भी दे देता था परन्तु एतद्विषयक संतुष्टि के उपरांत ही राज्य ऐसा करता था और एतद्विषयक संतुष्टि करना संबंधित जाति-पंचायत का ही कार्य था।[94]

7. स्त्री के क्रय-विक्रय संबंधी विवाद

हमारे अध्ययन काल में पश्चिमी राजस्थान में लड़कियों व स्त्री का क्रय-विक्रय एक अप्रत्याशित घटना नहीं थी। संबंधित परिवारों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कई बार अपनी लड़कियों तथा स्त्रियों को बेच दिया जाता था। साधारणतया ऐसी स्थिति अकाल व सूखे के समय उत्पन्न होती थी। या तो वे अकाल से मुक्ति पाने के उपाय में पुरूषों द्वारा बेच दी जाती थीं अथवा पुरूषों के अन्यत्र चले जाने पर असहाय अवस्था में मजबूरन स्वयं बिक जाती थीं। ऐसे मामलों में जाति-पंचायत द्वारा मध्यस्थता व लिखा पढ़ी भी की जाती थी।[95] इसके अतिरिक्त सामान्य स्थिति में भी रूपये पैसे के लोभ से या छोटी अवस्था में चुरा कर लड़कियों को बेचे जाने के उल्लेख भी मिलते है।[96] जोधपुर राज्य में वि. सं. 1835 में गांव तांतोटी के चौबे मनीराम की पुत्री, अपनी मां के घर से बुलावे के बहाने से किसी व्यक्ति द्वारा ले

---

93. रा. रा. अ. बी. के रामपुरिया रिकार्ड्स में ऐसी प्रचुर प्रविष्टियां उपलब्ध हैं जो **कागदों की बही; जमी रे कागदां री बही; खोला बहियां; अमल व चिट्ठी रे खतों री बही; सावा बहियां; भोग बहियां; हासल बहियां; जगात बहियां व धुंवा बहियों** में देखने को मिलती हैं।

94. कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 20, 22

95. भैया आलमचन्द का पत्र, पोष वदि 12, वि. सं. 1812, भैया संग्रह, बीकानेर
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 130;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, आसोज बद 7

96. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 27;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 198

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाई गई तथा 250 रु. का गहना उसके पास से लेकर उसे बेच दिया गया।[97] जाति पंचायतों व दरबार द्वारा वैध विक्रयों पर अपना कर लिया जाता था तथा अनुचित व अवैध तरीके से किये गये विक्रय पर भी अपना कर लिया जाता था। अनुचित व अवैध तरीके से किये गये विक्रय संबंधी विविध प्रकार के विवाद संबंधित जाति-पंचायत द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[98] सूखे या अकाल की स्थिति के बाद मूल पति के लौट आने पर अपनी पत्नी को वापस पाने के संबंध में उत्पन्न विवाद, विक्रय के कागद हो जाने पर झगड़ा करने संबंधी विवाद, गलत या अवैध तरीके से किये गये विक्रय से संबंधित विवाद, न्यात की रीत के विरूद्ध कर देने से संबंधित विवाद आदि विषय भी संबंधित जाति-पंचायत द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[99]

8. अन्य सामाजिक विवाद

उपर्युक्त विवादों के अतिरिक्त जाति-पंचायत अपने जातीय सदस्यों के मध्य उत्पन्न पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद, किसी जातीय सदस्य की पत्नी के दुराचारिणी हो जाने से उत्पन्न विवाद आदि को तो सुलझाती ही थी साथ ही जातीय सदस्यों के क्रियाकलापों पर यह दृष्टि भी रखती थी कि उनके किसी कार्य से जातीय सम्मान व गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे।[100] वि. सं. 1822 में जोधपुर राज्य के सोझत कस्बे में वहां की ओसवाल (प्रतिष्ठित जैन समाज) जाति की स्त्रियों द्वारा

---

97. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1825, नं. 8, पृ. 252

98. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833, नं. 38, पृ. 16, 24, 32

99. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 25, 39, 130;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 54, 67, 114;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 5, 27;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, आसोज बद 7;
वही, वि. सं. 1846, नं. 8, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 235;
बीकानेर राज्य में एक आदेश भी निकाला गया था कि नीची जाति के लोग ऊंची जाति की स्त्रियां नहीं खरीद सकते।
शशि अरोड़ा- रोल ऑफ गर्ल्स इन राजस्थान, शोध लेख, प्र., रा. हि. कां. प्रो., 1984

100. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 68;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119, 132, 133, 135;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 128

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गोबर चुगने जाने का मामला जातीय गरिमा को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से गंभीरतापूर्वक लिया गया था।[101] इसके अतिरिक्त समाज के ब्राह्मण, नाई, मेहतर, भाट आदि जातियों के **'थित-विरत'** के झगड़े भी संबंधित जाति-पंचायत द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[102] समाज की अन्य जातियों के घर परिवार में समय-समय पर होने वाले सुख-दुख संबंधी कार्यक्रमों, मांगलिक कार्यों, दान-दक्षिणा, चाकरी आदि के कार्य करने हेतु ब्राह्मण, नाई व मेहतर, मसालची, भाट जाति के परिवारों के मध्य उक्त जातियों के घर या गुवाड़ियां बंटी हुई होती थीं जो उनकी 'थित-विरत' कहलाती थी। एक दूसरे की थित/विरत में हस्तक्षेप करने, उसे हड़पने का प्रयास करने व वाजिब हकदार व्यक्ति या परिवार को उसकी विरत के घरों में काम नहीं करने देने या दान नहीं लेने देने आदि मामलों से संबंधित विविध प्रकार के सामाजिक मामलों का निपटारा संबंधित जाति-पंचायत द्वारा ही किया जाता था।[103]

आत्म हत्या, अधूरा गर्भ गिराने, बलात्कार, व्याभिचार आदि फौजदारी मामले यद्यपि राज्य के कार्यक्षेत्र में आते थे परन्तु संबंधित जाति-पंचायत भी अपने जातीय सम्मान को बनाये रखने हेतु जातीय स्तर पर भी ऐसे अपराधियों के अपराधों पर विचार करती थी तथा ऐसे मामलों में संबंधित जाति-पंचायतों द्वारा दिया गया दंड राज्य द्वारा प्रदत्त दंड के अतिरिक्त होता था[104] जिसके उदाहरण आगे

---

101. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 68

102. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 83, 87, 131;
कागदों को बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 22;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 38;
वही वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 137, 153, 194, 210

103 वही

104. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 71, 164;
कागदों की बही (बीकानेर); वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 131;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 203;
फौजदारी मामले में राज्य के दंड के अतिरिक्त संबंधित जाति-पंचायत द्वारा भी दोषी व्यक्ति को **न्यात बाहर करने** (समाज बहिष्कृत करने) संबंधी एक उदाहरण द्रष्टव्य है-
1 तथा दाहिवां बीरामण रामराज रे बेटे सुखे छोटा भाई रामकरण ने **तरवार बाही** तिण बाबत **ईणां री न्यात रा पंचां सुखे नु न्यात बारे काढ़ दियो** ने सुखे रो घर, डोहली

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पंचायतों के निर्णय व दंड शीर्षकों के अन्तर्गत लेंगे।

निर्णय व दंड

जाति-पंचायतों द्वारा विविध प्रकार के सामाजिक विवादों को निपटाने के लिए जो निर्णय समय-समय पर विविध मामलों के संदर्भ में दिये गये उनमें से कतिपय निर्णय उदाहरण स्वरूप द्रष्टव्य हैं। वर पक्ष द्वारा सगाई तोड़ने की स्थिति में जाति-पंचायत कन्या पक्ष को उचित हरजाना मय **रीत की रकम** के दिलाती थी। बीकानेर राज्य के गांव रामसर के जाट द्वारा सगाई तोड़ने पर उसे कन्या पक्ष को मय रीत के 50)रु.लौटाने पड़े।[105] बीकानेर के दर्जियों में सगाई तय कर मुकर जाने व कन्या का विवाह अन्यत्र कर देने तथा दूसरे पक्ष पर गलत दोषारोपण करने के मामले में संबंधित जाति-पंचायत द्वारा दोषी पक्ष पर 25)रु.का आर्थिक दंड लगाया गया।[106] बीकानेर के ही गांव भाणुदे व गांव मेलुसर के छीपों में सगाई होने के उपरांत कन्या पक्ष एवं वर पक्ष में झगड़ा हो जाने पर निपटारा होने तक सगाई की रकम पंचों द्वारा अपने पास रखने का निर्णय लिया गया।[107] बीकानेर की ही ब्राह्मण जाति में सगाई छुड़ाने निमित्त 101) शाही पेटे या '**फरोही**' में जमा कराने का निर्णय संबंधित जाति-पंचायत द्वारा दिया गया।[108]

बीकानेर के गाव राहासर व गांव कातर के सुनारों व जोधपुर राज्य के गांव बालोतरा व ईदराणा के महाजनों में कन्या पक्ष द्वारा बारम्बार आग्रह करने के बावजूद

रो खेत ने विरत रामकरण नु दिरावण ठेहराया आ हकीकत श्री हजूर मालम हुवी सुं हुकम हुवो छै इणां रा घर नागौर मुंड़वा में दो ने मुंडवा में ड़ोहली रा खेत है सुं वेरी पांती रा घर ने ड़ोहली रा खेत विरत रामकरण परवसी ने रामराज री पांती री ही थित उवारस रामकरण छै सुखो कीणी बात रो सुजाय हुवण पावे न्हीं ने सुखा नु अठा सुं सेहर बारे कढ़ाय दीयो छै ने उठे पण कोटवाली चौ. कहे देजो सुं सेहेर (शहर) में आवण देवे न्ही श्री हजूर रो हुकम है दु. पणीयो आईदान-
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 71

105. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, माघ बदि 10

106. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36

107. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38, पृ. 58

108. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 18

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भी वर पक्ष द्वारा विवाह नहीं करने एवं कन्या की आयु बढ़ते जाने के मामलों में संबंधित जाति-पंचायतों द्वारा निर्धारित तिथि को विवाह सम्पन्न करने का निर्देश देते हुए यह भी निर्णय सुनाया गया कि यदि वे उस तिथि को कन्या ब्याहने नहीं आये तो सगाई रद्द समझी जायेगी व कन्या का विवाह अन्यत्र कहीं करने का अधिकार कन्या पक्ष को प्राप्त होगा।[109] बीकानेर के मोचियों में सगाई उपरांत वर के अंधा हो जाने के मामले में पंचों द्वारा सगाई छुड़ाने व अंधे लड़के को क्षतिपूर्ति स्वरूप 60 रु.) दिलाने का प्रमाण मिलता है।[110] कभी-कभी-जाति पंचायत सगाई तोड़ने वाले पक्ष से यह भी आग्रह करती थी कि वे लड़के के लिए नया वर तलाश करें। इस तरह के आदेश बीकानेर राज्य के गांव गजरूपदेसर के ढुढोणी चेतन को तथा जोधपुर राज्य के परवतसर गांव के जाट तेजे को दिये गये थे।[111] बीकानेर के गांव भाणदे के भंवरीये थोने के बेटे के सगाई के उपरांत मर जाने पर कन्या पक्ष द्वारा मृतक पक्ष को वेर की रकम चुकाये बिना ही कन्या की शादी अन्यत्र कर देने के मामले में पंचायत ने कन्या पक्ष से 18 रू. वेर की रकम के रूप में मृतक वर के पिता को दिलाये।[112]

जोधपुर राज्य के गांव ताऊसर के माली द्वारा विजातीय महिला से विवाह कर लेने पर संबंधित जाति-पंचायत द्वारा उस पर आर्थिक दंड लगाया गया।[113] इसी प्रकार जोधपुर राज्य के ही गांव भैरूंदा के बढ़ई जाति के व्यक्ति द्वारा डेढ़ जाति की स्त्री रखने पर उसे वि. सं. 1830 में **'न्यात-भोज'** (जाति भोज) का दंड जाति पंचायत द्वारा दिया गया।[114] बीकानेर राज्य में वि. सं. 1840 में रंगारे मुसलमान द्वारा चूड़ीगर मुस्लिम स्त्री से विवाह करने के दोष में रंगारों की जाति-पंचायत में जाति

109. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 152;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 19
110. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सू, नं. 38, पृ. 58
111. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 4, पृ. 260;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1853, नं. 9, आसाढ़ बद 14
112. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, सनद के कागद
113. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 32
114. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 136

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के दोषी को आर्थिक दंड से दंडित किया।[115]

प्रथम पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी पत्नी को घर में ले आने एवं प्रथम पत्नी से दुर्व्यवहार करने व उसे रोटी, कपड़ा तथा उसके अधिकार उसे नहीं देने के कतिपय मामलों में संबंधित पंचायतों में दोषी पक्ष को उस हेतु पाबद रहने का निर्णय देती दिखाई दीं।[116] पति की मृत्युपरांत विधवा को उसके पति की सम्पत्ति का हक दिलाने के लिए भी पंचायत ने दोषी पक्ष को विधवा को उसका हक देने हेतु पाबन्द किया व उस पर गुनेहगारी का दंड भी लगाया।[117]

जोधपुर राज्य के गांव बीलू और बांधणसींघरी की दर्जी जाति के लोगों में मूल पत्नी के जीवित रहते भाई की पत्नी को घर में डाल लेने के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद में मूल पत्नी के भाई द्वारा अपने जीजा की हत्या कर देने पर उस पर जहां राज्य द्वारा 80) रु. 'गुनेहगारी' लगाई गई वहीं जाति-पंचायत ने भी यह निर्णय लिया कि हत्यारा तीर्थ जाकर आये एवं तीर्थ से लौटने के बाद जाति के समस्त सदस्यों को जाति भोज दे।[118] मेड़ता के गांव बुढ़सर के दर्जियों में पति की मृत्युपरांत विधवा को पुनर्विवाह या नाता करने की अनुमति प्रदान करने के मामले में जाति-पंचायत द्वारा इस हेतु जाति भोज निमित्त 16 रु.) देने पर तद्विषयक अनुमति दी गई।[119]

नारी के क्रय-विक्रय के संबंध में जाति-पंचायतों द्वारा मध्यस्थता करने, तद्विषयक कागद करने के अतिरिक्त विक्रय के उपरांत मूल पति द्वारा अपनी स्त्री को पुन: प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने पर जाति-पंचायतें एतद्विषयक

115. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, रीठ के कागद

116. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 106;
वही, वि. सं. 1828, नं. 11, पृ. 10;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 44;
बही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 226

117. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 56;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 37;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827 नं. 3, पृ. 54

118. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, सावण सुद 6

119. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 236

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मध्यस्थता करते हुए मुआवजा दिलाकर खरीददारों से वापस उन स्त्रियों को हस्तगत करने संबंधी निर्णय भी देती दिखाई पड़ती हैं।[120] बीकानेर राज्य में जाति-पंचायतों द्वारा प्रशासन पर दबाव डाल कर यह नियम बनवाया गया कि उच्च जाति की स्त्रियां ऊंची जाति में ही खरीदी जायें व निम्न जाति की स्त्रियां निम्न जाति में ही खरीदी जायें। इस प्रकार भी पंचायतों ने जातीय सम्मान व गरिमा को बनाये रखने का यत्न किया।[121]

उपर्युक्त निर्णयों एवं संबंधित स्रोतों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि जाति-पंचायते सामान्यतः न्यात की रीत के विरूद्ध कार्य नहीं करने या जाति के दोषी व्यक्ति पर गुनेहगारी 'आर्थिक दंड' ही लगाती दिखाई पड़ती हैं। दोषी व्यक्ति को 'जाति-भोज', जाति बहिष्कृत करने या तीर्थ कर लगाने आदि दंडों से भी दंडित किया जाता था। जाति-पंचायत द्वारा निर्धारित आर्थिक दंड की राशि राज्य को जमा करा देने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध किसी को दावा करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता था और यदि कोई ऐसा करता तो राज्य द्वारा दंड भुगत चुके व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाता था। ऐसी स्थिति में राज्य दावा करने वाले व्यक्ति को मना कर सकता था या उसके विरूद्ध कदम भी उठा सकता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संभाग में जाति-पंचायतों का अपना व्यापक सामाजिक कार्यक्षेत्र था एवं जातीय व सामाजिक विवादों के निपटारे व संबंधित समस्याओं के समाधान में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। राज्य भी जाति पंचायतों के निर्णयों एवं उसकी स्थिति को महत्त्व प्रदान करता था तथा उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता एवं संरक्षण देने की नीति पर चलता था। जाति-पंचायतों ने क्षमा याचना, त्रुटि सुधार, अर्थ दंड, जाति-भोज एवं जाति बहिष्कार जैसे दंडों के माध्यम से जातीय सदस्यों में अपने प्रचलित सामाजिक नियम-परम्पराओं की अनुपालना के प्रति जागरूकता व सतर्कता उत्पन्न की एवं अपनी जातीय रीति-परंपराओं को संरक्षित किया। राज्य द्वारा यथासंभव जाति-पंचायतों के मामलों में दखल नहीं किया जाता था फिर भी हम पाते हैं कि राज्य तो सर्वोच्च शक्ति ही था एवं किसी-किसी मामले में वह जाति-पंचायत के निर्णय को उलटता हुआ या एक निश्चित आर्थिक

---

120. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 31; वही वि. सं. 1830, नं. 13, पृ. 136

121. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 61; वही, वि. सं. 1853, नं. 9, पृ. 83

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कर लेकर प्रार्थी क़ो संरक्षण भी देता दिखाई पड़ता है। इससे जाति–पंचायतों पर राज्य की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। तथापि, यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जाति–पंचायतों ने विविध सामाजिक विवादों व समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने का कार्य निष्पादित कर राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायता प्रदान की।

■■■

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

5

गांव-पंचायत

राज्य के सामान्य प्रशासन एवं न्यायिक संगठन में विद्यमान विभिन्न प्रकार की पंचायतों में ग्राम-पंचायत अथवा गांव-पंचायत ग्रामीण समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग थीं। न्याय के क्षेत्र में जहां केन्द्रीय स्तर पर **राजा** व **दीवान** सभी प्रकार के मामलों में निर्णय दिया करते थे,[1] वहीं **चीरा** व गांव स्तर पर फौजदारी मामले **चीरों** व **थाणों** के फौजदार, हुवलदार तथा शहर व कस्बे में कोतवाल निपटाते थे[2] परन्तु ग्राम स्तर के अधिकांश नागरिक प्रकृति एवं ग्राम स्तर के अन्य विवाद संबंधित गांव-पंचायतों के द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[3] हमारे अध्ययन क्षेत्र में सामान्य व नागरिक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' स्तर पर गांव पंचायतों का प्रभावशाली रूप में विद्यमान होना इस बात का द्योतक है कि इस संभाग में राज्य प्रशासन में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को भी एक महत्त्वपूर्ण

---

1. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821, नं. 1, पृ. 37-38;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 152;
मू. नै. ख्या, भाग-2, पृ. 308, 500;
दयालदास ख्यात (प्र.), भाग-2, पृ. 3-95, 166-67

2. खालसा गांवों के हुवाला सौंपा कागद - **कागदों की बहियां**; विशेषकर **कागदों की बही**, वि. सं. 1820, नं. 2, पृ. 176;
वही, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 7, 9;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1850, नं. 45, पृ. 141, 278

3. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1821 से 1857 तक की नं. 1 से 54 बहियां एवं कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1811 से 1859 तक की नं. 1 से 12 तक की बहियों में तद्विषयक उल्लेख प्रचुर मात्रा में द्रष्टव्य है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

स्थान प्राप्त था। राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में संस्थाओं के साथ-साथ परम्पराओं का भी निर्वाह किया गया था।[4]

स्वरूप विवेचन

गांव या ग्राम-पंचायते सामान्य रूप से इस संभाग के प्रत्येक गांव में अस्तित्वमान मिलती हैं। विविध प्रकार के गांवों में इनका स्वरूप क्या व किस प्रकार का था? इस बिन्दु को समझने के लिए हमें इस संभाग में विद्यमान रहे विविध प्रकार के गांवों के संदर्भ में इनके स्वरूप को समझना होगा। इस संभाग में विद्यमान रहे गांवों को मुख्यत: तीन वर्गों में वर्गीकृत कर देखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में हम **खालसा** गांवों को लेते हैं। ये वे गांव थे जो कतिपय लोगों (ग्रासियों, भोमियों) द्वारा अपने आरंभिक प्रयासों से बसाये गये किन्तु, बाद में राजा द्वारा इन्हें अपने अधिकार में कर इनको खालसा (राजकोषीय) बना दिया गया।[5] इन खालसा गांवों में **हुवलदार** व **दरोगा** जैसे राज्याधिकारियों के अधिकारों के साथ पुराने ग्रासिये अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता में एक सीमा तक अपने परम्परागत अधिकार रखते थे। शासक द्वारा उन्हें अपने-अपने गांव का 'मुखिया' या 'चौधरी' माना जाता था।[6] राज्य द्वारा चौधरियों की इस विशिष्ट स्थिति को मान्यता प्रदान करने का एक परिणाम यह निकलां कि चौधरी इन गांवों में अपनी गांव-पंचायत का पंच भी बनता दिखाई दिया।[7]

---

4. आर्याख्यान कल्पद्रुम, पृ. 226-28, नं. 182/2
5. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल आफ दी इंटरमीजियरीज इन दी नोर्थ वैस्ट राजपूताना, शोध लेख, सोशियो इकोनोमिक (पूर्व.), पृ. 90
6. जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, अप्र. शोध-प्रबंध, पृ. 32-34
7. गांव-पंच की हैसियत से गांव स्तर के विविध विवादों पर वह अपना निर्णय देता था। देखिये-
   कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1811,, नं. 1, जेठ बदि 9;
   सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 55;
   वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 32, 33, 38;
   बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, पृ. 190;
   कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 113, 128, 130

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इन **खालसा** गांवों को भी चार श्रेणियों में विभक्त कर देखा जा सकता है। सर्वप्रथम वे गांव जो राठौड़ राज्य की स्थापना से पूर्व काल में बसे थे, खालसा में रखे गये थे, में चौधरियों के नेतृत्व में गांववासियों ने ग्राम स्थान पर अपने **भोमीचारा**[8] अधिकार कायम रखे और परम्पराओं को जारी रखा था। राजा स्प्ष्टत: उनके भूमि पर ऐतिहासिक दावों को मान्यता देता था और जब कभी उसके समक्ष इस प्रकार का मामला रखा जाता था, वह उस अधिकार का समर्थन करता था। समकालीन दस्तावेजों में इस प्रकार की स्थितियों का विवरण मिलता है जबकि शासक ने आदेश दिया कि 'गांव खालसा का जमीन जाटों की'। इसलिए इस प्रकार के गांवों की कृषि व बंजर, दोनों प्रकार की भूमि पर नियंत्रण, उसे सर्वप्रथम आबाद करने वाले व्यक्ति की बिरादरी के सदस्यों का हुआ। बंजर भूमि साफ करने का सर्वप्रथम अधिकार बिरादरी के सदस्यों का था और उन्हीं की सहमति से दूसरों को उस भूमि पर खेती करने की आज्ञा दी जाती थी।[9] इस प्रकार ऐसे **खालसा** गांवों की गांव-पंचायतों में उस गांव को बसाने वाले प्रथम व्यक्ति के परिवार व उसकी बिरादरी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण था।

दूसरी श्रेणी में वे **खालसा** गांव थे जो राठौडों के आक्रमण के बाद अस्तित्व में आये। इन गांवों में वह व्यक्ति जो राजा की अनुमति से सर्वप्रथभ गांव में अपनी जाति के सदस्यों के साथ बसता था, शासक के द्वारा उस गांव का चौधरी नियुक्त कर दिया जाता था परन्तु ऐसे चौधरियों को गांव की भूमि पर नियंत्रण के अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे मात्र स्थानीय राज्याधिकारी समझे जाते थे। चूंकि ये नये चौधरी भूमि कृषक होने के साथ-साथ राज्य के स्थानीय स्थायी अधिकारी भी थे इसलिए अपने गांव के अन्य कृषकों की तुलना में उच्च थे। राज्य भी चौधरियों के रिश्तेदारों को कर मुक्त भूमि देकर अथवा कृषि कर की रियायती दर लागू करके चौधरियों की विशिष्ट पारिवारिक स्थिति का सम्मान करता था। चौधरियों के रिश्तेदारों को राज्य द्वारा दी गई ऐसी भूमि '**कब्जा बिरादरान चौधरियान**' कहलाती थी और उसके स्वामी अपने नये गांवों की बिरादरी से दूसरे गांवों के **आसामियों** की तुलना में उच्च माने जाते थे एवं अपनी गांव-पंचायत में भी

8. देखें- परिशिष्ट- शब्द संग्रहिका

9. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 208;
जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इन्टरमीजियरीज, शोध लेख (पूर्व.), पृ. 94

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रतिनिधित्व पाते थे।[10] यद्यपि उनकी स्थिति प्रथम प्रकार के खालसा गांवों के पंचों की तुलना में कम सशक्त थी। ऐसे गांवों की गांव–पंचायतों को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी जितनी की प्रथम प्रकार के खालसा गांवों की गांव–पंचायतों व उनके पंचों को प्राप्त थी।

तीसरी श्रेणी के खालसा गांव वे थे जिनमें गैर आबाद बंजर भूमि की प्रधानता थी। बीकानेर राज्य के उत्तर पश्चिम में रेत के विस्तृत टीलों के कारण भूमि कम उपजाऊ थी एवं भूमि का मात्र तीन से दस प्रतिशत भाग ही जोता जाता था।[11] राज्य इस क्षेत्र में कृषि भूमि का विस्तार करना चाहता था अतएव इन गांवों में किसी भी स्थानीय कृषक को गैर आबाद बंजर भूमि पर खेती करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। सर्वप्रथम साफ करने से उस भूमि पर उसका पैतृक अधिकार हो जाता था एवं इसके लिए उसे चौधरी की अनुमति नहीं लेती पड़ती थी। राज्य भी नहीं चाहता था कि चौधरी के हस्तक्षेप से कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए दी गई शक्तियां सीमित हों और राज्य के प्रयासों की सफलता को धक्का पहुंचे।[12] परिणामतः ऐसे गांवों का चौधरी अपेक्षया कम प्रभावशाली होता था एवं अपनी गांव–पंचायत में पंच की हैसियत से उसकी स्थिति भी इतनी प्रभावशाली नहीं थी जितनी कि प्रथम प्रकार के खालसा गांवों की गांव–पंचायतों में होती थी।

चौथे प्रकार के खालसा गांव वे थे जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक उपजाऊ थे एवं जहां भूमि के 35 से 40 प्रतिशत भाग पर कृषि हुआ करती थी। इन गांवों की गैर आबाद बंजर भूमि के सर्वेसर्वा चौधरी थे।[13] इन गांवों में **आसामी** (कृषक)

---

10. **कागदों की बही (बीकानेर)**, के हुवाला सौंपा कागद, बही नं. 1, 4, 7, 10, 12, वि. सं. 1811, 1831, 1840, 1854 एवं 1859;
    जी. एस. एल. देवड़ा– पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इन्टरमीजियरीज, शोध लेख (पूर्व.), पृ. 94–95
11. जी. एस. एल. देवड़ा– रेगिस्तानी क्षेत्र (बीकानेर राज्य) में कृषि योग्य भूमि व उसका वर्गीकरण, शोध लेख, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ कोटा सेशन, पृ. 34–41, 1976 ई., जोधपुर
12. फेगन– सेटलमेंट रिपोर्ट (पूर्व.), पृ. 14–17;
    जी. एस. एल. देवड़ा– पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, शोध लेख (पूर्व.), पृ. 95
13. फेगन– सेटलमेंट रिपोर्ट (पूर्व.), पृ. 14–17;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

चौधरी की अनुमति से गैर आबाद बंजर भूमि को जोत सकते थे। यहां तक कि दूसरे गांव के कृषक भी वहां के चौधरी को 'हक-दाल' (1 रू. का अधिष्ठापन शुल्क) का भुगतान करके नयी भूमि पर कब्जा कर सकते थे एवं उसे खेती के लिए जोत सकते थे। चौधरी को 'हक-दाल' का भुगतान बंजर भूमि पर उसके मालिकाना हक के कारण नहीं, वरन् सरकारी अधिकारी के रूप में उसकी उच्च हैसियत के कारण किया जाता था।[14] इस प्रकार के खालसा गांवों की पंचायतों में चौधरी एक सशक्त सदस्य की भूमिका निर्वाह करता था एवं वहां की गांव-पंचायतें भी अपेक्षया अधिक प्रभावशाली व स्वायत्त हुआ करती थीं।

18वीं शताब्दी के मध्य में बीकानेर राज्य में खालसा गांवों की एक नयी श्रेणी उभर कर सामने आई। इन्हें **'जमींदारी गांव'** भी कहा गया। इस समय तक राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित अनूपगढ़ चीरे में भूमि किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं थी। राज्य ने यहां नये गांवों की स्थापना के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। राज्य ने उत्साही लोगों को इन प्रयासों में प्रत्येक प्रकार की सहायता दी। वे लोग या एक जाति विशेष के नेता जो नये गांवों की स्थापना करते थे **जमींदार** कहलाने लगे। इन नये गांवों के नाम इनकी स्थापना करने वालों के नाम पर रखे गये। एक रियायती भू-राजस्व प्रबंध लागू किया गया, जिसमें स्वयं **जमींदार** गांव के प्रत्येक घर से एक निश्चित दर पर राजस्व वसूल करता था। वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने-अपने इलाके से जगात कस्टम (चुंगी) भी वसूल कर सकता था। यद्यपि इन जमींदारों का भूमि पर स्वामित्व से संबंधित अधिकार नहीं था, किन्तु राज्य की ओर से गांव की बंजर भूमि पर एकमात्र उन्हीं का नियंत्रण था।[15] इन गांवों में **जमींदार** की स्थिति लगभग चौधरी के समान ही थी एवं इन गांवों की

जी. एस. एल. देवड़ा-पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, शोध लेख, (पूर्व.) पृ. 95

14. फेगन- सेटलमेंट रिपोर्ट, पृ. 14-17;
जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की प्रशासन व्यवस्था (अप्र. शोध ग्रंथ), पृ. 232-34

15. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1831, नं. 4, पृ. 43;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 25;
जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, (पूर्व.), पृ. 96

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गांव-पंचायत में **जमींदार** का प्रतिनिधित्व रहता था तथा ग्राम पंच की हैसियत से वे गांव के विभिन्न कृषि संबंधी विवादों को सुलझाने का कार्य भी करते थे। ऐसे गांवों की गांव-पंचायतें भी सशक्त व प्रभावी रूप से कार्यरत दृष्टिगत होती हैं।

खालसा गांवों के पश्चात् दूसरी श्रेणी के गांव '**पट्टा गांव**' थे। ये गांव शासक द्वारा अपने सामंतों को उनकी सेवाओं के लिए जागीर के रूप में **पट्टे** द्वारा प्रदान किये जाते थे। **पट्टे** में यह निर्देश उल्लिखित होता था कि **पट्टायत** भू राजस्व को निर्धारित दर पर वसूल करेगा, गांव में आबादी बढ़ायेगा तथा अन्य सहायक करों को वसूल करके राज्य को निर्धारित. कर चुकायेगा। प्रत्येक **पट्टायत** को पट्टा प्राप्ति के अवसर पर शासक को एक निर्धारित रकम '**पेशकसी**' के रूप में देनी पड़ती थी। पट्टायतों को अपने क्षेत्र के सम्पूर्ण फौजदारी अधिकार भी प्राप्त होते थे। वे अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायीं थे।[16] **पट्टायत** या **पट्टा** गांव भी कई श्रेणियों में विभक्त थे। सर्वप्रथम '**आसामीदार चाकर पट्टा गांव**' या '**ठिकाणा गांव**' जिन पर संबंधित पट्टायत के वंशानुगत व क्षेत्रीय अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी। अपने इन अधिकारों को बनाये रखने के लिए पट्टायत द्वारा राज्य को **चाकरी** (निर्धारित सैनिक सेवा) देनी पड़ती थी।[17] द्वितीय प्रकार के पट्टा गांव '**साधारण पट्टा गांव**' या '**चाकर गांव**' थे जो शासक द्वारा **पट्टायत** को केवल **चाकरी** के बदले में पट्टे में प्रदान किये गये थे। इनके पट्टे चाकरी के साथ ही बने रह सकते थे। इन **पट्टायतों** का अपने क्षेत्र में कोई वंशानुगत दावा नहीं होता था। अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए ये शासक की कृपा पूर्ण आश्रित थे। इनका अपना किसी तरह का दावा नहीं होता था।[18] तृतीय प्रकार के पट्टा गांव '**कामदारी**' या '**हजूरी गांव**' हुआ करते थे जो प्रत्येक प्रकार

---

16. **पट्टा बही**, वि. सं. 1682, नं. 1;
 परवाना बही, वि. सं. 1749, पृ. 22-26;
 पट्टा बही, वि. सं. 1692, पृ. 6-8;
 जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 76

17. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, (पूर्व.), पृ. 92-93

18. **पट्टा बही**, वि. सं. 1682, नं. 1;
 परवाना बही, वि. सं. 1749;
 जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 82

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

की सेवा के वेतन के रूप में **पट्टे** में प्रदान किये जाते थे। ये गांव उनके पट्टे में केवल उनके **चाकरी** काल के लिए ही दिये जाते थे। बीकानेर राज्य में महाराजा गजसिंह व सूरतसिंह ने **कामदारों** को पट्टे में ऐसे गांव दिये थे।[19] चौथे प्रकार के पट्टा गांव **'बेतलब पट्टा गांव'** थे जो एक प्रकार के ऐसे **चाकरी** पट्टा गांव थे जो पट्टायत को अपनी जीविका निर्वाह करने हेतु प्रदान किये जाते थे। उस पट्टे के गांवों की समस्त आय **पट्टायत** को ही जाती थी।ये **बेतलब पट्टा** गांव भी **राजलोकों के गांवों**, **व्यवसायिक पट्टा** गांवों आदि में वर्गीकृत थे। जब दरबार द्वारा शासक के निजी संबंधियों को उनकी जीविका व सम्मान बनाये रखने हेतु उन्हें प्रदत्त **पट्टों** में कतिपय गांव प्रदान किये जाते थे, तो वे **'राजलोकों के गांव'** कहलाते थे।[20] राजमहल अथवा दरबार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो व्यावसायिक जातियां विभिन्न कार्य करती थीं; उन्हें भी बेतलब पट्टे में कुछ गांव दिये जाते थे। इन पट्टेदारों में सुथार, सुनार व उस्ता चित्रकार प्रमुख थे।[21]

आसामीदार चाकर पट्टा तथा **चाकर पट्टा** गांवों की गांव-पंचायतों के स्वरूप का अध्ययन-अनुशीलन करने पर यह तथ्य विदित होता है कि इन गांवों की गांव-पंचायतों में संबंधित **ठाकुर** या **पट्टायत** का हस्तक्षेप बराबर बना रहता था। यद्यपि वे गांव-पंचायत के सदस्य कभी नहीं रहे तथापि उनके क्रिया-कलाप गांव की स्वतंत्रता को अंकुशित व नियंत्रित करते रहते थे एवं ऐसे गांवों की गांव पंचायतें हमें इतनी स्वायत्त, स्वतंत्र व प्रभावी दृष्टिगत नहीं होती जितनी की **खालसा** गांवों की हुआ करती थीं। **ठाकुर** या पट्टायत के हस्तक्षेप से इस प्रकार के गांवों का चौधरी भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति में नहीं होता था जिसका कि संबंधित गांव-पंचायत में पूरा दखल होता था ठीक इसी प्रकार **कामदारी** या **हजूरी** गांवों

---

19. कामदारों के पट्टे, **पट्टा बही**, वि. सं. 1692, नं. 2;
वही, वि. सं. 1725, नं. 5;
कामदारों के पट्टे, हजूरियों के पट्टे- **परवाना बही**, वि. सं. 1800;
दयालदास- देश दर्पण, पृ. 147-52

20. प्रत्येक पट्टा बही राजलोक पट्टों से ही प्रारंभ होती है। देखिये-
परवाना बही, वि. सं. 1749, पृ. 2-29;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ 89-90

21. परवाना बही, वि. सं. 1800, पृ. 72-84

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

की गांव –पंचायतें भी **कामदार** के हस्तक्षेप के कारण अधिक प्रभावी व स्वायत्त दिखाई नहीं पड़ती हैं। उल्लेखनीय है कि **कामदार** भी गांव –पंचायत के सदस्य नहीं होते थे। **बेतलब गांवों** में **राजलोकों** के गांवों की स्थिति लगभग कामदारी हजूरी गांवों की गांव –पंचायत जैसी ही थी चूंकि इन गांवों में राजलोकों के प्रतिनिधि इन गांवों की गांव –पंचायत की स्वायत्तता पर अवसर पड़ने पर विपरीत प्रभाव डालने से नहीं चूकते थे।

जीविकोपार्जन हेतु कतिपय व्यावसायिक जातियों को जो गांव **बेतलब** पट्टे में दिये जाते थे उन गांवों में यह आवश्यक नहीं कि उसी व्यावसायिक जाति विशेष के लोग निवास करते थे वरन् अन्य खेतीहर व गैर–खेतीहर जातियां भी निवास करती थीं। इन गांवों की गांव –पंचायते हमें स्वयात्त व प्रभावी दिखाई पड़ती हैं चूंकि इनके पट्टाधारी व्यावसायिक जाति विशेष के लोग प्रशासनिक शक्तियों से पूर्णत: रहित थे व सामान्यत: गांव –पंचायतों के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने में उनकी रूचि उत्पन्न होने का कोई कारण भी नहीं था।

तीसरे वर्ग के गांव '**सांसण**' या '**पुनरथ**' (पुनर्थ) के गांव थे। राज्य द्वारा विभिन्न धर्मावलम्बियों, शिक्षा शास्त्रियों या धार्मिक कृत्यों से संबंधित लोगों को धर्म या पुनर्थ के अनुदान के रूप में कुछ गांव सौंप दिये जाते थे जिनसे होने वाली आय उसी व्यक्ति या संस्था को प्राप्त होती थी। साधारणतया ये गांव ब्राह्मणों, चारणों व सन्यासियों आदि को दिये गये।[22] इन गांवों की गांव –पंचायतें भी हमें अपने सहज रूप में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती हुई दिखाई पड़ती हैं चूंकि सामान्यत: ऐसे गांवों के **पट्टाधारियों** को गांव के नागरिक मामलों में दखल या हस्तक्षेप करने में कोई रूचि नहीं थी।

समग्रत: कहा जा सकता है कि इस संभाग में अस्तित्वमान विविध प्रकार के गांवों में से उन गांवों की गांव –पंचायतें अपने स्वरूप में अधिक स्वतंत्र, स्वायत्त व प्रभावी दिखाई पड़ती हैं जहां पर चौधरी प्रभावशाली स्थिति में था एवं ठाकुरों, पट्टायतों या कामदारों का हस्तक्षेप विद्यमान नहीं था। जिन गांवों में **ठाकुर**, **पट्टायत** या **कामदारों** का हस्तक्षेप था वहां की गांव –पंचायतें उतनी स्वायत्तता से

---

22. सांसण, पुनर्थ व मन्दिरात के पट्टे, **पट्टा बही**, वि. सं. 1682, नं. 1;
    वही, वि. सं. 1725, नं. 5;
    वही, वि. सं. 1753, नं. 7;
    परवाना बही, वि. सं. 1800, पृ. 72–89

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अपना कार्य नहीं कर पाती थीं। यद्यपि यह एक महत्त्वपूर्ण सच्चाई थी कि **ठाकुर, पट्टायत** व **कामदार** गांव पंचों को नाराज भी नहीं करना चाहते थे।

गठन

यह कहना कठिन है कि गांव-पंच ग्राम समुदाय की खेतीहर जातियों से ही हुआ करते थे या समग्र ग्रामीण समाज से जिसमें खेतीहर एवं गैर कृषक दोनों वर्गों के लोग शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गांव-पंच भू-स्वामित्व प्राप्त काश्तकारों में से तथा गांव में प्रमुखता से निवास करने वाली जाति या कबीले से हुआ करते थे। यह अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि भू-स्वत्व अधिकार युक्त काश्तकार (आसामी) ग्रामीण समाज के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे।[23] गांव का स्थानीय अधिकारी होने के कारण ग्रामीण समाज में अपनी विशिष्ट स्थिति के फलस्वरूप गांव का चौधरी तो गांव-पंच होता ही था, राज्य द्वारा भी उसकी इस विशिष्ट स्थिति को मान्यता प्रदान किये जाने के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं।[24] चौधरी के पद को चूंकि इस संभाग में वंशानुगत माना जा चुका है, अतएव अपने इस वंशानुगत अधिकार के आधार पर वे गांव-पंच भी स्वत: ही बन जाया करते थे। किसी गांव विशेष को बसाने में जिस परिवार का मूल योगदान रहा हो अर्थात् जिस परिवार के प्रारंभिक प्रयासों से कोई गांव बसा हो उस परिवार या कबीले के सदस्य भी गांव-पंच होने का गौरव प्राप्त करते थे;[25] जो गांव किसी जाति विशेष से ही आबाद होता था उस गांव के संबंधित जाति-पंचायत के पंच ही गांव-पंच भी हुआ करते थे।[26] यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि '**कमीन**' अथवा

---

23. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, सावण बद 3;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, सूं, नं. 38, पृ. 29, 30;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37

24. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1832, नं. 15, पृ. 37;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 13, 129;
जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज, (पूर्व.), पृ. 97-98

25. **बही पानवली ठिकाणा री**, वि. सं. 1800, नं. 40/5, रामपुरिया रिकार्ड्स रा. रा. अ. बी.

26. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 54;
वही, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 7;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

निम्नवर्गीय जातियों को ग्रामीण समाज में कम महत्त्व प्राप्त था एवं उनकी स्थिति भू-स्वत्व अधिकार प्राप्त खेतीहर जातियों के सहायक या सेवक की थी परिणामत: गांव की गांव-पंचायत में पंच की हैसियत से उनको कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यहां यह तथ्य भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि गांव की अन्य व्यावसायिक जातियों व महाजन आदि को भी गांव-पंचायत में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था एवं वे गांव की पंचायत के सदस्य भी हुआ करते थे।[27] चौधरी के वंशानुगत आधार पर गांव-पंच नियुक्त होने के प्रमाण तो मिलते हैं परन्तु इस आधार पर यह निश्चित मान्यता नहीं बनायी जा सकती कि समस्त गांव-पंच वंशानुगत आधार पर ही नियुक्त होते थे। इसी प्रकार चुनाव द्वारा गांव-पंचों का नियुक्त होना या चुनाव द्वारा पंचायत गठित किये जाने संबंधी कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं।

गांव-पंचायतें हमें सामान्य रूप से प्रत्येक गांव में देखने को नहीं मिलती है। सामान्यत: वे पूर्ण परिपक्व व विकसित गांवों में ही देखने को मिलती हैं।[28] ऐसे गांव जिनकी आबादी बहुत ही कम या नाममात्र की थी या वे अविकसित कहे जाने योग्य थे, में गांव-पंचायत के अस्तित्वमान होने के संकेत नहीं मिलते है। ऐसे गांवों के ग्रामीण-समुदाय अपने समीपस्थ बड़े गांव या संरक्षक गांव की गांव-पंचायतों के क्षेत्राधिकार से जुड़े दिखाई पड़ते हैं।[29] यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि एक गांव की गांव-पंचायत का कार्य क्षेत्र उसी गांव तक सीमित होना अनिवार्य नहीं

कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 36;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 27;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 196

27. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 38, 76;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1845, नं. 38, पृ. 7, 13

28. संबंधित अभिलेखीय स्रोत-सामग्री में जिन-जिन गांवों में गांव-पंचायतों से संबंधित उल्लेख आये हैं वे अपने समय के विकसित गांव थे।

29. यह अनुमान इस तथ्य पर आधारित है कि कतिपय गांवों के विवाद उनके निकटस्थ गांव के गांव-पंचों द्वारा सुलझाये जाने के उल्लेख मिलते हैं एवं जिन निकटस्थ बड़े गांवों के गांव-पंचों द्वारा वे मामले सुलझाये गये वे गांव समसामयिक परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण अर्थात् बड़े गांव प्रतीत होते हैं, चूंकि समसामयिक पुरालेखों में इन गांवों के नाम विविध संदर्भों में बारम्बार आए हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

था। कभी-कभी यह दो या दो से अधिक गांवों तक भी विस्तीर्ण दिखाई पड़ता है।[30] एक गांव से संबंधित मामला उसी गांव की गांव-पंचायत द्वारा सुलझाया जाता था किन्तु जब कभी दो गांवों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता था ऐसी स्थिति में उस विवाद को सुलझाने का दायित्व तीसरे गांव की गांव-पंचायत के ऊपर डाला जाना भी प्रमाणित होता है।[31]

बैठक प्रक्रिया

उपलब्ध जानकारी के विवेचन से विदित होता है कि सामान्यत: तीन परिस्थितियों में गांव-पंचायत की बैठक बुलाई या आयोजित की जाती थी। प्रथम स्थिति में, कोई समस्या या विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष द्वारा स्वयं मामला निपटारे या समाधान हेतु गांव-पंचों के समक्ष ले जाये जाने पर संबंधित गांव-पंचायत उसे सुलझाने हेतु अपनी बैठक आयोजित करती थी।[32] द्वितीय स्थिति में, विवाद या समस्या सीधे ही गांव-पंचों के समक्ष न ले जाकर सीधे राज्य के समक्ष ले जाये जाने पर राज्य द्वारा इन मामलों में गांव-पंचों द्वारा की गई जांच को आधार बनाकर उन मामलों का निपटारा किया जाता था। ऐसे मामलों में गांव-पंचों की गवाही या साक्षी एक निर्णायक भूमिका निभाती थी व शासक तथा राज्य के उच्चाधिकारियों द्वारा उनकी साक्षी को विश्वसनीय माना जाता था।[33] कभी-कभी ऐसे मामले निपटारे हेतु पुन: संबंधित गांव-पंचों को ही सौंप दिये जाने के भी प्रमाण मिलते हैं।[34] तृतीय स्थिति में, गांव-पंच स्वयं सक्रिय होकर दोषी या गलत व्यक्ति को चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ते थे या उसको दंडित करने हेतु

---

30. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 31;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 209

31. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 189;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1857, नृ. 54, पृ. 2

32. **कागदों की बही (बीकानर)**, वि. सं. 1846, नं. 8, वि. सं. 1851, नं. 9, एवं **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1848, नं. 43; वि. सं. 1850, नं. 45 में तद्विषयक उल्लेख आये हैं।

33. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1824, नं. 6, पृ. 13, 18;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1840, नं. 29 पृ. 2, 7

34. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 39;

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बैठक आयोजित करते दिखाई पड़ते थे।[35] उल्लेखनीय है कि ऐसे कतिपय मामलों में पंचों के आदेश की अवहेलना भी की गई व गांव – पंचायत के दोषी द्वारा राज्य – प्रशासन से सहायता की गुहार भी की गई।[36] गांव – पंचायत के अधिकार क्षेत्र का मामला निपटारे हेतु राज्य के समक्ष प्रस्तुत होने व राज्य द्वारा उसे पुन: संबंधित गांव – पंचों को ही सौंप जाने संबंधी एवं ग्राम स्तर के विवादों को गांव – पंचों द्वारा स्वयं निपटाने संबंधी प्राप्त प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांव – पंचायतें ग्रामीण या स्थानीय स्तर पर राज्य – प्रशासन की तरफ से न्याय प्रदान करने वाले एक साधन या सहायक संस्था के रूप में उभकर सामने आईं। गांव – पंचायतों की बैठक आयोजित किये जाने के स्थान, कार्य पद्धति, लिखित प्रमाणों की जांच, राज्य द्वारा पंचों को न्याय करते समय निष्पक्ष रहने की कसम खिलाने आदि से संबंधित जो विवरण प्राप्त होते हैं वे जाति – पंचायतों के संदर्भ में पूर्व अध्याय में उल्लिखित विवरण से भिन्न नहीं हैं अर्थात् इस दृष्टि से गांव – पंचायतें जाति – पंचायतों के समान ही कार्यरत थीं।

कार्यक्षेत्र एवं विषय

जहां तक गांव – पंचायतों के कार्य क्षेत्र एवं विषयों का प्रश्न है यह पूर्णत: स्पष्ट है कि गांव के पुलिस – प्रशासन एवं भू – राजस्व वसूली के प्रशासन को संचालित करने में गांव – पंचायतों की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं थी। प्रत्येक गांव में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने का कार्य उस क्षेत्र के प्रत्येक गांव से संबंधित '**थानेदार**' एवं '**फौजदार**' का दायित्व था।[37] गांव में शांति एवं व्यवस्था स्थापना में स्थानीय स्तर के जिन व्यक्तियों का दायित्व था वे **मुखिया, ठाकुर, जमींदार** आदि

वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119, 130;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 106, 166;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 128, 139, 153, 169

35. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सूं, नं. 38 पृ. 6;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1835, नं. 20, पृ. 68

36. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 10;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1857, नृ. 54, पृ. 6

37. **बसता खालसा गांवों का**, वि. सं. 1820, बस्ता नं. 1, बीकानेर बहियात, रा. रा. अ. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

थे जो अपने से संबंधित गांव में यह भूमिका निर्वाह करते थे।[38] साथ ही साथ गांव के भू-राजस्व वसूली प्रशासन में भी गांव-पंचायत या गांव-पंचों की कोई अधि कारिक स्थिति नहीं थी। इस हेतु गांवों में नियमित राजस्व कर्मचारी हुआ करते थे जो गांवों में लगान वसूली का कार्य संपादित करते दिखाई पड़ते थे। ये राजस्व कर्मचारी मुख्यतः '**हुवलदार**' एवं दरोगा इत्यादि थे। संभवतः भू राजस्व निर्धारण में आवश्यकता पड़ने पर पंचायतों का सहयोग लिया जाता था।[39] राज्य द्वारा इन पंचायतों को अवश्य कुछ प्रशासनिक कार्य या दायित्व सौंपे जा सकते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक मामलों में गांव-पंचायत की स्थिति ग्रामीण स्तर के विविध प्रकार के विवादों को निपटाने वाली स्थानीय स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में थी। गांव-पंचायतों के समक्ष जो समस्याएं समाधान हेतु प्रस्तुत होती थीं या जो विवाद उनके द्वारा सुलझाये जाते थे वे मुख्य रूप से भू-स्वत्व अधि कार संबंधी कृषि विवाद जैसे खेत, घर, जमीन, कुंए के स्वामित्व संबंधी झगड़े, इनके बंटवारे संबंधी मामले, खेतों की हद (सीमा) संबंधी विवाद, पैतृक भूमि-घर, सम्पति के बंटवारे संबंधित मामले, साझे की जमीन के बंटवारे, खेत जमीन पर अनधिकृत कब्जे, कृषि उपज एवं अतिरिक्त उपज के बंटवारे से जुड़े विवाद, दान-अनुदान की भूमि के स्वामित्व से संबंधित झगड़े, भू-स्वामी को अपनी भूमि काश्त न करने देने संबंधी विवाद, '**मलबा**' एवं '**मुकाता**' व्यवस्था से जुड़े विवाद आदि से संबंधित थे।[40] इसी के साथ ही साथ ग्रामीण स्तर के आपराधिक मामलों, नागरिक प्रकृति के विवादों, दो गांवों की सीमा को लेकर हुए झगड़ें, विविध प्रकार

38. **बसता खालसा गांवों का**, वि. सं. 1820, रा. रा. अ. बी.

39. वही

40. **मुकाता**- जब कोई काश्तकार अपनी भूमि को जोतने के लिए किसी अन्य को ठेके पर देता था तो उसे मुकाता कहा जाता था।
मलबा- कोई भी **चौधरी** या **आसामी** अपनी अतिरिक्त भूमि किसी अन्य को **जोत** पर देने पर उससे '**मलबा**' नाम का कर वसूल करता था।
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1811, नं. 1, जेठ बदि 10;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 39 56;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 32, 51, 119, 142;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 30;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 107, 111, 136, 144, 148;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 153, 166, 169, 172, 199

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के कर **अवबाब** को लेकर उत्पन्न विवाद, करों के निर्धारण, लेहणा कर्ज को लेकर विवाद, भूमि या वस्तु रेहन रखने से जुड़े विवाद, संतानविहीन व्यक्ति की संपत्ति के बंटवारे, क्रय-विक्रय से जुड़े विविध प्रकार के विवाद इन गांव-पंचायतों के द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[41] गांव-पंचायतों के उपर्युक्त कार्य-क्षेत्र एवं विषयों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत कर देख सकते हैं-

भू-स्वत्व अधिकार एवं कृषि संबंधी विवाद

खेत की जमीन, कुएं, घर के स्वामित्व एवं उसके '**हिस्सा पांती**' (बंटवारे) के प्रश्न पर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के विवाद गांव-पंचायत की मध्यस्थता से ही सुलझाये जाते थे।[42] इस प्रकार के विवाद प्रायः तब उत्पन्न होते थे ज़बकि दस्तावेजों में इनका स्वामित्व किसी व्यक्ति का होता था जबकि वास्तविक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का अथवा स्वामित्व संबंधी झूठा खत (दस्तावेज) प्रस्तुत कर विवाद पैदा किया जाता था या एक पक्ष द्वारा दूसरे का हिस्सा हथिया लेने से विवाद उत्पन्न हो जाते थे। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्वामी द्वारा अपना न्यायसंगत अधिकार प्राप्त करने हेतु मामला गांव-पंचायत के समक्ष लाया जाता था। जैसे विक्रम संवत् 1811 (1754 ई.) में बीकानेर राज्य के गांव साठीके में अलावतों व जगावतों के मध्य गांव आधा-आधा विभक्त था। अलावतों ने जगावतों के रूपासर कुंए व खेतों पर कब्जा कर उन पर अपने स्वामित्व संबंधी झूठा दस्तावेज प्रस्तुत किया तब जगावतों के प्रतिनिधि घीघो, हरनाथ, भैंरू दरबार आकर इस मामले में अलावतों से लड़े। दरबार द्वारा इस मामले का निपटारा संबंधित गांव पंचों को सौंप दिया गया व यह विवाद गांव-पंचायत के कार्य क्षेत्र का विषय बनता

---

41. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 65, 71, 73, 85;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 113, 127, 144, 191, 243, 301;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1829, नं. 3, पृ. 27;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 108, 112, 113, 125, 140, 161, 200;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 77, 189, 308, 311;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 138, 190, 196, 204, 206

42. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1, जेठ बदि 10;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 39;
कागदो की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 37, 39, 50;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 130, 166, 232

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

दिखाई पड़ा।[43] वि. सं. 1822 में जोधपुर के ओझा मूलकचंद एवं गुलालचंद के भानजे में उनके गांव के हिस्से के खेत के बारे में झगड़ा हुआ एवं मामला दरबार में जाने पर 'दरबार' द्वारा इस मामले में न्याय करने का काम पंचों को सौंपा गया।[44]

वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव चांडासर के पलीवाल कीसने और वीरदास के मध्य घर, बाड़ी व खेतों के स्वामित्व के प्रश्न को लेकर हुआ विवाद भी निपटारे हेतु पंचों को ही सौंपा गया।[45]

---

43. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1, जेठ बदि, 10 मूल अभिलेख इस प्रकार है-
1 गां. साठीके में हेसा 2 आघ जगावतों रो आघ अलावतों रो सदागद छै। अलावतां जगावतां रे कोहर रूपासर अर खेतों उपर खत काढ़ीया, सुं घीघो हरनाथ भैरों अलावतां सुं दरबार आय झगड़िया सुं खत कोहर ऊपर तो कूड़ा छै कोई खेतां ऊपर छै कोहर खेत दाब लिया था कब्जा कर लिया आर सुं दरबार सुं अलावतां नें कहयो पंच दरावे सुं खता रूपीया लो अर जमीं कोहर डलनहू ते उपर अलावत प रा गया सु हमें घीघो हरनाथ भैरों कोहर खेतों में अमल कर सी पांच चमासे अलावत झगड़सी तो खत सांचों हूसी। तेरा पंच दरासी सुं देसी रूपीया कोहर खेतों सुं अलावत झगड़ो कर सी तो झूठो छे। दरबार सुं देसी मने करसी।
जैठ बद 10, सं. 1811
अलावत एवं जगावत दो राजपूत जातियां हैं।

44. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 39 -ओझा ब्राह्मण जाति है।

45. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10 पृ. 130;
मूल लेख इस प्रकार है-
1 गांव चांड़ासर रे पलीवाल कीसने वीरदास रे आपत में घर, बाड़ी खेतों रो असरचो छे सुं चांड़ासर रे पंचों उप्रा धाती छै सु बरा प्रमेसरी नीवेड़ देसी हरकुर ने राखसी
1 घर बाड़ी रो झगड़ो का तो नीवेड़ देणो इतरो रहे छे सुं ओपत में रहसी
1 खेतों रो झगड़ो छे सु पंच नीवेड़ देसी
1 बुधर चेलोणी 1 उदजेसिंघ रौ
1 तेजी नरणारो 1 देदो प्रवत रो
4। मतु पलीवाल कसनी वीरदास उप्र लिखी सु सही आसाढ़ बद 5 पलीवाल ब्राह्मण जाति है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

वि. सं. 1823 मे जोधपुर राज्य के गांव रोहल के काजी हयात व जाट राजीया के मध्य खेतों के स्वामित्व के प्रश्न पर झगड़ा था जो दरबार में प्रस्तुत होने पर दरबार द्वारा नागौर **कचैड़ी** (कचेहरी) को निर्देश दिया गया कि वह **जाणीवाण** (विशेषज्ञ) पंचों से पूछताछ कर कागज-पत्र देखकर जैसा ठीक समझें इसे निपटाएं अर्थात् इस मामले के निपटारे में भी गांव-पंचों की सहायता को अनिवार्य समझा गया।[46]

भू-स्वत्व के प्रश्न पर उत्पन्न होने वाले विवाद तो गांव-पंचायत के कार्य क्षेत्र के विषय बनते ही थे साथ ही भू-स्वत्व को सिद्ध करने वाले **खत**-दस्तावेज जारी करने अर्थात् किसी भूमि, खेत आदि पर किसी के स्वामित्व को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का कार्य भी संबंधित गांव-पंचायत ही किया करती थीं एवं राज्य इस हेतु संबंधित गांव-पंचों को ऐसा **खत** जारी करने को कहता हुआ भी दिखाई पड़ता है जैसा कि वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव ड़ेलीणे के चौधरी खेमो अमरोणी के द्वारा विगत 40 वर्षों से भूमि काश्त करने पर भी उसके पास जमीन का **कागद** (दस्तावेज) न होने पर राज्य द्वारा संबंधित गांव-पंचायत से उसे तद्विषयक कागज देने का निर्देश दिया गया एवं यह कार्य भी गांव-पंचायत के कार्य क्षेत्र का विषय बनता दिखाई पड़ा।[47] ग्रामीणों के खेत, **रोही**,[48] जमीन की एवं तालाब के आगोर[49] की हद जिसे स्थानीय भाषा में **'सींव'** कहा जाता था को लेकर भी कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते थे जो भी संबंधित गांव-पंचायत के ही कार्य

---

46. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, आसाढ़ सुद 3; मूल लेख इस प्रकार है-
    नागौर कचैड़ी
    आसाढ़ सुद 3 सोम
    1 तथा गांव रोहल रा काजी हयात रे ने जाट राजीया रे खेतों रो असरचो है। ऐ दोनु आया था पण ईणा रा जाणीवाण पंच तो सारा उठे है तिण सुं पाछा उठे हीज मेलीया है सुं इणा रा खेतों रा कागद पत्र देख जाणीवाणां पंचा नुं पूछ चौकस ठीक करने उवाजवी हुवे सुं सरचाय देजो श्री हजूर रो हूकम है।
47. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, 142
48. वीरान जमीन (गांव से बाहर)
49. तालाब का जल आपूर्ति क्षेत्र

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

क्षेत्र के विषय बनते थे।[50] ये विवाद खेत या रोही की सीमा पर खड़ी की जाने वाली बाड़[51] को आगे बढ़ा देने से उत्पन्न हो जाते थे। इन विवादों के मामलों में जांच-पड़ताल कर सही सीमाकंन कराने का कार्य गांव-पंचों का ही था। गांव-पंचों द्वारा किये गये सीमांकन को नहीं मानने या उसकी अवहेलना करने पर राज्य द्वारा दोषी पर **गुनेहगारी** का आर्थिक दंड भी लगाया जाता था।[52]

पैतृक सम्पत्ति, भूमि, घर, जमीन के बंटवारे के प्रश्न पर, **खोला** (गोद) अनुचित ठहराने के प्रश्न पर एवं भाईयों से अलग हो जाने पर भी कई बार बंटवारे संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाते थे जो संबंधित गांव-पंचायत के कार्य क्षेत्र के विषय बनते दिखाई पड़ते थे।[53] कई बार ऐसे विवाद न्याय प्राप्ति हेतु जब राज्य के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे तो राज्य इनके निपटारे का दायित्व संबंधित गांव-पंचों को सौंपता हुआ दिखाई पड़ता है।[54] जैसा कि वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव जसरासर के चौधरी दीपे घरमोणी एवं सींवत नरसिंघोणी के मध्य पैतृक घर जमीन व काश्त योग्य खेतों के बंटवारे के प्रश्न पर झगड़ा उत्पन्न हो गया जिसका निपटारा

50. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 89, 90;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सू, नं. 38, पृ. 30;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 114, 168, 173, 194;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 145, 175, 195, 210

51. सीमा पर झाड़ियों की पंक्ति

52. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833 सू, नं. 38, पृ. 30
मूल-लेख इस प्रकार है-
1 वाघोड़ हीमतसिंघ सुवाइीसिंघोंत रे माह सीघ सु आपत मंहि सीवरो कजीयो हूतो सुं पंचा उप्रा थापी थी सुं माहसीघ उथपी तै कनै उथप रा लीया रू 25) सु सं. 1835 भादुवा बद 9 सुधे साहे जमा छे।

53. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1823, नं. 3, पृ. 30;
वही, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 12;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 116, 141, 153, 201;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 271, 287

54. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 62;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 120, 173

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

करने का दायित्व संबंधित गांव-पंचों पर ही डाला गया।[55]

कई बार साझे के खेत, जमीन जिसे स्थानीय भाषा में 'सीर' कहा जाता है, के बंटवारे के प्रश्न पर भी विवाद उत्पन्न हो जाते थे एवं निपटारे हेतु संबंधित गांव-पंचायत के समक्ष पहुंचते दिखाई पड़ते थे।[56] ऐसे मामलों में साझे की जमीन-खेत का बंटवारा करने के अतिरिक्त करों के रूप में उस जमीन की देनदारी का बटवारा भी गांव-पंच ही किया करते थे।[57] अपने अधिकार की जमीन, खेत, **बाड़ी** पर उसके स्वामी को अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि काश्त नहीं करने देने पर उत्पन्न विवाद भी निपटारे हेतु संबंधित गाँव पंचों को सौंपे जाते थे। जैसा कि वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव होहड़ीये के चारण गेने को चारण रीघू आईदान द्वारा अपनी स्वयं की बाड़ी पर खेती नहीं करने देने, रोकने पर जब गेने ने दरबार में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो राज्य ने संबंधित गांव के पंचों के पास जाकर मामला सुलझवाने का निर्देश दिया।[58]

---

55. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 116; मूल पुरालेख उदाहरणार्थ द्रष्टव्य है-

1 गो. जसरासर रे चौ. दीपे घरमोणी अर सीवत नरसिंघोणी रे असरचो छे घरमो ताजोणी मा ताजो राम गत था सुं सं. 1828 जाट हुआ ताहरो रहण रो घर वाहण रा खेत बाप दादा रा था सुं सरब दराया सुं दीपो घरमोणी कहे छे एक घर री जागा अर खेत र माहरे नीचे कोई नहीं अर रहण री घर की जमीं छे सुं सदामद में रहता ने छे तो इयोरी सु घर तो दीपै घरमोणी नें मींगसर में प्रो देसी अर खेत र रो अस रचो छे सुं इतरो पंचों उप्र घाती छे पंच कहसी खेत र सीवत नीचे छे तो खेत छोड़ देसी व सीवत कुड़ो अर पंच कहसी खेत र सीवत रे नीचे कोई नही तो दीपो कुड़ो दुनो में कुड़ो हूसी ती को गुनेगारी रा रू. 25) देसी।

1 कोनो तोजोणी   1 चो. रामचंद सीवतोणी
1 चो. फुलो बरबद रौ   1 चो. जगमाल गादोणी
मिती जेठ बद 13
1 मत चो. दीया घरमोणी उप्र लिखो सुं सही
1 मतु चो. सींवत नरसिंघोणी उप्र लिखो सुं सही

56. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 128, 166

57. वही, पृ. 120, 128, 166, 173

58. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 144

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

खेत, जमीन, बाड़ी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने तथा गांव की एक जाति द्वारा दूसरी जाति की जमीन दबा लेने आदि से संबंधित विवाद भी संबंधित गांव-पंचायतों के द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[59] जैसे वि. सं. 1822 में जोधपुर राज्य के कोठारी विजेचंद ने कस्बे मेड़ता की अपनी धरती जोतने के लिए माली नानग को दी किन्तु नानग ने उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर भूमि पर अपना स्वामित्व बताना शुरू कर दिया परिणामत: दोनों पक्षों में हुआ झगड़ा जब दरबार के समक्ष पहुंचा तो दरबार ने कस्बे मेड़ता के पंचों से पूछताछ कर मामला निपटाने का निर्देश दिया।[60]

इसी प्रकार वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव अभीमदेसर के प्रमोणद, राजीया, गोगा के विरूद्ध उसी गांव के चौधरी धना ने उनके विरूद्ध दरबार आकर प्रार्थना की कि हमारी जमीन पर उन्होंने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है तब यह मामला भी राज्य द्वारा संबंधित गांव के जाणीवाण पंचों को निपटारे हेतु सौंपा गया।[61]

---

59. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 56;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 136, 148;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 183;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 153, 169

60. तद्विषयक उल्लेख इस प्रकार मिलता है-
1 तथा कोठारी विजेचंद ने माली नानग रे कसबे मेड़ता री धरती रो असरचो है विजेचन्द तो कहै छै धरती म्हारी छे सुं म्हें म्हारी रजामंदी सुं कदे कण माली ने धरती बावण दीवी थी सुं माली रो कोई दावो न्हीं ने माली कहै छे धरती म्हारी पांती री छे सुं वायां जाऊं छे तिण रे हासल सं. 1810 रा बरस सुंघी ईणा म्हाजना तु दीरायां आयो छे सुं. ईणा दोनू री हकीकत श्री हजूर मालम हुई सूं हूकम हुवो हे उठे रा पंचां ने पू छ ने उवाजबी हुवे जु करजो किणी री हरकूसर राखी ने मालम हुई तो ओलमो खावसो दु 11 पाणियो आईदान
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 56

61. मूल कागद इस प्रकार है-
1 गो. अभीमदेसर रो प्रमोणद राजीया गोगा तीथा जोरय तीया चो. धनो श्री दरबार आय पुकारियो माहरी जमी में बाड़ा कर लिया छे सुं इतरो पंचों उप्र धाती छे सुं वरा प्रमेसरी इयो ने सरचाय देजो थेहे जाणाऊ छो सुं सरचाय देजो हरकुर कहीं री मत राखजो

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गांव-पंचायतों के समक्ष इस प्रकार के मामले भी प्रस्तुत होते थे जिनमें कि कतिपय कारणों से किसी भू-स्वामी आसामी के वर्षों गांव से बाहर रहने के उपरांत वापस लौटने पर अपने भू-स्वत्व अधिकार की मांग की जाती थी।[62] यह मामले विवाद का रूप तब धारण कर लेते थे जबकि पीछे से अन्य व्यक्ति द्वारा उसके खेत जमीन पर अधिकार कर लिया जाता था। उदाहरणार्थ वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव बीलेरीयो के चौधरी पूरणीये धने के कई वर्ष गांव से बाहर रह कर पुनः लौट आने व पुनः गांव में बसने पर उसके द्वारा अपना खेत, जिसे दूसरा व्यक्ति जोतता था, उससे मांगा गया व उसके द्वारा इंकार किये जाने पर अपने स्वत्व अधिकार प्राप्ति के लिए उसने दरबार से प्रार्थना की एवं दरबार ने गांव के पंचों को यह मामला सौंपते हुए उन्हें इसे निपटाने के लिए अधिकृत किया गया तो यह मामला संबंधित गांव-पंचायत के कार्य क्षेत्र का विषय बना।[63]

दरबार द्वारा किसी व्यक्ति को इनायत की गई जमीन पर खेती करने व उस जमीन की हासल लेने से जब कभी स्थानीय पट्टायत संबंधित व्यक्ति को मना कर देता था एवं बाधा पैदा करता था या **फौजदार** से झगड़ा होने की वजह से फौजदार प्रभावित व्यक्ति को दरबार में प्रार्थना करने से रोकता या पंचायत भी तद्विषयक फैसला नहीं करती तो इस प्रकार के समस्त मामले राज्य की जानकारी में लाये जाने पर राज्य पंचों को स्पष्ट निर्देश देता था कि वे उस मामले को सुलझाते हुए न्याय करें अथवा कभी-कभी राज्य निर्णय देकर पंचों को उसकी क्रियान्विति कराने का

---

1 चो. पुरो गोपोलोणी 1 चो. गोरधन नोरोणी
1 चो. टीकू सहारण 1 चो. दयारोम हीरोणी
आ 4 थोतां उप्र घाती छे सुं समझाय देजो। कागद आसाढ़ सुद 1
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 136

62. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 111;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 169, 172

63. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 172; मूल उल्लेख इस प्रकार मिलता है-
1 गो. बीलेरीयो रा चोधरियां समसुतां जोग्य चो. पुरणीयो धणौ वरस सुं गोंव आय वसीयो छे सुं ईये रो खेत तो बीजौ काढ़ लियो सुं ईये नें वाहण न खेत दयो न्हीं सुं आई आय वसीयो छे सुं खेत तो वाहण ने चाहीजे सु थे गोंव रा चीयारे मोणस सरचाय देजो फेर ईये ने पाछो आण दीयो तो गुनो लागसी आसाढ़ वद 13

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आदेश भी देता था।[64] उदाहरणार्थ- वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव जनाणा के लछीराम को दरबार द्वारा भेंट की गई 200 बीघा जमीन पर जब लछीराम के बेटे दयाराम ने जमाना (अच्छी बारिस) देखकर जुताई की तो पट्टायत के आदमियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया कि श्री हजूर का आदेश आने पर ही उस भूमि की हासल (उपज) वे उसे लेने देंगे। तद्विषयक विवाद राज्य के समक्ष पहुंचने पर राज्य द्वारा पट्टायत के व्यक्तियों व गांव के चौधरियों, पंचों के नाम तद्विषयक लिखित आदेश दिया गया अर्थात् इसकी क्रियान्विति हेतु पंचों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई।[65]

दान, पुण्य या अनुदान में प्राप्त खेत भूमि जिसे स्थानीय भाषा में **'डोहली रो कोसीटो'** कहा जाता है, के स्वामित्व व उसकी उपज पर अधिकार एवं उसकी हिस्सेदारी को लेकर भी कई बार विविध प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते थे जो संबंधित गांव-पंचों द्वारा ही सुलझाये जाते थे[66] जैसे वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव आहोर के ब्राह्मण खुस्याल का गांव चरली में डोहली का कोसीटा था जिसे वहां के जागीरदार ने अटका लिया तो मामला श्री हजूर के पास पहुंचने पर इस बात का निर्णय करने का कार्य कि वह वास्तव में ब्राह्मण खुस्यात का डोहली का

---

64. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 32;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 107, 118, 227

65. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 32; मूल उल्लेख इस प्रकार मिलता है-

1 तथा गांव जनांणा री धरती बीघा 200 सं. 1816 रे बरस में श्री बड़ा महाराजा जी री सलामती में लछीराम नुं इनायत हुई थी सुं हमारे इणां बरसां में कु जमाना रे सबब धरती नु बुहाई ने अेस लछीराम रे बेटे दयारोम धरती बुहाई है सुं जागीरदार रा आदमी कैहबत करे है कहे छे श्री हजूर सूं हूकम आयां हासल लेण देसी सुं हुकम हुवो है तिण री जागीरदारां रा आदम्यां नुं कहैवत करण दे जो मती उण धरती रो हासल दयाराम लेसी सुं कचैड़ी सुं जागीरदार रा कामदार चौधरियां पंचां रे नांव चीठी लिख देजो श्री हजूर रो हूकम है दु. पणीयो आई दान
1 नकल दफ्तर में उतार ने दयारोम नु सोंप देजो

66. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 51, 119, 142;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 140, 157

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कोसीटा ही है या नहीं? का दायित्व गांव-पंचों को सौंपा गया।[67] कभी-कभी डोहली की जमीन की पैमाइश करने संबंधी काम भी पंचों को ही सौंपा जाता था।[68]

गांव-पंचायतों का कार्य उन काश्तकारों के अधिकारों को भी संरक्षण प्रदान करना था जो किराये पर किसी अन्य का खेत जोतते थे। ये साधारणतया **मुकाती** कहलाते थे।[69] गांव में बाहर से आये कृषकों को भी जो '**नवा**' कहलाते थे पहले **मुकाते** पर खेत दिया जाता था।[70] भू-स्वामी व किरायेदार के बीच प्राय: तीन वर्ष का समझौता होता था। इसे बीच में ही भंग करने का अधिकार किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं था।[71] जो काश्तकार किसी अन्य के खेत को '**बूजा कटाई**' कर जोतने योग्य बना लेता था, उसे उस पर तीन वर्ष तक कृषि करने का अधिकार मिल जाता था।[72] बदले में वह भू-स्वामी को '**मुकाता**' व '**मलबा**' चुकाता था।

---

67. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 143; मूल लेख इस प्रकार है-
1 वैशाख बद 14 सोम सं. 1823
1 तथा गांव आहोर रो ब्री. खुस्याल कहयो गांव चरली में म्हारे डोहोली रो कोसीटो छे सुं जागीरदार अटकायो छे आ हकीकत श्री हजूर मालम हुई सूं हूकम हुवो है ईण रे सदामद री डोहोली रो कोसीटो हुवे ते जाणीवाण पंच बतावे तो ठीक करने इणरी डोहोली रो हुवे तो अटकावण देजो मती। दु. केसोरोम

68. उदाहरणार्थ-
1 ईतरो गांवों रो चोधरियों जोग्य तीथा गो. अड़सीसर री जमी बीरामण रे डोहली री छे सुं थेहे जाय वरा परमेसरी मीण देजो श्री दरबार रो आदमी आवे छे सुं मीणाय देजो हरकुर कही री मतो राखजो 1 गो. डेहण रो चो. प्रमोणद 1 गो. लाघड़ीये रो चो. भोजो आ. 2 मीणाय दे आसाढ़ सुद 5
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 140

69. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1873, नं. 22, पृ. 75;
जी. एस. एल. देवड़ा- राज प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 216

70. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1831, नं. 4, पृ. 22

71. वही, वि. सं. 1873, नं. 22, पृ. 75

72. वही; 'बूजा कटाई' का तात्पर्य खेत की भूमि पर उगी झाड़ियों व घास को काटकर सफाई करना है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मलबा या **मुकाता** नहीं चुकाने पर किरायेदार को हटाया जा सकता था।[73] बीकानेर राज्य में तो ऐसे विवरण भी प्राप्त हुए हैं जबकि 30 वर्ष तक भूमि को किराये पर जोता गया।[74] **बूजा कटाई** के उपरांत **मुकाता** तोड़ा नहीं जा सकता था और जब कभी ऐसे हुआ यह एक विवाद का रूप धारण कर गांव-पंचायत एवं राज्य के विचार का विषय बना। '**मुकाता**' की राशि का भुगतान नहीं करना एवं तद्विषयक अन्य विवाद भी गांव-पंचों की मध्यस्थता से ही सुलझाये जाते थे।[75]

2. नागरिक प्रकृति के विवाद

कभी-कभी गांव में निवास करने वाले निवासियों के मध्य विविध प्रकार के नागरिक प्रकृति के विवाद उत्पन्न हो जाते थे जैसे घर के बारी, दरवाजे, रास्ते को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद, गांव के दो मोहल्लों के बीच गोचर या चरवाह भूमि पर स्वामित्व को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद आदि। इस प्रकार के समस्त विवाद संबंधित गांव-पंचायतों द्वारा ही सुलझाये जाते थे।[76] जैसे वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के तेली लाभू व तेली जीवण के मध्य घर के दरवाजे को लेकर विवाद पैदा हो गया। लाभू तेली ने जीवण तेली के विरूद्ध यह शिकायत राज्य को की कि जीवण तेली के घर का प्रवेश द्वार हमेशा से पूर्व दिशा में रहा है परन्तु वि. सं. 1842 से उसने उसे लाभू तेली के द्वार के सामने अर्थात् दक्षिण दिशा में कर लिया है। यह विवाद निपटारे हेतु राज्य के समक्ष पहुंचने पर राज्य द्वारा उसे गांव-पंचों को ही सौंप दिया गया व यह उनके कार्य क्षेत्र का विषय बना।[77]

वि. सं. 1857 में ही बीकानेर राज्य के गांव समदसर के चौधरी देईदास

---

73. कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1831, नं. 4, 22

74. वही, वि. सं. 1827, नं. 3, कागद अश्विन सुदि 7

75. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 123, 152;
वही वि. सं. 1857, नं. 11 पृ. 109;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 199

76. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 191;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1851, नं. 9, पृ. 67;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 113;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 21, 287, 308

77. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 113

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भागोणी तथा मोने महकरोणी के मध्य 'गुवाड़ी के बारणे' (घर के दरवाजे) को लेकर उत्पन्न विवाद भी गांव-पंचों को ही सौंपा गया।[78]

वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव बड़ी चारणा के दो **बासों** (मोहल्लों) के मध्य गायों की गोचर भूमि संबंधी विवाद भी संबंधित गांव-पंचों से पूछ कर निपटाने का निर्देश उल्लिखित मिलता है।[79]

3. ग्रामीण आपराधिक मामले

फौजदारी मामले गांव-पंचायतों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते थे तथापि ग्रामीण स्त्तर के छुट-पुट आपराधिक मामले जो चोरी, हेराफेरी, मारपीट, पशु को चोट पहुंचाने आदि से संबंधित थे, गांव-पंचायतों द्वारा सुलझाये जाने संबंधी उल्लेख पर्याप्त मात्रा में मिलते है।[80] फौजदारी के संगीन मामले जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार आदि राज्य द्वारा ही सुलझाये जाते थे तथापि इससे संबंधित जांच पड़ताल, साक्षी आदि के लिए गांव-पंचायतों का सहयोग लिया जाता था।[81] वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव घटु के चौधरी सीमे की ऊंटनी चौधरी कालू का बेटा चोर कर ले गया सो सीमे को उसकी चोरी गई ऊंटनी या उसका मूल्य दिलाने विषयक

---

78. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 21; मूल उल्लेख इस प्रकार है-

- 1 गो. समदसर रो चो. देईदास भागोणी मोने महकरोणी रे गुवाड़ी रे बारणे रो अस रचो छे थोहरे उप्र धाती छे सु वरा प्रमेसरी सरचाय देजो थोहरो केहो उथपसी तेनु रू. 100) गुनेगारी रा लागसी

1 चो. तुलछो वीर रोमोणी   1 पूगलियो उदो
1 पेमो नरसिंघोणी   1 वीरो चतरोणी

79. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 191

80. **कागदों की बही (बीकानेर)**, 1829 नं. 3, पृ. 27;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 108, 113, 161, 200;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 77, 311;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 138, 190, 204, 206

81. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 73;
वही पेशकसी रे लेख्वे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, नं. 38 पृ. 3, 29;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 29

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विवाद गांव पंचों के समक्ष निपटारे हेतु पहुंचा।[82]

चोरी के मामले में गांव के चौधरियों/पंचों को कभी-कभी चोर की तलाश करने व तलाश नहीं करने पर भरपाई उनसे कराये जाने विषयक उल्लेख भी मिलते हैं जैसा कि वि. सं. 1859 में ही बीकानेर राज्य के गांव लीखमीदेसर के चौधरी (पंचों) को इस प्रकार का आदेश राज्य द्वारा दिया गया।[83]

हेरा-फेरी विषयक मामले भी सुलझाने हेतु गांव-पंचों को ही सौंप दिये जाते थे जैसा कि वि. सं. 1857 में बीकानेर राज्य के गांव मेलवा से गांव गुसोईसर के चौधरी भगते रूपोणी का भाई हेरा-फेरी से एक भैंस बदल कर ले गया तो यह मामला निपटारे के लिए संबंधित गांव-पंचायत के समक्ष लाया गया।[84]

पारस्परिक मारपीट के मामले में वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव नोखा के जोशी मोनू लक्ष्मण ने दरबार आकर पुकार की कि मोहन जोशी सरदार के बेटे बीजो हठु मुझसे लड़े व मुझे चोटें पहुंचाई जबकि मोहन जोशी सरदार का कहना था कि मेरे बच्चों को पहले चोट मोनू लक्ष्मण ने पहुंचाई। यह विवाद दरबार में पहुंचने पर दरबार द्वारा संबंधित गांव-पंचायत को यह दायित्व सौंपा गया कि वह यह तय करे कि पहले चोट किसके द्वारा पहुंचाई गई?[85]

पशु को चोट पहुंचाने व चोट पहुंचने से पशु की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न होने वाले विवाद के निपटारे में भी गांव-पंचों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसा कि वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव छतरगढ़ के पढ़ीहार वीराम का

---

82. वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 190

83. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 206; मूल पुरोलख इस प्रकार है-

 1 गां. लीखमीदेसर रा चौधरियों पंचों सीधां समसुतों जोग्य तीथा गो. कुतासर में नारणोत जगु रे घर में चोरी हुई सुं. रू. 22) रोकड़ा थाली वाटकी कसी ले गया सुं थारे गोंव में थोरी रे घर में तो इतो पग आयो सुं थेह तलाश कर चोर ढावो कर देजो का थोरै गांव सुं पग आगीने नं कढ़ीयो तो पग थोमे पड़सी सुं माल थों कने दरय दीजसी आसाढ़ बद 2

84. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 77

85. वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 161

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

ऊंट अन्य ऊंटों के साथ चरता हुआ खेतों में घुस गया व मरा हुआ पाया गया। पढ़ीहार वीराम का कहना था कि भुटे मौजूं जमाल ने ऊंट को चोटें मारीं जिससे उसकी मृत्यु हो गई जबकि मौजू जमाल का कहना था कि मैंने तो चोटे नहीं मारी वरन् ऊंट को आगे कर गांव में डाल दिया था। इस प्रकार का विवाद राज्य के समक्ष जाने पर राज्य ने संबंधित गांव-पंचों को यह दायित्व सौंपा कि वे ही तय करें कि ऊंट की स्वाभाविक मृत्यु हुई है या वह चोट से मरा है? और यह मामला गांव पंचों के कार्य क्षेत्र का विषय बनता दिखाई पड़ा।[86] हत्या, आत्म-हत्या, बलात्कार के संगीन फौजदारी अपराधों में राज्य द्वारा गांव-पंचों को तत्संबंधी जांच करने व सत्य का पता लगाने का दायित्व सौंपने विषयक प्रमाण भी मिलते हैं।[87]

4. विविध आर्थिक विवाद

गांव-पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों में कतिपय आर्थिक विवाद भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखते थे एवं संबंधित गांव-पंचायतों द्वारा सुलझाये जाते थे। ये विवाद मुख्यतः **मुकाता** या **इजारा** तोड़ने पर दी जाने वाली रकम के निर्धारण, **लेहणो** अर्थात् कर्ज मांगने, भूमि या वस्तु के रेहन या अड़ाणे रखने, बे-औलाद (**गईवाल**) की संपत्ति के बंटवारे एवं विविध प्रकार के क्रय-विक्रय आदि से संबंधित विविध प्रकार के विवाद थे।[88]

राज्य के द्वारा जब विविध करों की वसूली हेतु इजारा या ठेका दिया जाता था जिसके लिए स्थानीय भाषा में **मुकाता** शब्द का प्रयोग भी किया गया है तब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ज्यादा रकम देकर वह ठेका लेने को तैयार हो जाने पर

---

86. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 204

87. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 73;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833 सूं, नं. 38 पृ. 33, 29;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 29

88. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 71, 85;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 130, 144, 243, 301;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 33, 37, 61;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 79;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 22, 98, 150, 167, 173, 190;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 188, 303

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पुराने **मुकाती** या **इजारेदार** का **मुकाता** या **इजारा** रद्द हो जाता था। नया **मुकाती** पुराने **मुकाती** को उसकी सेवा के बदले में एक निर्धारित रकम, '**रकम रोजगार**' के रूप में चुकाता था।[89] कभी-कभी इस '**रकम रोजगार**' को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते थे जिसे सुलझाने में राज्य गांव-पंचों की सहायता लेता था।[90]

कर्ज (उधार) के मामलों में उधार लेकर मुकर जाने, उधार का चुकारा नहीं कर पाने की स्थिति में पशुओं का मूल्य कुंतवा कर पशुओं के रूप में चुकारा करने आदि से संबंधित विविध प्रकार के मामलों एवं **लेहणे** के उगाही को लेकर हो जाने वाले झगड़ों का निपटारा भी गांव-पंचायतों के कार्य क्षेत्र का विषय था।[91] घर, खेत, भूमि या वस्तु को रेहन (**अडाणे**) रख कर उस पर कर्ज लेने से संबंधित मामलों में ब्याज चुकता नहीं करने, कर्ज की रकम अदा करने के बावजूद रेहन या **अड़ाणे** रखा खेत या वस्तु नहीं सौंपने, खेत की हासल लेते रहने, कर्ज चुकता नहीं होने पर **अड़ाणै** रखी वस्तु को बेच देने आदि से संबंधित विविध प्रकार के विवाद भी संबंधित गांव-पंचायतों के विचार के विषय बनते दिखाई पड़ते हैं।[92] जैसा कि वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव वीगे के चारण साहबे ने गांव 'कीतासर' के ब्राह्मण नाथे से 6 रू. लेकर अड़ाणे (रेहन) में गाय रखी एवं वि. सं. 1851 के पोह माह में गाय ब्याहने पर रूपये लौटाने अन्यथा गाय दे देने की बात तय की परन्तु गाय ब्याहने पर चारण साहबे की पत्नी ने टाल-मटोल की परिणामत: दोनों पक्ष झगड़ते हुए दरबार पहुंचे एवं दरबार ने उक्त मामला पुन: गांव बीगे के संबंधित पंचों को निपटारे हेतु सौंप दिया।[93]

---

89. जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.),पृ. 142

90 **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं.5, पृ. 144, 243

91. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 71;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 130, 301;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 33, 37, 61

92. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 85;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 74;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1846, नं. 8, पृ. 1, 2;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 98, 150, ?90

93. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 98

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इसी प्रकार वि. सं. 1857 में बीकानेर राज्य के गांव भोजासर के ब्राह्मण कने को नंदे भोपत ने 100 रू. उधार दिये व उसके रेहन (अड़ाणे) में खेत रखा। बाद में कने ने आरोप लगाया कि नंदे भोपत ने मेरा खेत दबा लिया जबकि नंदे भोपत का कहना था कि वह खेत तो मेरे पास अड़ाणे (गिरवी) रखा था, जब उधार दिया पैसा नहीं लौटा तो उसे मैंने राठी को बेच दिया। तद्विषयक झगड़ा होने पर मामला गांव-पंचों को निपटारे हेतु सौंपा गया।[94]

संतान -विहीन व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी धन सम्पत्ति का वारिस निर्धारित करने व यह तय करने की उसका निकटतम् परिजन कौन है? आदि से संबंधित मामले तथा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होने पर राज्य द्वारा उसकी सम्पत्ति हस्तगत करने विषयक मामलों में राज्य को सहयोग करने संबंधी विषय भी गांव -पंचायत के कार्य क्षेत्र में आते थे।[95]

पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे में यद्यपि जाति -पंचायत की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती थी किन्तु गांव -पंचायत की भूमिका भी उससे जुड़ी होती थी। कभी -कभी तो गांव -पंचायत ही ऐसे मामले स्वतंत्र रूप से निपटाती दिखवायी पड़ती है। जाति -पंचों पर भरोसा नहीं होने या उनके किसी कारण से किसी का पक्ष लेने के आरोप की स्थिति में भी गांव -पंचायत ही तत्संबंधी विवाद निपटाती थी। कभी -कभी बाद के विवादों से बचने के लिए पिता के जीवित रहते ही संपत्ति उसके पुत्रों में पंचायत की उपस्थिति में ही बांट दी जाती थी।[96]

5. दो गांवों के मध्य सीमा संबंधी विवाद

जब कभी दो गांवों के मध्य गांव की सीमा जिसे स्थानीय भाषा में 'सींव' कहा जाता है, को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता था तो तद्विषयक निपटारे में

---

94. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 293

95. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 108;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 254

96. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 108;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 254

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

संबंधित गांव-पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती थी।[97] सामान्यतः इस प्रकार के विवाद दो गांवों के बीच की बंजर या **पड़त** की भूमि तथा गोचर भूमि पर स्वामित्व के प्रश्न को लेकर उत्पन्न होते थे। जैसा कि वि. सं. 1822 में जोधपुर राज्य के गाव घाणा व बीराणा के बीच दोनों गांवों की सरहद के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद जब राज्य के समक्ष पहुंचा तो राज्य ने तद्विषयक निपटारे का दायित्व दोनों गांवों के पंचों को ही सौंपते हुए इसे आपसी सहमति से हल करने का निर्देश दिया।[98] कभी दो गांवों की सीमा के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद के निपटारे का दायित्व तीसरे गाव के गांव पंचों को भी सौंप दिया जाता था।[99]

6. गांव से लिए जाने वाले विविध करों/अवबाब में गांव-पंचायत की भूमिका

गांव से लिए जाने वाले विविध करों, **अवबाब** (चुंगी), दंड, पेशकसी की रकम आदि को लेकर कई बार कई विवाद उत्पन्न हो जाते थे अथवा कभी-कभी राज्य द्वारा ऐसे करों के निर्धारण या तत्संबंधी प्रक्रिया में गांव-पंचों का कुछ दायित्व निर्धारित कर दिया जाता था परिणामतः ऐसे मामले भी गांव-पंचायतों के कार्य क्षेत्र के विषय बन जाते थे।[100] उदाहरणार्थ वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव

97. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 65;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 125, 140, 165;
वही वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 189

98. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं.3, पृ. 65

99. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 189

100. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 113, 127;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 9, 112;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 259

101. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 127;
गांव भोलासर के बुघे से ठहरी पेशकसी की रकम की वसूली के संबंध में पंचों के दायित्व विषयक एक उदाहरण द्रष्टव्य है–
1 गो. भोलासर के बुघो रे पेशकसी ठाहरी छे सुं इतरो पंचों उप्र राजी हुय छाती छे सुं पंच फोट देसी ते रकम भरसी पंचों रो कहो उथप सुं रू. 101) गुनेगारी रा देसी
1 कुसलो, मुलो, वेद, गो. भोलासर चौहोणों रे वास रो
1 खावसी उपाधियों, खुसाली, मुघड़ों मोजासर रो

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गढ़ियारा के महाजन जसे, नगे, कुसले, रूपे व दीपे से गांव कूकड़दा के जागीरदार द्वारा जो कि कभी गांव गढ़ियारा का पट्टायत भी रहा था बलात् चार बार दंड लेने पर महाजनों द्वारा राज्य से तद्विषयक प्रार्थना की गई कि हम कूकड़दा के जागीरदार की बस्ती के नहीं है फिर भी वह हमसे जोर जबरदस्ती से दंड ले रहा है; यह मामला राज्य द्वारा संबंधित गांव के पंचों को सौंपा गया व उनका दायित्व निर्धारित किया गया कि वे यह निर्धारित करें कि वे उसकी बस्ती के हैं या नहीं? अर्थात् इस मामले में राज्य ने गांव-पंचायत को एक निश्चित दायित्व सौंप कर उससे सहयोग मांगा।[101]

7. सामाजिक विवाद

यद्यपि सामाजिक विवादों का निपटारा करने का कार्य संबंधित जाति पंचायतों का ही था और वे अपने क्षेत्राधिकार में काफी प्रभावशाली रूप से कार्यरत थीं परन्तु कभी-कभी जातीय व सामाजिक मामलों में गांव-पंचायत को भी हस्तक्षेप करना पड़ता था। यह उस समय तर्कसंगत भी था जबकि किसी जाति विशेष के सदस्यों से संबंधित सामाजिक विवाद गांव की प्रतिष्ठा या गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला या समस्त ग्रामीण समुदाय या किसी स्थानीय परम्परा के लिए कोई समस्या या संकट पैदा करने वाला बनता दिखाई पड़ता था। ऐसे मामलों में संबंधित गांव-पंचायत न केवल हस्तक्षेप करती वरन् दोषी को दंडित करती भी दिखाई पड़ती है।[102] कभी-कभी जाति-पंचायत के निर्णय की अवहेलना होते देखकर संबंधित गांव-पंचायत भी उस व्यक्ति को गांव से निकालती या बहिष्कृत करती दिखाई पड़ती है।[103] यहां यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः गांव-पंचायत ग्रामीण समाज की विभिन्न जातियों के मामलों में दखल तो नहीं देती थी किन्तु समस्त ग्रामीण समुदाय की प्रतिष्ठा के हित में या उसके सम्मान के लिए एवं जाति पंचायत के हाथों को मजबूत करने के लिए उसे समुचित सहयोग भी प्रदान करती दिखाई पड़ती है। इससे ग्रामीण समाज की संरचना व गठन भी अपेक्षया दृढ़ बना।

---

1 जेतो मुघड़ो, सीवतो चोधरी गो. अकासर रा
आ 6 उप्र थाती छे सुं अ कोट देसी ते माफक आगली पछली लेखवा कर फोट देसी
जैठ बद 7

102. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, नं. 1 एवं
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1827, नं. 10 में ऐसे कई उल्लेख हैं।

103. वही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

'**खोला**' या गोद लेने के मामले में जाति-पंचायत की भूमिका जितनी महत्त्वपूर्ण थी उतनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका संबंधित गांव-पंचायत भी निभाती थी। 'गोद' मामलों में गांव-पंचों की साक्षी राज्य द्वारा अनिवार्य मानी जाती थी एवं गोद का कोई भी मामला गांव-पंचों की सहमति के बिना वैधानिक स्वरूप व मान्यता नहीं पा सकता था।[104]

विवेचित क्रिया कलापों के अतिरिक्त गांव की स्थानीय परम्पराओं-मान्यताओं को संरक्षण प्रदान करने, स्थानीय मेले, त्यौहार एवं धार्मिक उत्सवो पर यथावश्यक व्यवस्थाएं करना आदि सामुदायिक स्तर के कार्यों को निष्पादित करना भी गांव-पंचायतों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता था एवं पंचायतें तद्विषयक कार्यों में भी अपनी यथावश्यक भूमिका निर्वाह करती रही हैं।[105]

निर्णय एवं दंड

गांव-पंचायतों के समक्ष निपटारे हेतु प्रस्तुत होने वाले उपर्युक्त प्रकार के विविध विवादों के सम्बन्ध में गांव-पंचायतों द्वारा यथास्थिति निर्णय दिये गये जिनमें से प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं-

वि. सं 1822 में जोधपुर राज्य के ओझा मलूकचंद एवं गुलालचंद के भानजे के मध्य गांव के खेत के हिस्से पांती के संबंध में हुए झगड़े का निपटारा करते हुए पंचों ने मलूकचंद से गुलालचंद के भानजे को साढ़े सात रूपये दिलाये व बदले में रोटी लायक खेत मलूकचंद को दिलाया।[106] वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव चांड़ासर के पलीवाल बुधर चोलोणी एवं उदाजोसिंह के मध्य खेती की जमीन के स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद होने पर पंचों ने खत कागद देखकर खेत दोनों में

---

104. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 30; रा. रा. अ. बी. में संगृहित रामपुरिया रिकार्ड्स की **कागदों की बहियों**, **जमीं रे कागदां री बही**, **खोला बहियां**, **सावा बहियां** आदि बहियात में तद्विषयक अनेक उल्लेख मिलते हैं।

105. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1811, 1839, 1851, 1857, नं. 1, 5, 9, 11 तथा
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1821, 1825, 1828, 1837, नं. 1, 8, 11 एवं 24 में ऐसे कई उल्लेख आये हैं।

106. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं.3, पृ. 39

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आधा-आधा बांटने का निर्णय लिया।[107] वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव पीरा गोरीको के भादाणी अणदे एवं चाड़ग माधे के मध्य घर के स्वामित्व के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद में पंचों ने भादाणी अणदे को झूठा पाया एवं उस पर 50) रू की **गुनेहगारी** लगाते हुए प्रति वर्ष 10) रू नगद की किस्त से गुनेहगारी भुगतान करने का निर्णय सुनाया।[108] वि. स. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव झझू के पलीवाल जैसे एवं चेले के मध्य खेत की सीमा के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद में पंचों ने खेतों का सही सीमांकन किया एवं दोषी पर 11 रू. की गुनेहगारी लगाने का निर्णय सुनाया।[109] वि. स. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव बुघणाऊ के चौधरी भोजा पेमोणी एवं देवसी रूपोणी के मध्य पैतृक जमीन के बंटवारे प्रश्न पर उत्पन्न विवाद में पंचों ने खड़े होकर जमीन आधी-आधी बंटवायी व बंटवारा करते समय एक पक्ष के हक की भूमि पर दूसरे पक्ष का स्वामित्व होने पर उसे खाली करने का निर्णय सुनाया।[110] वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव कोलासर के प्रोहत अनोपा अजबोणी एवं प्रोहत चेने के मध्य साझे की जमीन के बंटवारे से संबंधित विवाद में पंचों ने तद्विषक बंटवारा करते हुए यह निर्णय दिया कि साझे के खेत का हासल (कर) भी सभी पक्ष बराबरी के आधार पर दें।[111]

वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव जांगूल एवं बरसिंघपुर में वहां की गांव-पंचायत ने चौधरी हरराम एवं चौधरी दोले के भाई धरमे की जमीन एवं बाड़े पर से अनाधिकृत कब्जा हटा लेने अन्यथा गुनेहगारी का आर्थिक दंड देने के निर्णय सुनाये।[112] वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के जेगले रे वास के गोकल भगु ... वर्षों गांव से बाहर रहने के उपरांत वापस गांव लौटने एवं अपने खेत के भू स्वत्व अधिकार की मांग का मामला सुलझाते हुए पंचों ने उसे उसकी भूमि पर कब्जा सौंप देने का निर्णय दिया व विरोधी पक्ष द्वारा पंचों के निर्णय की अवमानना करने की स्थिति

107. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 166

108. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 139

109. वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 168

110. वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 106

111. वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 128

112. वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 153, 169

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में विरोधी पर 11 रूपये गुनेहगारी का आर्थिक दंड लगाया।[113] वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव लांबिया के ब्राह्मण रामचंद की पत्नी के मालवा चले जाने पर पीछे से उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसका **डोहली का कोसीटा** (अनुदान में प्राप्त खेत) उसके जेठ (पति के ज्येष्ठ भ्राता) द्वारा हथिया लिया गया जिसे पंचों ने वापिस देने संबंधी निर्णय सुनाया।[114] वि. सं. 1857 में बीकानेर राज्य के गांव कालू के चौधरी देवा गंगूराम को एवं वि. सं. 1859 में इसी राज्य के गांव बीदासरिये के चौधरी फरसा हीरा को 'मलबे' की राशि नहीं चुकाने के मामले में गांव-पंचों ने इन्हें तद्विषयक राशि चुकाने का निर्णय सुनाया व चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर राज्य द्वारा तलब होगी व गुनेहगारी का आर्थिक दंड भी लगेगा।[115] वि. सं. 1851 में बीकानेर राज्य के गांव कुचोर के उदावतों के बाड़े की सीमा व रास्ते को लेकर उदावत देवे राधे तथा चौधरी चेने सबले के मध्य उत्पन्न विवाद का निबटारा करते हुए गांव-पंचों ने उदावतों के बाड़े के मारग (रास्ते) को सही बताते हुए झूठा विवाद उत्पन्नकर्ता दोषी पक्ष पर 25 रूपये की गुनेहगारी का आर्थिक दंड लगाया।[116]

वि. सं. 1859 में बीकानेर राज्य के गांव घटु में ऊंटनी चोरी हो जाने के मामले में गांव-पंचों ने चोरी गई ऊंटनी चोर से वापस देने अथवा उसका मूल्य देने का निर्णय सुनाया व पंचों के निर्णय की अवमानना करने पर 25 रूपये **गुनेहगारी** दंड सुनाया।[117] वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के नोखा गांव में मारपीट करने के दोषी व्यक्ति को गांव-पंचायत द्वारा 25 रूपये की गुनेहगारी का दंड लगाया।[118] वि. सं. 1839 में बीकानेर राज्य के गांव ककु में ऊंट को चोट पहुंचाने के अपराध में गांव पंचों ने दोषी भाटी हीदू से रू 22) का हर्जाना दिलाया।[119] वि. सं. 1823 में जोधपुर राज्य के गांव जैसलमेरा के हेमसी जैराज के लेहणे के 425/- चारण

113. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 111
114. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 119
115. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 109 ; पृ. 12, पृ. 56
116. वही, वि. सं. 1851, नं. 9, पृ. 67
117. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 190
118. वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 161
119. वही, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 45

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

काने जीवकरण द्वारा नहीं चुका पाने पर पंचों ने चारण काने जीवकरण के 6 बैलों का मोल कूत कर लेहणे में वे बैल हेमसी जेराज को देने का निर्णय सुनाया।[120] वि. सं. 1854 में बीकानेर राज्य के गांव भाडेरी तथा काकड़वाले री के मध्य गांव की सीमा के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद में दोनों गांवों के दो-दो पंचों ने मिलकर दोनो गांवों के मध्य नयी सीमा का निर्धारण कर दरबार के हलकारों के समक्ष सीमा रेखांकित करने का निर्णय दिया।[121]

इस प्रकार गांव-पंचायत समसामयिक ग्रामीण समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग थी। गांव-पंच जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया गया है, न तो भू-राजस्व वसूली प्रशासन के संबंध में और न ही पुलिस के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र व स्वायत्त स्थिति युक्त थे। इसके बावजूद गांव स्तर के विविध भू-स्वत्व एवं कृषि विवादों, ग्रामीण स्तर के छुटपुट अपराधिक मामलों, नागरिक प्रकृति के विवादों, दो गांवों की सरहद से संबंधित विवादों, ग्रामीण जनों के कतिपय आर्थिक एवं सामाजिक विवादों के निपटारे तथा गांव के सामुदायिक स्तर के विविध कार्यों को निष्पादित करने में गांव-पंचायतें बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। अपनी उपुर्यक्त भूमिका के द्वारा समसामयिक गांव-पंचायतें राज्य प्रशासन को स्थानीय स्तर पर प्रशासन संचालन में सहयोग कर प्रशासन की एक सहायक संस्था के रूप में अपनी विशिष्ट स्थिति एवं महत्त्व को स्थापित करती हैं।

■ ■ ■

120. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 130

121. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10; पृ. 140

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

6

व्यावसायिक-पंचायत

18वीं शताब्दी की मूल सामग्री में पंचायतों का जो विवरण आया है उसमें यह तो स्पष्टत: उल्लिखित है कि उस समय की पंचायतें जाति-पंचायत एवं गांव पंचायत के नाम से हुआ करती थीं; लेकिन एक अन्य प्रकार की पंचायत जो अपने स्वभाव एवं कार्य शैली में पूर्व वर्णित इन दोनों प्रकार की पंचायतों से भिन्न थी, अपने बारे में विपुल सूचनाएं प्रदान करते हुए भी किसी विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत नहीं जानी गयी थी। इस तरह की पंचायतों का विवरण मात्र 'पंचायत' अथवा उसके 'पंचों' के नाम से ही आया है।[1] वस्तुत: ये पंचायतें किसी विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ी हुई थीं। हम इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर देख सकते हैं। प्रथम प्रकार की वे पंचायतें थीं जो व्यापार व वाणिज्य की विभिन्न शाखाओं में संलग्न व्यक्तियों की उनके व्यवसाय से संबंधित पारस्परिक अथवा सामूहिक समस्याओं को सुलझाती थीं। द्वितीय, उस प्रकार की पंचायतें थीं जिनके सदस्य विभिन्न प्रकार के शिल्प श्रमिकों अथवा कारीगर समुदायों के प्रतिनिधि थे। साधारणतया दूसरी श्रेणी की इन पंचायतों का जाति-पंचायतों के साथ विभेद नहीं होता था क्योंकि अधिकांश शिल्पी श्रमिक अथवा कारीगर जातिगत व वंशानुगत आधार पर ही संगठित थे। उदाहरणार्थ 'मोचियों की पंचायत,' 'रंगारों की पंचायत,' 'दर्जियों की पंचायत,' 'सुथारों की पंचायत' आदि, आदि अस्तित्व में थीं।[2] चूंकि ये

---

1. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 79;
   कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 141, रा. रा. अ. बी.

2. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 17-18, रा. रा. अ. बी.
   वही, वि. सं. 1854, नं. 10, लिखत के कागद

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

'कारीगर जातियां' एक विशिष्ट जाति की होने के फलस्वरूप उनसे संबंधित व्यवसाय में ही संलग्न थीं, इस कारण उनकी जाति-पंचायत और उनके व्यवसाय से संबंधित पंचायत एक ही हुआ करती थी। यद्यपि, इस दूसरी श्रेणी की पंचायत के व्यवसाय से संबंधित विवरण हमारी सामग्री में बहुत कम है। जो कुछ भी विवरण उपलब्ध है उससे विदित होता है कि अधिकांशत: इनके विवाद सामाजिक स्तर के ही थे,[3] जिनका समुचित उल्लेख हम संबंधित पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। व्यवसाय की दृष्टि से, अधिकांशत: विवाद की स्थिति तभी उत्पन्न हुई है जब एक विशिष्ट जाति के व्यक्ति ने अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय अपना लिया हो अथवा अन्य जाति के सदस्य ने उनके जातिगत पैतृक व्यवसाय को अपना लिया हो। यह स्थिति समान रूप से हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समाज पर लागू होती थी। 'कागदों री बही' मे एक उल्लेख आया है कि किस प्रकार इस्लाम धर्मावलम्बी 'रंगारों' की जाति ने एक मुस्लिम 'चूड़ीगर' द्वारा उनका व्यवसाय अपना लेने पर पंचायत स्तर पर उसका प्रबल विरोध किया था,[4] किन्तु यह स्थिति प्रथम श्रेणी की पंचायतों पर लागू नहीं होती है। यद्यपि वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में वैश्य जाति का प्रभाव था तथापि उनके अतिरिक्त अनेक वर्ण व जातियां भी इसमें संलग्न थीं। विशेषकर ब्राह्मणों ने भी एक सीमा तक इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर रखा था।[5] जैसलमेर एवं बीकानेर के सीमा क्षेत्र पर बसी 'पलीवाल' नाम की ब्राह्मण जाति मुख्य रूप से व्यापारी जाति ही थी।[6] 18वीं शताब्दी में 'चारण' व 'भाट' जातियों ने भी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था।[7] स्वयं 'वैश्य' या 'बनिया' भी मुख्य रूप से तीन जातियों- ओसवाल, महेश्वरी, एवं अग्रवाल- में बंटे

---

3. **कागदों की बही (बीकानेर),** वि. सं., 1838, नं. 5, पृ. 17-18, रा. रा. अ. बी.

4. वही

5. मा. प. वि., भाग-द्वितीय (पूर्व.), पृ. 86;
जेम्स टाड़- एनल्स, भाग-1 (पूर्व.), पृ. 144;
जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग आन दि पॉलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी ऑफ प्री कोलोनियल इंडिया, पृ. 10-11, ओकेजनल पेपर, एन. एम. एम. एल., तीन मूर्ति हाऊस, 1987 ई., नई दिल्ली

6. जेम्स टॉड- एनल्स, भाग-2, (पूर्व.), पृ. 226-30

7. वही, पृ. 126-28, 155-58

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हुए थे।[8] किन्तु इसमें संदेह नहीं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते वैश्य समाज की विभिन्न शाखाओं ने व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था।[9] हमें अधिकतर सूचनाएं इसी प्रकार की पंचायतों के संबंध में ही प्राप्त होती हैं।

आधुनिक लेखकों ने इस श्रेणी की पंचायत को 'व्यावसायिक पंचायत' का नाम दिया है।[10] जो कि इस श्रेणी की पंचायतों के कार्य क्षेत्र के स्वरूप को देखते हुए उचित ही प्रतीत होता है। मुगल काल के लेखकों ने इस प्रकार की पंचायतों की तुलना मध्यकालीन यूरोप में व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में प्रचलित संस्था 'गिल्ड' से की है।[11] इसके विपरीत इन दिनों में किये गये एक अध्ययन में इस प्रकार की तुलना को अवांछनीय एवं तर्कहीन बताया गया है।[12] आलोचना का मुख्य विषय यह है कि इस प्रकार की पंचायतों को 'गिल्ड' संस्थाओं जैसी स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी तथा भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में क्रियाशील पंचायतें मुख्यतः

---

8. इस विषय पर विशेष अध्ययन के लिए देखिये-
   जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग ऑन दि पॉलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी ऑफ प्री कोलोनियल इंडिया, ओकेजनल पेपर (पूर्व.)

9. वही

10. सर्वप्रथम यह नाम जी. एस. एल. देवड़ा ने अपने शोध लेख, 'रिकार्ड्स ऑन दी पंचायत सिस्टम इन दी राजस्थान आरकाईज-(1700-1800), पृ. 46, 'दी सोर्सेज ऑफ सोशल एण्ड इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,' सेन्टर फॉर राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में दिया।
    इसके समर्थन के लिए देखिये-
    आर. पी. व्यास- राजस्थान का वृहत् इतिहास, पृ. 395-96, 1968 ई., जयपुर; जी. एस. एल. देवड़ा- कमर्शियल कोर्ट्स इन राजस्थान (1700-1800 ई.), ओकेजनल पेपर (प्रेस,) एन. एम. एम. एल., तीन मूर्ति हाउस, 1987 ई., नई दिल्ली

11. एच. के. नक्वी- 'अरबेनाईजेशन एण्ड अरबन सेन्टर्स अण्डर दी ग्रेट मुगल्स 1556-1707 ई.', पृ. 118-120, 197: ई., शिमला;

    आर. सी. शर्मा- दी अर्द्ध कथानक, ए नेगलेक्टेड सोर्स ऑफ मुगल हिस्ट्री, इंडियन्स सेवन्थ (1 एवम् 2), 1970 ई., मुम्बई

12. स्टीफेन पी. ब्लैक- 'दी अरबन इकानोमी इन प्री मॉर्डन मुस्लिम इंडिया,' मोडर्न एशियन स्टडीज, पृ. 454-55, नं. 21-3, 1987 ई., कैम्ब्रिज

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाति पंचायतें ही थीं अर्थात् वैश्य जाति की पंचायतें ही उनके व्यवसाय से संबंधित विवादों को सुलझाती थीं।[13] यह मत भारत में प्रचलित सामान्य धारणा, एक जाति एवं एक व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित है; जिसमें भारतीय समाज में समय-समय पर व्याप्त अन्तर्विरोधों एवं गतिशीलता को विचार में नहीं रखा गया है। समकालीन अभिलेखीय सामग्री से निश्चित तौर पर यह ज्ञात होता है कि कम से कम व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में तो जाति एवं कही जाने वाली व्यावसायिक पंचायतें एक नहीं थी। अपवाद के तौर पर कभी ऐसा हो गया हो कि वैश्य समाज की किसी जाति के पंचों ने व्यावसायिक मामलों को भी सुलझा दिया हो। यहां यह भी विचारणीय है कि विभिन्न वैश्य जातियों की पंचायतों में प्रभुत्व उन सदस्यों का रहा है जो 'दरबार' से संबंधित थे एंव 'मुत्सद्दी' कहलाते थे।[14] बीकानेर के मोहता संग्रह के पत्रों से स्पष्ट विदित होता है कि बीकानेर राज्य के प्रमुख मुत्सद्दी एवं दीवान मोहता परिवार के सदस्य किस प्रकार शहर एवं राज्य के महेश्वरी वैश्य समाज के मुखिया थे।[15] मोहता परिवार के लोग सामाजिक पंचायत के तो मुखिया थे परन्तु इस प्रकार का कोई विवरण नहीं आया है कि वे व्यावसायिक पंचायतों के पंच भी थे। इस विषय पर विचार करते समय लेखकों ने संभवतः विभिन्न वैश्य जातियों को एक इकाई मान लिया है ओर उसी संदर्भ में जाति एवं व्यावसायिक पंचायतों को एक सिक्के के ही दो भाग बता दिये हैं परन्तु सभी वैश्य जातियों को सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्तर पर एक इकाई नहीं माना जा सकता, अपितु वैश्य कही जाने वाली विभिन्न जातियों के सम्प्रदाय एवं रीति-रिवाज भी अलग-अलग थे। उनमें परस्पर किसी प्रकार का वैवाहिक-संवंध भी सम्पन्न नहीं होता था। उदाहरणार्थ, ओसवाल वैश्य जैन सम्प्रदाय को मानने वाले हैं और महेश्वरी हिन्दू धर्म के कट्टर मतावलम्बी हैं। यद्यपि एक तीसरी प्रमुख वैश्य जाति अग्रवाल भी हिन्दू है पर उनमें तथा महेश्वरियों में किसी प्रकार का एवं किसी भी धरातल पर सामजिक सम्पर्क या संबंध स्थापित नहीं था।[16] अतः एक जाति एवं एक व्यवसाय की पंचायत का मत

---

13. स्टीफेन पी. ब्लैक- 'दी अरबन इकोनोमी इन प्री माड़र्न मुस्लिम इंड़िया, मोर्डन एशियन स्टडीज, पृ. 454-55, कैम्ब्रिज
14. जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग ऑन दी पोलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी इन प्री कोलोनियल इंडिया, (पूर्व.)
15. मोहता बख्तावरसिंह एवं मोहता अभयसिंह के पत्र (1738 से 1827), मोहता संग्रह बीकानेर (इस संग्रह के स्वामी मोहता करणीदानसिंह जी, बीकानेर हैं।)
16. जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग ऑन दी पोलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इस संदर्भ में भी अपना अर्थ खो बैठता है, अपितु हम समकालीन विवरणों में इस प्रकार का उल्लेख पाते हैं कि महेश्वरी जाति के सदस्यों के व्यावसायिक मामलों को ओसवाल जाति से चुने हुए पंच सुलझा रहे हैं।[17] यह स्थिति तब और भी विस्तृत एवं व्यापक बन जाती है जब समकालीन विवरणों से इस प्रकार की सूचना संग्रहित होती है कि किसी महेश्वरी जाति के व्यवसायी के विवाद का मामला न केवल अन्य वैश्य कही जाने वाली जाति से चुने हुए पंच बल्कि अन्य जाति के पंच जो वाणिज्य एवं व्यापार में संलग्न हैं, सुलझा रहे हैं।[18] इन विवरणों से ज्ञात होता है कि वाणिज्य एवं व्यापार में दीर्घ काल का अनुभव रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को चाहे वे किसी भी जाति से संबंधित हो, पंच बनाया जाता था। इस अर्थ में 'जाति न होकर व्यवसाय' पंचायतों के निर्माण में मूल कारण बना। यह रोचक है कि छोटे स्तर पर इस दिशा में हुए विवाद का निपटारा करने के लिए कई बार गैर-व्यापारी लोगों को भी पंच बना दिया जाता था। यह विशेषकर गांव के स्तर पर किसी विवाद के खड़े होने पर ही किया जाता था। इस तरह के मामलों में हम गांव के चौधरी व यहां

इन प्री कोलोनियल इंडिया (पूर्व.);

विलियम क्रुक हिन्दू एवं जैन व्यापारियों के रीति-रिवाज में कोई अंतर नहीं पाते हैं; बल्कि उनके अनुसार दोनों समुदायों के मध्य वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। विलियम क्रुक- नोर्थ वैस्टर्न प्रोविन्सेज् ऑफ इंडिया, पृ. 235, 1887 ई. लन्दन

17. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 282

18. वही, वि. सं. 1858 नं. 12, पृ. 31

मूल विवरण इस प्रकार है-

बिहाणी सुखै मगनै सुं ड़ागै सीरीयै रै आपत में लेखे रो असरचो छे सीघोली हो अड़ोणो थो तेरो झगड़ो छै तेरो जाब पंचों उपर थापियों छै सुं इतरा पंच नीवेड़ देसी पंचो रो कहो उथपासी सु गुनेगारी रा रू. 571) अखरै रूपीया पांच सौ इकत्तर देसी

1 मोणक चंद भभोणी 1 राजा राम खत्री
1 मगनी राम वेद 1 सीता राम जोशी
1 बलदेव ओझा

आसामी 5 नीवेड़ देसी भादुवा सुद 12 ली. सुखै मगनै ऊपर लीखो सु सही मतु ड़ागे सीरीये ऊपर लीखो सु सही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

तक 'ठाकुर' का भी पंचायत में सम्मिलित होना पाते हैं।[19]

जहां तक व्यावसायिक नाम से पहचानी गयी पंचायतों की आंतरिक स्वायत्तता एवं उनकी कार्य शैली का प्रश्न है, इसमें यह वांछनीय नहीं है कि इनका 'गिल्ड' नाम की संस्था के साथ समानता के आंधार पर तुलना की जाये। ये पंचायतें क्षेत्रीय परिस्थितियों का परिणाम थीं और समाज के शक्तिशाली साधन सम्पन्न वर्गों के विशेष अधिकारों व उनकी विशिष्ट स्थिति से प्रभावित थीं। क्षेत्रीय परिस्थितियां इस कारण उत्तरदायीं मानी जा सकती है क्योंकि हम एक देश, यहां तक कि एक प्रदेश के विभिन्न खंडों में भी पंचायतों के अधिकार क्षेत्र एवं कार्य शैली में अंतर पाते हैं। एक अध्ययन से विदित होता है कि दक्षिणी भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्रियाशील पंचायतें अपनी एक स्वतंत्र वित्त व्यवस्था रखने में सक्षम थीं और उसकी पूर्ति हेतु कुछ निश्चित कर निर्धारण एवं वसूली का अधिकार भी रखती थीं।[20] हमें इस प्रकार के अधिकारों से सम्पन्न पंचायतें राजस्थान के क्षेत्र में दृष्टिगत नहीं होती है। यहां तक कि इसी प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में (जयपुर) हम पाते हैं कि राजा द्वारा स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की स्वीकृति भी पंचों से ली जाती थी[21] किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था पश्चिमी क्षेत्र (जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर) में प्रचलित नहीं थी। अत: इस संबंध में एक सामान्य नियम बनाना एवं पुन: उसकी तुलना यूरोपीय परिस्थितियों के साथ करना किसी समस्या को खींचकर उसे बिखेर देने के समान है।

यह निश्चित है कि 'जाति-पंचायतों' एवं 'गांव-पंचायतों' की तुलना में इस क्षेत्र में ये 'व्यावसायिक-पंचायतें' अधिक प्रभावी थीं। 'व्यावसायिक-पंचायतों'

---

19. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1846, नं. 8, पृ. 21

20. के. पी. वेलयुधन- ट्रेड गिल्ड्स एण्ड दी करेक्टर ऑफ स्टेट इन अरली मेड़िवल साउथ इंडिया, पृ. 208-17, इ. हि. को. प्रो., 1978 ई.

21. **परगना लालसोट के आमिल को चिट्ठी, ज्येष्ठ सुदि 15**, वि. सं. 1821 डी. डी. एच., जयपुर, रा. रा. अ. बी.;

जी. एस. एल. देवड़ा- रिकार्ड ऑन दी पंचायत सिस्टम (पूर्व.);

दिलबागसिंह- दी लेण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी जयपुर स्टेट (1750-1800 ई.) (अप्रकाशित शोध ग्रंथ), पंचायत का अध्याय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 1975 ई.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के इस तुलनात्मक महत्त्व को कई दृष्टि से आंका जा सकता है। प्रथम, 'जाति पंचायत' एक क्षेत्र विशेष की जाति में ही अधिक प्रभावशाली थी और 'गांव पंचायत' एक सीमित क्षेत्र के सीमाकंन में ही क्रियाशील थी; वहां ये 'व्यावसायिक पंचायतें' एक निश्चित व्यवसाय से संबंधित होने के कारण एक क्षेत्र विशेष से बंधी हुई नहीं थीं तथा व्यवसाय की व्यापकता से जुड़ी हुई विस्तृत थीं। इसके अतिरिक्त इनके सदस्य अनेक जातियों से संबंधित थे और इस पंचायत का प्रभाव एक जाति विशेष पर न पड़कर एक वर्ग विशेष पर पड़ता था। द्वितीय, यह उचित ही माना गया है कि कृषक एवं श्रमिक की तुलना में राजा व प्रशासन के सम्मुख व्यापारी एवं साहूकार की स्थिति अधिक उत्तम थी।[22] बल्कि क्षेत्र के राजस्व प्रपत्रों से ज्ञात होता है कि सभी वैश्य जातियां रियायती करदाता वर्ग में आती थीं।[23] यहां तक कि गैर-वैश्य जातियां जो व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न थी, भी रियायती कर-दाता थीं।[24] इस श्रेणी में ब्राह्मण, चारण एवं भाट इत्यादि आते थे; जिन्होंने 18वीं शताब्दी में किसी न किसी रूप में व्यापार एवं वाणिज्य-व्यवसाय में भाग लिया था।[25] इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी समाज में एक विशिष्ट वर्ग से सम्बद्ध होने के साथ-साथ इस श्रेणी के लोगों का 'ठाकुर' या 'दरबार' से भी किसी न किसी रूप में संबंध था।[26] इसके अतिरिक्त राज्य का मंत्री एवं अधिकारी वर्ग भी इन्हीं जातियों से चुना जाता था जो बदले में पुनः इस व्यापारी वर्ग के प्रभाव को बढ़ाने

---

22. दी कैम्ब्रिज इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (सं. तपनराय चौधरी एवं इरफान हबीब), भाग-प्रथम, पृ. 190-91, 1982 ई., कैम्ब्रिज

23. **रीणीये रे चीरे री बही**, वि. सं. 1783, नं. 48, बीकानेर बहियात, रा. रा. अ. बी.;

    जी. एस. एल. देवड़ा- मनुचीस कॉमेण्ट्स ऑन इण्डियन सोशियल कस्टम् एण्ड ट्रेडीशन्स- ए क्रीटिकल स्टडी, ला कोनो सेंजा डेल एशिया, ए डेल अफ्रीका इन इटालिया नेई सिकोली, पृ. 357-59, भाग-प्रथम, नेपोली, इटली, 1984 ई.

24. जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग ऑन दी पोलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी (पूर्व.); राज. प्रशासनिक, पृ. 217-19 (पूर्व.)

25. वही

26. ठाकुरों एवं बनियों का प्रत्यक्ष संबंध जोधपुर एवं बीकानेर राज्यों की स्थापना से ही रहा है। राठी, बच्छावत, सिंघवी, मुहणोत, मोहता, कोठारी आदि वैश्य जातियां 'दरबार' के बहुत समीप के सम्पर्क में रही हैं। 17 वीं शताब्दी में नथोणी सेठ का प्रभाव जोधपुर एवं बीकानेर राज्यों में रहा। 18 वीं शताब्दी के अंत में चूरू के सेठ

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

का एक सहायक कारण बन जाता था।[27] अर्थात् व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न व्यक्तियों की पंचायत समाज के एक साधन सम्पन्न और विशिष्ट वर्ग के सदस्यों से निर्मित थी एवं उनके आर्थिक अधिकारों को एक सीमा तक सुरक्षा प्रदान करती थी। जहां तक इस प्रकार की पंचायतों के कार्य क्षेत्र में स्वायत्तता के तुलनात्मक अंशों का प्रश्न है, इसे हम इस प्रकार की पंचायतों के कार्यक्षेत्र एवं उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में ही अधिक समझ सकते हैं, जिसका उल्लेख इसी अध्याय में आगे के पृष्ठों में आया है।

गठन

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि व्यावसायिक-पंचायतों के सदस्य किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं होते थे। एक जाति के सदस्यों का विवरण तभी आया है कि जब हम एक व्यापारी के परिवार के दो सदस्यों के मध्य सम्पत्ति बंटवारे या उत्तराधिकार के अधिकारों का विवाद पाते हैं। ऐसी अवस्था में विवाद का मूल स्वरूप आर्थिक न होकर सामाजिक अधिक होता था। अगर दो

मिर्जामल पोद्दार का अनेक राजपूत राजाओं से घनिष्ठ संबंध रहा। **कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनकं काव्यम्,**

विषय प्रवेश, अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर;

मोहता ख्यात- रील नं. 8, रा. रा. अ. बी.;

एस. आर. भण्डारी- महेश्वरी जाति का इतिहास, पृ. 3-5, 34, 83, 94, 101, 1940 ई., भानपुरा (इन्दौर)

गोविन्द अग्रवाल- पोतेदार संग्रह के फारसी कागजात, पृ. 2-9, 1978 ई., चूरू

27. जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग ऑन दी पोलिटिक्स ऑफ कमर्शियल, सोसयटी इन प्री कोलोनियल इंडिया, (पूर्व.), पृ. 17-21;

जोधपुर राज्य में सिंघवी एवं भंडारी मंत्री तथा अधिकारी थे और वे वैश्य जाति के थे, उसी प्रकार बीकानेर राज्य में भी मंत्री एवं अधिकारी जैसे मोहता, मूंधड़ा, सुराणा एवं बच्छावत वैश्य जाति के थे। मु. नै. ख्यात, भाग- प्रथम, पृ. 373-93, जोधपुर, 1938; जी. एच. ओझा: बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग-द्वितीय, पृ. 752-767, 1940 ई., अजमेर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भाईयों में व्यापार के साझे या उसके हिसाब में कभी अनियमितता का मामला उठता था तब जाति के पंच नहीं बल्कि व्यवसाय के पंच ही उसे सुलझाते थे। इन (व्यावसायिक) पंचों की कितनी संख्या होती थी, उस संबंध में एक निश्चित अंक बताना कठिन है; क्योंकि पंचों की संख्या दो से लेकर 13 तक की पढ़ने में मिलती है। साधारणतया पंचों की संख्या 4 अथवा 5 हुआ करती थी।[28]

व्यावसायिक पंचायतों के पंच कौन होते थे? इस प्रश्न पर भी निर्णयात्मक उत्तर देना कठिन है; क्योंकि हमारे पास पंचों के चुने जाने की प्रक्रिया का किसी भी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है। सामग्री में विवरण का जो स्वरूप आया है उससे यह अवश्य विदित होता है कि पंच पहले से ही नियुक्त हुआ करते थे; क्योंकि इस संदर्भ में इस प्रकार के राज्यादेश प्राप्त होते हैं कि अमुक विवाद का निर्णय पंच प्रदान कर दें। कुछ दस्तावेजों में पंचों के नाम भी लिखे हुए हैं।[29] उनके आधार पर ही इस दिशा में कुछ शोध किया जा सकता है। उन नामों के अध्ययन से विदित होता है कि प्रथम, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ पंच चुने ही जाते थे क्योंकि कुछ नाम दस्तावेजों में बार-बार दोहराये गये हैं। उदाहरणार्थ, 18वीं शताब्दी के पिछले पच्चीस वर्षों में बीकानेर मंडी में अमरचंद सींघी (सिंघवी), बालचन्द कोठारी, राजाराम खत्री, धनोजी, गुमाना, बेद मगनीराम आदि के नाम बार-बार अनेक व्यापारिक विवादों को सुलझाने में याद किये गये हैं।[30] जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि कम से कम इन नामों के व्यक्ति तो अपने-अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठित पंच समझे जाते थे। द्वितीय, इन नामों का मूल्याकंन हम अन्य समाकालीन सामग्री की पृष्ठभूमि में करते हैं तो पाते हैं कि ये सभी व्यक्ति अपने-अपने व्यवसाय में बहुत ही प्रतिष्ठित थे। अमरचंद सिंघी अपने समय का

---

28. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 156;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 262;
वही, वि. सं. 1858, नं. 12, पृ. 31, 171

29. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 156;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 262;
वही, वि. सं. 1958, नं. 12, पृ. 31, 171

30. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 148, 158, 165, 180, 231;
वही, वि. सं. 1957, नं. 11, पृ. 151, 282;
वही, वि. सं. 1959, नं. 12, पृ. 31, 198, 215

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सबसे बड़ा व्यापारी था।[31] यही स्थिति बालचंद कोठारी एवं राजाराम खत्री की थी।[32] घनोजी, गुमाना व्यापारी होने के साथ–साथ 'इजारेदार' या 'मुकाती' भी था।[33] बैद मगनीराम ने भी भू राजस्व वसूली का 'इजारा' एवं 'मुकाता' कई बार लिया था।[34] इस प्रकार ये व्यक्ति प्रतिष्ठित एवं चर्चित दोनों ही थे। अतः इन विवरणों के आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि इस क्षेत्र के अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही 'पंच' बनाया जाता था। इस स्थिति के कारण उनके निर्णय भी वादी–प्रतिवादी दोनों पर वांछनीय प्रभाव स्थापित करते थे।

अधिकांशतः स्थानीय मामलों के लिए स्थानीय पंच ही नियुक्त किये जाते थे। अगर कोई विवाद राज्य के किसी शहर, कस्बा या गांव की सीमा लांघकर अन्य स्थान को भी समेट लेता था तो दोनों स्थानों के स्थानीय पंचों को निर्णय के लिए निवेदन किया जाता था।[35] ऐसे मामलों में राज्य की भूमिका एक माध्यम का कार्य करती थी।[36] कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि पूर्णतया स्थानीय मामलों को सुलझाने के लिए भी राज्य ने अन्य भागों से कुछ पंचों को आमंत्रित किया अथवा उनकी सलाह पूछ ली गयी। चुरू का प्रसिद्ध सेठ मिर्जामल इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि उसने अनेक बार बीकानेर एवं रीणी तथा अन्य भागों के मामलों में भी राय प्रेषित की थी।[37] चूंकि व्यापार का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता था, इस कारण इसकी संभावना बनी रहती थी कि विवाद की स्थिति होने पर संबंधित स्थानों के पंचों की राय ली जाये। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब बीकानेर के पंचों ने खैरपुर,

---

31. देखिए शीषर्क **'साहूकार लेखे' श्री बीकानेर मंडी रे जमा खरच री बही (बीकानेर)**, वि सं. 1854, नं. 57, रा. रा. अ. बी.

32. देखिये शीषर्क **'साहूकार लेखे' – श्री बीकानेर मंडी रे जमा खरच री बही**, वि. सं. 1854, नं. 58, रा. रा. अ. बी.
जी. एस. एल. देवड़ा– कमर्शियल कोर्ट्स इन राजस्थान, ओकेजनल पेपर, (पूर्व.)

33. **सावा बही रीणी**, वि. सं. 1834–38, नं. 4 रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

34. **जगात बही**, वि. सं. 1848, **जगात बसता, बीकानेर** रिकार्डस, रा. रा. अ. बी.

35. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 198

36. वही

37. गोविन्द अग्रवाल : पोतेदार संग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ. 17–24, 1976 ई. चूरू; मरूश्री (सं. गोविन्द अग्रवाल), पृ. 20–24, 9/2–3, 1980 ई., चूरू

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

नागौर और यहां तक कि इन्दौर के पंचों से मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लिया था,[38] किन्तु इस तरह के विवादों में बहुत समय लग जाता था। ऐसा बहुत कम होता था कि किसी एक स्थान के पंच केवल निर्णय देने के लिए ही अन्यत्र जायें। इस कारण बाहर के स्थानों में रहने वाले उन्हीं व्यक्तियों को पंच बनाया जाता था, जिनका स्थायी अथवा अस्थायी निवास राजस्थान के संबंधित क्षेत्र में होता था।[39] कभी-कभी उपर्युक्त परिस्थितियों की विपरीत अवस्था में भी राज्य से बाहर के पंचों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ जाती थी, चाहे उनका स्थायी अथवा अस्थायी निवास संबंधित राज्य में न हो। ऐसी अवस्था में राज्य अपना एक दूत संबंधित बाहर के शहर के साहूकार पंचों के पास भेजता था और उनसे यह आशा करता था कि वे सुझाये गये विवाद में अपना निर्णय देंगे।[40] इस प्रकार व्यावसायिक पंचायतों की अपनी कठिनाईयां भी थीं परन्तु उनका हल भी कई प्रकार से ढूंढा जाता था।

कार्यक्षेत्र

उपलब्ध स्रोत-सामग्री के आधार पर व्यावसायिक पंचायतों के कार्य-क्षेत्र को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। मुख्यत: ये पंचायतें एक व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के, उनके व्यवसाय में ही उत्पन्न विभिन्न विवादों को सुलझाती थीं। इस संदर्भ में यह सिद्धांत अवश्य क्रियाशील था कि प्रत्येक व्यवसाय की अपनी एक अलग से पंचायत हो। उदाहरणार्थ साहूकारों की अपनी पंचायत थी तो दलालों की अपनी पंचायत थी।[41] इसी प्रकार किसी विशेष उत्पादन से संबंधित व्यापारियों की भी अपनी पंचायत थी; जैसे 'मिश्री के व्यापारियों की पंचायत,'[42] कपड़े के

---

38. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 273;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1838, नं. 6, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1840; नं. 7, पृ. 28

39. वही

40. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 262;
इस पत्र में खैरपुर (सिन्ध) के 13 साहूकार पंचों का निर्णय देने का निवेदन किया गया है।

41. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1833, नं. 38 रामपुरिया रिकाईस, बीकानेर, रा. रा. अ. बी.

42. वही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

व्यापारियों की पंचायत[43] आदि। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है कि 'कारीगरों की पंचायत' मुख्यत: जाति पंचायत का ही दूसरा रूप थी वहीं व्यापारी एवं साहूकारों की पंचायत जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यवसाय के आधार पर गठित थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीकानेर राज्य में मिश्री का उत्पादन व उसका व्यापार एक अलग विशिष्टता रखता था; उसमें वैश्य, खत्री एवं ब्राह्मण सभी सम्मिलित थे।[44] बल्कि 'साहूकारी' में तो वैश्यों के साथ-साथ ब्राह्मणों का भी अपना पूरा प्रभाव था। जोधपुर के जोशी बालु[45] एवं बीकानेर के अचारज बालकिशन[46] अपने समय के प्रसिद्ध 'साहूकार' थे। स्थानीय नमक के व्यापार में वैश्यों के साथ-साथ ब्राह्मण एवं जाट सक्रिय थे।[47] वैसे भी जोधपुर एवं बीकानेर दोनों के क्षेत्र में पंजाबी खत्री एवं मुलतानी भी प्रतिष्ठित व्यापारी थे।[48] नैणसी ने तो मेड़ता शहर के अन्दर खत्री व्यापारियों की एक अच्छी संख्या बतलायी है।[49]

इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पंचायतें दो अन्य कारणों से भी सक्रिय होती थीं। परन्तु ये दोनों कारण, विशेषकर इन दोनों कारणों में भी द्वितीय कारण तो कभी-कभी विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ही सामने आते थे। वस्तुत: ये दोनों ही कारण एक व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के पारस्परिक हितों की टकराहट को रोकने से संबंधित नहीं थे बल्कि उनके सामूहिक हितों की सीधे राज्य अथवा उसकी किसी प्रतिनिधि संस्था के विरूद्ध सुरक्षा में निहित थे। ऐसा करते समय कई बार वे गैर व्यवसायी क्षेत्र में भी अपनी पहुंच और कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से भी हस्तक्षेप करने को तत्पर हो जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब

---

43. **बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर)**, वि. सं. 1853, तं. 38, रा. रा. अ. बी.

44. **बही साहूकारों की जगात लेखे री**, वि. सं. 1874, नं. 23, भैया संग्रह, बीकानेर

45. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5 पृ. 268; रेऊ - मारवाड़ का इतिहास, भाग प्रथम, पृ. 380-81 (पूर्व उल्लिखित)

46. **कागदों की ही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 176, 201, 207, 213

47. **खारी पट्टी मगरे री जमा**, वि. सं. 1842, **जगात बसता**, वि. सं. 1848, बीकानेर रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.।

48. **जैतपुर थाणे री बही, जगात बसता** वि. सं. 1848 (पूर्व उल्लिखित); **श्री बीकानेर मंडी रे जमा खरच री बही**, वि. सं. 1854 (पूर्व उल्लिखित)

49. मा. प. वि. भाग-11, (पूर्व.), पृ. 85-88

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

राजस्थान एक गम्भीर राजनीतिक एवं प्रशासनिक संकट से गुजर रहा था[50] तब इस प्रकार की परिस्थितियां व 'हस्तक्षेप' की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

इन सुझाये गये अतिरिक्त दो कारणों में प्रथम कारण तब उत्पन्न होता था जब व्यावसायिक पंचायत यह समझती थी कि उससे संबंधित सदस्यों के हित राज्य की नयी नीति, नयी कर संरचना अथवा किसी राज्याधिकारी के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हस्तक्षेप फलस्वरूप एक गंभीर संकट में पड़ गये हैं। बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंह के काल में एवं जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के काल में क्रमशः बीकानेर एवं नागौर के व्यापारियों ने राज्य द्वारा उनसे लिये गये ऋणों को चुकाने की व्यवस्था न किये जाने पर पंचायत के माध्यम से सख्त विरोध प्रकट किया था।[51] 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्य एक आर्थिक संकट में फंस गये थे व उससे उबरने हेतु जब उन्होंने कई नये कर व्यापारियों पर लगाये थे, तब भी व्यापारियों एवं साहूकारों ने अपनी-अपनी पंचायत के माध्यम से अपने असंतोष को सत्ता के सम्मुख प्रेषित किया था।[52] इस प्रकार के विवादों में पंचायतों का महत्त्व इस तथ्य से भी समझा जा सकता है, जब हम यह पाते हैं कि राज्य व्यापारियों एवं साहूकारों को प्रसन्न करने के लिये और विशेषकर उन्हें राज्य छोड़कर जाने से मना करने के लिये पंचायतों या राज्य के प्रमुख पंचों के माध्यम से ही अधिक प्रयास करता था।[53] चूरू के पोद्दार संग्रह के पत्रों से विदित होता है कि किस प्रकार अपने समय के प्रसिद्ध एवं साहूकार सेठ मिर्जामल ने अपने प्रयासों से व्यापारियों के प्रति राज्य-नीतियों को नरम बनाया था

---

50. जोधपुर राज्य में इस संकट को समझने के लिए देखिये- आर. पी. व्यास : रोल ऑफ नोबिलिटी इन मारवाड़, पृ. 62-73, 1969 ई. जोधपुर; बीकानेर राज्य के संदर्भ में इस समस्या को समझने के लिये देखिये, जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 83-84, 200-10

51. बीकानेर के व्यापारियों की उनके नरेश महाराजा जोरावरसिंह को अपील, वैशाख सुदि 13, सं. 1798, **बहियात** शाखा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर;
सनद परवाना बही (मारवाड़), वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 248, 49

52. नोहर कस्बे से भैया नथमल के पत्र (सं. 1872) भैया संग्रह, रा. रा. अ. बी.

53. भैया नथमल का पत्र, **अश्विन बदि** 1, सं. 1872, भैया संग्रह, रा. रा. अ. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

एवं व्यापारियों को भी साथ ही साथ अनेक माध्यमों से आश्वस्त किया था।[54] कई बार इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी जब राज्य द्वारा पंचों को आश्वस्त किया गया था कि जैसा वे चाहते है; वैसा ही किया जायेगा, किन्तु वे अपने प्रयासों से व्यापारियों को आश्वासन दें तथा विशेषकर उनके क्षेत्र से हो रहे बहिर्गमन को रोकें।[55]

18 वीं शताब्दी के अंत में ही इन पंचायतों ने चाहे सीमित अर्थों में ही सही अपना एक नया रूप दिखाया। उन्होंने तत्कालीन राजनीति में भी एक प्रकार की भूमिका निर्वाहित की किन्तु यह भूमिका अधिक विकसित अवस्था नहीं पा सकी तथापि पंचायत के कार्य क्षेत्र में नये लक्षण अध्ययन की उत्सुकता उत्पन्न करते हैं। इन पंचायतों ने अपने क्षेत्र विशेषकर कस्बों एवं मंडी की सुरक्षा का दायित्व संभाला तथा विशेष परिस्थितियों में राज्य ने प्रशासनिक दायित्वों को भी उनसे पूछकर निभाया। इससे भी बढ़कर इन पंचायतों ने राजा व उसके सामंतों के मध्य संघर्ष में किसी एक पक्ष को समर्थन दिया। पश्चिमी क्षेत्र की प्रसिद्ध मंडी राजगढ़ की सुरक्षा का दायित्व एक समय में व्यावसायिक पंचायतों ने ही संभाला।[56] जब बीकानेर के शासक महाराजा सूरतसिंह के संबंध भादरा एवं चूरू के ठाकुरों के साथ बिगड़ गये तब इन क्षेत्रों की अनेक व्यावसायिक पंचायतों ने राजा का साथ दिया।[57] क्योंकि इनके पंच ठाकुरों की कर नीति से बहुत असंतुष्ट थे।[58] जब चूरू ठिकाणा को खालसा में मिला लिया गया तब उस कस्बे की पंचायतों ने सामान्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये केन्द्रीय-प्रशासन को सक्रिय सहयोग

---

54. पोतेदार संग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ. 27-30, चूरू, 1976

55. वही

56. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1867, नं. 16, पृ. 208

57. इस संदर्भ में विवेचन के लिये देखिये- कस्बा नोहर से भैया नथमल के पत्र (सं. 1872, 73) (पूर्व उल्लिखित) एवं बीकानेर नरेश महाराजा सूरतसिंह द्वारा पोद्दार परिवार को लिखे पत्र- पोतेदार संग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ. 25-28, (पूर्व उल्लिखित)

58. इस संदर्भ में विवेचन के लिये देखिये- कस्बा नोहर से भैय्या नथमल के पत्र (सं. 1872, 73) (पूर्व उल्लिखित) एवं बीकानेर नरेश महाराजा सूरतसिंह द्वारा पोद्दार परिवार को लिखे पत्र-पोतेदार संग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ. 25-28 (पूर्व उल्लिखित)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रदान किया[59] परन्तु जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, ऐसी गतिविधियां बहुत ही सीमित व कम समय के लिये ही सामने आयीं।

विवाद के विषय

जैसा कि लिखा जा चुका है कि व्यावसायिक-पंचायतें अधिकतर एक व्यवसाय से संबंधित लोगों के विभिन्न कारणों से उत्पन्न पारस्परिक विवादों को ही सुलझाती थीं। अगर दो व्यवसायों के लोगों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता था, तब दोनों व्यवसायों के पंचों से पंचायत को गठित किया जाता था और उनके माध्यम से निर्णय ढूंढा जाता था। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सूखे की स्थिति होने के पश्चात् भी व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से आशाजनक रही।[60] यहां तक कि मुगल काल के एक अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि राजस्थान में उत्तरी भारत के मैदानों के कुछ भागों से यहां व्यापारीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया अधिक रही।[61] इसका मुख्य कारण यह था कि राजस्थान का क्षेत्र दिल्ली, आगरा, पंजाब के साथ एक दिशा में तो दूसरी दिशा में मालवा एवं गुजरात के प्रांतो से जुड़ा हुआ था। एक अन्य दिशा में मुलतान एवं विशाल सिंध का प्रदेश था। जिसके फलस्वरूप अनेक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग इस प्रदेश से गुजरते थे तथा यहां के व्यापारियों के लिए वाणिज्य एवं व्यापार में संलग्न होने हेतु एक सुगम अवसर प्रदान करते थे।[62] 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् यहां के सभी स्थानीय राज्यों ने भी अपनी आय के साधनों को विस्तृत करने के लिए व्यापार एवं वाणिज्य को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया था; फलत: यहां के स्थानीय व्यापारी मध्यम एवं दूरगामी व्यापारिक मार्गों पर सक्रिय हो गये थे।[63] साथ

59. पोतेदार संग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ. 23-32 (पूर्व उल्लिखित)
60. जी. एस. एल. देवड़ा- ए स्टडी ऑफ दी ट्रेड रिलेशन बिटविन राजस्थान एण्ड सिन्ध /मुलतान, इ. हि. कां. प्रो., 1978
61. एस. मूसवी- इकोनोमी अण्डर दी मुगल एम्पायर, पृ. 315, 1987 ई., आक्सफोर्ड प्रेस
62. जी. एस. एल. देवड़ा- ए स्टडी ऑफ दी ट्रेड रिलेशन बिटविन राजस्थान एण्ड सिन्ध मुलतान (पूर्व उल्लिखित)
63. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1827, नं. 3, कार्तिक सुदि 14; बही, वि. सं. 1854, नं. 10 वैशाख बदि 10; भैया देवीदान का भैया नथमल को पत्र, माघ (मार्ग शीर्ष) सुदि 9, वि. सं. 1877, भैया संग्रह, रा. रा. अ. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

ही यहां के साहूकारों को भी ऋण देने के लिए व्यापारियों का एक नया वर्ग भी उनके व्यवसाय की उन्नति के लिए मिल गया था।[64] स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थिति में कई प्रकार के विवाद विशेषत: दो व्यापारियों के मध्य, साहूकार एवं व्यापारी के मध्य, व्यापारी तथा दलाल के मध्य और व्यापारी तथा उसके 'गुमाश्तों' के मध्य उत्पन्न होते। अभिलेखीय सामग्री के आधार पर व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़े विभिन्न वर्गों के मध्य तथा एक वर्ग में भी परस्पर हुए विवादों को हम मुख्य रूप से कई विषयों में बांट सकते हैं। इन विषयों में कारीगर या शिल्पी वर्ग के व्यक्तियों के विवादों को भी उसी प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है।

फलस्वरूप विवाद के मुख्य विषय इस प्रकार थे-

1. दो विभिन्न व्यवसायियों के मध्य रूपयों एवं पैसों के हिसाब में अनियमितता आने पर झगड़ा- इसे समकालीन सामग्री में 'लेखा-चोखा का असरचा' नाम दिया गया है और अधिकतर सूचनाएं इसी विवाद के संबंध में प्राप्य है।[65]

2. दो व्यापारियों के एक साथ मिलकर कार्य करने के पश्चात् समयान्तर से साझेदारी के भाग पर विवाद-इसकी सूचनाएं भी समकालीन सामग्री में अच्छी संख्या में है तथा इसे 'साझे का झगड़ा' नाम दिया गया है।[66]

---

64. **बही साहूकारों री जागत रे लेखे री**, वि. सं. 1874, नं. 23, भैया संग्रह, बीकानेर

65. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 79, 273;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 29;
वही, वि. सं. 1858, नं. 12, पृ. 31, 168
उदाहरणार्थ - हंसारीये पेमनाथा बांठीये वरघमान गोलचो अनोपचंद रे आपस में लेखे चौखे रो असरचो छै सु ईतरा पंचा उ प्र घाती छै सु बही पोना देख समझाय देसी
1 कलो केसोरोय 1 डागो जादुराय।
1 दमोणी मुकनराम 1 पारख अभेराज।
ईतरां पंचा ऊपर घाती छै सु वरा परमेसरी नीबेड़ देसी ईंहारो कहो उथपसी सुं रू 101) गुनेगारी रा देसी। सावण सुद 13 (1840)

66. **सनद परवाना (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 73;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1827, नं. 3, पृ. 1;
वही, वि सं. 1840, नं. 7, पृ. 26;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 148

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3. दो विभिन्न व्यवसायियों के मध्य माल या सामान की संख्या एवं उसके भार-तोल के संबंध में विवाद- इसे 'माल का झगड़ा' कहा गया है।[67]

4. दो विभिन्न व्यवसायियों के मध्य समय पर एक दूसरे की सामान एवं पैसों से सहायता करने एवं तदुपरान्त आशाजनक परिणाम न मिलने पर होने वाले विवाद- को 'लेन-देन का झगड़ा' कहा गया है।[68]

5. ऋण संबंधी विवाद, विशेषकर ऋण की रकम समय पर न चुकाने, इस पर लगे ब्याज की अदायगी में अनियमितता, ऋण के बदले रेहन के लेन-देन में अनियमितता आदि जो कई बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की समस्या बन जाती थी, आदि विवाद जो व्यापार एवं वाणिज्य के जीवन में काफी उलझनें पैदा करते थे, इसमें सम्मिलित थे।[69]

6. हुंडी भुगतान संबंधी विवाद- दो पक्षों के मध्य हुंडी दिखवाने पर समय पर रकम की अदायगी न करना, उसमें साहूकार एवं सर्राफ के प्रतिशत पर विवाद आदि मामले भी काफी संख्या में उभर कर आने लगे थे। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि 18 वीं शताब्दी में न केवल अधिक दूरी के व्यापार में बल्कि मध्यम दूरी के व्यापार में भी तथा साथ ही साथ राजस्व आय को इधर-उधर भेजने के लिए भी हुंडी का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा

---

67. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 2, पृ. 156;
वही, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 28;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 168;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11 पृ. 297;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 171

68. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1822, नं. 3, पृ. 59;
वही, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 84;
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1840, नं. 7, पृ 17;
वही, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 158;
बही पेशकसी रे लेखे री (बीकानेर), वि. सं. 1833, नं. 38 पृ. 58

69. **सनद परवाना बही (मारवाड़)**, वि. सं. 1823, नं. 5, पृ. 127-28;.
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृं. 229;
वही, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 254, 262;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 197

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

था।[70] बल्कि इस प्रकार के विवादों ने न केवल एक दिशा में पंचायतों के कार्य को अधिक बढ़ा दिया था बल्कि उसके महत्त्व को भी और अधिक स्पष्ट कर दिया था।

न्यायिक प्रक्रिया

जैसा कि हम अन्य प्रकार की पंचायतों के संबंध में देख चुके हैं, इस तीसरे प्रकार की पंचायत में भी किसी भी पक्ष की शिकायत तीन प्रकार से सुनी जाती थी। प्रथम, वह सीधा पंचों से अपनी शिकायत कर सकता था; द्वितीय, पंचों के निर्णय से संतुष्ट न होकर 'राजा' से अपील करता था। तृतीय, सीधे राजा से अपील करने पर राजा द्वारा मामला पंचों को सुपुर्द कर देने पर वह पंचायत से निर्णय पाता था। हमें जाति-पंचायतों की भांति इस प्रकार की पंचायतों के संबंध में यह विवरण नहीं प्राप्त हुआ है कि स्वयं पंचों ने किसी मामले में हस्तक्षेप किया हो। साधारणतया हमें तृतीय प्रकार के सर्वाधिक उदाहरण प्राप्त होते हैं। पहले एवं द्वितीय प्रकार के उदाहरण भी तृतीय प्रकार के आलेखों में ही मिलते हैं।[71] वैसे, जाति-पंचायत के निर्णयों को जिस प्रकार शासक पुनर्विचार के लिये पंचायत के पास भेज देता था उस भांति व्यावसायिक पंचायत के निर्णयों पर पुनर्विचार के उदाहरण लगभग नहीं के बराबर है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस श्रेणी के पंचों का अनुभव एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा राजसत्ता की दृष्टि में एक विशिष्ट अर्थ रखती थी।

जब कभी राज्य, जाति एवं गांव-पंचायत की भांति व्यवसायों के विवाद भी उनकी पंचायतों को भेजता था तब उनके पंचों में यह विश्वास व्यक्त करता था कि वे 'पंच परमेश्वर' हैं तथा वे समझकर बिना किसी हित-अहित एवं स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय करेंगे।[72] साथ ही यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि उनके निर्णयों

---

70. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1839, नं. 6, पृ. 23;
वही, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 28;
वही, वि. सं. 1859, नं. 12, पृ. 198

71. प्रत्येक कागदों की बही में **लिखत कागद** देखिये- (नं. 1- 18) जिसमें इन तीनों प्रकार की अपीलों एवं विशेषकर तृतीय प्रकार की अपील का ही विवरण आया है।

72. उदाहरणार्थ-
लखोटीय रूपै री बहु रू. 16-) सं. साल री बही रे खत सु लेहणा लखोटीये नंदा मोजी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

का सम्मान किया जायेगा एवं उन्हें विभिन्न प्रकार की शपथें भी उचित न्याय देने के लिए दिलवायी जाती थीं[73] किन्तु उनमें यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि उनके निर्णयों का सम्मान किया जायेगा एवं उन्हें यथाशक्ति लागू किया जायेगा।[74] वादी अथवा प्रतिवादी द्वारा उसके निर्णयों की अवहेलना किएं जाने पर उन्हें गुनेहगारी, से दंडित किया जाता था।[75] 'गुनेहगारी' के रूप में सामान्यत: मामले की गंभीरता एवं किसी पक्ष के अपराधी होने की सीमा को देखते हुए आर्थिक दंड अथवा 'रकम' की वसूली की जाती थी। समकालीन विवरणों में इस प्रकार के दंड की रकम की सीमा पांच रूपये से प्रारंभ होकर अन्त में एक हजार रूपये तक होना उल्लिखित मिलता है। सामान्यत: यह रकम 25 रूपये से लेकर 200 रूपये के मध्य अधिक वसूल होती थी।[76] प्राप्त विवरणों के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि पंचों के निर्णय का सम्मान किया जाता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यावसायिक पंचायतों को अपने निजी मामलों में निर्णय देने की एक सीमा तक स्वायत्तता प्राप्त थी। उनके निर्णयों को सम्मान दिया जाता था और जहां तक संभव हुआ उन पर पुनर्विचार नहीं किया जाता था। पंचायतों के निर्णयों का प्रभाव संबंधित व्यक्तियों पर भी पड़ता था और एक भी उदाहरण नहीं है जब किसी पक्ष ने निर्णय से असंतुष्ट होकर खुले रूप से उसकी अवहेलना की हो। इन व्यावसायिक-पंचायतों ने जहां कारीगर जातियों में एक जाति एवं एक व्यवसाय के सिद्धांत को सुरक्षित किया वहां व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में आर्थिक हितों को समुचित व्यवस्था प्रदान की। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी एवं साहूकार अपनी इन संस्थाओं के माध्यम से किसी भी बाह्य हस्तक्षेप

रामोणी कनै मांगा सु ईातरा पंचा उप्र सौपी छै वरा **प्रमेसरी** नीबेड़ देसी हरकी होर कई रोखसी नहीं पंचों रो कहो उथपसी सु रू 11) गुनेगारी रा देसी।
1 मीनो लखोटीयो 1 रोमजी लखोटीयो
आ. 2 सोवण वद 1
कागदों की बही (बीकानेर), वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 170

73. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 254
74. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1857, नं. 11, पृ. 262
75. वही
76. **लिखत कागद, कागदों की बही**, नं. 10, (1854); 11(1857); 12(1859)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

का विरोध करने में संगठित थे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये पंचायतें अपनी भूमिका मे सदैव सफल ही रहती थीं। यह सत्य है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग की पंचायत होने के फलस्वरूप अनेक छोटी मोटी प्रशासनिक बाधाओं एवं हस्तक्षेपों से यह मुक्त थी किन्तु राजसत्ता का नियंत्रण इस पर भी कसा हुआ था। शासक चाहे तो इन पंचायतों के निर्णयों को बदल सकता था और अपनी इच्छा को सफलतापूर्वक प्रतिपादित कर सकता था। यह अवश्य था कि ऐसा करते समय सत्ता पक्ष पंचायत नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों का भी मूल्याकंन करता था। हम देखते हैं कि 18 वीं शताब्दी में ये पंचायतें बहुत सक्रिय थीं; लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और विशेषकर 1818 ई. की संधियों के पश्चात् तो ये सत्ता के प्रकोप के सम्मुख अपने सदस्यों के हितों को बचाने में असहाय थीं।[77] अपितु हम पाते हैं कि राज्यों के प्रमुख व्यापारी एक पंच की स्थिति में नहीं बल्कि शासक के साथ अपने संबंधों के आधार पर अन्य व्यापारियों के हितों को बचाने में सक्षम हो पाते थे।[78] फिर इन संस्थाओं की अपनी कोई स्वतंत्र वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं थी। इसके निर्णयों को लागू करने का भार राज्य पर था। इस कारण अपनी बहुमुखी गतिविधियों के पश्चात् भी ये पंचायतें 'गिल्ड' जैसी संस्था के समान नहीं थीं।[79]

■ ■ ■

77. 'मरूश्री' (सं. गोविन्द अग्रवाल), पृ. 6,-18, जुलाई-दिसम्बर, 1982 ई., चूरू
78. वही
79. ई. वाशर्बन हॉपकीन्स--एनशियण्ट एण्ड मोर्डन हिन्दू गिल्ड्स इन इंडिया, पृ. 200-05, 1901, न्यूयार्क; पी. सी. जैन-सोशियो इकोनोमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिवल इंडिया, पृ. 318-20, 1976 ई., दिल्ली

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

7

राज्य एवम् पंचायत

'जाति-पंचायत,' 'गांव-पंचायत' एवं 'व्यावसायिक-पंचायत,' तीनों प्रकार की पंचायतों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करते समय बार-बार यह स्पष्ट उल्लेख आया है कि इन पंचायतों के निर्णयों के विरूद्ध राज्य से 'अपील' की जा सकती थी और यह राज्य के सर्वोच्च प्रतिनिधि 'राजा' अथवा उसके द्वारा नियुक्त सलाहकार 'दीवान' पर निर्भर करता था कि या तो वह उस मामले की जांच पड़ताल करे अथवा आवश्यक समझकर पंचायत के निर्णय को ही बदल दे अर्थात् 'पंचायत' राज्य की न्याय-व्यवस्था में नीचे के स्तर का एक अंग थी। साथ ही उसके पास किसी प्रकार के फौजदारी मामलों पर सुनवाई के अधिकार भी नहीं थे। वास्तव में ये पंचायतें अलग-अलग खंडों में बंटकर एक विशेष विषय अथवा क्षेत्र के न्यायिक मामलों को एक स्तर तक निपटाने का अधिकार रखती थीं। ये पंचायतें अपने अस्तित्व की एक विशाल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने के पश्चात् भी शासकीय निरंकुशता के सम्मुख अपने अधिकारों एवं कार्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थीं; अपितु 18 वीं शताब्दी में वे परम्पराएं जो पंचायतों के निर्माण में सहायक थीं, अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए भी राजा के समर्थन पर बहुत आश्रित थीं।[1]

अगर हम राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो विदित होता है कि पंचायतों के अस्तित्व को बनाये रखना उसकी एक 'आवश्यकता' भी थी। इन पंचायतों के माध्यम से ही राज्य स्थानीय भावनाओं के प्रति एक प्रकार से आदर प्रकट करके एवं फलस्वरूप उन्हें तुष्ट करके राज्य-प्रशासन को स्थिरता प्रदान करने का एक

---

1. इन सबकी विवेचना हम जाति एवं गांव-पंचायत के अध्ययन मे कर चुके हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

 Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

महत्त्वपूर्ण प्रयास करता था। यद्यपि 16वीं शताब्दी के पश्चात् राजस्थान के राज्यों में प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियां अधिक सुदृढ़ बनी थीं।[2] परन्तु यहां यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि अधिकांशत: शासकों ने प्रचलित व्यवस्थाओं में ही उचित परिवर्तन करके राजा एवं राज्य की शक्तियों को सुदृढ़ बनाया था। वस्तुत: शासकों ने प्राचीन मान्यताओं को सम्मान देकर अपनी क्षेत्रीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने की योजनाएं बनायी थीं। इस तथ्य को इस भांति सहजता से समझा जा सकता है कि शासकों ने राज्य के सामंतों की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए 'पट्टा प्रणाली' को लागू किया था पर 'दरबार'[3] की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया था अर्थात् राजपूत राज्यों में 'दरबार' मूलत: पहले की भांति 'कुलीय परम्पराओं' एवं कुटुम्बीय संबंधों के आधार पर ही गठित रहा था। 'पट्टा प्रणाली' के अन्तर्गत राजा ने कुटुम्बीय संबंधों को ही महत्त्व प्रदान करते हुए 'राजा' एवं 'राज्य' के प्रति उनके दायित्वों को एक निश्चित 'सेवा' में परिवर्तित कर दिया था।[4] उसी भांति राजा ने स्थानीय लोगों, जिन पर उसने विजय प्राप्त करके अपनी एक सत्ता की स्थापना की थी, के निर्वाह एवं निरन्तरता को बनाये रखने के लिए उनसे सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कई स्तरों पर समझौते भी किये थे;[5] ताकि स्थानीय लोगों को एक सीमा तक तुष्ट किया जा सके। यह बात उस समय आवश्यक हो गयी थी जब शासकीय वर्ग- राठौड़ों ने, स्थानीय लोगों से राजनैतिक एवं प्रत्यक्ष स्तर पर उनके प्रशासनिक अधिकार छीन लिए थे। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है कि यह सब 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में हुआ था जब राज्यों ने मुगलों के साथ संधि करके उनके प्रभुत्व की छाया में अपने ही क्षेत्रों में अपनी सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विस्तार किया था। राजा ने अपनी एवं अपने कुल की शक्ति को

---

2. जी. एस. एल. देवड़ा - राज. प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 16, 17, 96, 97

3. 'दरबार' का तात्पर्य यहां उस स्थिति से है जहां राजा एवं उसके सामंत एक स्थान पर एक विधि से कुलीय मान्यताओं के अनुसार बैठते थे एवं कार्य करते थे। 'दरबार' का तात्पर्य यहां 'कुल' की शक्ति के प्रतीक के रूप में है जहां राजा 'कुल' के 'पाटवी', 'मुखिया' के सम्मान से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। लेकिन शनै: -शनै: 'दरबार' एवं 'राजा' एक ही अर्थ में प्रयोग में आने लगे।

4. आर. पी. व्यास- नोबिलिटी इन मारवाड़- इन्ट्रोडक्शन (पूर्व उल्लिखित); जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 76-79

5. टाड- भाग-2, पृ. 1126-28 (पूर्व उल्लिखित)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

निरंकुश एवं निर्विवाद बनाने के लिए अन्य सभी राजनीतिक इकाइयों को समाप्त कर दिया था।[6] जैसा कि समकालीन साहित्य से विदित होता है कि राजा इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न असंतोष को हर क्षेत्र में फैलने नहीं देना चाहता था। विशेषकर वह उनमें व्याप्त इस असंतोष को अपने द्वारा उनके सामाजिक एवं स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करके उसे गठित नहीं होने देना चाहता था ताकि राज्य के हितों का स्थायी नुकसान नहीं हो।[7] इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राजा कभी भी उनके सामाजिक एवं स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। जब कभी भी राज्य के हितों को, विशेषकर भू-राजस्व वसूली को किसी कारण से हानि पहुंचती थी तब वह अवश्य ही उनमें हस्तक्षेप करता था।[8] इन किये गये समस्त समझौतों एवं संतुष्टि के पश्चात् भी शासकीय हित तो हर क्षेत्र में सर्वोपरि ही थे।

समकालीन सामग्री से विदित होता है कि राज्य ने सिद्धांत रूप से जाति व्यवस्था, जाति-परम्पराओं एवं स्थानीय धार्मिक विश्वासों (अंधविश्वासों सहित) को मान लिया था और उसका सदैव ऐसा विश्वास व प्रयत्न रहता था कि इनको स्वीकार कराने एवं पालन करवाने में सहयोग देने से लोगों का राजा एवं राज्य के प्रति विश्वास बना रहेगा। चूंकि पंचायतें स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के प्रवाह को बनाये रखने में सक्षम थीं, अत: राज्य पंचायत-व्यवस्था को बनाये रखने में रूचि रखता था तथा उसके निर्णयों का पालन करवाने में भी सक्रिय रहता था। अभिलेखीय सामग्री में इस प्रकार के कई विवरण आये हैं जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य जाति-व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव की नीतियों को भी पूर्ण समर्थन प्रदान करता था। कुंओं से पानी के वितरण में राज्य ने ऐसी व्यवस्था जुटाई थी ताकि ऊंची व नीची जातियाँ एक दूसरे से अलग रहकर उसका उपभोग करें।[9] यहां तक कि प्रत्येक जाति के अपने सामाजिक उत्सवों पर जो खाद्य-सामग्री की व्यवस्था की जाती थी, उसमें प्रचलित रहे भेदभाव को भी वह बनाये रखता था अर्थात् यदि ऊंची जातियां अपने सामाजिक उत्सवों पर चीनी का हलवा बनाती थीं तो राज्य इस बात पर

---

6. जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 28-31
7. **बीकानेर रै राठोड़ों री ख्यात सीहे जी सुं**, नं. 192-14, अ. स. पु. बी.
8. **महाराजा अनूपसिंघजी रो आनन्दराम नाजर के नाम परवानो**, 1749, नं. 197/19, अ. स. पु. बी.
9. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1854, नं. 10, पृ. 113, 149

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सतर्कता रखता था कि नीची जातियां अपने ऐसे ही उत्सवों पर चीनी का हलवा न बनायें। वैसे नीची जाति के लोगों को गुड़ का हलवा बनाने का अधिकार था।[10] इस प्रकार का उल्लेख भी आया है कि नीची जाति के लोग ऊंची जाति की लड़कियों को खरीद भी नहीं सकते थे।[11] स्वाभाविक ही है कि पंचायतें राज्य के इस दृष्टिकोण से प्रसन्न ही रहतीं और बदले में राज्य भी इस तरह के निर्णयों का पालन करवाने में पंचायतों की भूमिका को पसन्द करता था। मूलत: दोनों ही शक्तियां संस्थागत रूप से यथास्थिति की पोषक थीं। हम जाति-पंचायत के अध्याय में देख चुके हैं कि किस प्रकार एक जाति के पुरूष द्वारा अन्य जाति की स्त्री लाने पर विवाद खड़ा हो जाता था। अगर इस प्रकार के मामलों में राज्य दूसरे प्रकार की नीति अपनाता तो निश्चित रूप से वह एक जाति के लोगों को व पंचायत की भावनाओं को ठेस पहुंचाता। चूंकि राज्य ऐसे मामलों में उनके विरूद्ध किसी प्रकार की नीति नहीं अपनाता था, इस कारण राज्य व पंचायत एक दूसरे को सहयोग देने में सक्षम बने रहते थे। ऐसे वृतान्त भी आये हैं कि राज्य स्थानीय धार्मिक विश्वासों को भी बनाये रखने में सक्रिय रहता था और उसके निर्वाह में ग्राम-पंचायतों के साथ भी उसका तालमेल बना रहता था। उदाहरणार्थ- किसी स्थान पर एक विशेष देवता की पूजा में विघ्न पड़ने या कमी आने पर राज्य लोगों को यह निर्देश देता था कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।[12] यहां तक कि राज्य ने गांव की बंजर भूमि पर भी पंचायत के अधिकारों को मान्यता दी थी।[13] यद्यपि ऐसा करते समय राज्य अधिकांशत: समाज एवं उस स्थान के एक प्रभुत्व-सम्पन्न वर्ग को ही अधिक समर्थन देता था और उन्हें दृढ़ बनाता था फिर भी ऐसा करने से उसके प्रशासन में एक सहजता बनी रहती थी। प्रभुत्व सम्पन्न लोग ही पंच हुआ करते थे और वे ही राज्य के निर्णयों को सामान्य जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका सम्पन्न करते थे।[14]

---

10. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1866, नं. 15, पृ. 72
11. वही, वि. सं. 1870, नं. 19/1, पृ. 267; इससे संबंधित अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।
12. वही, पृ. 237
13. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इण्टमीजियरी, सम आस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पृ. 91-93 (पूर्व उल्लिखित)
14. देखिये, अध्याय-4, जाति-पंचायत

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

राजा व उसके कुल के मुखिया को जातीय मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं को बदलने में कोई रूचि नहीं थी। जब शासकीय वर्ग समाज के एक विशिष्ट क्षत्रिय वर्ग की श्रेणी में गिना जाता था और उस स्थिति के आधार पर वह समाज के अन्य वर्गों पर अपनी उस स्थिति को सम्पादित कर सकता था तो उसे किसी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक मान्यताओं को बदलने में किस कारण से रूचि हो सकती थी? बल्कि उसकी उच्च स्थिति के बने रहने के लिए यह आवश्यक था कि समाज में जाति विभेद बना रहे एवं जातीय मान्यताओं का सख्ती से पालन होता रहे।[15] चूंकि पंचायतें मुख्य रूप से परम्पराओं का निर्वाह करवाने का एक न्यायिक प्रयास थीं अत: पंचायतें राज्य-प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन सकती थीं। यह रूचिकर विषय है कि हमारे पास एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि राजा या राज्य ने किसी प्रकार की सामाजिक बुराई के विरूद्ध कोई कदम उठाया था बल्कि यूं कहना तर्कसंगत होगा कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक मान्यता अपने उजले या गंदले दोनों रूपों में संरक्षित व पोषित होती रही थी। राज्य के सम्मुख किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विषय मूलत: समाज के द्वारा ही तय होता था। राज्य ने अपने आर्थिक हितों की चिन्ता में कई बार अवश्य हस्तक्षेप किया परन्तु उसने किसी भी समाज के मूल ढांचे को बदलने का साहस कभी नहीं किया था। उदाहरणत: जब एक चूड़ीगर ने एक रंगारे का व्यवसाय अपना लिया था तब चूड़ीगरों की पंचायत ने इसका विरोध किया था; परन्तु राज्य ने उस चूड़ीगर की अपील पर इसलिए निर्णय देने हेतु अपने को तैयार कर लिया था; क्योंकि उस चूड़ीगर ने राज्य को एक बड़ी रकम 'पेशकसी' के रूप में दी थी एवं साथ ही एक रंगारे की स्त्री से विवाह करके अपनी एक सामाजिक स्थिति भी बना ली थी। तब भी राज्य ने पंचों से यह अपील की थी कि वे इस चूड़ीगर पर कोई आर्थिक दंड लगाकर उसे अपने समाज एवं व्यवसाय में सम्मिलित कर लें।[16] वैसे भी राज्य ने जाति-पंचायत के विभिन्न मामलों में अपने

---

15. यह प्रभाव **कागदों की बहियों** में 'रीठ' एवं 'सनद' के 'कागद' पढ़कर सहजता से बन सकता है। फिर तत्कालीन शासकों की वंशावलियों एवं उपाधियों में भी यह झलक मिलती है। विशेषकर देखिये- सूरजपोल प्रशस्ति, जूनागढ़, बीकानेर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब महाराजा गंगासिंह ने 'हाउस ऑफ बीकानेर' पुस्तक लिखवायी तो अपने कुल एवं जाति के प्रति यही प्रभात प्रारंभिक पृष्ठों में लिखवाया। हाउस ऑफ बीकानेर, ए नेरेटिव, बीकानेर, 1933

16. **क़ागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1838, नं. 5, पृ. 6

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आर्थिक हितों को पूरा करने में सदैव रूचि दिखायी थी। हम 'जाति-पंचायत' के अध्याय में देख चुके हैं कि किस प्रकार पुनर्विवाह, गोद लेने एवं सम्पत्ति के बंटवारे के प्रश्न में राज्य विवाद में उलझे बिना संबंधित पक्षों से 'गुनेहगारी' या 'वेर' अथवा 'रीठ' के रूप में एक रकम वसूल कर लेता था। पंचायतें तो अपवाद के रूप में ही कोई रकम वसूल कर पाती थीं। न्यायिक-व्यवस्था में सभी प्रकार से आया रूपया राज्य खजाने में ही जमा होता था। इस 'रकम' को सामूहिक रूप से एक नाम-'फरोही' से उल्लिखित किया जाता था और इसी नाम के अन्तर्गत पैसा खजाने में जमा होता था।[17] इस प्रकार पंचायतें भी राज्य की अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय अंग बन जाती थीं।

राज्य के आर्थिक हितों के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका दो प्रकार से उल्लेखनीय थी। प्रथम, पंचायतों का अपना किसी प्रकार का कोई उल्लेखनीय खर्च नहीं था, जिसे राज्य-प्रशासन को वहन करना पड़ता। जैसा कि उल्लेख आ चुका है कि एक स्थान के पंच किसी मंदिर, चौपाल या सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी कार्यवाही कर लेते थे जबकि इसके विपरीत 'चीरायत' या 'हाकिम' जब फौजदारी मामले निपटाते थे तो वे राज्य के एक वेतनभोगी सेवक के रूप में कार्य करते थे।[18] द्वितीय, 'फरोही' की आय कई बार स्थानीय मंडी एवं 'कस्बा' के वार्षिक बजट में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।[19] इसका कारण यह था कि 'गुनेहगारी' व 'वेर' की रकम कोई निश्चित दर से वसूल नहीं होती थी। वैसे यह किसी प्रकार के अपराध की गंभीरता को सम्मुख रख कर तय की जाती थी परन्तु राज्य इसमें अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता तो रखता ही था। वैसे भी एक कृषक के झूठ बोलने पर जो 'गुनेहगारी' लगती थी उसकी दर दो रूपये से लेकर दस रूपये तक थी, लेकिन उसी अवस्था में राज्य द्वारा एक व्यापारी से 100 से 200 रूपये तक वसूल की जाती थी।[20] फिर चाहे तो राज्य इस रकम को

---

17. **मंडी री बही**, वि. सं. 1799, नं. 79, **बीकानेर बहियात; सावा बही राजगढ़**, वि. सं. 1828, नं. 1, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

18. **कामदारों व वकीलां रे रोजगार री बही**, वि. सं. 1753, नं. 206, बीकानेर बहियात, रा. रा. अ. बी.

19. **सावा बही राजगढ़**, वि. सं. 1828, नं. 1, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

20. **कागदों की बही (बीकानेर)**, वि. सं. 1840, नं. 7, पृ. 36;
वही, वि. सं. 1851, नं. 2, पृ. 103

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

घटा-बढ़ा सकता था। यह स्थिति इस उदाहरण से और स्पष्ट होती है कि बहुत से व्यापारी 'गुनेहगारी' की रकम के भय से मंदिरों में जाकर शरण ले लेते थे जहां राज्य-प्रशासन उन्हें पकड़ने की कार्यवाही नहीं कर सकता था। अन्ततः रकम में कमी होने पर ही वे लोग मंदिर से निकल कर अपने घर को लौटते थे।[21] 'रीठ' की दर पहले तय थी, किन्तु 18वीं शताब्दी के अंत में राज्य उसकी दर में भी इच्छानुसार परिवर्तन करने लगा।[22] 17वीं शताब्दी की तुलना में 18 वीं शताब्दी तक आते-आते 'फरोही' से होने वाली आय दस गुना से भी अधिक बढ़ गयी थी; जिसका मूल कारण 'गुनेहगारी' अथवा 'कसूर' के रूप में दंड की रकम में वृद्धि होना था। सावा बही रीणी की बहियों से ज्ञात होता है कि रीणी मंडी में 1770 ई. के आसपास जहां 'फरोही' से होने वाली आय एक सौ रूपये के लगभग थी वही 1803 ई. तक आते-आते तीन सौ रूपये से अधिक बढ़ गयी थी।[23]

वास्तव में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राज्य के वित्तीय ढांचे में सैन्य एवं प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि के फलस्वरूप एक भारी संकट उत्पन्न हो गया था। बीकानेर राज्य की आय 1800 ई. के आसपास 1699 ई. की तुलना में 507.102 प्रतिशत बढ़ गयी थी परन्तु इन्हीं वर्षों में राज्य का खर्च 557.94 प्रतिशत बढ़ गया था। इस बढ़े हुए लगभग 50 प्रतिशत खर्च की वृद्धि को ऋण लेकर पूरा किया गया था। परन्तु संकट की गहराई को इस अर्थ में समझा जा सकता है जब हम यह विवरण पाते हैं कि 1757 ई. में राज्य की आय लगभग 1,12,020 रूपये थी जो 1800 ई. के आसपास बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति हेतु बढ़कर 9,51,765 रूपये हो गयी। इस आय की वृद्धि के पीछे नये करों का लागू होना एवं पुराने करों की दर में वृद्धि होना, दोनों ही प्रयास सम्मिलित थे।[24] 18वीं शताब्दी के अंत में राज्य में आये वित्तीय संकट से कोई भी प्रशासनिक एवं परम्परागत संस्था नहीं बची थी।[25] इन्हीं परिस्थितियों में 'फरोही' की रकम में वृद्धि हो गयी थी।

---

21. **कागदों की बही (बीकानरे)**, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 281-83
22. वही, वि. सं. 1868, नं. 18, पृ. 113, 171, 192
23. **सावा बही रीणी**, वि. सं. 1824, नं. 1;
    वही, वि. सं. 1869-75, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.
24. जी. एस. एल. देवड़ा- राजस्थान, प्रशासनिक (पूर्व.), पृ. 161, 188, 202, 205
25. वही, पृ. 206-207

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

'फरोही' की बढ़ी हुई दरों ने अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य किया हो, ऐसा भी संभव नहीं हुआ था, क्योंकि राज्य की अन्य परिस्थितियां 'अपराध' बढ़ाने की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर रही थीं। बहुत से कृषक एवं श्रमजीवी बढ़े हुए करों की मांग एवं साथ ही प्रशासनिक अव्यवस्था से तंग आकर लूट खसोट की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होने लगे थे,[26] अथवा अधिक हुआ तो अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे।[27] 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक के काल से संबंधित कागदों री बहियों के 'कागदों' (प्रपत्रों) से ज्ञात होता है कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अपराध प्रवृत्तियां बढ़ गयी थीं एवं यहां तक कि अधिकारी एवं कर्मचारी 'फरोही' के विभिन्न 'कर' वसूल करने में भी अनेक कठिनाईयों का सामना कर रहे थे।[28] 18वीं शताब्दी के ही अंतिम तीन दशकों में अनेक जातियों एवं कबीलों ने राज्य की सत्ता के विरूद्ध निरन्तर विद्रोह किये थे और बहुत से कृषक एवं श्रमजीवी जो भू-राजस्व व अन्य दूसरे कर जिनमें 'फरोही' भी सम्मिलित थे, न चुकाने की अवस्था में इन विद्रोहियों से जाकर मिल गये थे।[29] इस प्रकार की अवस्था में पंचायत के निर्णय लागू नहीं हो पाते थे[30] और फलस्वरूप उसके सम्मान में कमी आती थी। उपर्युक्त उल्लिखित परिस्थितियों में पंचायतें जब राज्य के लिए एक कर वसूली के प्रावधान का विषय भी बनने लगीं तब भी उनके सम्मान में चिन्ताजनक क्षीणता आयी।[31] फिर राज्य के पास यह अधिकार कि वह समाज के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जिसे वह चाहता हो, पंच बना सकता था, ने पंचायतों की संस्था के रूप में भारी हानि की। बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह द्वारा 'दीवाने अदालत' की स्थापना इस बात का सूचक है कि राज्य अब दीवानी मामले भी पंचायतों के हाथों से क्रमशः लेने की योजना बना रहा था।[32]

---

26. **कागदों की बही**, वि. सं. 1868, नं. 18, पृ. 303-305
27. वही,
28. वही, वि. सं. 1892, नं. 21, पृ. 107-112
29. बहुत से कृषक एवं कारीगर-राठ, जोहिया, भाटी, लाडखानी आदि जातियों से मिल गये थे जो निरन्तर राजसत्ता के विरूद्ध विद्रोह कर रहे थे-

    कागदों की बही, वि. सं. 1872, नं. 21, पृ. 107-116
30. वही, पृ. 107, 10, 116
31. बही खाता खजाना सदर, वि. सं. 1852 (पूर्व.)
32. वही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विभिन्न पंचायतों के पंच समाज के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित होते थे। 'गांव पंचायत' में हम पाते हैं कि गांव का 'चौधरी' एवं 'पटवारी' पंचायत के सदस्य होने के साथ-साथ स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अधिकारी भी होते थे। ये लोग राज्य के अनुमोदन से ही वंशानुगत आधार पर अपने अधिकारों एवं सुविधाओं का भोग करते थे। यहां तक कि जाति-पंचायत का एक 'पंच' 'आसामी' होता था जो ग्रामीण समाज में एक सम्पन्न व्यक्ति होता था। जाति-पंचायत में भी 'चौधरी,' 'जमादार,' 'सहाणा' आदि की पंच के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहां उनकी यह योग्यता होनी भी आवश्यक थी कि उन्हें संबंधित जाति का होना चाहिए।[33] राज्य के 'मुत्सद्दी' भी अपने-अपने समाज की पंचायत के पंच होते थे। जैसा कि पूर्व अध्यायों में उल्लिखित हो चुका है कि किस प्रकार मोहता एवं मूंधड़ा परिवार राज्य के प्रसिद्ध दीवान एवं मुत्सद्दी परिवार होने के फलस्वरूप महेश्वरी समाज के मुखिया एवं पंच भी बने हुए थे। यही स्थिति व्यावसायिक पंचायतों के संदर्भ में भी कही जा सकती है। जो व्यापारी सम्पन्न होने के साथ-साथ 'दरबार' के साथ विशेष सम्पर्क में रहते थे एवं समय-समय पर राज्य की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए ऋण की व्यवस्था करते थे, वे अपने-अपने संबंधित व्यवसाय की पंचायतों के पंच नियुक्त होते थे।[34] इस प्रकार सभी प्रकार की पंचायतों में पंचों की एक संख्या या तो राजा के प्रशासकीय अधिकारी के रूप में थी अथवा 'दरबार' के साथ विशेष सम्पर्क या उनसे प्राप्त सुविधा भोगी लोगों की थी। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि पंच राज्य-हितों एवं राजा की नीतियों का ही अधिकांशतः समर्थन करते। इस प्रकार के पंचों के माध्यम से राज्य का पंचायतों पर एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो स्थापित रहता ही था। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि सभी प्रकार एवं सभी वर्गों की पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण होना कठिन था किन्तु प्रत्येक समाज में 'जमादार' अथवा 'मुखिया' की उपस्थिति राज्य नीतियों का ही परिणाम थी एवं उनका पंच बनना राज्य हस्तक्षेप को चाहे वह शानदार, अप्रत्यक्ष एवं परोपकारी भावना वाला ही कहा जाता हो, अवश्य पंचायत की दहलीज पर तो ले जाता ही था। फिर भी कुछ अपवाद अवश्य थे। एक समाज के अन्दर उपस्थित विशिष्ट वर्ग की स्थिति के अतिरिक्त जो समाज अपने आप में ही विशिष्ट स्थिति का होता था, उसकी स्थिति अवश्य ही सम्मानजनक थी।

---

33. देखिये- अध्याय 4, 'जाति-पंचायत'

34. देखिये- अध्याय 6, 'व्यावसायिक-पंचायत'

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

उदाहरणार्थ- जोधपुर एवं बीकानेर राज्य में चारण जाति की अपनी अलग से एक विशिष्ट स्थिति थी, क्योंकि शासकीय वर्ग में यह आम धारणा थी कि ये दोनों राज्य चारण देवी करणीजी की कृपा का ही प्रसाद थे।[35] फिर ये सभी चारण 'नानकर' वर्ग में आते थे और उनका 'दरबार' से भी प्रत्यक्ष संबंध बना रहता था।[36] इस समाज के मामलों में जहां तक संभव हुआ राज्य ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। इसी प्रकार वैश्यों की अनेक जातियां साधन सम्पन्न होने के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक गठन में अपनी एक सम्मानजनक स्थिति बना लेती थीं। इन्हीं में से जैसा कि लिखा जा चुका है कि राज्य के अधिकांशत: अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त होते थे जिसके फलस्वरूप इनकी राज्य-प्रशासन में प्रत्यक्ष पहुंच होती थी परिमाणत: वे अपनी एवं अपनी पंचायत की स्थिति दृढ़ बना सकते थे।[37] फिर इस प्रकार के वर्ग के सम्मुख राज्य की आवश्यकता भी दूसरे प्रकार की बन जाती थी। यही कारण है कि व्यावसायिक-पंचायतों की क्षमता जाति-पंचायत एवं गांव-पंचायत की तुलना में अधिक होती थी। वैसे राज्य ने प्रत्येक प्रकार की पंचायत को एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता एवं मान्यता दे रखी थी। जैसे जाति-पंचायत के मामलों में जहां तक संभव होता था राज्य तटस्थ रहता था; गांव-पंचायत के मामलों में प्रशासन के प्रतिदिन के हस्तक्षेप की आशंका के पश्चात् भी बंजर एवं धार्मिक अनुदान की भूमि पर राज्य ने पंचायत के अधिकार स्वीकार कर रखे थे, फिर भी राज्य के हस्तक्षेप का सामना करने की शक्ति कहीं अधिक व्यवसायिक पंचायतों में थी।

इस प्रकार राज्य एवं पंचायत के संबंध पारस्परिक आवश्यकताओं पर गठित थे। उन आवश्यकताओं में राज्य के, एक शक्तिशाली संस्था एवं वृहत् हित रखने वाला होने के कारण, उसकी इच्छाएं सर्वोपरि थी। पंचायतें एक कुशल एवं निष्ठावान संस्था के रूप में राज्य के न्यायिक एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के

---

35. हाउस ऑफ बीकानेर, (पूर्व उल्लिखित), पृ. 1-3

36 **जसरासर रे हासल भाछ री बही**, वि. सं. 1750, नं. 26, बीकानेर बहियात; **परवाना बही** 'चारणों के पट्टे,' वि. सं. 1800, नं. 22/2, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

37. देखिये अध्याय- 6 व्यावसायिक-पंचायत;
जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग आन दी पोलिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसयटी, (पूर्व उल्लिखित)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

स्थानीय अंग एवं सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रही थीं। राज्य भी प्रत्येक मामले में जहां तक संभव हुआ, पंचों की सलाह को ही सम्मान एवं शक्ति प्रदान कर रहा था। पंचायतें राज्य के एक विशिष्ट वर्ग जो शासक वर्ग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था, की स्थिति को बनाये रखने में भी सहायक थीं परन्तु 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की तुलना में अंतिम वर्षों में पंचायतों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी जिसके लिए तत्कालीन परिस्थितियां एवं राज्य द्वारा उन परिस्थितियों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण अधिक उत्तरदायी थे। उदाहरणत: जहां पहले गांव की बंजर भूमि पर 'गांव-पंचायत' का अधिकार था, वहां पट्टायतों का हस्तक्षेप होने लगा[38] तथा साथ ही नये बसे गांवों में उनकी पंचायतों के स्थान पर वहां के जमींदारों के अधिकार मान्य होने लगे थे[39] क्योंकि ये 'पट्टायत' एवं 'जमींदार' गांव को बसाने एवं उसकी सुरक्षा में अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान देने लगे थे।[40] 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में आयी अव्यवस्था के वातावरण में पंचायतें सक्रिय भूमिका निभाने में अपने को असहाय पाने लगी थीं एवं राज्य के लिए एक सामाजिक सम्मान एवं आर्थिक महत्त्व की प्रतिष्ठा क्रमश: खोने लगीं, जिसके फलस्वरूप राज्य की आवश्यकताएं भी बदलने लगी थी।

■ ■ ■

---

38. **कागदों की बही**, वि. सं. 1867, नं. 17, पृ. 343, 45, रा. रा. अ. बी.
39. **कागदों की बही**, वि. सं. 1859, नं. 12, कागद मार्ग शीर्ष सुदी 6, 15; जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 152
40. **कागदों की बही**, वि. सं. 1859, नं. 12, कागद मार्गशीर्ष सुदी 6, 15; जी. एस. एल. देवड़ा- राज. प्रशासनिक, पृ. 152

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8

उपसंहार

समष्टिपरक मूल्याकंन के पश्चात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 18वीं शताब्दी कालीन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर- जोधपुर क्षेत्र में पंचायतें स्थानीय स्तर पर न्यायिक अभिकरण की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वायत्तशासी इकाई या संस्था के रूप में अस्तित्वमान थीं। इस थार स्थलीय मरू प्रदेश में जो कि जांगल देश एवं मरू देश के नाम से जाना गया; राठौड़ों के आधिपत्य की स्थापना से पूर्व से ही यह संस्था दृढ़त्तर एवं प्रभावशाली स्थिति में रही, अपितु यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि राजस्थान के इस पश्चिमी भू-भाग में राठौड़ों के जोधपुर एवं बीकानेर राज्यों की स्थापना से पूर्व यहां के स्थानीय कबीलों व जातियों का जीवन इसी संस्था द्वारा अनुशासित एवं नियंत्रित होता रहा एवं यह संस्था एक प्रकार से सम्पूर्ण प्रशासन की एक आधारभूत इकाई के रूप में अस्तित्वमान रही। राजस्थान में राठौड़ राज्य संस्थापक राव सीहा से लेकर जोधपुर संस्थापक राव जोधा तक व तदुपरान्त बीकानेर में राव बीका से लेकर महाराजा सूरतसिंह के काल तक के शासनकाल में हुए अनेक राजनीतिक एवं आर्थिक समझौते इस संभाग में रह रही विविध जातियों व कबीलों के पंचायत मुखियाओं से ही किये गये थे; अपितु सत्य तो यह है कि थार मरूस्थलीय इस संभाग की सम्पूर्ण व्यवस्था मूलत: एक सर्वोच्च जाति (राठौड़) द्वारा उसकी अधीनस्थ जातियों के साथ हुए समझौतों पर ही टिकी हुई थी।

राजस्थान के इस पश्चिमी संभाग में जोधपुर एवं बीकानेर के रूप में जब पहली बार सशक्त राज्यों की स्थापना हुई तब इन राज्यों में अपनी स्थापना के साथ ही प्रशासन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियां भी बलवती होने लगीं। प्रशासन में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

केन्द्रीकरण की ये प्रवृत्तियां उस समय सशक्त होने का अवसर ढूंढ सकीं जब पहले बीकानेर ने एवं तत्पश्चात् जोधपुर ने मुगलों के साथ क्रमशः 1570 ई. एवं 1582 ई. में संधियां कर लीं। इन राजपूत राज्यों द्वारा मुगल सार्वभौमिकता स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप अब उन्हें किसी विदेशी आक्रमण की चिन्ता नहीं रही तथा उन्हें इस बात का भी भय नहीं रहा कि किसी गम्भीर आन्तरिक विद्रोह के कारण उनकी गद्दी को खतरा पहुंच सकता है। किसी भी विपत्ति के विरूद्ध मुगल शक्ति एक सुरक्षा स्तम्भ थी। आश्वासन के इस वातावरण में राजपूत राजाओं ने प्रशासन को गठित करने में अपना ध्यान बंटाया तथा प्रशासन के गठन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में जो प्रयास किये गये उन्होंने इस संभाग में विद्यमान विधि एवं न्यायिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया, परिणामतः पंचायत संस्थाओं की कार्य क्षमताएं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं। परिवर्तित परिस्थितियों में सामुदायिक भावनाओं व नियमों के स्थान पर राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को प्रश्रय एवं समय के साथ प्रोत्साहन भी मिला। चूंकि प्रशासनिक परिवर्तनों से 'सामुदायिक नियमों' के स्थान पर राज्य नियम निर्णायक स्थिति में आ पाये अतएव पंचायतों की कार्य-शैली को भी कई नई चुनौतियां मिलीं; जिसके फलस्वरूप 18वीं शताब्दी तक आते-आते उपनिवेशन एवं आर्थिक क्षेत्र में हुए राज्य के नियंत्रणों ने पंचायतों को मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया- 'जाति-पंचायत,' 'गांव-पंचायत,' और 'व्यावसायिक-पंचायत'।

16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल से इस संभाग में विधि एवं न्यायिक व्यवस्था नये सिरे से गठित होनी प्रारंभ हुई एवं 18वीं शताब्दी तक आते-आते इस क्षेत्र में राजा की शक्तियां अपने अधीनस्थ सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत हुई तथा वह किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुयोग्य अधिकारी बन गया। राजा की शक्तियां जो पहले 'खालसा क्षेत्र' तक ही सीमित थीं अब सम्पूर्ण राज्य में स्थापित हो गईं तथा दीवानी व फौजदारी दोनों मामलों में राजा की न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च अपील अधिकारी एवं अंतिम निर्णय देने वाले अधिकारी की थीं। दीवानी मामलों में भी कई खंड बन गये तथा वे सब मामले जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े होते थे अथवा राज्य के प्रत्यक्ष हितों से जुड़े होते थे, उनका निर्णय स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों जिन्हें 'चीरा,' 'परगना' कहा जाता था, में नियुक्त अधिकारी जो 'हाकिम,' 'चिरायत,' 'हुवलदार' व 'दरोगा' के नाम से जाने जाते थे, करते थे। किसी विवाद की अवस्था में इस तरह के मामलों की सुनवाई राजधानी में प्रधानमंत्री या दीवान करता था, किन्तु सामाजिक क्षेत्र के विवाद तब भी जातीय व कबीलों की स्वायत्त संस्थाओं के पास ही बने रहे थे। वाणिज्य व व्यापार को भी एक विशिष्ट विषय मान

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

 Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कर उसे उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की स्वायत्त संस्था को ही सौंप दिया गया था। लेकिन ये संस्थाएं जो पंचायत के नाम से जानी जाती थीं निर्णय देने में अंतिम सत्ता की भूमिका का निर्वाह नहीं करती थीं। उनके निर्णयों के विरूद्ध उच्च सत्ता को अपील की जा सकती थी, जिसकी सुनवाई दीवान या राजा किया करता था। बीकानेर राज्य में महाराजा सूरतसिंह (1787-1828 ई.) के शासनकाल में अवश्य राजधानी में पहली बार स्वतंत्र रूप से एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया था जो 'दरोगा-ए-अदालत' के नाम से जाना जाता था। यह न्यायिक अधिकारी अपने मुख्यालय में दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मामले निपटाया करता था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की विधि एवं न्यायिक व्यवस्था प्रवृत्तिगत दृष्टि से विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीकरण की ओर उन्मुख हुई।

हमारे अध्ययन क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया का उद्‌गम अलग-अलग विषयों में बंटकर शीर्षस्थ एवं निम्नतम् दोनों बिन्दुओं से हुआ है। फौजदारी मामलों में न्यायिक प्रशासन का गठन ऊपर से नीचे की विभिन्न न्यायिक सतहों में बंट कर हुआ है जबकि दीवानी मामलों में नीचे के स्तर से धीरे-धीरे उठकर अनेक नियंत्रणों के साथ अनेक शाखाओं में बंटकर शीर्षस्थ बिन्दु पर पहुंचा है। इस प्रक्रिया में एक न्यायिक शक्ति का विभाजन अनेक खंडों में बंटकर नहीं हुआ है बल्कि पहले से व्याप्त न्यायिक सत्ता को अलग-अलग विषयों में बांट कर विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों के साथ उसे केन्द्रीय सत्ता के पक्ष में स्थापित किया गया है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि हमारे अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद विकेन्द्रीकरण की शक्तियां भी अपने विषयों में सम्माननीय एवं प्रभावशाली रही हैं। उदाहरणार्थ, गांव पंचायतें स्थानीय सामाजिक नियमों/परम्पराओं व मान्यताओं में निर्णय लेने को स्वतंत्र थीं व उन्हें किसी बाह्य हस्तक्षेप का भय नहीं था। अगर राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में हस्तक्षेप करता भी था तो वह सामान्यतः सामाजिक मापदंडों के विरूद्ध नहीं जाता था और यदि किसी कारणवश जाता भी था तो पंचों को विश्वास में लेकर। इसके विपरीत स्थानीय स्तर के फौजदारी एवं आर्थिक मामलों में पंचायतें सहायक भूमिका तो निभा सकती थीं, किन्तु निर्णायक नहीं।

प्रचलित विधि एवं न्यायिक व्यवस्था में विधि के स्रोतों में वर्ण व्यवस्था की परम्पराएं व प्रचलित नियम, प्रत्येक वर्ण व उसकी जाति में प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज, विविध अपराध कानून, राज्य द्वारा समय-समय पर लागू किये गये विविध कानून व नियम, सम्पत्ति व भू-स्वत्व संबंधी कानून एवं साक्ष्य कानून आदि

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रमुख थे। इन्हीं से प्रचलित न्यायिक-प्रशासन प्रक्रिया, अपराध एवं दंड दिशा निर्देशित थे।

18वीं शताब्दी में आते-आते यद्यपि पंचायतें अपनी कार्य शैली से तीन वर्गों में वर्गीकृत हो चुकी थीं- जाति-पंचायत, गांव-पंचायत एवं व्यावसायिक-पंचायत, तथापि एक ही पंचायत दो प्रकार के कार्य करती भी दिखाई पड़ती है। एक ही पंचायत दो तरह के कार्य उसी विशेष व्यवस्था में ही करती थी जब एक गांव में एक ही जाति की प्रधानता हो। उस स्थिति में गांव-पंचायत व जाति-पंचायत दोनों एक ही होती थी। पंचायत विषयक उपर्युक्त वर्गीकरण पंचायत के सदस्यों पर लागू नहीं होता, चूंकि जो व्यक्ति जाति-पंचायत का सदस्य हो सकता था वही व्यक्ति गांव-पंचायत या व्यावसायिक पंचायत का सदस्य भी हो सकता था अर्थात् एक ही पंच एक से अधिक पंचायतों का सदस्य हो सकता था। इसी प्रकार एक पंच का कार्य क्षेत्र अपने गांव या कस्बे के क्षेत्र से भी अधिक व्यापक हो सकता था अर्थात् एक गांव में रहते हुए एक जाति अथवा गांव-पंच या व्यावसायिक मामलों में व्यावसायिक-पंच दूसरे गांवों में व कभी-कभी तो दूसरे राज्य में भी जाकर पंचायत के दायित्वों का निर्वाह करते थे; किन्तु सामान्यतः कोई भी ऐसा पंच ऐसा कार्य तभी करता था जब उसे बाह्य गांव या राज्य से पंचायत के दायित्व का निर्वाह करने हेतु निमंत्रण दिया जाता था। पंचायतों के गठन विषयक अध्ययन से यह भी प्रमाणित होता है कि पंच अपने शब्दार्थ के अनुरूप पांच ही होने अनिवार्य नहीं थे। विविध मामलों में पंचों की संख्या न्यूनतम दो व अधिकतम् 8 तक होना प्रमाणित होता है।

पंच की नियुक्ति के संबंध में यह जानकारी तो मिलती है कि पंच पैतृक व वंशानुगत आधार के साथ ही साथ राज्य द्वारा भी नियुक्त किये जाते थे, किन्तु चयन या चुनाव द्वारा पंचों की नियुक्ति होना प्रमाणित नहीं होता है। सामान्यतः पंच संबंधित जाति या क्षेत्र के बुजुर्ग या पुराने अनुभवी लोग ही होते थे। गांव के स्थानीय अधिकारी जैसे पटवारी, सहणा व कानूनगो आदि भी पंच हुआ करते थे। अगर एक जाति ही एक गांव में मुख्य स्थिति में होती थी तब चौधरी तो अवश्य ही जाति एवं गांव-पंचायत का मुखिया होता था। जाति व गांव-पंचायत की सदस्यता विषयक एक तथ्य और उभर कर सामने आता है कि जो जाति गांव में सर्वप्रथम आकर बसी उसी जाति के अधिकतर सदस्य तत्संबंधी पंचायत में होते थे। इसके अतिरिक्त एक जाति का जो परिवार सर्वप्रथम एक क्षेत्र या गांव में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

निवास करने लगा, सामान्यत: उस परिवार का सदस्य भी पंचायत का सदस्य होता था। गांव-पंचायतों में उस गांव के बनिया/महाजन एवं रियायती वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना भी विदित होता है किन्तु इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि खेतीहर मजदूरों अथवा कमीन (निम्नवर्गीय) जातियों को गांव-पंचायत में कोई स्थान मिला हो यद्यपि उनकी अपनी जाति-पंचायतें अवश्य हुआ करती थीं। 18 वीं शताब्दी में राज्य द्वारा कृषक व श्रमिक जातियों में 'जमादार' नामक नवसृजित पद पर नियुक्त व्यक्ति, जो कि अपनी जाति व राजा के मध्य प्रतिनिधि का कार्य करता था, के द्वारा पंचायत के मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने के उल्लेख मिलते हैं। राज्य से विशेष सम्मान या अनुदान प्राप्त व्यक्ति के भी अपने क्षेत्र की पंचायतों में सदस्यता प्राप्तार्थ योग्य बन जाने विषयक उल्लेख भी मिलते हैं। व्यावसायिक पंचायतों के पंचों के मामले में यह कतई आवश्यक नहीं था कि वे किसी जाति या धर्म विशेष से संबंधित हों; चूंकि एक व्यवसाय में रत व्यक्तियों की अलग-अलग जातियां हो सकती थीं। व्यवसाय विशेष से संबंधित विवादों के समाधान के लिए भी दूसरे क्षेत्र के उसी व्यवसाय के पंचों को निर्णय हेतु बुलाये जाने विषयक उल्लेख भी मिलते हैं।

18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में विद्यमान रही पंचायतों में जाति-पंचायत प्रथम प्रकार की पंचायत थीं। इस संभाग के गांवों, कस्बों व शहरी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न जातियों की पृथक्-पृथक् जाति-पंचायतें थीं। वे विशुद्ध रूप से जातीय व सामाजिक आधार पर संरचित व गठित थीं। यह संस्था स्थानीय स्तर पर जाति विशेष के सामाजिक नियमों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं-मर्यादाओं को सुरक्षा प्रदान करने और जाति विशेष के सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के सामाजिक विवादों का निपटारा करने की दृष्टि से गठित एक महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी सामाजिक-न्यायिक संस्था थी। इसकी बैठक मुख्यत: चार परिस्थितियों में आयोजित होती थी- किसी जाति-सदस्य द्वारा अपनी जाति-पंचायत से किसी सामाजिक विवाद के निपटारे हेतु प्रार्थना करने पर; जातीय रीति-रिवाज की अवमानना होने की स्थिति में जाति-पंचायत द्वारा स्वयं सक्रिय होने पर; जाति पंचायत के निर्णय के विरूद्ध राज्य को प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर राज्य द्वारा जाति-पंच नियुक्त किये जाने पर एवं किसी सामाजिक विवाद के सीधे ही राज्य के समक्ष प्रस्तुत होने पर राज्य द्वारा तद्विषयक निपटारे हेतु संबंधित जाति-पंच नियुक्त किये जाने पर।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाति-पंचायतों द्वारा निपटाये जाने वाले सामाजिक विवाद मुख्य रूप से सगाई, विवाह, विवाहित जीवन, पति की मृत्यु के उपरांत विधवा के जीवन, पुनर्विवाह, खोला (गोद), नारी के क्रय-विक्रय एवं पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे आदि से संबंधित थे। सगाई से संबंधित विवादो में सगाई तय कर मुकर जाने, सगाई लेन-देन को लेकर परस्पर विरोधी दोषारोपण करने, सगाई तयशुदा स्थान पर न करके अन्यत्र कर देने, सगाई उपरांत लड़के या लड़की में किसी एक की मृत्यु हो जाने या किसी एक में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर सगाई छोड़ने, लड़के में कोई दोष होने या कतिपय कारणों से अन्यत्र चले जाने पर सगाई छोड़ने, 'रीत' की रकम का चुकारा नहीं होने, झगड़े के कारण सगाई छोड़ने व तद्विषयक अनुमति लेने आदि से संबंधित थे। सगाई संबंध-विच्छेद होने पर पूर्व में दी गई रकम की मांग को लेकर उत्पन्न विवाद एवं 'वेर की रकम' एवं 'वेर के कागद' से संबंधित विवाद भी सगाई संबंधी विवादों में आते थे। विवाह से संबंधित विवाद मुख्य रूप से वर पक्ष द्वारा विवाह करने में अनावश्यक विलम्ब करने, विवाह निश्चित स्थान पर न करके अन्यत्र कर देने, विवाह करने में जातीय नियमों का उल्लंघन करने आदि से संबंधित थे। विवाह के बाद विवाहित जीवन से संबंधित विवाद मुख्य रूप से पति द्वारा अपनी विवाहिता को ठीक ढंग से नहीं रखने, एक के होते दूसरी पत्नी घर में ले आने व प्रथम पत्नी से दुर्व्यवहार करने, विवाहित स्त्री से संतान नहीं होने पर पुरूष द्वारा अन्यत्र विवाह कर लेने आदि से संबंधित थे। वैधव्य (विधवा) जीवन से संबंधित विवाद मुख्यतः विधवा को उसके दिवंगत पति के अधिकार की सम्पत्ति न देने, उसके जीवन-यापन के प्रति शेष परिवार जनों द्वारा उपेक्षा बरती जाने आदि से संबंधित थे। पुनर्विवाह से संबंधित विवाद प्रमुख रूप से 'नाता,' 'पले लगाई,' 'घर में डालना' आदि से संबंधित थे। इन विवाहों को सामाजिक वैधता प्रदान करना, इस अवसर पर निश्चित कर लगाना, 'वेर का कागद' करवा कर विधवा के पितृ-पक्ष को विधवा का नाता कर सकने की अनुमति दिलाना तथा 'वेर की रकम' को लेकर हुए विवादों को सुलझाना संबंधित, जाति-पंचायतों के कार्य क्षेत्र में ही आता था। खोला अर्थात् 'गोद' को सामाजिक मान्यता प्रदान करना, तत्संबंधी सामाजिक परम्पराओं की पालना कराना व संबंधित विवादों को निपटाने में मध्यस्थता करना भी जाति-पंचायतों का ही कार्य था। लड़कियों/स्त्री के क्रय-विक्रय से संबंधित विवाद, विक्रय का कागद होने के उपरांत झगड़ा होने, गलत या अवैध विक्रय, बेची हुई स्त्री को पुनः प्राप्त करने आदि से संबंधित थे। उपर्युक्त समस्त प्रकार के सामाजिक विवाद संबंधित जाति-पंचायतों द्वारा ही सुलझाये जाते थे। इनके अतिरिक्त पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे, पत्नी के

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

दुराचारिणी हो जाने, एवं 'थित-विरत' से संबंधित विवाद भी जाति पंचायतें ही सुलझाती हुई दृष्टिगत होती हैं। इस प्रकार जाति-पंचायतों का एक व्यापक सामाजिक क्षेत्र था। दोषी व्यक्ति को जाति-पंचायतों द्वारा दिया जाने वाला दंड क्षमायाचना, त्रुटि-सुधार, अर्थ दंड (गुनेहगारी) के अतिरिक्त जाति-भोज एवं जाति-बहिष्कृत किये जाने तक का था। राज्य द्वारा यथासंभव जाति-पंचायतों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था तथापि कतिपय मामलों में राज्य एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाति-पंचायत के निर्णय को उलटता हुआ या एक निश्चित आर्थिक कर लेकर प्रार्थी को संरक्षण प्रदान करता भी दृष्टिगत होता है तथापि यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जाति-पंचायतों ने विविध सामाजिक विवादों व समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने का कार्य कर अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को बहुत सहायता प्रदान की।

राज्य के स्थानीय स्तर के सामान्य प्रशासन एवं न्यायिक-संगठन में विद्यमान रही विभिन्न प्रकार की पंचायतों में जाति-पंचायत के पश्चात् द्वितीय स्थान पर गांव-पंचायतें आती थीं जो कि ग्रामीण समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण व अभिन्न अंग भी थीं। इस संभाग में अस्तित्वमान रहे प्रमुख तीन प्रकार के गांवों-खालसा गांव, पट्टायत गांव व सांसण या पुनरथ गांवों में गांव-पंचायतों के स्वरूप विषयक एक प्रमुख विविधता यह दृष्टिगत होती है कि उन गांवों की गांव-पंचायतें अपने स्वरूप में अधिक स्वतंत्र, स्वायत्त एवं प्रभावी थीं जहां 'चौधरी' प्रभावशाली स्थिति में था एवं ठाकुरों, पट्टायतों व कामदारों का हस्तक्षेप विद्यमान नहीं था। जिन गांवों में ठाकुर, पट्टायत व कामदारों का हस्तक्षेप था वहां की गांव-पंचायतें उतनी स्वायत्तता से अपना कार्य नहीं कर पाती थीं। यद्यपि यह भी एक तथ्य था कि ठाकुर, पट्टायत या कामदार सामान्यतः गांव-पंचायत को नाराज नहीं रखना चाहते थे। गांव-पंचायत का कार्य क्षेत्र एक ही गांव तक सीमित होना अनिवार्य नहीं था, कभी-कभी यह दो या दो से भी अधिक गांवों तक विस्तीर्ण दृष्टिगत होता है। सामान्यतः एक गांव से संबंधित मामला उसी गांव की गांव-पंचायत द्वारा ही सुलझाया जाता था किन्तु कभी-कभी दो गांवों के मध्य उत्पन्न विवाद दोनों गांवों की गांव-पंचायतों द्वारा मिलकर या तीसरे गांव की गांव-पंचायत द्वारा भी सुलझाये जाते थे। सामान्यतः तीन परिस्थितियों में गांव पंचायत की बैठक आयोजित की जाती थी, प्रथम कोई मामला गांव-पंचायत के समक्ष निपटारे हेतु ले जाये जाने पर; द्वितीय, कोई मामला राज्य के समक्ष पहुंचने पर राज्य द्वारा उसके निपटारे में गांव-पंचायत का सहयोग चाहने पर या मामला उसी के सुपुर्द कर देने पर एवं

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

तृतीय, गांव-पंचायत के स्वयं सक्रिय होने पर।

गांव-पंचायतों के समक्ष निपटारे हेतु प्रस्तुत होने वाले विवाद मुख्य रूप से भू-स्वत्व अधिकार एवं कृषि संबंधी विवादों जैसे- खेत, घर, जमीन, कुऐं के स्वामित्व संबंधी झगड़ों, इनके बंटवारे संबंधी मामलों, खेत-जमीन पर अनाधिकृत कब्जे, साझे की जमीन के बंटवारे, कृषि उपज एवं अतिरिक्त उपज के बंटवारे से जुड़े विवाद, दान/अनुदान की भूमि के स्वामित्व से संबंधित झगड़ों, भू-स्वामी को अपनी भूमि काश्त नहीं करने देने से उत्पन्न विवाद, 'मलबा' एवं 'मुकाता' व्यवस्था से जुड़े विवाद आदि से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर के चोरी, हेराफेरी, पशु को चोट पहुंचाने जैसे छुटपुट आपराधिक मामले तथा नागरिक प्रकृति के विवाद जैसे दो मोहल्लो की गोचर भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद, घर के बारी, दरवाजे, रास्ते के निर्धारण विषयक विवाद भी गांव-पंचायतों द्वारा ही सुलझाये जाते थे। ग्राम स्तर के विविध आर्थिक विवाद जो रोजगार रकम निर्धारण, उधार या कर्ज, भूमि या वस्तु को गिरवी रखने, निः संतान की सम्पत्ति के बंटवारे आदि से संबंधित थे, भी गांव पंचायतों के ही कार्य क्षेत्र के विषय बनते थे। गांव से लिए जाने वाले विविध प्रकार के कर, अवबाब (चुंगी) को लेकर उत्पन्न विवाद तथा दो गांवों की सीमा एवं साझी भूमि से जुड़े विवाद भी संबंधित गांव-पंचायतों द्वारा ही सुलझाये जाते थे। कतिपय सामाजिक मामलों में अपनी भूमिका निभाने के अतिरिक्त स्थानीय मेला, त्यौहार, धार्मिक उत्सवों पर यथावश्यक व्यवस्थाएं करना आदि सामुदायिक स्तर के कार्य निष्पादित करना भी गांव-पंचायतों के कार्य क्षेत्र का विषय रहा। गांव-पंचायतों द्वारा दोषी व्यक्ति को दिया जाने वाला दंड मुख्यतः आर्थिक ही दृष्टिगत होता है किन्तु गंभीर मामले के दोषी को गांव निष्कासन का दंड भी सुनाया जाता था। इस प्रकार गांव-पंचायत ग्राम स्तर की विविध सामान्य व नागरिक प्रकृति की समस्याएं व विवाद सुलझाते हुए स्थानीय स्तर पर प्रशासन की एक महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के रूप में अस्तित्वमान दृष्टिगत होती है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की पंचायतों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की पंचायत व्यवसाय विशेष से जुड़ी होने के कारण व्यावसायिक पंचायत के नाम से विवेचित की गई है। यह दो श्रेणियों में विभाजित थी। प्रथम प्रकार की वे पंचायतें थीं जो व्यापार व वाणिज्य की विभिन्न शाखाओं में संलग्न व्यक्तियों की उनके व्यवसाय से संबंधित पारस्परिक अथवा सामूहिक समस्याओं को सुलझाती थीं। द्वितीय प्रकार की पंचायतें वे थीं जिनके सदस्य विभिन्न प्रकार के शिल्प श्रमिकों

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

 Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अथवा कारीगर समुदायों के प्रतिनिधि थे। चूंकि ये कारीगर जातियां एक विशिष्ट जाति की होने के फलस्वरूप उससे संबंधित व्यवसाय में ही संलग्न थीं इस कारण उनकी जाति-पंचायत व व्यवसाय से संबंधित पंचायत एक ही हुआ करती थी। एक जाति एवं एक व्यवसाय की यह अवधारणा व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यरत प्रथम प्रकार की व्यावसायिक पंचायत पर लागू नहीं होती। सामान्यत: वाणिज्य-व्यापार में दीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्ति को बिना किसी जाति-विभेद के पंच बनाया जाता था। गांव स्तर के किसी छुटपुट विवाद के निपटारे हेतु कई बार गैर-व्यापारी लोगों को भी पंच बना दिया जाता था। ये पंचायतें क्षेत्रीय परिस्थितियों से और समाज के शक्तिशाली साधन सम्पन्न वर्गों के विशेषाधिकार से प्रभावित थीं। जाति एवं गांव-पंचायत की तुलना में इस क्षेत्र में इन व्यावसायिक पंचायतों का अधिक प्रभावी होना भी दृष्टिगत होता है चूंकि जाति व गांव-पंचायत की तरह ये एक सीमित क्षेत्र तक ही बंधी हुई न होकर व्यवसाय की व्यापकता से जुड़ी हुई, विस्तृत थीं। इसके सदस्य भी विविध जातीय सदस्य हो सकते थे अत: इसका प्रभाव किसी एक जाति विशेष पर ही न पड़कर एक वर्ग विशेष पर पड़ता था। कृषक व श्रमिक की तुलना में राजा व प्रशासन के सम्मुख व्यापारी व साहूकार की स्थिति भी अधिक उत्तम थी।

व्यावसायिक पंचायतों द्वारा सुलझाये जाने वाले विवाद मुख्य रूप से हिसाब की अनियमितता (लेखे-चोखे का असरचा), साझेदारी, माल या सामान की संख्या व उसके भार तोल से संबंधित माल के झगड़ों, लेन-देन, साहूकारी में ऋण, ब्याज, हुण्डी भुगतान संबंधी विवाद आदि से संबंधित थे। इन विवादों को सुलझाने के अतिरिक्त व्यावसायिक पंचायतें जब कभी यह समझती थीं कि उनसे संबंधित सदस्यों के हित राज्य की नयी नीति, नयी कर संरचना अथवा किसी राज्याधिकारी के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हस्तक्षेप फलस्वरूप संकट में पड़ गये हैं तब राज्य से तद्विषयक विरोध भी प्रदर्शित करती व अपने प्रयासों से समस्या का निदान भी पाती दृष्टिगत होती हैं। इनकी न्यायिक-प्रक्रिया विषयक एक विविधता उल्लेखनीय है कि पंचों द्वारा स्वयं किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जाति-पंचायतों व गांव-पंचायतों के विरूद्ध व्यावसायिक पंचायतों के निर्णयों पर पुनर्विचार के उदाहरण भी लगभग नहीं के समान मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है कि राजसत्ता की दृष्टि में भी इन पंचों को एक विशिष्ट महत्त्व प्राप्त था। व्यावसायिक-पंचायतों द्वारा दिये गये दंड मुख्यत: आर्थिक ही थे। अस्तु, ये व्यावसायिक-पंचायतें अपने सदस्यों के पारस्परिक व्यावसायिक विवादों के समाधान, व्यावसायिक हित संरक्षण के

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अतिरिक्त किसी बाह्य हस्तक्षेप का संगठित हो विरोध करने में सक्षम थीं।

पंचायतों के निर्णय के विरूद्ध राज्य से अपील (पुनर्याचना) की जा सकती थी। राज्य द्वारा यथासंभव पंचायतों के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था किन्तु आवश्यक होने पर राज्य पंचायत के निर्णयों को बदलता हुआ भी दृष्टिगत होता है। फौजदारी अधिकार पंचायतों के क्षेत्राधिकार में न होकर राज्य के क्षेत्राधिकार में थे किन्तु राज्य द्वारा इन मामलों के समाधान में पंचायतों के सहयोग को प्राप्त किये जाने व कतिपय मामलों के समाधान में पंचायतों से सहयोग को प्राप्त किये जाने और कुछ मामलों में राज्य द्वारा पंचायतों का कोई निश्चित दायित्व निर्धारित किया जाना भी दृष्टिगत होता है। पंचायतों के अस्तित्व को बनाये रखना राज्य की एक आवश्यकता थी एवं राज्य पंचायतों के माध्यम से ही स्थानीय भावनाओं के प्रति एक प्रकार से आदर प्रकट करके एवं फलस्वरूप उन्हें तुष्ट करके राज्य-प्रशासन व अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास कर सकता था। राज्य व पंचायत दोनों ही संस्थागत रूप से यथास्थिति की पृष्ठपोषक थे। हमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि राजा या राज्य ने किसी प्रकार की सामाजिक बुराई के विरूद्ध कोई कदम उठाया था बल्कि यूं कहना तर्कसंगत होगा कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक मान्यता अपने उजले व गंदले दोनों रूपों में राज्य द्वारा संरक्षित व पोषित होती रहती थी। राज्य द्वारा अपने आर्थिक हितों की चिन्ता में कई बार अवश्य हस्तक्षेप किया गया किन्तु उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा समाज के मूलभूत ढांचे को बदलने का साहस कभी नहीं किया गया।

इस प्रकार राज्य एवं पंचायतों के संबंध पारस्परिक आवश्यकताओं पर गठित थे। उन आवश्यकताओं में राज्य के एक शक्तिशाली संस्था एवं वृहत् हित रखने वाला होने के कारण, उसकी इच्छाएं सर्वोपरि थीं। पंचायतें एक कुशल एवं निष्ठावान संस्था के रूप में राज्य के न्यायिक एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के स्थानीय अंग एवं सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रही थीं परन्तु 18 वीं शताब्दी के प्रारंभ की तुलना में अंतिम वर्षों में आते-आते पंचायतों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी जिसके लिए तत्कालीन परिस्थितियां व राज्य द्वारा उन परिस्थितियों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण अधिक उत्तरदायी थे। उदाहरणतः जहां पहले गांव की बंजर भूमि पर गांव-पंचायत का अधिकार था, वहां पट्टायतों का हस्तक्षेप होने लगा तथा साथ ही नये बसे गांवों में उनकी पंचायतों के स्थान पर वहां के जमींदारों के अधिकार मान्य होने लगे थे चूंकि ये पट्टायत एवं जमींदार गांव को बसाने एवं उसकी सुरक्षा में अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान देने लगे थे। इन परिवर्तित परिस्थितियों

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में पंचायतों के सम्मान व स्थिति में चिंताजनक क्षीणता आयी और यह संस्था राज्य के लिए एक सामाजिक सम्मान व आर्थिक महत्त्व की प्रतिष्ठा भी क्रमशः खोने लगी। द्रुत गति से परिवर्तित हो रही इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप राज्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होकर अपने नये स्वरूप में मुखरित होती दृष्टिगत हुईं।

■ ■ ■

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

परिशिष्ट

शब्द-संग्रहिका

1. अकरान - राज्य में बीका राठौड़ों व चारण जाति हेतु इस शब्द का प्रयोग उनके भू-स्वत्व अधिकार व आसल में पूरी छूट के संदर्भ में किया जाता था।
2. अकरायत - राज करों की दरों में वृद्धि
3. अमल री चिट्ठी - हाकिम द्वारा जारी किये गये राजस्व संबंधी सूचना-पत्र
4. अडोणो - रेहन/गिरवी
5. अडाणी - रेहन रखना
6. अड़वी - प्रतिबाधा
7. अगोर - तालाब के पास का जलपूर्ति क्षेत्र
8. अटकाना - रूकावट पैदा करना
9. असरचो - झगड़ा
10. आसामी - गैर मालिकाना काश्तकार/देवदार/काश्तकार
11. आसामीदार चाकर - वे ठिकाणेदार जिनके पट्टे स्थाई व वंशानुगत होते थे।
12. आवदीन - बस्ती
13. आपत में - परस्पर
14. इणारा - इनके

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

15. इतरा - इतना
16. उजर - आपत्ति
17. उणारी - उनका/इनका
18. उथपसी - प्राथमिकता प्राप्त
19. उठे - वहां
20. ओढावणी - विशेष अवसर पर परिवार की बहिन-बेटी को उपहार स्वरूप प्रदत्त कपड़े आदि।
21. ओकड़ी - अदालती पत्र
22. ओलमो - शिकायत/उपालम्भ
23. औसर - मृत्यु भोज
24. कब्जा - स्वत्व या अधिकार
25. कमीन - निम्न जाति का व्यक्ति
26. कहेबत - परेशान करना
27. कागद - कागज
28. कामदार - राज कर्मचारी, व्यवस्थापक
29. काल - अकाल
30. कुलमुखिया - कुल या खांप का प्रमुख
31. केन - भेड़
32. कूड़ - झूठ
33. कोहर - गहरा कुंआ
34. कोसीटा - खेत
35. खतों पर - राज्य के लेनदारों के ऋण को व्यवस्थिति करने के लिए उन्हें कर वूसली सौंपने से संबंधित आदेश-पत्र
36. खत - दस्तावेज
37. खालसा - राजकोषीय
38. खांप - वंश का गोत्र, शाखा या उपशाखा
39. खिजमत - सेवा

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

40. खीसताल - अकाल
41. खेचल - रूकावट
42. खोलानामा - गोद का प्रपत्र
43. खोलायत - गोद गया हुआ
44. खोला - गोद
45. गईवाल - बे औलाद
46. ग्रासीया - ग्राम पति
47. गुनेहगारी - आर्थिक दंड
48. गुवाड़ी - गांव में बसने वाला एक संयुक्त परिवार
49. घर में घालना- विवाह या अन्य लोकाचार के बिना ही स्त्री को घर में रख लेना
50. घालना - डालना
51. चाकर पट्टेदार- वे पट्टेदार जिन्हें राज्य सेवा काल में ही पट्टे दिये जाते थे व जिनके पट्टे के क्षेत्र में किसी प्रकार का दावा नहीं होता था।
52. चाकरी - राज्य सेवा
53. चाकर - सेवारत स्त्री पुरूष
54. चामचोरी - व्यभिचार/बलात्कार
55. चीरा - राजस्व प्रशासनिक क्षेत्रीय इकाई
56. चुनरी ओढाना - विधवा स्त्री को चुनरी ओढ़ाकर अपनी विवाहिता की तरह मान लेना
57. चूड़ी पहनाना - विधवा स्त्री को चूड़ी पहनाकर अपनी स्त्री के रूप में रख लेना
58. चौधरी - गांव का मुखिया
59. चीरायत - राजस्व प्रशासनिक अधिकारी
60. चौतड़ा - नगर में कोतवाल का स्थान
61. छुटभई - ठाकुर का छोटा भाई अथवा ठाकुर के परिवार के अन्य सदस्य जिन्हें वह जागीर देता है या उनके निर्वाह का अन्य कोई प्रबंध करता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

62. छूट - राज करों में रियायत व उनसे मुक्ति से संबंधित राज्यादेश
63. जमादार - जाति विशेष का नेता जो राज्य व जाति के मध्य एक प्रतिनिधि होता था।
64. जमीयत. - एक खांप या परिवार के सदस्य जो अपने परिवार व खांप के मुखिया के झण्डे तले इकट्ठे होते थे।
65. जतन - प्रयत्न
66. जमींदार - भूमि पति जिसे वंशानुगत भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त हों
67. जगात - चुंगी कर
68. जागा - जगह
69. जाब - प्रत्युत्तर
70. जाणीवाण - अनुभवी व्यक्ति
71. जाति नोहरा - जाति विशेष के सदस्यों के सामूहिक स्वामित्व वाला चार दीवारी युक्त भूखंड
72. जामनी - जमानती/जमानत
73. टंटो - झगड़ा
74. टाबर - बच्चा
75. ठकुराई - स्वत्व अधिकार/सामंती क्षेत्र
76. ठाकुर - राज्य के सामंतों की पदवी
77. ठिकाणा - ठाकुरों का पैतृक स्थान जहां ठाकुर स्वयं गढ़ी बनाकर रहता था व वहां से अपने क्षेत्र के प्रशासन का संचालन करता था।
78. डावड़ी - कन्या
79. डोहली रो कोसीटो - दान में प्राप्त कुंआ (कम गहरा)
80. डोहली - अनुदान भूमि
81. ढांढा - पशु
82. तपावस - कृपा
83. तोई - तक
84. तीथा - तथा

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

85. थाणा - सैनिक व पुलिस केन्द्र
86. थापियो - सौंपा
87. थित-विरत - दान दक्षिणा या रोजगार पाने हेतु निश्चित घर-परिवार
88. दरोगा - उप अधिकारी
89. दावे - बदले में
90. दुई - दो
91. दोवड़ासगपण - दोहरा संबंध (दोनों संबंधित परिवारों की पुत्रियों का आदान-प्रदान)
92. धित - राजी करना
93. धकिया - स्वर्गवास होना
94. नाता - परित्यक्ता व विधवा स्त्री का पुनर्विवाह
95. नवा - गांव में बसने वाला नया व्यक्ति
96. नीवला - मामूली, कमजोर
97. नीवेड़ना - निपटाना
98. नेड़ी - समीप
99. नेग - बधाई स्वरूप उपहार
100. नौता - निमंत्रण
101. न्यात - जाति समूह
102. पंचोतरा - हासल का पांच प्रतिशत
103. पल्ले लगाई - पुनर्विवाह का एक प्रकार
104. पट्टायत - पट्टाधारी सामंत
105. पसाईती - रियायती काश्तकार जो मात्र हलों की गिनती पर हासल चुकाता था
106. पर्दायत - पर्दे में डालना/उपपत्नी बनाने के बाद दी जाने वाली विशेष पदवी
107. पड़ला - विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू के लिए लाया गया सामान
108. परणी - विवाहित

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

109. परी गई - दूर जाना
110. परगना - प्रशासनिक इकाई
111. पट्टा - शासक द्वारा सामंतों को निश्चित दायित्व के बदले दी गई जागीर से संबंधित प्रमाण-पत्र
112. पाटवी - ठाकुर या राजा का ज्येष्ठ पुत्र, खांप की प्रमुख शाखा
113. पासवान - सम्मानित उप पत्नी
114. पाटवी कुंवर - ज्येष्ठ पुत्र
115. पांती - हिस्सा
116. पांचे चमासे - यदा कदा
117. पेसकसी - नजराने स्वरूप दिया गया एक प्रकार का कर
118. पुनरथ - धर्मार्थ
119. फरोही - साधारण अपराध कार्यों पर लगाया गया जुर्माना
120. फौजदार - मुख्य सैन्याधिकारी
121. बही - राज्यादेश व प्रशासनिक लेखे जोखों की विवरण पुस्तिका
122. बहीयात - बही विभाग
123. बाथेड़ो - झगड़ा
124. बारणा - दरवाजा
125. बावण दीवी - काश्त करने को दी
126. बिरादरी - जाति विशेष का समुदाय
127. बीजो - दूसरा
128. बीहां - विवाह
129. बूजा - खेत में उगने वाली एक घास
130. बूजा काटना - खेत की जमीन से झाड़ियों आदि को साफ करना
131. भाट - एक जाति
132. भाईपा - भाई बन्धु
133. भोमीचारा - किसी जाति या समुदाय के अधिकार में एक निश्चित क्षेत्र
134. भोगलाऊ - उधार दी गई रकम का ब्याज न लेकर रेहन में रखी भूमि

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हासिल कर लेना

135. भोमिया - भूमिपति

136. भोगता - भोग का मालिक

137. भोग - हासल का बड़ा भाग

138. मलबा - पुराने ग्रासियों व भोमिचारों को अन्य काश्तकारों द्वारा चुकाया गया कर; गांव के चौधरी के सम्मान को बनाये रखने हेतु दिया गया कर।

139. मंडी - कस्बा

140. मारग - रास्ता

141. मुकाती - ठेकेदार

142. मुद्दई - दावा करने वाला/वादी

143. मुतसद्दी - वंशानुगत राज कर्मचारी वर्ग

144. मुकाता - ठेका प्रणाली

145. मोटी - व्यस्क

146. रकम - नकद कर

147. राज लोक - राज परिवार के व्यक्ति

148. राजवी - राजकुल का सदस्य

149. रावले पासे - राजा के अधिकार में

150. रीत - सामाजिक उत्सवों की परम्परा

151. रीठ - सामाजिक स्वरूप का कर जो विशेषत: पुनर्विवाह पर लिया जाता था।

152. रैत - रैयत/प्रजा

153. रोजगार रकम - धंधे का पारिश्रमिक

154. रोही - जंगल

155. लाग-बाग - अतिरिक्त कर

156. लिखत - सूचना पत्र/गारंटी प्रपत्र

157. लुगाई - स्त्री

158. लेहणा - लेनदारी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

159. वसीरा - बस्ती के
160. वसीयो - बसा
161. वेर - संबंध विच्छेद व पुनर्विवाह पर संबंधित पक्ष को दी गई निर्धारित रकम
162. वेर का कागद - वेर की रकम चुकाने के उपरांत किया गया तद्विषयक कागज
163. सहाणा - भूमि के मापन, कर निर्धारण व वसूली के कार्य में सहयोग करने वाला स्थानीय अधिकारी
164. सनद - आदेश पत्र
165. सरणे - शरण में
166. समसत - समस्त
167. सदामद - सदैव से
168. सरवाना - निपटाना
169. सगला - समस्त
170. सायदी - प्रत्यक्षदर्शी
171. साहौ - वह तिथि जिस पर विवाह होना निश्चित हो
172. साख - साक्षी
173. सांसण - अनुदान भूमि/गांव
174. साहे - शीर्षक
175. सावा - जगात वसूली का क्षेत्र
176. सीर - साझेदारी
177. सीरायत - राज्य के प्रमुख सामंत जिन्हें राज्य-दरबार की प्रथम पंक्ति में आगे बैठने को स्थान मिलता था।
178. सींव - सीमा
179. सूना - खाली होना/गैर आबाद
180. सोढ़ - ऊंटनी
181. हबूब - विविध कर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

182. हरकुर - शिकायत

183. हकदाल - अधिष्ठापन शुल्क

184. हासल - उपज

185. हाकम - चीरे का मुख्याधिकारी

186. हुवाला - दायित्व सुपुर्द करना

187. हुण्डी - स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया भुगतान मांग-पत्र

188. हुजदार - राजस्व मुख्याधिकारी

189. हुवलदार - राजस्व एकत्र करने वाला कर्मचारी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

प्राथमिक-स्रोत

(1) पुरोलेखीय-सामग्री

बीकानेर रिकार्ड्स

अ- बीकानेर बहियात- रा. रा. अ. बी.

चीरा बहियां :

1. रीणीये रे चीरे री बही, नं. 48, वि. सं. 1783

जगात बहियां :

2. मंडी री बही, नं. 79, वि. सं. 1709

जमा-खर्च की बहियां :

3. परगना रे जमा जोड़ री बही, नं. 74, वि. सं. 1701
4. श्री मंडी रे जमा खरच री बही, नं. 58, वि. सं. 1854

लेखा बहियां :

5. लेखा री बही, नं. 105, वि. सं. 1773
6. लेखा बही, नं. 222, वि. सं. 1786

हासल बहियां :

7. गांवां रे हलगत री बही, नं. 133, वि. सं. 1739

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8. जसरासर रे हासल भाछ री बही, नं. 26, वि. सं. 1750

अन्य बहियां :

9. समसत गांवा री बही, नं. 71, वि. सं. 1727-45
10. कामदारों व वकीलों रे रोजगार री बही, नं. 206, वि. सं. 1753

आ- बीकानेर रिकार्ड्स, रा. रा. अ. बी.

11. बही 1820 साल री खत किया तथा उधारा लिया, वि. सं. 1820
12. खारी पट्टी मगरे री जमा, वि. सं. 1842, जगात बस्ता, वि. सं. 1848
13. जैतपुर थाणे री बही, जगात बस्ता, वि. सं. 1848
14. बही खाता खजाना सदर (बीकानेर), वि. सं. 1852 (खाता खजाना बहियां वि. सं. 1810 से 1875)

इ- रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर, रा. रा. अ. बी.

कागदों की बहियां :

15. कागदों की बही, नं. 1, वि. सं. 1811
16. वही, नं. 2, वि. सं. 1820
17. वही, नं. 3, वि. सं. 1823
18. वही, नं. 4, वि. सं. 1831
19. वही, नं. 5, वि. सं. 1838
20. वही, नं. 6, वि. सं. 1839
21. वही, नं. 7, वि. सं. 1840
22. वही, नं. 8, वि. सं. 1846
23. वही, नं. 9, वि. सं. 1851
24. वही, नं. 10, वि. सं. 1854
25. वही, नं. 11, वि. सं. 1857
26. वही, नं. 12, वि. सं. 1859

सावा बहियां :

27. सावा बही, अनूपगढ़, नं. 1, वि. सं. 1753
28. सावा बही, रीणी, नं. 1, वि. सं. 1814
29. सावा बही, नौहर, नं. 1, वि. सं. 1822

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

30. सावा बही, राजगढ़, नं. 1, वि. सं. 1828
31. सावा बही चूरू रे थोणे री, नं. 1, वि. सं. 1829
32. सावा बही, रीणी, नं. 4, वि. सं. 1834-38
33. सावा बही, रीणी, नं. 6, वि. सं. 1854-55
34. सावा बही, रीणी, नं. 8, वि. सं. 1869-75
35. बही तलब तैयारी, नं. 31, वि. सं. 1866

खालसा बहियां :

36. बही खालसा रे गांवा री, वि. सं. 1725

पट्टा बहियां :

37. पट्टा बही, नं. 1, वि. सं. 1682
38. वही, नं. 2, वि. सं. 1692
39. वही, नं 3, वि. सं. 1704-05
40. वही, नं. 5, वि. सं. 1725
41. वही, नं. 7, वि. सं. 1753

अन्य बहियां :

42. बही पानावली ठिकाणा री, नं. 40/5, वि. सं. 1800
43. बही पेशकसी रे लेखे री, नं. 38, वि. सं. 1833 सूं

परवाना बहियां :

44. परवाना बही, नं. 1, वि. सं. 1740
45. वही, नं. 22/3, वि. सं. 1743
46- वही, नं. 22/3, वि. सं. 1800

ई- भैया संग्रह- रा. रा. अ. बी.

47- भैया आलमचंद का पत्र, पोष बदि 12, वि. सं. 1812
48- भैया संग्रह पत्र, माघ सुदि 5, वि. सं. 1840
49- महाराजा गजसिंह के आदेश की प्रति, 5 बदि मार्गशीर्ष, वि. सं. 1842
50- नोहर कस्बे से भैया नथमल के पत्र, अश्विन बदि 1, वि. सं. 1872-73
51- भैया देवीदान का भैया नथमल को पत्र माघ (मार्गशीर्ष) सुदि 9, वि. सं. 1877

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बहियात :

52 - जमा खर्च री बही, वि. सं. 1854
53 - बही साहूकारों री जगात रे लेखे री, नं. 23, वि. सं. 1874

उ - मोहता रिकार्ड्स - रा. रा. अ. बी.

54 - वेरियस परवानाज ऑफ दी बीकानेर रूलर्स एड्रेस्ड टू दी मोहता फेमिली ऑफ बीकानेर, फलेश नं. 2, माइक्रो फिल्म रील नं. 8
55 - दीवानी पत्र (बख्तावर सिंह के समय के पूर्व के)
56 - मोहता बख्तावरसिंह एवं अभयसिंह के पत्र (1738 से 1821)

ऊ - पोतेदार संग्रह (निजी संग्रह), नगरश्री, चूरू

57 - पोतेदार बही, वि. सं. 1884

ए - हकीकत लोकमणी व्यास पेपर्स, वि. सं. 1827

58. भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर में संग्रहित लोकमणी व्यास पेपर्स।

ऐ - नाहटा संग्रह (निजी संग्रह), बीकानेर

59. 13-14 गुवाड़ों की विगत बही, नाहटा संग्रह, बीकानेर

ओ - बहियात शाखा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर

60. बीकानेर के व्यापारियों की उनके नरेश महाराजा जोरावरसिंह को अपील, वैशाख सुदि 13, वि. सं. 1798

जोधपुर रिकार्ड्स

अ - जोधपुर बहियात - रा. रा. अ. बी.

सनद परवाना बहियां :

61 - सनद परवाना बही (मारवाड़), नं. 1, वि. सं. 1821
62 - वही, नं. 2, वि. सं. 1822
63 - वही, नं. 3, वि. सं. 1822
64 - वही, नं. 4, वि. सं. 1823
65 - वही, नं. 5, वि. सं. 1823

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

66- वही, नं. 6, वि. सं. 1824
67- वही, नं. 7, वि. सं. 1824
68- वही, नं. 8, वि. सं. 1825
69- वही, नं. 9, वि. सं. 1826
70- वही, नं. 10, वि. सं. 1827
71- वही, नं. 11, वि. सं. 1828
72- वही, नं. 12, वि. सं. 1829
73- वही, नं. 13, वि. सं. 1830
74- वही, नं. 14, वि. सं. 1831
75- वही, नं. 15, वि. सं. 1832
76- वही, नं. 16, वि. सं. 1833
77- वही, नं. 17, वि. सं. 1833
78- वही, नं. 18, वि. सं. 1834
79- वही, नं. 19, वि. सं. 1834
80- वही, नं. 20, वि. सं. 1835
81- वही, नं. 21, वि. सं. 1835
82- वही, नं. 22, वि. सं. 1836
83- वही, नं. 23, वि. सं. 1836
84. वही, नं. 24, वि. सं. 1837
85. वही, नं. 25, वि. सं. 1838
86. वही, नं. 26, वि. सं. 1838
87. वही, नं. 27, वि. सं. 1839
88. वही, नं. 28, वि. सं. 1839
89. वही, नं. 29, वि. सं. 1840
90. वही, नं. 30, वि. सं. 1841
91. वही, नं. 31, वि. सं. 1841
92. वही, नं. 32, वि. सं. 1842
93. वही, नं. 33, वि. सं. 1842
94. वही, नं. 34, वि. सं. 1843
95. वही, नं. 35, वि. सं. 1843
96. वही, नं. 36, वि. सं. 1844
97. वही, नं. 37, वि. सं. 1844

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

98. वही, नं. 38, वि. सं. 1845
99. वही, नं. 39, वि. सं. 1845
100. वही, नं. 40, वि. सं. 1846
101. वही, नं. 41, वि. सं. 1846
102. वही, नं. 42, वि. सं. 1847
103. वही, नं. 43, वि. सं. 1848
104. वही, नं. 44, वि. सं. 1849
105. वही, नं. 45, वि. सं. 1850
106. वही, नं. 46, वि. सं. 1851
107. वही, नं. 47, वि. सं. 1852
108. वही, नं. 48, वि. सं. 1853
109. वही, नं. 49, वि. सं. 1854
110. वही, नं. 50, वि. सं. 1854
111. वही, नं. 51, वि. सं. 1854
112. वही, नं. 52, वि. सं. 1855
113. वही, नं. 53, वि. सं. 1856
114. वही, नं. 54, वि. सं. 1857

आ - ओहदा बहियां

115. ओहदा बहियां (मारवाड़), नं. 1, वि. सं. 1765 से 1941 तक

इ - हथ बहियां

116. जोधपुर हथ बही, वि. सं. 1830

(2) शिलालेख (संस्कृत, राजस्थानी)

117. ओसियां अभिलेख, वि. सं. 1245
118. हटुण्डी का शिलालेख, वि. सं. 1335
119. सांचौर इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1345
120. साभर का लेख, वि. सं. 1345
121. पार्श्वनाथ इन्सक्रिप्शन, जैसलमेर, वि. सं. 1415
122. दिलवाड़ा इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1491
123. सूरजपोल प्रशस्ति, जूनागढ़, बीकानेर, वि. सं. 1650
124. नाकोड़ा इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1678

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

125. नाडुलाई इन्सक्रिप्शन, वि. सं. 1686
126. सरदार म्यूजियम अभिलेख, जोधपुर, वि. सं. 1765

(3) ऐतिहासिक साहित्य

अ- राजस्थानी साहित्य (अप्रकाशित)

127. राव जैतसी रो छंद बीठु सुजे रो कयो, अ. स. पु. बी.
128. राठौड़ां री वंशावली ने पीढ़ियां ने फुटकर वातां, नं. 233/6, अ. स. पु. बी
.129. राठौड़ां री वंशावली तथा पीढ़ियां, नं. 232/5, अ. स. पु. बी.
130. महाराजा अनूपसिंघजी रो आनन्दराम नाजर रे नाम परवानो, वि. सं. 1749, आदुणी लिखत खास रूक्का नं. 197/19, अ. स. पु. बी.
131. अथ ख्यात जोधपुर रा राज रा दस्तूर री बही, चौ. शो. प्र. जो.

आ- राजस्थानी साहित्य (प्रकाशित)

132. दलपत विलास, सम्पादक रावत सारस्वत, सार्दुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्ट्टीयूट, 1960 ई., बीकानेर
133. मुहणोत नैणसी री ख्यात, नं. 202-24, अ. स. पु. बी., संपादक-श्री बद्री प्रसाद साकरिया, भाग- 1-3, राजस्थान पुरातन ग्रंथ माला, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
134. मूता नैणसी कृत मारवाड़ रा परगना री विगत (तीन भाग), संपादक- नारायण सिंह भाटी, 1968 ई., 1969 ई., 1974 ई., राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
135. कान्हड़दे प्रबंध, पद्यमनाभ, संपादक-के. बी. व्यास, 1953 ई., जयपुर
136. जोधपुर राज्य की ख्यात, एम. एस. नं. 199, अ. स. पु. बी.
137. छंद राव जैतसी रो (टेसीटोरी), बिबलोथिका इण्डिका, ए. एम. बी. सीरिज, नं. 1430, कलकत्ता

इ- संस्कृत सहित्य

138. अनन्त राज धर्म कौतुम, नं. 252/54, अ. स. पु. बी.
139. गीत गोविन्द टीका, नं. 26-26, अ. स. पु. बी.
140. जयसोम-कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनक्म काव्यं, अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर, नं. 1206 इति
141. महादेव : रायसिंह सुधा सिन्धु, नं. 4283, अ. स. पु. बी.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

142. होशिंग कृष्ण : **कर्णावतंस**, नं. 2981, अ. स. पु. बी.

ई- **फारसी साहित्य**

143. गुलबदन बेगम - हुमायूंनामा, भाग-1, 2 (अनु. डा. रिजवी)
144. गुलबदन बेगम - हुमायूंनामा (अनु. बृज रत्न दास)
145. जौहर - तजकिरात-उल-वाकियात (अनु. डा. रिजवी)
146. बदायुनी - मुन्तखाब-उत्त-तवारीख (अनु. डा. रिजवी)
147. मुतला अहमद - तारीख-ए-अलफी (अनु. डा. रिजवी)

माध्यमिक-स्रोत

1. **राजस्थानी साहित्य**

1. आर्याख्यान कल्पद्रुम- सिढ़ायच दयालदास, नं. 180/8, अ. स. पु. बी.
2. जैसलमेर री ख्यात, संपादक नारायणसिंह भाटी, परम्परा, भाग 57-58 1981 ई., जोधपुर
3. दयालदास री ख्यात, भाग-1, भाग-2, नं. 188/10 (क) (ख), अ. स. पु. बी.; भाग-2, प्रकाशित- अनु. दशरथ शर्मा, 1948 ई., सादुल प्राच्य ग्रंथ माला, अ. स. पु. बी., सं. 2005
4. देश दर्पण- दयालदास, नं. 186/8, अ. स. पु. बी.
5. नापा सांखला री बात, नं. 206, अ. स. पु. बी.
6. बीकानेर रे राठौड़ां री ख्यात, सीहैजी सूं, नं. 192-14, अ. स. पु. बी.
7. उदयपुर री ख्यात व फुटकर कविता, नं. 122/4, अ. स. पु. बी.

2. **हिन्दी साहित्य**

1. श्री जम्भा गीता, संपादक-भोलाराम महन्त
2. मुंशी सोहनलाल- तवारीख राजश्री, बीकानेर, सं. 1947

3. **संस्कृत साहित्य**

1. अथर्ववेद- स्वाध्याय मंडल, 1938 ई., पूना
2. अमरकोश
3. ऋग्वेद, सं. 2032, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली
4. मनु स्मृतिः (स्वामी दर्शनानन्द कृत टीका, सं. 2009, मथुरा)
5. महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर, प्रथम संस्करण

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

6. वाल्मीकि रामायण, 1951 ई., पंडित पुस्तकालय, काशी
7. शब्द कल्पद्रुम
8. हरिषेण : वृहत्कथाकोश (सिंघी जैन ग्रंथ माला, मुम्बई)

आधुनिक-स्रोत

प्रकाशित पुस्तकें

1. अनन्त सदाशिव अल्टेकर : विलेज कम्युनिटीज इन वेस्टर्न इंडिया, 1927 मुम्बई
2. वही : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, 1959 ई., प्रयाग
3. अहमद मुहम्मद वशीर : दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मेडीवल इंडिया, 1941 ई., अलीगढ़
4. आर. पी. व्यास : रोल ऑफ नोबलिटी इन मारवाड़, 1966 ई., न्यू दिल्ली
5. वही : राजस्थान का वृहत् इतिहास, खंड-1, 1986 ई., जयपुर
6. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 1967 ई., आगरा
7. वही : अकबर दि ग्रेट, भाग-2, 1967 ई., आगरा
8. आर. सी. शर्मा : दी अर्द्ध कथानक, ए नेगलेक्टेड सोर्स ऑफ मुगल हिस्ट्री, 1970 ई., मुम्बई
9. इब्न हसन : दि सेन्ट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दि मुगल एम्पायर, 1936 ई., लन्दन
10. इरफान हबीब : दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, 1963 ई., नई दिल्ली
11. ई. वाशर्वन हापकिन्स : एन्शियण्ट एण्ड मार्डन हिन्दू गिल्डस इन इंडिया, 1901 ई., न्यूयार्क
12. एच. के. नकवी : अरबेनाईजेशन इण्ड अरबन सेन्टर्स अण्डर दी ग्रेट मुगल्स (1556-1707 ए. डी.), 1971 ई0, शिमला
13. एम. एस. जैन : आधुनिक राजस्थान का इतिहास, 1990 ई., जयपुर
14. एस. पी. गुप्ता : दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, 1986 ई., नई दिल्ली
15. एस. पी. सेंगर : क्राइम एण्ड पनिशमेंट इन मुगल इंडिया, 1967 ई., नई दिल्ली
16. एस. आर. भण्डारी : महेश्वरी जाति का इतिहास, 1940 ई., मानपुरा (इन्दौर)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

17. एस. मूसवी : इकोनोमी अंडर दी मुगल एम्पायर, 1987 ई., आक्सफोर्ड प्रेस
18. करणीसिंह : बीकानेर के राजघराने के केन्द्रीय शक्तियों के साथ संबंध (1465-1949), 1968 ई., बीकानेर
19. वही : रिलेशन्स ऑफ दी हाउस ऑफ बीकानेर विद दी सेंट्रल पावर्स, 1974, नई दिल्ली
20. कालूराम शर्मा : उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, 1974 ई., जयपुर
21. कौटिल्य : अर्थशास्त्र, अनुवादक श्यामा शास्त्री 6 संस्करण, 1920 ई., मैसूर
22. गौरीशंकर हीराचंद ओझा : बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग-1, 1939 ई., अजमेर
23. वही : जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, 1938 एवं भाग-2, 1941, ई. अजमेर
24. गोविन्द अग्रवाल : चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास, 1974 ई., अजमेर
25. गोविन्द अग्रवाल : पोतेदार संग्रह के फारसी कागजात, 1978 ई., चूरू
26. वही : पोतेदार संग्रह के अप्रकाशित कागजात, 1980 ई., चूरू
27. जगदीश सिंह गहलोत : राजस्थान का इतिहास, 1974 ई., जोधपुर
28. जगदीश नारायण सरकार : ए स्टडी ऑफ ऐटीन्थ सेंचुरी इंडिया, वोल्यूम-1, 1976 ई., कलकत्ता
29. जदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, हिन्दी अनुवाद, अनु. विजय नारायण चौबे, 1964 ई., आगरा
30. जी. एन. शर्मा : सोशल लाईफ इन मेडीवल राजस्थान (1500-1800 ई.), 1968 ई., आगरा
31. वही : ऐतिहासिक निबंध राजस्थान, 1970 ई., आगरा
32. वही : राजस्थान स्टडीज, 1970 ई., आगरा
33. वही : राजस्थान के इतिहास के स्रोत, 1973 ई., जयपुर
34. वही : राजस्थान का इतिहास, भाग-1, 1973 ई., आगरा
35. जी. सी. शर्मा : एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत्स, 1979 ई., दिल्ली
36. जी. एस. एल. देवड़ा : सम आस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो इकानोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, (सं.) 1980, जोधपुर
37. वही : ब्यूरोक्रेसी इन राजस्थान (1745-1829 ए. डी.), 1980 ई., बीकानेर
38. वही : महाराजा गंगासिंह शताब्दी ग्रंथ, (सं.) 1980 ई., बीकानेर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

39. वही : राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था (1574-1818 ई.), 1981 ई., बीकानेर
40. जी. डी. शर्मा : राजपूत पोलिटी, 1977 ई., दिल्ली
41. जेम्स टाड : एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, भाग-1, 1829 ई., पटना
42. वही : वही (संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद, अनु. केशव ठाकुर), 1965 ई., इलाहाबाद
43. जेम्स टाड : एनल्स एण्ड एणओक्विटीज ऑफ राजस्थान, भाग-2, 1971 ई. दिल्ली
44. डी. सी. सरकार : स्टडीज इन दी पालिटिकल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन एन्शियंट एण्ड मेडीवल इंडिया, 1974 ई., पटना
45. तपनराय चौधरी एवं इरफान हबीब : दी कैम्ब्रिज इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (संपादित), 1982 ई., कैम्ब्रिज
46. थेविनो : दि इण्डियन ट्रेवल्स ऑफ थेविनो एण्ड कारेरी, 1940 ई., नई दिल्ली
47. दशरथ शर्मा : राजस्थान थ्रू दी एजेज, भाग-1, 1966, बीकानेर
48. वही : अर्ली चौहान डायनेस्टीज, 1950, दिल्ली
49. दिलबाग सिंह : दि स्टेट लैण्डलार्डस एण्ड पीजेण्ट्स, 1990 ई., नई दिल्ली
50. दीनानाथ खत्री : बीकानेर राज्य का इतिहास, 1978, बीकानेर
51. नरेन्द्र : भारत में पंचायती राज (प्राचीन व नवीन युग), 1961 ई., अजमेर
52. नारायणसिंह भाटी : राजस्थान के ग्रंथागार (सं.), 1986 ई., जोधपुर
53. नाहर : जैन शिलालेख संग्रह, भाग 1-3
54. नोमान अहमद सिद्दिकी : लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी मुगल्स, 1970 ई., मुम्बई
55. परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संत परम्परा
56. पी. आर. शाह : राज. मारवाड़ ड्यूरिंग ब्रिटिश पैरामाउन्टेंसी, 1982, जोधपुर
57. पी. शरण : दि प्रॉविंशियल गवर्नमेंट ऑफ दी मुगल्स, 1941 ई., इलाहाबाद
58. पी. सी. जैन : सोशियो इकोनोमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिवल इंडिया, 1976, दिल्ली
59. मांगीलाल मयंक : जैसलमेर राज्य का इतिहास, 1984, जयपुर
60. मांगीलाल व्यास : जोधपुर राज्य का इतिहास, 1975 ई., जयपुर
61. रमेशचन्द्र मजूमदार : प्राचीन भारत में संघटित जीवन (अनु. कृष्णदत्त

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

वाजपेयी) 1966, सागर

62. रेऊ विश्वेश्वरनाथ : मारवाड़ का इतिहास, भाग-प्रथम, 1938 ई., जोधपुर
63. वाहिद हुसैन : एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग दि मुस्लिम रूल इन इंडिया, 1934 ई., कलकत्ता
64. विलियम क्रुक : नोर्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज ऑफ इंडिया, 1887 ई., लन्दन
65. विलियम फ्रेंकलिन : मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जार्ज टामस, 1805, लन्दन
66. बी. पी. मेनन : दी स्टोरी ऑफ दी इण्टीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स
67. सतीशचन्द्र : मेडीवल इंडिया, 1982 ई., नई दिल्ली
68. सैयद नूरल हसन : थाट्स आन ऐग्रेरियन रिलेशन्स इन मुगल इंडिया, 1973 ई., नई दिल्ली
69. शशि अरोड़ा : राजस्थान में नारी की स्थिति (1600-1800 ई.), 1981 ई. बीकानेर
70. स्टेट पब्लिकेशन : हाउस ऑफ बीकानेर- ए नेरेटिव, 1933 ई., बीकानेर
71. हरिशंकर श्रीवास्तव : मुगल शासन प्रणाली, 1978 ई., नई दिल्ली
72. हीरालाल माहेश्वरी : जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य, पहला भाग

2 - अप्रकाशित शोध-प्रबंध

1. दिलबागसिंह : लोकल एण्ड लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जयपुर स्टेट (1750-1800 ए. डी.), अप्रकाशित शोध-ग्रंथ (पी. एच-डी. हेतु स्वीकृत), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

3 - प्रकाशित शोध लेख

1. के. पी. वेलयुधन- ट्रेड गिल्डस एण्ड दी करेक्टर ऑफ स्टेट इन अरली मेडीवल साउथ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, पृ. 208-17, 1978 ई.
2. जी. एन. शर्मा- कार्पोरेट लाईफ एण्ड आर्गेनाईजेशन ऑफ दि विलेज इन मेडीवल राजस्थान, राजस्थान स्टडीज, 1970, आगरा
3. जी. एन. शर्मा- दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन मेडीवल राजस्थान, राजस्थान स्टडीज, पृ. 178-193, 1970 ई., आगरा
4. जी. एस. एल. देवड़ा- रिकाईस आन दी पंचायत सिस्टम इन दी राजस्थान आरकाईज (1700-1800 ई.), दि सोर्सेज ऑफ सोशल एण्ड इकोनोमिक

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, सेंटर फार राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विश्वविद्यालय, 1977, जयपुर

5. जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की गुकाता प्रणाली, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ दी ब्यावर सेशन, पृ. 237-45, 1968 ई., जयपुर
6. जी. एस. एल. देवड़ा- बीकानेर राज्य की अर्थ व्यवस्था में सहायता एवं निस्तार का स्वरूप, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ पाली सेशन, पृ. 47-53, 1975 ई., जोधपुर
7. जी. एस. एल. देवड़ा- रेगिस्तानी क्षेत्र (बीकानेर राज्य) में कृषि योग्य भूमि व इसका वर्गीकरण, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ कोटा सेशन, पृ. 34-41, 1976 ई., जोधपुर
8. जी. एस. एल. देवड़ा- एफर्ट्स टू चैक दी प्रोब्लम ऑफ डेजरटीफिकेशन इन दी नोर्थ-वैस्ट रीजन ऑफ राजस्थान (1700-1800 ए. डी.), राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, 1977 ई.
9. जी. एस. एल. देवड़ा- ए स्टडी ऑफ दी ट्रेड रिलेशन बिटवीन राजस्थान एण्ड सिन्ध/मुलतान, प्रोसीडिंग्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, 1978 ई.
10. जी. एस. एल. देवड़ा- पोजीशन एण्ड रोल ऑफ इंटरमीजियरीज इन दी नोर्थ-वैस्ट राजपूताना (सम आस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, 1980 जोधपुर सं. जी. एस. एल. देवड़ा)
11. जी. एस. एल. देवड़ा- मनुचीस कामेण्ट्स आन इंण्डियन सोशियल कस्टम एण्ड ट्रेडिशन्स-ए क्रीटिकल स्टडी, 'ला कोवो सेंजा डेल एशिया, ए डेल अफ्रीका इन इटालिया नेई सिकोली, IIIXVIII EXIX ई., पृ. 357, भाग-प्रथम, 1984 ई., नेपोली (इटली)
12. जी. एस. एल. देवड़ा-पश्चिमी राजस्थान में भेड़ एवं ऊन का व्यापार, (1700-1800 ए. डी.), राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ दी सिरोही सेशन, पृ. 65-71, 1984 ई., जोधपुर
13. जी. एस. एल. देवड़ा- अनूप संस्कृत पुस्तकालय का परिचय, राजस्थान के ग्रंथागार (सं. नारायणसिंह भाटी), पृ. 98-115, 1986 ई., जोधपुर
14. जी. एस. एल. देवड़ा- ए रीथिंकिंग आन दि पालिटिक्स ऑफ कमर्शियल सोसायटी इन प्री कोलोनियल इंडिया, ओकेजनल पेपर, 1987 ई., नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली
15. जी. एस. एल देवड़ा- कमर्शियल कोर्ट्स इन राजस्थान (1700-1800 ए.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

डी.), ओकेजनल पेपर, 1987 ई., एन. एम. एल., तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली

16. दशरथ शर्मा- प्रतिहार साम्राज्य में पंचायती राज्य, विश्वम्भरा, वर्ष-1, अंक-1, 1961 ई., बीकानेर

17. रामवल्लभ सोमानी- प्राचीन राजस्थान में पंचकुलों की व्यवस्था, शोध पत्रिका, वर्ष 18, अंक-3, पृ. 59-65, 1967 ई., उदयपुर

18. शशि अरोड़ा-पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की पंचायतों के सम्मुख नारी की स्थिति, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ उदयपुर सैशन, पृ. 36-40, 1978 ई., जोधपुर

19. शिव कुमार भनोत- आर्गेनाईजेशन एण्ड रोल ऑफ कास्ट पंचायत्स इन वेस्टर्न राजपूताना, 'सम आस्पैक्ट्स ऑफ सोशियो इकानोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान' (सं. जी. एस. एल. देवड़ा), पृ. 226-246, 1980 ई., जोधपुर

20. शिवकुमार भनोत- पश्चिमी राजपूताना में व्यावसायिक पंचायतें, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ सिरोही सेशन, पृ. 97-102, 1984 ई., जोधपुर

21. स्टीफेन पी. ब्लैक.- दी अरबन इकोनोमी इन प्री मार्डन मुस्लिम इंडिया, मोर्डन एशियन स्टडीज, पृ. 454-55, नं. 21-38, 1987 ई., कैम्ब्रिज

22. श्री राम शर्मा- एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन औरंगजेब्स टाईम्स, इण्डियन हिस्टोरीकल क्वार्टरली, भाग-21, पृ. 101-04, 1945 ई., नई दिल्ली

4- गजेटियर, पत्रिका, प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट्स

1. इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स

2. इण्डियन हिस्टोरीकल क्वार्टरली, भाग-21, 1945, ई., नई दिल्ली

3. के. डी. आर्सकीन- वैस्टर्न राजपूताना गजेटियर्स, वोल्यूम-थर्ड-ए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन्स, 1909 ई., कलकत्ता

4. गजेटियर, दि बीकानेर स्टेट, केप्टन पी. डबल्यू. पाऊलेट, 1935 ई., गवर्नमेंट प्रेस, बीकानेर

5. दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, भाग-8, प्रोविन्शियल सीरीज, 1908 ई. राजपूताना

6. परम्परा, भाग- 74-75, 1975 ई. एवं भाग 57-58, 1981 ई., राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

7. फेगन- सेटलमेंट रिपोर्ट, 1893 ई., बीकानेर
8. मरू श्री, वर्ष-6, अंक-4; वर्ष 7, अंक-1, दिसम्बर 1977 ई. एवं अंक 912-3, 1980 ई., नगर श्री, चूरू
9. मार्डन एशियन स्टडीज, नं. 21-3, 1987 ई., कैम्ब्रिज
10. मारवाड़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट (1922-23)
11. राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्ज- जोधपुर सेशन (1967); उदयपुर सेशन (1969); बीकानेर सेशन (1970); अजमेर सेशन (1972); ब्यावर सेशन (1973); पाली सेशन (1974); कोटा सेशन (1976); उदयपुर सेशन (1977); सिरोही सेशन (1982); बीकानेर सेशन (1984)
12. विश्वम्भरा, वर्ष-1, अंक-1, 1961 ई. हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर
13. सेन्सस ऑफ इंडिया, बीकानेर स्टेट, भाग-1, 1934 ई., लखनऊ
14. सेन्सस ऑफ मारवाड़ स्टेट, 1931, 1934 ई., जोधपुर
15. शोध पत्रिका, वर्ष 18, अंक-3, 1967 ई., राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर

■ ■ ■

G.M.C.E.J
4077

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

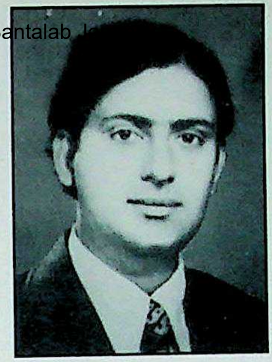

डॉ. शिव कुमार भनोत

एम. ए. (मध्यकालीन भारतीय इतिहास), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। 1977 से राजस्थान कॉलेज शिक्षा में निरन्तर सेवारत। 1988 में पी-एच.डी उपाधि।

सदस्य :

- बोर्ड ऑफ स्टड़ीज एवं डी. आर. सी. (महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर)
- इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस
- राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस
- शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की पुस्तक समीक्षा-समिति
- शोध निदेशक-राजस्थान भारती (रिसर्च-जर्नल), शार्दूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर

प्रकाशन:

- स्तम्भकार-दैनिक भास्कर
- शोध ग्रन्थों, रिसर्च जर्नल्स, पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार दैनिकों में आठ सौ से अधिक शोधपरक आलेख प्रकाशित

विशेष अध्ययन क्षेत्र: -

- बीकानेर इतिहास एवं संस्कृति
- राजस्थान का सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास

सम्प्रति:

- शोध निर्देशक-महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
- प्रवक्ता (सलैक्शन-स्केल), राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

आई.एस.बी.एन. 81-87339-27-6

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

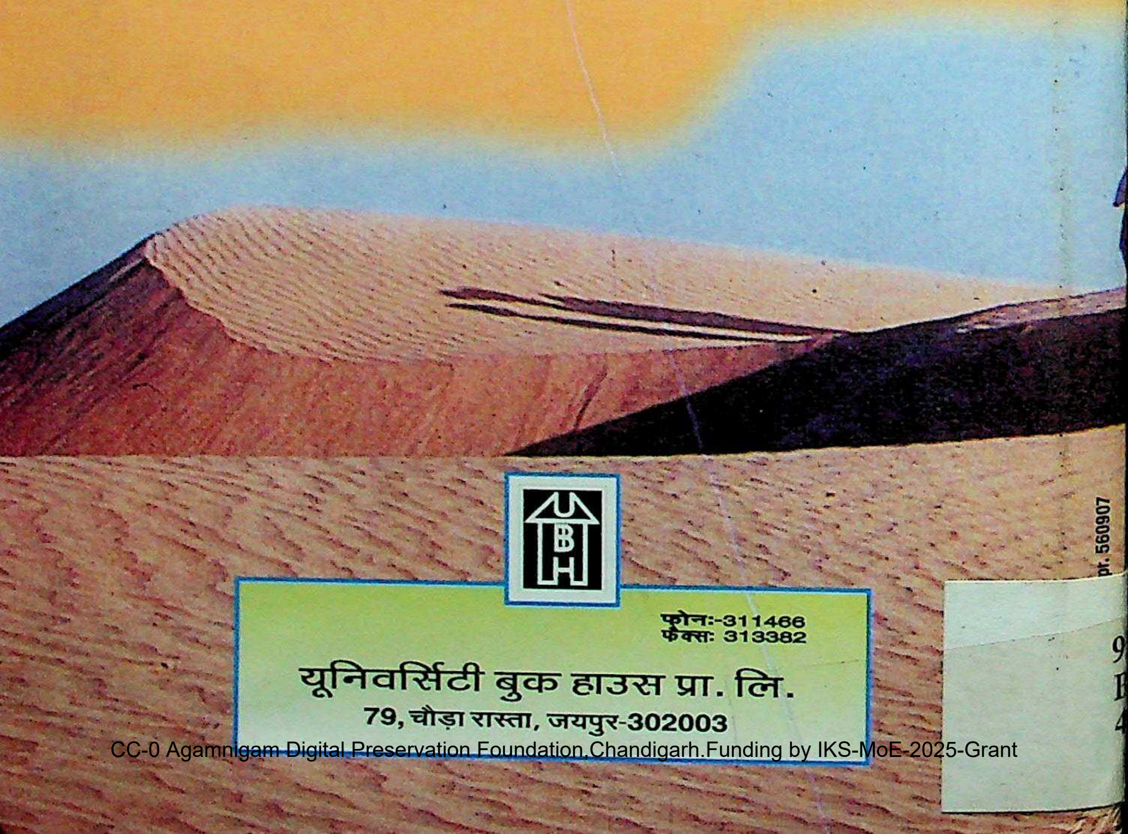

UBH

फोनः-311466
फैक्सः 313382

यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि.

79, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant